देश की प्रगति हमारा वैभव
आत्मनिर्भर भारत हमारा गौरव

40वीं वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

नालको NALCO
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
एक नवरत्न सीपीएसई

दूरदृष्टि

एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला के
देशीय एवं वैश्विक उत्खनन में
महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए
धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधान और
एकीकृत कंपनी बनना

निदेशक मंडल

1.	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	17.12.2019 से प्रभावी
2.	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.	अंशकालिक सरकारी निदेशक	09.11.2020 से प्रभावी
3.	श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.	अंशकालिक सरकारी निदेशक	05.08.2020 से प्रभावी
4.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)	
5.	श्री एम.पी. मिश्र	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार*	01.11.2020 से प्रभावी
6.	श्री बिजय कुमार दास	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वाणिज्यिक) अतिरिक्त प्रभार #	01.12.2020 से प्रभावी
7.	श्री एन.एन. शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	05.09.2020 तक
8.	श्रीमती अचला सिन्हा	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	07.09.2020 तक
9.	श्री उपेन्द्र सी. जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	09.11.2020 तक
10.	श्री संजीव कुमार रॉय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	31.10.2020 तक
11.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार	30.11.2020 तक
12.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार	28.02.2021 तक

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
श्री नयन कुमार महान्ति

* 01.03.2021 से प्रभावी निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारित
# 01.03.2021 से प्रभावी निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार धारित

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: L27203OR1981GOI000920
नालको भवन, प्लॉट सं. पी/1,
नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751 013, ओड़िशा
टेलीफोन. : 0674-2303197
ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाईट: www.nalcoindia.com

40वीं वार्षिक साधारण बैठक
तारीख एवं समय: बृहस्पतिवार, 30 सितंबर, 2021 को सुबह 11.00 बजे
मानित स्थान: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर- 751 013,
माध्यम: वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ओएवीएम

यह वर्ष एक नज़र में

विवरण	एकक	2020-21
भौतिक		
बॉक्साइट	मे.ट.	73,65,001
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	20,85,500
एल्यूमिनियम	मे.ट.	4,18,522
विद्युत (शुद्ध)	मि.यू.	6,440
पवन ऊर्जा	मि.यू.	285
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	5,162
सकल विक्रय	₹ करोड़ में	8,869
कर पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	1,317
कर पश्चात् लाभ	₹ करोड़ में	1,300
आय	₹ प्रति शेयर	6.97
बही मूल्य	₹ प्रति शेयर	58.15
लाभांश	₹ प्रति शेयर	3.50

विषय सूची

यह वर्ष एक नज़र में	01
निदेशकों की रिपोर्ट	07
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	29
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	40
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	57
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय की रिपोर्ट	79
निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	83
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	112
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (एकल)	125
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	186
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नज़र	246

निदेशकों के विवरण

श्री श्रीधर पात्र
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक

श्री श्रीधर पात्र ने 17 दिसम्बर, 2019 को कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था।

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक के पद पर प्रोन्नति के पूर्व, श्री पात्र कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में सेवारत थे। नालको में योगदान के पूर्व, श्री पात्र टी.एच.डी.सी. इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) थे।

ओड़िशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), मेंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सहित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनका लगभग तीन दशकों का शानदार कैरियर और व्यापक अनुभव रहा है।

वे कोविड महामारी के दौरान सफलतापूर्वक कंपनी का संचालन कर रहे हैं, वे दृढ़तापर्वक 5पी - उत्पादन, उत्पादकता, परियोजनाएँ, व्यक्ति और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सर्वाधिक अस्थिर और चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक परिवेश के बीच, श्री पात्र ने अपने चतुर नेतृत्व, मजबूत दृष्टि और रणनीतिक पहल के माध्यम से कंपनी को विकास, स्थिरता और व्यावसायिक उत्कृष्टता के पथ पर ले जाते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संगठन के बदलाव की पटकथा लिखी है।

श्री श्रीधर पात्र के समानुभूतिक नेतृत्व गुणों के साथ समाज और सामाजिक हितों के लिए प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना ने उन्हें औद्योगिक बिरादरी, कर्मचारियों और हितधारकों के लिए प्रिय बना दिया है।

निदेशकों के विवरण

श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री संजय लोहिया, 1994 बैच (असम मेघालय कैडर) के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने अक्टूबर, 2020 में खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया और वर्तमान में वे खान मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षा के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में योगदान किया। खान मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में पदोन्नत होने के पूर्व उन्होंने खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में योग किया था। संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय के रूप में योगदान के पूर्व, वे मुख्यमन्त्री, असम सरकार के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने असम सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 2011-2016 के दौरान, भारत सरकार में निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्पश्चात् जैसे संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में कार्य कर चुके हैं। असम सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने वित्त, कृषि, और शहरी विकास जैसे विभिन्न विभागों में विभिन्न क्षमताओं पर कार्य किया और उनका व्यापक अनुभव है।

श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री सतेंद्र सिंह झारखंड कैडर से 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) हैं। वे वर्तमान में खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

श्री सिंह ने झारखंड राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने भू-राजस्व प्रबंधन जिला प्रशासन के लिए जिला स्तर पर कार्य किया है। उन्हें झारखंड में पंचायती राज विभाग/स्थानीय स्वशासन, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों में निदेशक के स्तर पर सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने से पहले राज्य में सचिव (व्यय), वित्त के अतरिक्त प्रभार के साथ राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में सेवा की।

श्री सिंह ने रुड़की विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई.डिग्री ली। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

डॉ॰ सिंह के पास सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का प्रचुर अनुभव है।

निदेशकों के विवरण

श्री राधाश्याम महापात्र
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री राधाश्याम महापात्र ने कंपनी में 01.01.2020 से प्रभावी निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में योगदान किया।

श्री महापात्र के पास विद्युत, तेल और कोयला क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में प्रचुर अनुभव है और उन्होंने सफलतापूर्वक विभिन्न दायित्वों को निभाया है। वे खलीकोट कॉलेज, ब्रह्मपुर, ओड़िशा से भौतिकी में स्नातक हैं और उन्होंने ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री ली है। श्री महापात्र ने मानव संसाधन कार्यों के कई क्षेत्रों को संभाला है। एनएचपीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने दलीय-कार्य के माध्यम से उत्पादक कार्य संस्कृति के प्रचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री महापात्र की रुचि के क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, मानव विकास, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन, खेल, संस्कृति और मानव गरिमा की प्रगति शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए पूरे जोश के साथ काम किया है, ताकि इसे समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। उनके गुणों में पारदर्शिता, नेतृत्व और दलीय-कार्य शामिल है।

श्री मनसा प्रसाद मिश्र
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) और निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार

श्री मनसा प्रसाद मिश्र ने कंपनी में 01.11.2020 से प्रभावी, निदेशक (परियोजनाएँ एवं तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

19.07.1963 को जन्मे, श्री मनसा प्रसाद मिश्र ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बुर्ला, ओड़िशा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1984 में नालको में एक स्नातक अभियन्ता प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में योग किया था। नालको के साथ जुड़ी अपने साढ़े तीन दशकों की दीर्घ सेवा के दौरान, श्री मिश्र ने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने से लेकर समावेशन तक उल्लेखनीय रूप से योगदान किया। नालको के प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में परियोजना निष्पादन से लेकर संयंत्र प्रचालन तक में तथा ग्रीनफील्ड और ब्राऊनफील्ड एल्यूमिनियम परियोजनाओं, नवीकरणीय परियोजनाओं आदि में श्री मिश्र का व्यापक पेशेवर अनुभव है। श्री मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) का पदभार संभालने के पूर्व प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री मिश्र नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मेटल्स (आई.आई.एम.), एफआईई ऑफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इञ्जीनियर्स (इण्डिया) और एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के सदस्य हैं।

श्री बिजय कुमार दास
निदेशक (उत्पादन) और
निदेशक (वाणिज्यिक) अतिरिक्त प्रभार

श्री बिजय कुमार दास ने 01.12 2020 से प्रभावी, नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के निदेशक (उत्पादन) के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस नए पदभार के पूर्व, श्री दास इस कम्पनी में निगम कार्यालय में कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएँ) के पद पर कार्यरत थे।

एन.आई.टी., राउरकेला (पूर्व में आर.ई.सी.) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, श्री दास ने नालको में 1984 में प्रथम बैच के स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वे परियोजना की शुरुआत से ही अनुगुल में कंपनी के ग्रहीत विद्युत संयंत्र में तैनात थे, कंपनी के व्यापार विकास के चुनौतीपूर्ण कार्यभार को संभालने से पहले जहाँ उन्होंने प्रचालन एवं अनुरक्षण में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा की। बाद में उन्होंने कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में पदोन्नत होने से पहले कंपनी के विकास पथ की योजना और रणनीति बनाने के लिए महाप्रबंधक (निगम योजना और रणनीतिक प्रबंधन) के रूप में कार्यभार संभाला।

नालको के साथ तीन दशकों से अधिक के अपने लंबे सेवा सहयोग के दौरान, श्री दास ने विभिन्न विविधीकरण पहलों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में नए परिदृश्य खोलने और कंपनी के लिए विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए विद्युत संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री बिजय कुमार दास के निदेशक (उत्पादन) के रूप में शामिल होने पर उनके समृद्ध और विविध अनुभव के साथ, नालको का निदेशक मंडल और मजबूत हो गया है।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री आर.एस. दास
खान एवं परिशोधन संकुल प्रमुख

श्री एस.के. पटेल
कार्यपालक निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

श्री आर.एन. महापात्र
कार्यपालक निदेशक
(वाणिज्यिक विपणन)

श्री सदाशिव सामन्तराय
कार्यपालक निदेशक
(वाणिज्यिक -सामग्री)

श्री ए. पण्डा
प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल प्रमुख

श्री सोमनाथ हंसदा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एन. के. महान्ति
महाप्रबन्धक एवं कंपनी सचिव

निगम कार्यालय
नालको, भुवनेश्वर

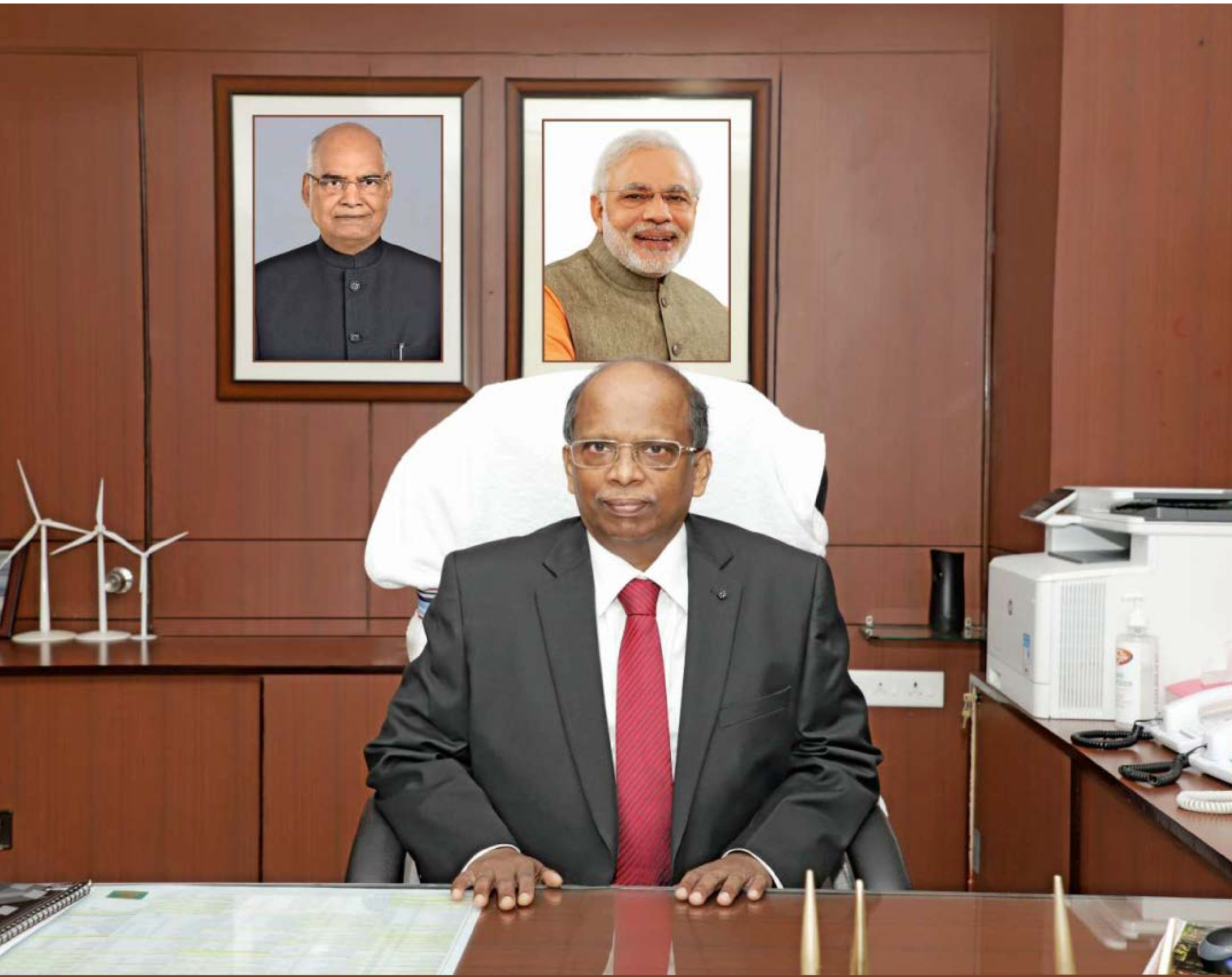

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

1.0 कार्य निष्पादन के प्रमुख अंश:

1.1 भौतिक कार्य-निष्पादन:

उत्पादन	एकक	2020-21	2019-20
बॉक्साइट	मे.ट.	73,65,001	73,02,245
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	20,85,500	21,60,500
एल्यूमिनियम	मे.ट.	4,18,522	4,18,373
विद्युत (शुद्ध)-ग्र.वि.सं.	मि.यू.	6,441	6,067
पवन ऊर्जा (शुद्ध)	मि.यू.	285	312

आपकी कंपनी ने अपनी ग्रहीत खानों से 73,65,001 मे.ट. का बॉक्साइट उत्पादन हासिल किया है जो कि 73,02,245 मे.ट. (वित्त वर्ष 2019-20) के पिछले "अब तक के उच्चतम वार्षिक उत्पादन" को पार करते हुए अब तक का सबसे अधिक है।

2.0 विक्रय कार्य-निष्पादन:

2020-21 के दौरान उपलब्ध विक्रय का सारांश निम्नवत् तालिका में दिया गया है:

विवरण	एकक	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
निर्यात			
एल्यूमिना	मे.ट.	11,84,680	12,40,704
एल्यूमिनियम	मे.ट.	1,92,174	56,898
देशीय			
एल्यूमिना एवं हाईड्रेट	मे.ट.	42,992	63,000
एल्यूमिनियम	मे.ट.	2,30,643	3,38,864
कुल धातु बिक्री	मे.ट.	4,22,817	3,95,761
कुल रसायन बिक्री	मे.ट.	12,27,672	13,03,704

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और बाद में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, आपकी कंपनी ने सुस्त घरेलू धातु बाजार का मुकाबला करने के लिए अपने धातु निर्यात में वृद्धि की। इस महामारी ने घरेलू बाजार में एल्यूमिना और हाइड्रेट की बिक्री को भी प्रभावित किया।

3.0 वित्तीय कार्य-निष्पादन:

वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	2020-21	2019-20
प्रचालनों से राजस्व	8,956	8,472
अन्य आय	147	273
कुल आय	**9,102**	**8,744**
खपत हुए कच्चे माल की लागत	1,315	1,702
विद्युत एवं ईंधन	2,638	2,965
कर्मचारी लाभ व्यय	1,930	1,994
अन्य व्यय*	1,296	1,327
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	606	530
कुल व्यय	**7,786**	**8,518**
असाधारण मदों से पहले लाभ	1,317	226
कर पूर्व लाभ	1,317	226
कर व्यय	17	88
कर पश्चात लाभ	**1,300**	**138**

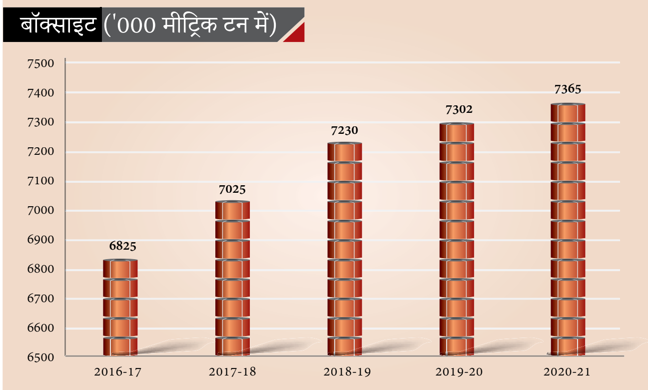

* तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य-प्रगति और वित्तीय लागत शामिल है।

4.0 भविष्य का दृष्टिकोण:

एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बाजार का दृष्टिकोण निम्नानुसार सारणीबद्ध है::

विवरण	कैलेंडर वर्ष 2019	कैलेंडर वर्ष 2020	कैलेंडर वर्ष 2021 (परियोजित)
एल्यूमिना			
वैश्विक मांग (मिलियन मे.ट.)	123.26	126.77	130.65
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे.ट.)	123.85	127.01	131.88
शेष [अधिशेष/(घाटा)]	0.59	0.24	1.23
एल्यूमिनियम धातु			
वैश्विक मांग (मिलियन मे.ट.)	64.57	62.80	68.24*
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे.ट.)	63.22	64.76	68.19*
शेष [अधिशेष/(घाटा)]	(1.34)	1.96	0.05*
मूल्य प्रवाह	**वि.व. 2019-20**	**वि.व. 2020-21**	**वि.व. 2021-22 (जून, 2021 तक)**
एल.एम.ई. मूल्य ($ प्रति मे.ट.)	1,749	1,802	2,399
एल्यूमिना मूल्य सूचकांक (एलएमई मूल्य के % के रूप में)	17.3%	15.1%	11.5%

* जनवरी-सितंबर, 2021 की अवधि के लिए सीआरयू द्वारा प्रकाशित अनुमानित आंकड़े 2021 के आंकड़ों पर पहुँचने के लिए बहिर्वेशित किए गए हैं। (स्रोत: सीआरयू)

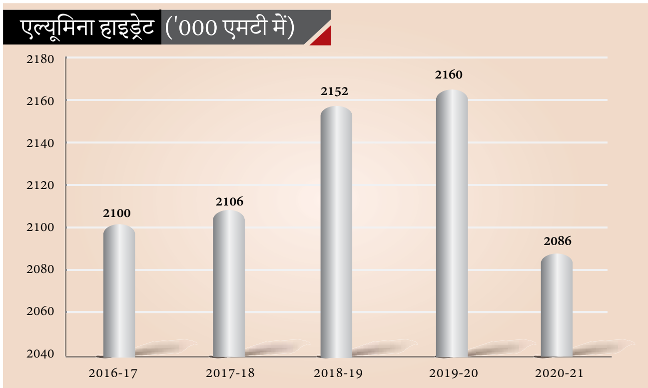

5.0 अपने कारोबार पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव:

- मार्च, 2020 से सरकार द्वारा लागू किए गए कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन की शुरुआत के साथ, आपकी कंपनी ने अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक अपनी परिचालन इकाईयों में कम जनशक्ति के साथ काम किया।
- कोविड-19 महामारी के कारण जनशक्ति जुटाने में प्रतिबंध के बावजूद, आपकी कंपनी ने एल्यूमिना परिशोधक में 20,85,500 मेट्रिक टन का एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन हासिल किया है, जो कि 99% क्षमता उपयोग और प्रद्रावक में 4,18,522 मेट्रिक टन की ढली धातु का उत्पादन हुआ, जो कि 91% क्षमता उपयोग है।
- आपकी कंपनी ने अपनी सभी परिचालन ईकाइयों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए सभी सरकारी दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन किया। प्रतिबंधित कार्य प्रणाली के बावजूद, आपकी कंपनी ने अपने उत्पादन और बिक्री को अधिकतम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है।

5.1 वैश्विक महामारी के प्रति नालको की समानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया:

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार प्रस्तुत की गई हैं:

- आनुषंगिक सुविधाओं की सहायता:

  क) आपकी कंपनी ने ओड़िशा सरकार के सहयोग से कोरापुट, नबरंगपुर, मलकनागिरी, रायगड़ा और कालाहांडी के आकांक्षी जिलों के रोगियों के इलाज के लिए नबरंगपुर जिला मुख्यालय में 200 बिस्तरों वाला विशेष कोविड-19 अस्पताल स्थापित किया है।

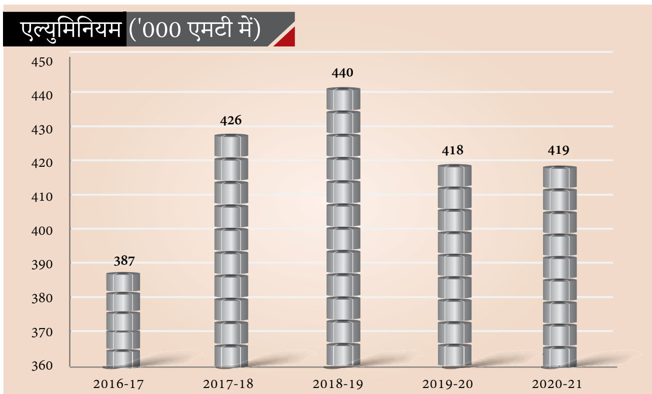

  ख) आपकी कंपनी ने स्थानीय रोगियों के उपचार के लिए अनुगुल और दामनजोड़ी में अपने परिचालन क्षेत्रों के पास 50 बिस्तरों वाले दो कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी) स्थापित किए हैं।

  ग) आपकी कंपनी ने ओड़िशा सरकार के साथ मिलकर ईएसआई अस्पताल, बानरपाल, अनुगुल जिले में 150 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल को वित्त पोषित किया।

  घ) आपकी कंपनी ने गंभीर कोविड-19 रोगियों को आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए दो वेंटिलेटर एम्बुलेंस प्रदान करके राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सहायता की।

  ङ) कोल्ड चेन इक्विपमेंट (सीसीई) और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, एक रेफ्रिजेरेटेड ट्रक खरीदा गया है और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राज्य प्रतिरक्षण प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया है। रेफ्रिजरेटेड ट्रक में 25,70,000 कोविड टीकों (खुराक में) के परिवहन की क्षमता है।

- **जनता को व्यापक रूप से समर्थन:**

  क) आपकी कंपनी ने आपकी कंपनी के अनुगुल और कोरापुट जिले के परिधीय गांवों में वितरण के लिए सूखा राशन, सूती फेस मास्क, सैनिटाइज़र्स जिला प्रशासन को सौंपे।

  ख) आपकी कंपनी द्वारा परिधीय गांवों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया।

6.0 लाभांश और विनियोग:

आपकी कंपनी भारत सरकार का कें.सा.क्षे.उ. होने के कारण डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लाभांश का भुगतान करती है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दो चरणों में कुल ₹460.61 करोड़ की राशि के रूप में ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 20% की दर से अंतिम लाभांश अर्थात ₹1 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश भुगतान (अंतरिम लाभांश के दो चरणों और अंतिम लाभांश सहित) पिछले वर्ष के दौरान हुए ₹279.84 करोड़ के मुकाबले ₹644.27 करोड़ है (2019-20 ₹1.50 प्रति शेयर के मुकाबले 2020-21 में ₹3.50 प्रति शेयर)।

निगम उत्कृष्टा के चार दशकों का समारोह

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, नालको के 41वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री नालको के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

41वें स्थापना दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ

एशिया में सबसे बड़े एकीकृत एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संकुलों में से एक, नालको व्यापक कार्यक्षेत्र में बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना परिशोधन, एल्यूमिनियम प्रद्रावण, बिजली उत्पादन से लेकर डाउनस्ट्रीम उत्पादों तक की संपूर्ण मूल्य शृंखला शामिल है।

- विश्व में एल्यूमिना का सबसे कम लागत वाला उत्पादक
- विश्व में बॉक्साइट का सबसे कम लागत वाला उत्पादक
- दूसरा उच्चतम शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक केंद्रीय लोक उद्यम

नालको स्थापना दिवस व्याख्यान का 19वाँ संस्करण में मुख्य वक्ता के रूप में नागालैंड के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि की आभासी उपस्थिति के साथ आयोजित किया गया।

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, महत्वपूर्ण परोपकारी और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए नालको के परिवार के सदस्यों के योगदान को मान्यता देते हुए

41वें स्थापना दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी को पुरस्कार प्रदान करते हुए

7.0 समझौता ज्ञापन प्रदर्शन:

भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, लेखापरीक्षित खातों और अन्य मापदंडों की भौतिक उपलब्धियों के आधार पर, आपकी कंपनी का अनंतिम स्व-मूल्यांकन स्कोर वर्ष 2020-21 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग के अंतर्गत आता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट खान मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को प्रस्तुत की जाएगी।

8.0 कच्चे माल का प्रतिभूतिकरण:

पंचपटमाली बॉक्साइट खान (केंद्रीय और उत्तरी ब्लॉक) और दक्षिणी ब्लॉक के लिए क्रमशः 16.11.2032 और 19.07.2029 तक लीज वैधता के साथ सभी वैधानिक मंजूरी हैं। दोनों खदानों का प्रचालन जारी है।

एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र में ग्रहीत वाष्प एवं विद्युत संयंत्र (एसपीपी) है। एसपीपी को कोयले की सतत आपूर्ति के लिए, आपकी कंपनी का सीआईएल की सहायक कंपनियों के साथ 1.341 मिलियन मेट्रिक टन का ईंधन आपूर्ति समझौता है। कमी की मात्रा, यदि कोई हो, कोयला नीलामी (स्पॉट/एक्सक्लूसिव) मार्ग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

एल्युमिनियम प्रद्रावक संयंत्र में स्थायी बिजली आपूर्ति के लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र एक तापज विद्युत संयंत्र है और प्रद्रावक संयंत्र की मांग के अनुसार बिजली उत्पादन को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 6.6 मिलियन मेट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। ग्र.वि.सं. के लिए, कोयला मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की नजदीकी कोयला खदानों से प्राप्त किया जाता है। आपकी कंपनी का एमसीएल के साथ 4.716 मिलियन मे.ट. कोयला और 0.89 मिलियन मे.ट. ब्रिज लिंकेज कोयला एमओयू के तहत एमसीएल के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता हुआ है। शेष कमी की मात्रा कोयला नीलामी (स्पॉट/एक्सक्लूसिव) मार्ग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

आपकी कंपनी को खान खोलने की अनुमति सहित सभी वैधानिक मंजूरी मिल गई है। उत्कल-डी कोल ब्लॉक के चालू होने के बाद उत्कल-ई को चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

9.0 कार्यान्वयन अंतर्गत परियोजनाएं:

9.1 एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा:

आपकी कंपनी अपनी मौजूदा एल्यूमिना परिशोधक में 5वीं धारा स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो दिसंबर, 2018 के मूल्य-स्तर पर ₹6,435.90 करोड़ के अनुमानित व्यय पर 2.275 मिलियन टन प्रतिवर्ष (कुल क्षमता 3.275 मिलियन टन प्रतिवर्ष) की मौजूदा स्थापित क्षमता में 1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता जोड़ेगी, जो मेसर्स रियो टिंटो अल्कान इंटरनेशनल लिमिटेड (आरटीएआईएल) की उन्नत मध्यम दबाव पाचन प्रौद्योगिकी पर आधारित है।

परिशोधक और वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के लिए ईपीसीएम सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ईपीसीएम सलाहकार द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग का कार्य प्रगति पर है। अधिकांश लांग लीड पैकेज पहले ही सौंपे जा चुके हैं। पैकेज सौंपे गए ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करने के लिए साइट पर जुट गए हैं। साइट को सक्षम करने का कार्य और पिलिंग का कार्य प्रगति पर है। सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्ष के दौरान कार्यबल के वियोजन के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई। सघन प्रबोधन और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, विभिन्न एजेंसियों द्वारा जनशक्ति की तैनाती में सुधार हुआ है।

9.2 5वीं धारा के लिए बॉक्साइट की वैकल्पिक सोर्सिंग:

पोट्टांगी खानों के चालू होने से पहले एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा के विस्तार को बॉक्साइट आपूर्ति के लिए, ₹483 करोड़ के पूंजीगत व्यय से मौजूदा पंचपटमाली खान के दक्षिणी ब्लॉक से बॉक्साइट की सोर्सिंग की योजना बनाई गई है। डीसीपीएल को परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

नालको द्वारा कोविड-19 टीकों के सुरक्षित परिवहन के लिए राज्य प्रतिरक्षण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराए गए रेफ्रिजरेटेड ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है।

अनुगुल और दामनजोड़ी स्थित नालको अस्पतालों में कोविड-19 के लिए टीका लगाने का अभियान।

नालको में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर प्रोफेसर गणेशी लाल, माननीय राज्यपाल, ओड़िशा और अन्य विशिष्ट अतिथि

खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन

प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन

एचसीई परिसर, भुवनेश्वर में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन

नालको के सहयोग से शहीद लक्ष्मण नायक अस्पताल, कोरापुट में विशिष्ट कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया गया है।

प्रमुख पैकेजों के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। शेष पैकेज निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। सभी आदेशित पैकेजों के ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करने के लिए साइट पर जुट गए हैं।

9.3 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना:

आपकी कंपनी मेसर्स रीगेन पॉवरटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ₹163 करोड़ के पूंजीगत व्यय पर कायाथार, तमिलनाडु में 25.5 मेगावाट क्षमता की एक अन्य पवन ऊर्जा परियोजना को जोड़कर अपनी पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 223.90 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है। उपकरणों की आपूर्ति और निर्माण में पर्याप्त प्रगति (65%) हुई है। हालांकि, कार्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि निष्पादन एजेंसी, मेसर्स रीगेन को इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन के लिए लेनदारों द्वारा एनसीएलटी के संदर्भित किया गया है। मामला दीवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) के साथ उठाया गया है और वह एनसीएलटी और सीओसी (लेनदारों की समिति) के परामर्श से परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है। समाधान प्रक्रिया पूर्ण होने के उन्नत चरण में है और नए समाधान आवेदक के द्वारा जल्द ही कंपनी का प्रबंधन अपने नियंत्रण लेने की उम्मीद है।

9.4 पोट्टांगी बॉक्साइट खदानें:

पोट्टांगी बॉक्साइट खान (75 मिलियन टन) को 1 मिलियन टन एल्यूमिना परिशोधक विस्तार के लिए बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी के पक्ष में भारत सरकार द्वारा आरक्षित किया गया है। खनन योजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। खनन पट्टे के निष्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी प्राप्त करने और 18 किलोमीटर लंबे ओवर लैंड कन्वेयर के निर्माण जैसी परियोजना पूर्व गतिविधियाँ चल रही हैं। ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करना, जन सुनवाई का संचालन, वन भूमि के पथांतरण के लिए प्रतिपूरक वनरोपण भूमि की पहचान और ओवर लैंड कन्वेयर की प्रौद्योगिकी के चयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर पहले ही पूरे हो चुके हैं। खदान वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में चालू होने की संभावना है।

9.5 उत्कल-डी और उत्कल-ई कोयला ब्लॉक:

उत्कल-डी और उत्कल-ई कोयला ब्लॉक (175 मिलियन टन) भारत सरकार द्वारा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी) में मौजूदा परिचालन एककों और आपकी कंपनी के भविष्य के विस्तार के लिए कच्चे माल की सुरक्षा के एक भाग के रूप में आबंटित किए गए हैं।

आपकी कंपनी ने उत्कल-डी के खनन पट्टे को 25.03.2021 को अपेक्षित नियामक मंजूरी प्राप्त करने और खनन पट्टा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पूरा करने के बाद निष्पादित किया। कोयला नियंत्रक ने

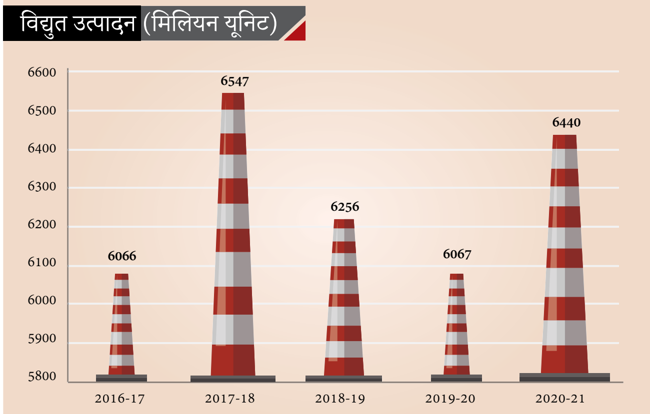

श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंचपटमाली बॉक्साइट खदान में विस्तार गतिविधियों की समीक्षा करते हुए

मई, 2021 में खदान खोलने की अनुमति दी है। एमडीओ की नियुक्ति और परियोजना विस्थापितों के पुनर्वास और पुनःस्थापन को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। रेलवे साइडिंग निर्माण के विकास की गतिविधियां प्रगति पर हैं। उत्कल-ई के खनन पट्टे के निष्पादन के लिए परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ जोरों पर हैं। राज्य नोडल एजेंसी मैसर्स इडको के माध्यम से शेष निजी भूमि एवं शासकीय भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्कल-डी कोल ब्लॉक के संचालन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसके बाद सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद उत्कल-ई का संचालन किया जाएगा।

9.6 विभिन्न संयुक्त उद्यम परियोजनाएं:

आपकी कंपनी ने पृष्ठपट एकीकरण के साथ-साथ व्यापार विविधीकरण के लिए विभिन्न संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की इक्विटी में निवेश किया है। इन परियोजनाओं और उनकी स्थिति का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

10.0 पूंजीगत व्यय (कैपेक्स):

वर्ष 2020-21 के दौरान कैपेक्स में उपलब्धि ₹988.85 करोड़ है, जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनियों में ₹36 करोड़ की राशि का निवेश शामिल नहीं है।

11.0 जोखिम प्रबंधन नीति:

निदेशक मंडल द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार और अनुमोदित की गई है और यह कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

12.0 मानव संसाधन प्रबंधन:

12.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश:

आपकी कंपनी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./आ.क.व. और दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों जैसी अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के मामलों में सभी लागू राष्ट्रपति के निर्देशों और अन्य दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करती है। आपकी कंपनी ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुपालन में दिव्यांगों की श्रेणी के लिए समान अवसर नीति प्रकाशित की है। 31.03.2021 को कुल 5,805 जनशक्ति में से 948 अनुसूचित जाति (16.33%), 1,117 अनुसूचित जनजाति (19.24%) थे। 802 अन्य पिछड़े वर्ग (13.82%), 88 दिव्यांग (1.52%) और 11 ईएसएम (0.19%) हैं। 31.03.2021 तक आपकी कंपनी में कुल 343 महिला कर्मचारी थीं।

12.2 औद्योगिक संबंध:

आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान एक अनुकूल और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखना जारी रखा। वर्ष 2020-21 श्रम विवादों के कारण शून्य मानव दिवस हानि के साथ लगातार एक और वर्ष के रूप में बीता। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, सहभागी प्रबंधन के माध्यम से एक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित किया गया था। लागू श्रम कानूनों का अनुपालन, सरकारी दिशानिर्देशों का पालन और परामर्शी निर्णय लेना, कर्मचारी लाभ और कल्याणकारी मुद्दों से निपटने में मुख्य ताकत बने रहे। हमेशा की तरह, अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता आपकी कंपनी के औद्योगिक संबंध दर्शन की पहचान बनी हुई है।

12.3 सामाजिक उत्तरदायित्व 8000:

एक अच्छा कार्यस्थल बनाने और बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने 2009-10 से एक अंतर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक उत्तरदायित्व 8000 (एसए-8000) को अपनाया है। इस प्रमाणन ने कंपनी को बाल श्रम, जबरन श्रम, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण, काम के घंटे, पारिश्रमिक, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया, भेदभाव और अनुशासनात्मक प्रथाओं के क्षेत्रों में कर्मचारियों, मालिक, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों सहित सभी हितधारकों के लिए और अधिक पारदर्शी बनने में मदद की।

आपकी कंपनी ने नए संस्करण यानी एसए 8000:2014 मानक में संक्रमण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। निगम कार्यालय सहित सभी उत्पादन एकक 2017 से (नए संस्करण) एसए 8000:2014 मानक से /पुनः प्रमाणन की प्रक्रिया से प्रमाणित हो चुके हैं। सभी उत्पादन एककों और निगम कार्यालय के प्रमाणन का हर 3 साल में नवीनीकरण किया जा रहा है।

13.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

13.1 नि.सा.उ. पर वार्षिक मुख्य विशेषताएं:

आपकी कंपनी के नि.सा.उ. ने वर्षों से साबित किया है कि कैसे एक कंपनी एक तरफ देश के आर्थिक विकास में योगदान देकर और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदायों और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके निरंतर विकास कर सकती है। समाज में योगदान देना और वंचितों के कल्याण के लिए काम करना आपकी कंपनी के निगम मूल्यों में निहित है। आपकी कंपनी अपनी पहल के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित करती है कि यह सभी लाभार्थियों तक पहुँचे।

कंपनी नि.सा.उ. परियोजना पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिदेशों का पालन कर रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के तहत सभी विचारों और अपेक्षित विकासात्मक कार्यों का मूल्यांकन किया गया है।

स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रशासन सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से परामर्श करके भी पहल की जाती है। परियोजनाओं को समुदाय की जरूरतों के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है और उनके प्रभावों में सुधार के लिए निरंतर निगरानी की जाती है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाओं पर ₹33.42 करोड़ के अनिवार्य सीएसआर दायित्व के विरुद्ध ₹35.00 करोड़ खर्च किए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपनी नि.सा.उ. नीति की आवश्यकताओं का अनुपालन दर्शाते हैं। कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिनांक 01.06.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्वास्थ्य और पोषण पर थीम-आधारित नि.सा.उ. गतिविधियाँ हाथ में ली हैं।

कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रतिष्ठित शहर पुरी का विकास शामिल हैं। कंपनी ने इस महत्वपूर्ण समय में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली/सुविधा को मजबूत करके और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के द्वारा ओड़िशा राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कमजोर समुदायों को बीमारी के फैलने को रोकने के लिए, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अनुकरणीय पहल की है।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से समाज को वितरण की मौजूदा प्रणाली में कमियों की पहचान करने और उनके साथ सार्थक हस्तक्षेप करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि समानांतर प्रणाली बनाने के बजाय दीर्घकालिक, स्थायी प्रभाव पैदा किया जा सके।

13.2 वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा की गई महत्वपूर्ण नि.सा.उ. पहलकदमी हैं:

क) कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न उपाय।

ख) ओड़िशा राज्य में महिलाओं के बीच हिंसा मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ।

ग) परिचालन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल परियोजनाएँ।

घ) संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन क्षेत्रों के परिधीय गाँवों में कुल सौर समाधान।

ङ) विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं और सामुदायिक हॉलों के निर्माण जैसी ढाँचागत गतिविधियाँ।

च) नालको की लाडली कन्या परियोजना के तहत गरीब और मेधावी छात्राओं को सहायता।

छ) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के गरीब, पिछड़े और आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा।

ज) अनुगुल और दामनजोड़ी के परिधीय गांवों में मेडिकल स्वास्थ्य इकाईयों और ओपीडी केंद्रों का संचालन।

झ) प्रतिष्ठित शहर, पुरी में विभिन्न विकासात्मक और नवीनीकरण गतिविधियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई सीएसआर गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध-I में संलग्न है।

14.0 संसदीय समिति का परिदर्शन:

वर्ष 2020-21 के दौरान, दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति ने अध्ययन दौरा किया।

15.0 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुरूप प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में दी गई है।

रिपोर्ट में यह भी शामिल है:

(क) व्यापार विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की गई।

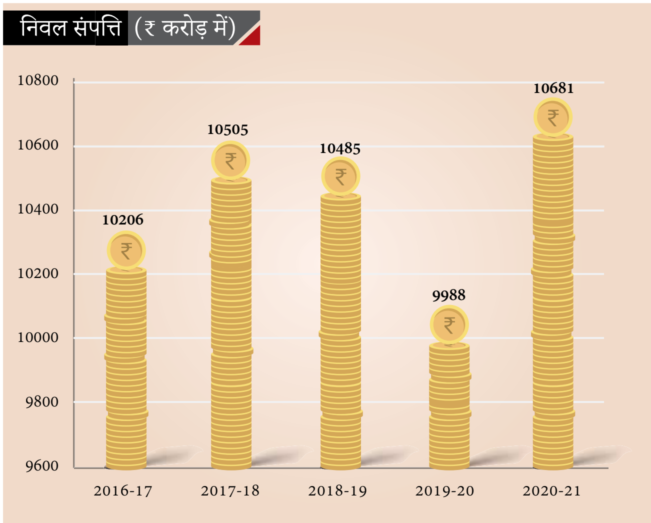

(ख) वित्तीय विवरणों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कंपनी की विभिन्न इकाईयों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहल।

16.0 डिजिटल रूपांतरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी:

डिजिटल दुनिया संगठनों को नए तरीकों से तेजी से काम करने और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाकर व्यापार मॉडल को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित कर रही है - डिजिटलीकरण को नए वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में निर्वाह के लिए अनिवार्य बना रही है।

आपकी कंपनी ने एसएपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एप्लिकेशन को अपनाया है जो बिक्री और वितरण, वित्त और नियंत्रण, सामग्री, मानव संसाधन और उत्पादन योजना जैसे व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करता है ताकि एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके और सत्य के एकल संस्करण के

वित्तीय प्रदर्शन (₹ करोड़ में)

रूप में सूचना उपलब्धता में सुधार हो सके। माल और सेवाओं की ई-खरीद एसएपी एसआरएम, केन्द्रीय सार्वजनिक खरीदी पोर्टल और जीईएम के माध्यम से की जाती है। जीईएम पोर्टल में विक्रेता क्रय आदेश, चालान और भुगतान को ईआरपी के साथ एकीकृत किया गया है। केंद्रीकृत कर्मचारी एप्लिकेशन और कर्मचारी स्वयं-सेवा एप्लिकेशन डिजिटल एप्लिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। अनुगुल और दामनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों के लिए कम्प्यूटरीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।

चालान रजिस्टर पोर्टल से उत्पन्न चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन) मौजूदा ईआरपी आवेदन में 1 अक्टूबर, 2020 से लागू किया गया था। ई-वेबिल को स्वचालित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय से उत्पन्न चालान में ई-वेबिल संदर्भित रहे।

अभिशासन और निगरानी: ई-ऑफिस, एनआईसी का एक उत्पाद, आपके संगठन में सितंबर, 2020 से प्रस्तावों के प्रबंधन में उच्च पारदर्शिता, जवाबदेही और गति की दिशा में एक अभियान के रूप में लागू किया गया है। यह प्रणाली अधिकृत उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित वीपीएन एक्सेस का उपयोग करके कार्यालय परिसर के बाहर भी फाइलों पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। डिजीटल दस्तावेजों तक सुरक्षित और तैयार पहुंच के लिए, ई-ऑफिस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

ऑनलाइन वेब-आधारित एप्लिकेशन जैसे पूंजीगत व्यय निगरानी, निधि निगरानी, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, विक्रेता बिल ट्रैकिंग प्रणाली और अनुबंध श्रम प्रबंधन प्रणाली नियमित ट्रैकिंग और निगरानी के उद्देश्य से उपयोग में हैं।

बढ़ी हुई पारदर्शिता की दिशा में एक उपाय के रूप में, ऑनलाइन सतर्कता पोर्टल और शिकायत प्रबंधन प्रणाली दिसंबर, 2020 से लागू की गई है।

कार्यालय उत्पादकता और व्यक्तिगत भलाई सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए, आपकी कंपनी ने ई-ऑफिस, क्लाउड आधारित डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम के लिए बढ़ी हुई सुरक्षित कनेक्टिविटी, इंटरनेट से ईमेल एक्सेस और इंटरनेट बैंडविड्थ में वृद्धि जैसे कई डिजिटल उपायों को अपनाया। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक 30.09.2020 को वर्चुअल मोड में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

हितधारकों के लिए मौजूदा मोबाइल ऐप की श्रेणी में जोड़ते हुए, संयंत्रों में ऑनसाइट सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्टिंग के लिए एक मोबाइल ऐप "सुरक्षा" पेश किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी आनुषंगिक: आपकी कंपनी के पास निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी आनुषंगिक सुविधाएँ है:

- निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में इन-हाउस डाटा सेंटर। डेटा सेंटर सर्वर वर्चुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करता है और ईआरपी सहित सभी केंद्रीकृत अनुप्रयोगों को होस्ट करता है। डिसास्टर रिकवरी डाटा सेंटर एक अलग भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। इन-हाउस डेटा सेंटर और डिसास्टर रिकवरी सेंटर आईएसओ 27001:2013 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित हैं।

- निगम डेटा सेंटर के साथ-साथ इंटरनेट से होस्ट किए गए एप्लिकेशन और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए संयंत्र और कार्यालय विभिन्न सेवा प्रदाताओं के दोहरे एमपीएलएस सर्किट से जुड़े हुए हैं। वान बैंडविड्थ को मुख्य रूप से कोविड-19 अभ्यासों द्वारा तेज हुए, वर्द्धित भार को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है।

- प्रत्येक स्थान में फ़ायरवॉल के साथ गिगाबिट ईथरनेट लैन और 10 जीबीपीएस मुख्य बैकबोन है और निगम डेटा सेंटर में अतिरिक्त रूप से गेटवे सुरक्षा समाधान हैं। सभी व्यावसायिक इकाईयों के बीच प्रभावी संचार के लिए मल्टीचैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान स्थापित किया गया है। इसे कोविड-19 कार्य अभ्यासों का समर्थन करने के लिए डेस्कटॉप तक विस्तारित करने के लिए और बढ़ाया गया है।

17.0 संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन:

17.1 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस):

सभी एकक अर्थात खान, एल्यूमिना परिशोधक, ग्र.वि.स., प्रद्रावक और पत्तन सुविधाओं में, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएएस 18001:2007/आईएसओ 45001:2018 पर आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को रिमोट मोड, आंतरिक ऑडिट और प्रबंधन समीक्षा बैठकों द्वारा नियमित बाहरी लेखा परीक्षा के साथ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना जारी रखा गया। सभी एककों ने नए आईएसओ 45001:2018 मानक में सफलतापूर्वक माइग्रेशन पूरा किया। वित्त वर्ष 2021 की समाप्ति पर, सभी इकाईयों की प्रमाणन स्थिति यथा- आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 वैध रहे।

17.2 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस):

रिमोट मोड में नियमित बाहरी ऑडिट, आंतरिक ऑडिट और तीन एककों ग्र.वि.स., प्रद्रावक और एल्यूमिना परिशोधक में प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ ईएनएमएस को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता रहा, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो(बीईई) की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना में शामिल हैं। प्रद्रावक का आईएसओ 50001:2018 मानक का पुन: प्रमाणन हेतु लेखापरीक्षा जनवरी, 2021 में सफलतापूर्वक पूरी हुई। इसके अलावा, ग्र.वि.स. और एल्यूमिना रिफाइनरी में एनएमएस का आईएसओ 50001 के 2018 संस्करण में उन्नयन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

17.3 गुणवत्ता मंडल:

महामारी और प्रतिबंधों के बावजूद, वर्ष के दौरान गुणवत्ता सर्किल गतिविधि उत्साहजनक रही। संगठन में सक्रिय गुणवत्ता मंडलों की संख्या 98 थी। वित्तीय वर्ष में, कुल 21 गुणवत्ता सर्कल परियोजनाएँ पूरी की गईं जबकि कई और प्रगति पर थीं। आपकी कंपनी की विभिन्न इकाईयों के 8 गुणवत्ता मंडलों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता मंडलों एफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता मंडलों सम्मेलन में भाग लिया और इसमें से 3 गुणवत्ता मंडलों को मान्यता की उच्चतम श्रेणी अर्थात "उत्कृष्टता" में रखा गया और 4 को "उत्कृष्ट" घोषित किया गया। इसके अलावा, 3 गुणवत्ता मंडलों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सीआईआई ओड़िशा राज्य स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें से 1 गुणवत्ता मंडल ने तीसरा स्थान हासिल किया और सीआईआई द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्र फाइनल प्रतियोगिता में भाग लिया।

17.4 कैज़न:

कैज़न संस्कृति के प्रसार ने वर्ष में नई ऊंचाइयों को तोड़ा। कैज़ेन बाय स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी-एसजीए योजना के अनुसार, वर्ष के दौरान कुल 1,377 कैज़न प्रद्रावक में, 859 कैज़न एल्यूमिना परिशोधक में, 807 कैज़न ग्र.वि.स. में और 250 कैज़न को खान यूनिट में पूरा किया गया।

17.5 लीन सिक्स सिग्मा:

एल्यूमिना परिशोधक में 2 लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन-बेल्ट परियोजनाएँ और खान में 7 लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन-बेल्ट परियोजनाएँ प्रगति पर थीं।

17.6 व्यापार उत्कृष्टता:

- एल्यूमिना परिशोधक में, नवंबर, 2020 के दौरान स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सीआईआई एक्ज़िम बैंक अवार्ड-2020 का मूल्यांकन किया गया और यूनिट ने सीआईआईआई-वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नवंबर, 2020 में आईक्यू नेशनल क्वालिटी समिट आयोजित किया।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खान में, मूल्यांकन अक्टूबर, 2020 के दौरान पूरा हुआ और यूनिट ने सीआईआई-आईक्यू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता शिखर सम्मेलन में सीआईआई एक्ज़िम बैंक अवार्ड फॉर बिज़नेस एक्सीलेंस 2020 में प्रतिष्ठित "गोल्ड प्लस" श्रेणी की मान्यता प्राप्त की।
- प्रद्रावक में, अक्टूबर, 2020 के महीने में अंतिम सीआईआई-एक्ज़िम पुरस्कार के लिए मूल्यांकन पूरा हो गया था और सीआईआई-आईक्यू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता शिखर सम्मेलन में यूनिट को प्रतिष्ठित सीआईआई-एक्ज़िम बैंक बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में "गोल्ड प्लस" श्रेणी में मान्यता मिली।

17.7 5एस प्रणाली कार्यान्वयन:

खान और एल्यूमिना परिशोधक दोनों में, यूनिट प्रबंधन द्वारा नियमित आंतरिक मूल्यांकन और समीक्षा बैठकों के अलावा 5एस-कार्यस्थल प्रबंधन की निगरानी लेखा परीक्षा मैसर्स गुणवत्ता मंडल फेडरेशन ऑफ इंडिया, सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

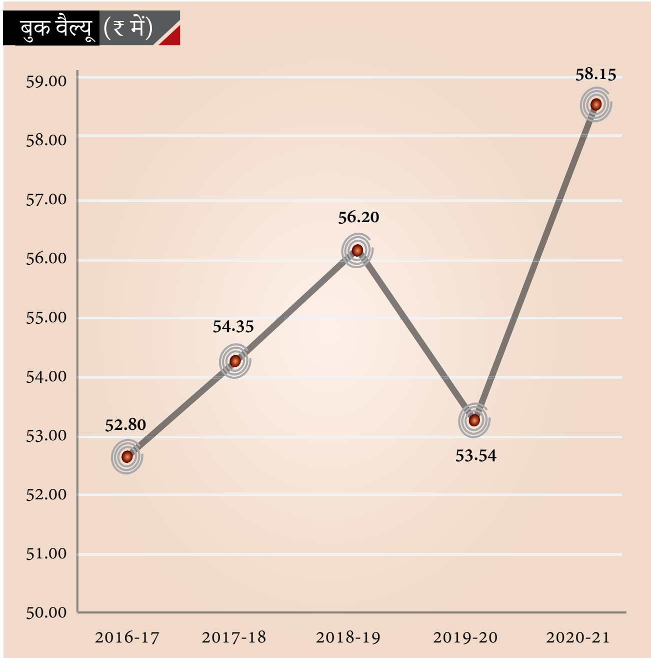

प्रद्रावक और ग्र.वि.स. दोनों में, संयंत्र-व्यापी 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली को यूनिट प्रबंधन द्वारा नियमित आंतरिक मूल्यांकन और समीक्षा बैठकों के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जारी रखा गया।

18.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

आपकी कंपनी सरकारी एजेंसियों और सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी राजभाषा और अन्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करना जारी रखती है। आपकी कंपनी के पास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर और अनुगुल की अध्यक्षता का पदभार भी है। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय के सभी सदस्यों को शामिल करते हुए दोनों स्थानों पर नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं। इस संबंध में, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में आपकी कंपनी के प्रयासों की सराहना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा का प्रगामी प्रयोग निम्नानुसार संचालित किया गया:

- राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में वेतन पर्ची, मेडिकल पर्ची, मेडिकल बिल और मेडिकल अंतर कार्यालय ज्ञापन को द्विभाषी बनाकर सुविधा प्रदान की गई।
- कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करने के लिए 08 संख्यक हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- मई, 2020 और नवंबर, 2020 सत्रों के दौरान हिंदी शिक्षण योजना के तहत 25 कर्मचारियों ने प्राज्ञ/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण की।
- एक विशेषज्ञ के रूप में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भुवनेश्वर के सदस्य कार्यालयों को हिंदी कंप्यूटिंग के लिए "यूनिकोड" और "टूल तकनीक" की सुविधा प्रदान की गई।
- कार्यालयीन उपयोग में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी उत्पादन इकाईयों, निगम कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा-2020 मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों, कर्मचारियों के आश्रितों और छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- अध्यक्ष कार्यालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भुवनेश्वर द्वारा 1 सितंबर, 2020 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री निर्मल कुमार दुबे, कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व) ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभागियों के साथ कार्यान्वयन के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यशाला का मुख्य पहलू सदस्य कार्यालयों के राजभाषा कर्मचारियों को "कंठस्थ" अनुवादक उपकरण से परिचित कराना था। श्री शशिपाल सिंह, संयुक्त निदेशक, सी-डैक, पुणे ने एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। इसके अलावा, श्री राजीव कुमार रावत, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, आईआईटी खड़गपुर भी इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न अनुवादक उपकरणों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए।
- आपकी कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में 2020-21 की सभी तिमाहियों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भुवनेश्वर की बैठकें 2020-21 के दौरान अध्यक्ष, न.रा.का.स.(उ.) (कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक) की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), अनुगुल की बैठक 27 नवंबर, 2020 को कार्यकारी निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत), अनुगुल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा 'संगिनी' नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित एवं विमोचित की गई।
- आपकी कंपनी की इकाईयों/कार्यालयों में 'विश्व हिंदी दिवस' सप्ताह मनाया गया।
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I, दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर का निरीक्षण 11.01.2021 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- 20.01.2021 को दिल्ली कार्यालय का "संसदीय राजभाषा समिति" द्वारा निरीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।
- अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान, अध्यक्ष कार्यालय, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भुवनेश्वर द्वारा सदस्य कार्यालयों के सहयोग से छह कार्यक्रम (तीन प्रतियोगिताएँ और तीन कार्यशालाएँ) आयोजित किए गए।
- छमाही हिंदी गृह पत्रिका "अक्षर" वर्ष 2020-21 के दौरान प्रकाशित और जारी की गई थी।

19.0 खेलकूद:

- नीतिगत रूप में युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, आपकी कंपनी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के युवा आकांक्षी खिलाड़ियों का समर्थन करती रही है। आपकी कंपनी के खिलाड़ियों को राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। गर्व की बात है कि आपकी कंपनी राज्य के उन होनहार खिलाड़ियों को भी रोजगार प्रदान करती है, जिन्होंने संबंधित खेल क्षेत्रों में नाम कमाया है।
- आपकी कंपनी राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल आयोजनों के साथ-साथ खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विभिन्न खेल संघों/संघों/खेल निकायों को नियमित रूप से प्रायोजित करती रहती है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ कंपनी के खिलाड़ियों को विभिन्न राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- कंपनी के लिए गर्व की बात है कि आपकी कंपनी के कुछ खिलाड़ियों को उनकी अमूल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य/राष्ट्रीय स्तर की समितियों/संघों के सदस्य के रूप में चुना गया है:
  - भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर श्री देबाशीष महांति को बीसीसीआई द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर नालकोनगर, भुवनेश्वर में महात्मा गांधी मार्ग का उद्घाटन

नालको निगम कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह

- भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर श्री शिव सुंदर दास को वर्ष 2021 में टीम के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक पहल, खेलो इंडिया पहचान कार्यक्रम के पूर्वी क्षेत्र (एथलेटिक्स) के लिए प्रतिभा पहचान समिति के सदस्य के रूप में प्रसिद्ध महिला धावक, सुश्री अनुराधा बिश्वाल को नामित किया है।

- आपकी कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए दोनों परिसरों में विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है।

20.0 सतर्कता:

आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता तंत्र का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- आपकी कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है, जिसे भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है। सीवीओ की सहायता करने वाले अन्य सतर्कता अधिकारियों का चयन सीवीओ के परामर्श और सहमति से प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाता है। आपकी कंपनी के सतर्कता विभाग तीन स्थानों पर स्थापित है अर्थात भुवनेश्वर में निगम कार्यालय, अनुगुल में प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल और दमनजोड़ी में खान एवं परिशोधन संकुल।
- सतर्कता कार्य आमतौर पर निवारक, दंडात्मक, निगरानी और तलाश करने की प्रकृति के होते हैं।

20.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य:

सीवीओ के कार्य इस प्रकार हैं:

- कंपनी का समग्र सतर्कता प्रशासन।
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक के साथ संरचित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के अलावा सीवीसी और सीबीआई के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना।
- मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न विवरणियां/रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- आईपी (अखंडता समझौता) के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) के चयन में सीवीसी की सहायता करना।
- भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों/उपायों के निर्माण/अद्यतन में प्रबंधन की सहायता करना।
- सत्यनिष्ठा सूचकांक के विकास में प्रबंधन की सहायता करना, विभिन्न डोमेन कार्यों और समग्र प्रबंधन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और इक्विटी का पता लगाना।
- सतर्कता जागरूकता, सतर्कता प्रशासन, केस स्टडी आदि पर प्रशिक्षण का आयोजन।

20.2 सचेतक नीति:

आपकी कंपनी व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने घटकों के मामलों के संचालन में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कर्मियों की कार्रवाई को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार और सुरक्षित सचेतकता को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। यह कंपनी के भीतर गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त करने के इच्छुक कर्मचारियों की सुरक्षा करता है। पॉलिसी का विवरण आपकी कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

20.3 भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति:

भ्रष्टाचार जोखिम की एक विशेष श्रेणी है। आपकी कंपनी की भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति भ्रष्टाचार को रोकने और भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अनुपालन के उद्देश्य से प्रमुख सिद्धांतों और आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए लागू की गई है।

26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस का मनाया गया

वर्चुअल मोड पर 39वीं वार्षिक साधारण बैठक

यह नीति निगम संस्कृति में सुधार, निगम प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन और आपकी कंपनी में व्यावसायिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से खुले, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से व्यापार करने के लिए आपकी कंपनी और उसके प्रबंधन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

20.4 धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग:

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में आपकी कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या आपकी कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की भौतिक धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

आपकी कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी निवारण नीति है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर रखा गया है।

20.5 डीओपीटी पोर्टल पर ऑनलाइन डेटा अपडेशन:

सीवीसी और डीओपीटी के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने वेब पोर्टल "https://doptapp.nic.in/solve/" पर एजीएम और उससे ऊपर के अधिकारियों के डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने में सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी।

20.6 आउटरीच गतिविधि:

आपकी कंपनी ने भुवनेश्वर में कंपनी के मुख्यालय और उसके आस-पास के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में और अनुगुल और दामनजोड़ी में संयंत्र संकुलों में आउटरीच गतिविधि या अखंडता प्रतिज्ञा अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 3,500 नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई है।

20.7 ऑनलाइन सतर्कता पोर्टल:

यह पोर्टल आपकी कंपनी में सतर्कता संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। आपकी कंपनी की विभिन्न गतिविधियों, प्रथाओं या सतर्कता विभाग द्वारा की गई पहल शिकायत दर्ज करने और ऑनलाइन मोड में शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए दोनों की गुंजाइश प्रदान करती है।

21.0 सूचना का अधिकार:

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों को संबोधित करने के लिए, हितधारकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अपीलीय प्राधिकारी, एक जन सूचना अधिकारी और नौ सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2020-21 के दौरान आरटीआई आवेदनों और अपीलों का विवरण निम्नलिखित है:

	अनुरोध	प्रथम अपील
01.04.2020 को यथा प्रक्रिया के अंतर्गत	25	01
वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से स्थानांतरित मामलों सहित)	282	50
अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामलों की संख्या	01	0
निर्णय जहां अनुरोध/अपील खारिज कर दी गई	111	0
निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए और निपटाए गए	210	51
31.03.2021 को यथा प्रक्रिया के तहत	27	0

आपकी कंपनी के वर्ष 2020-21 के लिए थर्ड पार्टी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट मैसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

आरटीआई अनुरोध और अपील भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त और जवाब दिए जाते हैं। आपकी कंपनी जनवरी, 2017 से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (www.rtionline.gov.in) के साथ जुड़ी हुई है।

22.0 स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग और लिस्टिंग शुल्क का भुगतान:

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध

श्री सतेंद्र सिंह, आईएएस, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार और नालको प्रद्रावक एवं विद्युत संयंत्र में पधारे अन्य विशिष्ट अतिथि

नालको ने सीपी कोक की आपूर्ति के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

हैं, जिनके पास राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हैं। स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की लिस्टिंग फीस का भुगतान समय पर कर दिया गया है।

23.0 वापस-खरीदी प्रस्ताव:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने (कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 7.83% का प्रतिनिधित्व करते हुए) ₹57.50/- प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद में देय कुल राशि ₹749.10 करोड़ से अधिक नहीं के 13,02,79,083 (तेरह करोड़ दो लाख उनहत्तर हजार तिरासी) तक ₹5/- प्रत्येक अंकित मूल्य के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी को मंजूरी दी थी। बाय-बैक ऑफ़र की अवधि 25.02.2021 से 10.03.2021 (10 कार्य दिवस) तक खोली गई थी और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी बायबैक विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुपालन में, निदेशक मंडल के अनुमोदन की तारीख से 49 दिनों के भीतर बाय-बैक प्रक्रिया पूरी हो गई थी। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, 16.03.2021 को पात्र शेयरधारकों को ₹166.73 करोड़ का अंतिम भुगतान किया गया और 17.03.2021 को वापस खरीदे गए शेयरों को समाप्त कर दिया गया। बाय-बैक के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹932.81 करोड़ से ₹918.32 करोड़ हो गई। बाय-बैक के बाद भारत सरकार की हिस्सेदारी कुल चुकता शेयर पूंजी का 51.28% थी।

24.0 शेयरधारकों को सेवाएं:

शेयरों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, लाभांश का भुगतान, डी-मैटेरियलाइजेशन और शेयरों के पुन: भौतिकीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मामलों को कंपनी के आरटीए यानी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड), हैदराबाद द्वारा निपटारा किया जाता है। कंपनी ने आरटीए के साथ 01.04.2020 से प्रभावी 3 साल के लिए अनुबंध का नवीनीकरण किया है।

25.0 जमाराशियों को वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क और हिरासत शुल्क/जारीकर्ता शुल्क मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड दोनों को समय पर भुगतान किया गया है।

26.0 व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुरूप, आपकी कंपनी द्वारा सामाजिक, पर्यावरण और शासन के परिप्रेक्ष्य में की गई विभिन्न पहलों का वर्णन करने वाली 2020-21 के लिए एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट अनुलग्नक III में संलग्न है जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

26.1 संधारणीय विकास पर रिपोर्ट:

- संधारणीयता पर अनिवार्य रिपोर्ट यानी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, सेबी द्वारा आवश्यक आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन पहलुओं को संबोधित करते हुए, पूरी और प्रकाशित की गई है।
- उपरोक्त रिपोर्ट के अलावा, वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानक कोर विकल्प के साथ गठबंधन करके स्वैच्छिक आधार पर एक स्टैंड-अलोन रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- सेबी द्वारा किए गए संशोधन के अनुरूप, निदेशक मंडल ने 28.06.2021 को हुई अपनी बैठक में संशोधित सतत विकास नीति को मंजूरी दी है। नीति का लिंक कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका उल्लेख व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) में किया गया है।

27.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन:

27.1 अनुसंधान एवं विकास:

- इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में डीसी ऊर्जा में कमी के लिए प्रद्रावक प्लांट में एपी2एक्सएन0 प्रौद्योगिकी के विकास के लिए

अनुसंधान एवं विकास परीक्षण एमओयू 2020-21 उत्कृष्ट लक्ष्य के दिनांक 01.03.2021 के विरुद्ध 30.01.2021 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- आपकी कंपनी ने अनुसंधान, विकास और नवाचार गतिविधि के माध्यम से सतत विकास प्रक्रिया, उत्पाद और प्रौद्योगिकी के माध्यम से संगठनात्मक विकास की दिशा में अपने प्रयास में भुवनेश्वर, ओड़िशा में "नालको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (एनआरटीसी)" नामक एक विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। एनआरटीसी में परीक्षण गतिविधियाँ 2019 से शुरू की गई हैं। यह अनुसंधान केंद्र क्यूईएमएससीएएल (एसईएम-ईडीएक्स), एक्सआरडी, एक्सआरएफ, आईसीपी-एमएस, सेडिग्राफ, लेजर पार्टिकल साइज़ एनालाइज़र, यूटीएम, डीएससी, टीजीए, आईसीपी-ओईएस, बीईटी एनालाइज़र, पोटेंशियोमीटर, ओईएस, सीएचएनएस एनालाइज़र, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, व्हाइटनेस इंडेक्स मीटर आदि जैसे सभी उन्नत उपकरणों से लैस है। नालको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अनुसंधान एवं विकास दस्ते को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। खदानों, रिफाइनरी और प्रद्रावक संयंत्रों से विभिन्न नमूने संयंत्र की आवश्यकता के अनुसार लिए जा रहे हैं। चार्जेबल बेसिस पर बाहरी सैंपल की जाँच शुरू कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान खदानों से लगभग 4,108 पूर्व-उत्पादन ड्रिल बॉक्साइट के नमूने, प्रद्रावक प्लांट से 2,352 एल्यूमिनियम धातु के नमूने और अन्य संयंत्र के नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर के साथ-साथ खान एवं परिशोधक और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास यूनिट को 31 मार्च, 2024 तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार द्वारा पुन: प्रमाणित किया गया है।
- एल्यूमिना परिशोधक में सभी चार चरणों के लिए सीसकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकीकृत मॉडल का विकास पूरा कर लिया गया है, जिसमें यूनिट संचालन जैसे वाशिंग सर्किट, वाष्पीकरण सर्किट आदि शामिल हैं।
- जेएनएआरडीडीसी, नागपुर के सहयोग से इन-लाइन पूरी तरह से स्वचालित एनोड बट मॉनिटरिंग सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है और रोडिंग शॉप 2, प्रद्रावक संयंत्र के कार्बन एरिया में चालू किया गया है जो एनोड निर्माण प्रक्रिया में सुधार, शुद्ध कार्बन खपत की गणना, एनोड चक्र अनुकूलन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रदर्शन में सुधार के लिए सहायक डेटा प्रदान करता है।
- एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस सेल के एनोड करंट वितरण के ऑनलाइन मापन के लिए जेएनएआरडीडीसी, नागपुर के सहयोग से वाई-फाई सक्षम सेंसर व्यवस्था विकसित की गई है जो सेल घटना की बेहतर समझ प्रदान करेगी और इस तरह सेल दक्षता में वृद्धि करेगी।
- फ्लाई ऐश से एल्यूमिना और कैल्शियम सिलिकेट की वसूली के लिए एक पायरो/हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रक्रिया पर एक पेटेंट प्रदान किया गया है।
- 'एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रयुक्त एनोड्स पर सीपी कोक में गुणवत्ता परिवर्तन के प्रभाव' पर एक पेपर प्रकाशित किया गया।
- अनुसंधान एवं विकास (इन-हाउस और सहयोगात्मक) के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ:
  - नव विकसित एपी2एक्सएन0 परीक्षण पॉट्स में वोल्टेज में 40 एमवी की कमी देखी गई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 150 किवाघं/टन डीसी ऊर्जा की कमी हुई।
  - इनलाइन स्वचालित बट निगरानी प्रणाली से प्राप्त डेटा एनोड निर्माण प्रक्रिया में और सुधार, स्नान संदूषण को कम करने, शुद्ध कार्बन खपत की गणना और एनोड चक्र अनुकूलन में मदद करेगा।
  - ऑनलाइन वाई-फाई सक्षम सेंसर व्यवस्था व्यक्तिगत पॉट्स के लिए पॉट मापदंडों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी, जो सेल की वर्तमान दक्षता को बढ़ाने में मदद करती है।
  - सीसकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से बायर सर्किट के इंटीग्रल मॉडल का उपयोग प्रक्रिया मापदंडों के और अधिक अनुकूलन में मदद करता है।
- 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, 05 आंतरिक परियोजनाएँ और 23 सहयोगी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।

27.2 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रकट किया जाना आवश्यक है, इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

28.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक एतद्‌वारा पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और

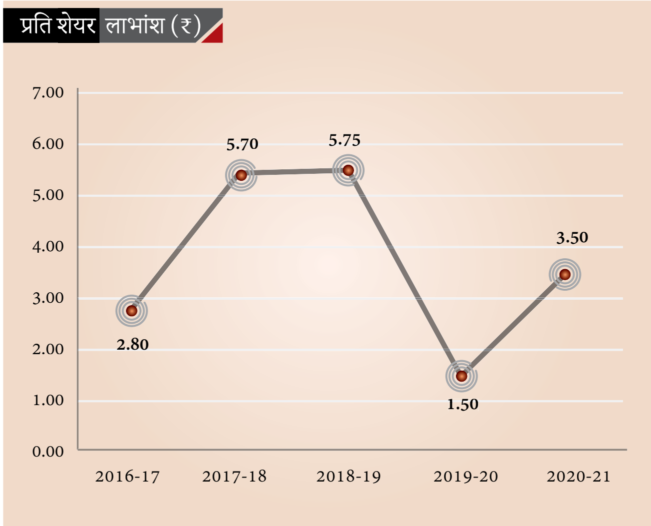

विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

- निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

29.0 निगम अभिशासन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34 के अनुरूप निगम अभिशासन पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट के अनुबंध-V में रखी जाती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

30.0 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएँ:

संबंधित पार्टी लेनदेन संबंधी नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान नोट करने के लिए आकर्षित करते हैं। 38 वित्तीय विवरण जो संबंधित पार्टी के खुलासे को निर्धारित करते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रपत्र एओसी-2 में एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI में संलग्न है ।

31.0 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

31.1 निदेशकगण:

पिछली रिपोर्ट के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

31.1.1 नियुक्ति:

- श्री मनसा प्रसाद मिश्रा को दिनांक 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
- श्री संजय लोहिया, आईएएस को दिनांक 09.11.2020 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री बिजय कुमार दास को 01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

31.1.2 समाप्ति:

- श्री एन.एन. शर्मा का स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 05.09.2020 को समाप्त हो गया।
- श्रीमती अचला सिन्हा का कार्यकाल स्वतंत्र निदेशक के रूप में 07.09.2020 को समाप्त हो गया।
- श्री एस.के. रॉय 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- श्री उपेंद्र सी. जोशी, आईआरटीएस का अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल 09.11.2020 को समाप्त हो गया।
- श्री वी. बालसुब्रमण्यम, 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- श्री पी.के. मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार के रूप में 28.02.2021 को सेवानिवृत्त हुए।

31.1.3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

- श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।
- श्री राधाश्याम महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)।
- श्री मनसा प्रसाद मिश्रा, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) और निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार।
- श्री बिजय कुमार दास, निदेशक (उत्पादन) और निदेशक (वाणिज्यिक) -अतिरिक्त प्रभार।
- श्री नयन कुमार महांति, महाप्रबंधक और कंपनी सचिव।

31.1.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा:

सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने के बाद, आपकी कंपनी के बोर्ड में 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा से संबंधित अनुपालन उपलब्ध नहीं है।

31.1.5 निदेशक-मंडल की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक-मंडल की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में उपलब्ध है।

31.1.6 निदेशक-मंडल की विभिन्न उप-समितियाँ:

लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों का विवरण, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तें, आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट में दी गई निगम गवर्नेंस रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में दिया गया है।

32.0 वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्रारूप में आपकी कंपनी की वेबसाइट की लिंक https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/07/Draft-MGT-7-2020-21.pdf पर उपलब्ध है।

33.0 सामान्य:

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं किया गया था:

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-V के अंतर्गत शामिल की गई जमाराशियों से संबंधित विवरण।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-V के अंतर्गत शामिल की गई जमाराशियों से संबंधित विवरण।
- कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओएस जारी करना
- न तो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और न ही कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त हुआ।
- नियामकों या न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।

  आपके निदेशक यह भी कहते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों के लिए उन्हें छूट दी गई है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) और धारा 178(2),(3) और (4) के अनुसार योग्यता, विशेषताओं, स्वतंत्रता आदि के निर्धारण के लिए मानदंड सहित निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति
- कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (पी) के अनुसार बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने का तरीका।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली की धारा 197(12) के अनुसार प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का कर्मचारी के औसत पारिश्रमिक से अनुपात और अन्य निर्धारित विवरण।

34.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति बनाई है। आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए स्थापित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

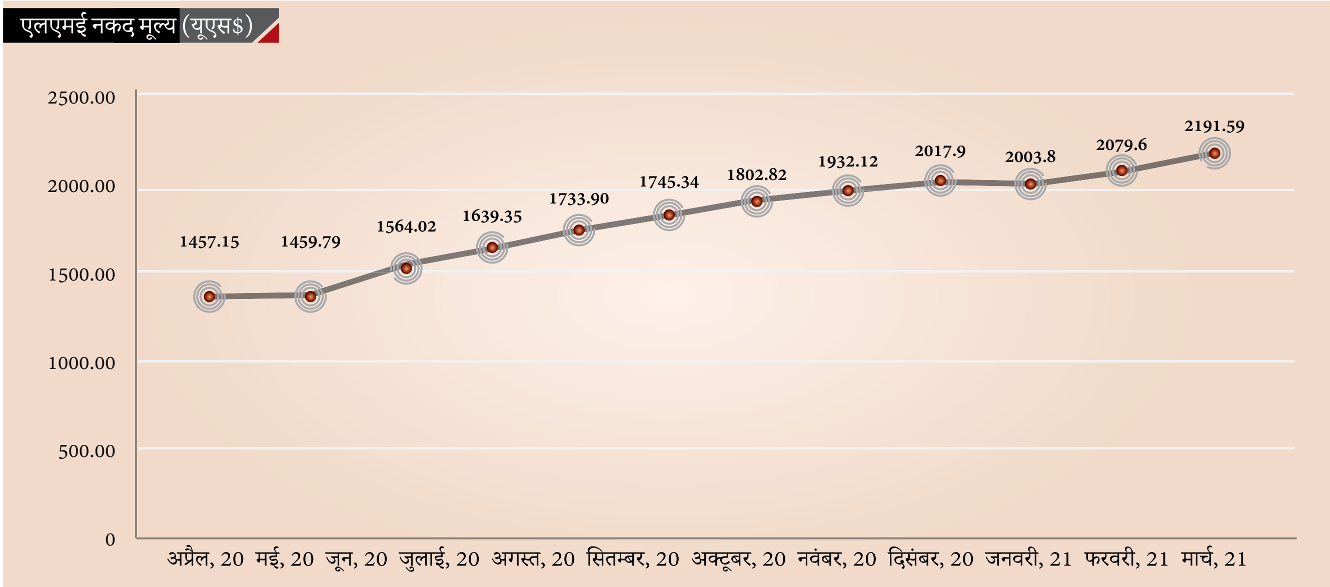

35.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने वाले, में शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2020-21 की नोट संख्या 9 और 11 में दिया गया है।

36.0 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और सहयोगी कंपनियाँ:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स में से प्रत्येक के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति और उनकी मुख्य विशेषताओं पर एक रिपोर्ट 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की क्रमशः नोट सं. 39 और 40 में दी गई है। फॉर्म एओसी-1 (नोट 40) में संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कंपनियों की मुख्य विशेषताएँ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

37.0 पुरस्कार और उपलब्धियाँ:

कंपनी को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों द्वारा मान्यता दी गई है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स से नि.सा.उ. में उत्कृष्टता के लिए पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार।
- आपकी कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक को व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-एक्ज़िम बैंक प्लेटिनम मान्यता से सम्मानित किया गया। पंचपटमाली खान और प्रद्रावक संयंत्र ने अपने पहले प्रयास में गोल्ड प्लस पुरस्कार जीता।
- आपकी कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक को सीआईआई से "उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं" के लिए सम्मानित किया गया था।
- आपकी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर के ओड़िशा एमएसएमई व्यापार मेला 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी के तहत 'उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र' से सम्मानित किया गया है।
- एल्यूमिना परिशोधक को वर्ष 2019 के लिए 'कलिंग सेफ्टी प्लेटिनम अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- आपकी कंपनी के ग्र.वि.स. को 19 फरवरी, 2021 को आयोजित वर्चुअल कांफ्रेंस में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 के लिए पूर्वी क्षेत्र में "सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा कुशल बिजली संयंत्र-कोयला (ग्र.वि.स.)" के रूप में सम्मानित किया गया है।
- आपकी कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र ने "सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता उत्कृष्टता पुरस्कार 2020" जीता और आपकी कंपनी के ग्र.वि.स. ने उत्पादकता सप्ताह 2021 को चिह्नित करने के लिए ओड़िशा राज्य उत्पादकता परिषद (ओएसपीसी) द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में "उत्पादकता उत्कृष्टता पुरस्कार 2020" जीता।

38.0 कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ:

निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित के रूप में एकल और समेकित दोनों वार्षिक वित्तीय विवरण उनकी टिप्पणियों के लिए वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के महानिदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे। भारत के नियंत्रक-महालेखा

परीक्षक ने कार्यालय महानिदेशक (खान), कोलकाता द्वारा जारी दिनांक 25.08.2021 के पत्रों के माध्यम से 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणियाँ जारी की हैं।

39.0 लेखा परीक्षक:

39.1 सांविधिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स पात्र एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और मेसर्स जीएनएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आपकी कंपनी के संयुक्त लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट बोर्ड की 28.06.2021 को हुई बैठक में पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

39.2 लागत लेखा परीक्षक:

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू होती है।

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स निरन एंड कंपनी को लागत लेखाकार लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट निगम मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

39.3 सचिवीय लेखा परीक्षक:

मैसर्स देब महापात्र एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार 2020-21 के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य करने के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-VII के रूप में संलग्न है।

39.4 आंतरिक लेखा परीक्षक:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को नियुक्त किया है:

(क) मैसर्स राव एंड कुमार - खान और परिशोधक परिसर, दामनजोड़ी और बंदरगाह सुविधाएँ, विशाखापत्तनम।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ईएसआई अस्पताल, बानरपाल, अनुगुल में नालको द्वारा समर्थित कोविड स्वास्थ्य सुविधाओं का परिदर्शन करते हुए

(ख) मैसर्स बी एन मिश्रा एंड कंपनी - प्रद्रावक प्रभाग, अनुगुल।

(ग) मैसर्स तेज, राज और पाल - ग्र.वि.स. प्रभाग, अनुगुल और कोयला खान प्रभाग, अनुगुल।

(घ) मैसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स - निगम कार्यालय, भुवनेश्वर।

(ङ) मैसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स - पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई।

(च) मैसर्स रॉय एंड बागची- पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता।

(छ) मैसर्स राघवन एंड मुरलीधरन - दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई।

(ज) मैसर्स भाटिया एंड भाटिया - उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली।

40.0 आभारोक्ति:

आपके निदेशक पूरी कृतज्ञता के साथ भारत सरकार विशेषकर खान मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कंपनी की मूल्य वर्धित श्रृंखला में दिए गए उत्कृष्ट समर्थन के लिए अपनी प्रशंसा अभिस्वीकृत करते हैं। सभी हितधारक और निवेशक के साथ आने वाले वर्षों में भी इस तरह के पारस्परिक सहायक व्यापार संबंध बनाए रखते हुए सहयोग की कामना करते हैं।

अंत में, आपके निदेशक सभी कर्मचारियों/ठेकेदारों और ठेका श्रमिकों द्वारा दिखाए गए समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करते हैं। निदेशक मंडल कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान संयंत्र/इकाईयों को चालू रखने के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और अधिकारी संघों द्वारा प्रदर्शित कड़ी मेहनत के लिए सराहना और आभार व्यक्त करते हैं। कंपनी का निरंतर विकास सभी मोर्चों से प्राप्त अपनेपन, एकजुटता, सहयोग और समर्थन के कारण संभव हुआ।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 06.09.2021

(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-I

वर्ष 2020-21 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की नि.सा.उ. नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

इस कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में नि.सा.उ. का दर्शन अंतर्निहित है। आपकी कंपनी, एक जिम्मेदार निगम नागरिक के रूप में, अपने व्यवसाय के संधारणीय विकास के लिए जनता, पृथ्वी और लाभ से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रयास अपने संचालन के क्षेत्र में अपने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) के हस्तक्षेप के माध्यम से समाज के सीमान्त वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की नि.सा.उ. नीति सूत्रबद्ध की गई है। कंपनी अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% (अधिनियम की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना करके) उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्धारित विभिन्न शीर्षों के तहत तीन ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च कर रही है। कंपनी की अनुमोदित नि.सा.उ. नीति के अनुसार संकल्पना से लेकर उनके प्रभाव मूल्यांकन तक नि.सा.उ. पहलकदमियों की समीक्षा की जाती है। यह कंपनी के लिए परियोजनाओं के बजट, व्यय, भौगोलिक और तकनीकी दायरे को भी रेखांकित करता है। परियोजनाओं की निगरानी कंपनी की नि.सा.उ. नीति का एक हिस्सा है।

2. नि.सा.उ. समिति की संरचना:

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के निदेशक-मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक थे यथा- श्री एन.एन. शर्मा और श्रीमती अचला सिन्हा। इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति 07.09.2020 तक अस्तित्व में थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में दिनांक 08.09.2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। 07.09.2020 तक समिति की संरचना और वर्ष के दौरान (19.05.2020 और 31.08.2020 को) आयोजित दो बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशन की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित नि.सा.उ. समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान नि.सा.उ. समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
1.	श्री एन.एन.शर्मा	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	2	2
2.	श्रीमती अचला सिन्हा	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य	2	2
3.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन), सदस्य	2	2
4.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य	2	2

3. कंपनी की वेबसाइट पर जहाँ नि.सा.उ. समिति की संरचना, नि.सा.उ. नीति और निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित नि.सा.उ. परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है, उसकी वेब-लिंक प्रदान करें:

- नि.सा.उ. समिति संरचना वेब-लिंक: वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में कोई नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति नहीं थी। इसलिए वेब लिंक प्रदान नहीं की गई है॥
- नि.सा.उ. नीति वेब-लिंक: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/04/CSR-Policy-2019.pdf
- निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित नि.सा.उ. परियोजनाओं की वेब-लिंक: https://mudira.nalcoindia.co.in:3443/CSR/CSRBudgetandExpenditure

4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए नि.सा.उ. परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं

5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1.	2018-19	शून्य	शून्य
2.	2019-20	शून्य	शून्य
3.	2020-21	शून्य	शून्य
	कुल	**शून्य**	**शून्य**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹1,67,076.67 लाख

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹3,342.00 लाख
   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की नि.सा.उ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक व्यतिरेक राशि, यदि कोई हो: शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल नि.सा.उ. दायित्व (7क+7ख-7ग): ₹3,342.00 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित नि.सा.उ. राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ लाख में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित नि.सा.उ. खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
3,500.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण: ₹904.66 लाख (अनुलग्नक-क)

(ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य नि.सा.उ. राशि का विवरण: ₹ 2,465.34 लाख (अनुलग्नक-ख)

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि: ₹130.00 लाख

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): ₹3,500.00 लाख

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (लाख ₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	3,342.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	3,500.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	158.00
(iv)	नि.सा.उ. परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित नि.सा.उ. राशि का विवरण: लागू नहीं

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित नि.सा.उ. खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			परवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	अंतरण की तारीख	
1	2017-18	शून्य	2,901.40	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2	2018-19	शून्य	3,034.92	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3	2019-20	शून्य	3,971.35	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	कुल	**शून्य**	**9,907.67**		**शून्य**		**शून्य**

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण: ₹528.46 लाख (अनुबंध-सी)।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए नि.सा.उ. के माध्यम से इस प्रकार निर्मित या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण):

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तारीख: लागू नहीं

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई नि.सा.उ. की राशि: लागू नहीं

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) प्रदान करें: लागू नहीं

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: लागू नहीं

स्वा./-
(राधाश्याम महापात्र)
निदेशक (मानव संसाधन)

स्वा./-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

नोट: 08.09.2020 से कंपनी के निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। इसलिए, उपरोक्त रिपोर्ट पर निदेशक (मानव संसाधन), जो नि.सा.उ. गतिविधियों के कार्यकारी प्रमुख हैं, और कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुलग्नक-क

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण।

(₹ लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि	परियोजना कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
1	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के 05 गाँवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) कार्यक्रम	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2018-22	50.00	50.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
2	दामनजोड़ी के 15 परिधि गाँवों/ स्कूल और संस्थान में नलकूप की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	4.17	2.01	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
3	पोट्टांगी के 10 गाँवों में नलकूप की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	2.80	1.51	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
4	जल आपूर्ति नेटवर्क जिसमें गोपीबल्लभपुर गाँव में बोरवेल की मरम्मत/नवीनीकरण शामिल है	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2018-21	5.36	5.36	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
5	दामनजोड़ी के विभिन्न स्थानों पर एक्वागार्ड का प्रावधान और स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2019-21	1.00	0.84	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
6	जगन्नाथ बल्लभ मठ से श्री जगन्नाथ मंदिर तक 6 ऑपरेशन बैटरी संचालित वाहन	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	2018-22	85.00	84.55	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
7	पुरी के विभिन्न स्थानों में 12 स्वच्छ जल पोस्ट उपलब्ध कराना	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	2018-22	10.00	4.14	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
8	गाँधी पार्क, पुरी में सुरक्षा पहरा और निगरानी	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	2018-22	17.00	16.45	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
9	चक्रवात फनी के बाद गाँधी पार्क और पुरी के अन्य स्थानों पर विद्युतीकरण और नवीनीकरण कार्य	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	2018-22	49.00	48.89	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
10	खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, पोट्टांगी, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के परिधीय गाँवों में मेडिकल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) का संचालन।	मद-i	नहीं	ओड़िशा	अनुगुल एवं कोरापुट	सदा	150.00	150.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
11	अनुगुल में ओपीडी केंद्र का संचालन	मद-i	नहीं	ओड़िशा	अनुगुल	सदा	56.40	49.21	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
12	ग्रीष्मऋतु के दौरान प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति	मद-i	नहीं	ओड़िशा	अनुगुल	सदा	20.00	17.57	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
13	पुरी में रथयात्रा महोत्सव के दौरान भक्तों को पेयजल की आपूर्ति	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	सदा	20.00	0.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
14	गाँधी पार्क और पुरी में वीरहरेकृष्णपुर में बागवानी और रखरखाव का काम	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	सदा	40.00	28.79	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं

(1) क्रम सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	(5) परियोजना की अवस्थिति		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि	(8) चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई	(9) धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि	(10) परियोजना कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	(11) कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
15	श्री रामकृष्ण शिशु विद्यामंदिर, खलारी में कक्षाओं का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2019-21	7.00	6.99	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
16	राजीव गाँधी हाई स्कूल में बहुउद्देश्यीय हॉल और चारदीवारी का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2019-21	20.00	19.99	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
17	थुरिया हाई स्कूल (आवासीय विद्यालय) में डाइनिंग हॉल का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2019-21	12.00	11.98	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
18	किलार स्कूल में कक्षा का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2019-21	6.00	5.92	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
19	चौगाँव सेवाश्रम में कक्षा का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2019-21	2.66	2.38	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
20	जेपी हाई स्कूल, कोरडा में चारदीवारी का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2019-21	10.00	9.43	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
21	अनुगुल, कोरापुट, खुर्दा और आरपीएल प्रशिक्षण में एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	खुर्दा, कोरापुट, अनुगुल	2016-21	35.19	0.00	0.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
22	ग्वालियर में गरीब, बीपीएल परिवारों के युवाओं का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण	मद-ii	नहीं	मध्यप्रदेश	ग्वालियर	2016-21	3.30	0.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
23	पोट्टांगी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका हस्तक्षेप	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2019-21	20.00	19.92	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
24	आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से दामनजोड़ी और पोट्टांगी में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (वाईएलटीपी)	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	11.51	9.61	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
25	क) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधि गाँवों के गरीब पिछड़े और आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा का समर्थन करना। ख) के.आई.एस.एस. प्रायोजित छात्रों के यात्राव्यय की प्रतिपूर्ति, ग) पारस्परिक क्रिया कार्यक्रम और घ) प्रायोजित बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा	मद-ii	नहीं	ओड़िशा	कोरापुट	सदा	150.00	95.80	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि	परियोजना कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका-कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
26	परियोजना- "नालकोर अलियाली झिअ" (नालको की लाडली): खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल अनुगुल के परिधीय गाँवों से बीपीएल श्रेणी की छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, महिलाओं के लिए खेलकूद और महिलाओं के मध्य अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन, आजीविका परामर्श	मद-ii	नहीं	ओड़िशा	अनुगुल एवं कोरापुट	सदा	21.00	18.38	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
27	खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों में संपूर्ण सौर समाधान	मद-iv	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	20.00	14.72	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
28	चंदका डमपड़ा वन्य जीवन अभयारण्य में और उसके आसपास वृक्षारोपण के लिए सहायता	मद-iv	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा एवं कटक	2019-23	85.71	83.71	0.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
29	पारंपरिक कला, संगीत और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए योगदान	मद-v	नहीं	ओड़िशा	कोरापुट	सदा	30.00	0.00	0.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
30	सांस्कृतिक उत्कृष्टता और नि.सा.उ. को बढ़ावा देना (प्रशंसा संस्थान, छात्रवृत्ति, आदि)	मद-v	नहीं	ओड़िशा	कोरापुट	सदा	30.00	0.00	0.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
31	भालुगुड़ा और भितरभेजापुट में कंक्रीट सड़क की सुविधा	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	35.74	18.80	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
32	डुरुकागुड़ा गाँव में सामुदायिक हॉल का निर्माण	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	17.24	16.04	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
33	मुड़ेईगुड़ा गाँव में सामुदायिक हॉल का निर्माण	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	17.24	10.41	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
34	मुड़ेईगुड़ा से नुआगुड़ा तक सड़क का निर्माण	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	11.81	11.29	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
35	नुआगुड़ा से रंगणीगुड़ा तक बीटी सड़क का निर्माण 500 मीटर	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	15.11	4.64	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
36	मलकारबंध से मालीपुट तक बीटी सड़क का निर्माण	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2018-21	118.00	85.33	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
	कुल						1,165.24	904.66	0.00			

अनुलग्नक-ख

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण:

(₹ लाख में)

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च हुई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
1	पीएम केयर फंड को सहायता	मद- i एवं viii	नहीं	भारत भर में	—	500.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2	नबरंगपुर, ओड़िशा में कोविड-19 आइसोलेशन सुविधा/देखभाल केंद्र की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	नवरंगपुर	380.02	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता अभियान - मास्क और सैनिटाइज़र और दैनिक आवश्यक वस्तुओं का वितरण	मद-i	नहीं	भारत भर में	—	120.73	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
4	कोविड-19 के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स के माध्यम से पी.पी.ई. किट के उत्पादन के लिए फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीआई), आईआईटी, दिल्ली को समर्थन।	मद-i	नहीं	भारत भर में	—	1.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
5	राज्य सरकार को वेंटिलेटर एम्बुलेंस के लिए सहायता	मद-i	नहीं	ओड़िशा भर में	—	116.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
6	बीएमसी अस्पताल, भुवनेश्वर को डिजिटल एक्स-रे मशीन के लिए वित्तीय सहायता	मद-i	नहीं	ओड़िशा भर में	—	0.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
7	राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के परिवहन के लिए रेफ्रिजेरेटेड ट्रक की खरीद।	मद-i	नहीं	ओड़िशा भर में	—	33.89	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
8	बीमार कैदियों को बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिए स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस की आपूर्ति	मद-i	नहीं	ओड़िशा भर में	—	30.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
9	कोविड-19 की रोकथाम के लिए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान को सहायता।	मद-i	नहीं	हरियाणा	नुह	5.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
10	कोरापुट में 4 बिस्तरों वाली उच्च निर्भरता इकाई की स्थापना के लिए आशा किरण सोसायटी के लिए वित्तीय सहायता	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	7.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
11	भुवनेश्वर के विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा आधारित जल शोधक और कूलर की स्थापना।	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	9.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
12	मयूरभंज जिले में मेगा स्वास्थ्य शिविरों के लिए सहायता	मद-i	नहीं	ओड़िशा	मयूरभंज	12.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
13	ओड़िशा के विभिन्न भागों में मेगा स्वास्थ्य शिविर के लिए सहायता	मद-i	हाँ	ओड़िशा भर में		6.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
14	व्हील चेयर के वितरण के लिए जिला प्रशासन, विशाखापत्तनम को सहायता।	मद-i	हाँ	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	4.80	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
15	सर्वेंट्स ऑफ द प्युपल सोसाइटी (एसओपीएस), कटक के लिए हियरसे वैन - दधीचि विमान के लिए समर्थन।	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कटक	7.45	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च हुई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
16	मैसर्स रोटरी क्लब, भुवनेश्वर को कैंसर जागरुकता कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता।	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2.50	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
17	अंबागाँव ग्राम दामनजोड़ी के अंदर जल निकासी व्यवस्था का प्रावधान।	मद-i	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2.81	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
18	महिलाओं एवं पुरुषों के लिए, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, बन्तला	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.99	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
19	करमला, पुरी में आरओ वाटर पोस्ट की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	पुरी	0.93	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
20	विश्वम्भर विद्यापीठ, पुरी में आरओ वाटर पोस्ट की स्थापना।	मद-i	हाँ	ओड़िशा	पुरी	0.45	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
21	माँ उग्रतारा शक्तिपीठ, खोर्धा में आरओ वाटर पोस्ट की स्थापना।	मद-i	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	0.99	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
22	बन्तला छक, अनुगुल में शीतल पेय परियोजना की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	5.00	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
23	दैनिक बाजार, अनुगुल नगर पालिका में ठंडे पेयजल पोस्ट की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.29	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
24	विपणन समिति (आरसीएमएस) बाजार, अनुगुल की विनियमित समिति में ठंडे पेयजल चौकी की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.22	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
25	महिला महाविद्यालय, एन.ए.सी., अनुगुल में शीतल पेय जल चौकी की स्थापना	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.14	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
26	पेयजल आपूर्ति, राधाकिशोर पड़ा, एनएसी अनुगुल	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.16	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
27	पेयजल आपूर्ति, राधारमण पड़ा, एनएसी अनुगुल	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.75	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
28	महिला कॉलेज, अनुगुल के पास की बस्ती को पेयजल आपूर्ति	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.80	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
29	वार्ड संख्या-18, अनुगुल में नलकूप की खुदाई	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	0.90	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
30	वार्ड संख्या-19, अनुगुल में नलकूप की खुदाई	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	0.90	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
31	बूढ़ी ठाकुराणी के पास शिव मंदिर, अनुगुल में नलकूप की खुदाई	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	0.90	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
32	वार्ड संख्या-15, अनुगुल में नलकूप की खुदाई	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	0.90	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
33	वार्ड संख्या-18, अनुगुल में नलकूप की खुदाई	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	0.90	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
34	शिशु उद्यान अनुगुल में पेयजल आपूर्ति	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.80	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
35	कल्याणी मंडप, वार्ड संख्या- 12, अनुगुल में पेयजल आपूर्ति	मद-i	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.68	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
36	रथयात्रा महोत्सव-2019 के दौरान ग्रांड रोड़, पुरी के मेडिकल छक में शुद्ध पेयजल केंद्र की आपूर्ति एवं स्थापना।	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	1.45	हाँ	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
37	गाँधी पार्क, पुरी में व्यू पॉइंट टॉवर के प्रवेश द्वार का नवीनीकरण और विविध मरम्मत कार्य।	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	3.69	हाँ	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च हुई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
38	पुरी में समुद्र के सामने गाँधी पार्क की बाहरी दीवार पर विषयगत प्राचीर चित्रांकन।	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	3.36	हाँ	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
39	ग्रांड रोड, पुरी में यातायात पुलिस पोस्ट का प्रावधान	मद-i	नहीं	ओड़िशा	पुरी	25.11	हाँ	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
40	नालको कर्मचारियों के आश्रितों के अलावा अन्य छात्रों के लिए कंपनी द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में स्कूली शिक्षा।	मद-ii	नहीं	ओड़िशा	अनुगुल एवं कोरापुट	807.73	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
41	गोपीबल्लभपुर के गाँव नंदीचूड़ के प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2.94	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
42	वाग्देबी स्कूल, अनुगुल को फर्नीचर और खेल सामग्री के लिए सहायता	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	1.50	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
43	बलरामप्रसाद हाई स्कूल, अनुगुल में 03 अतिरिक्त कक्षा गृहों का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	15.51	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
44	सत्यबादी हाई स्कूल, अनुगुल में 03 पक्के क्लास रूम का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2.13	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
45	बरपड़ा प्राथमिक विद्यालय, छेंडीपदा का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
46	दूबनाली प्राथमिक विद्यालय, छेंडीपदा का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
47	यूपी स्कूल, गड़मंडल, छेंडीपदा का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	6.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
48	हुलुरिसिंगा हाई स्कूल, अनुगुल में अतिरिक्त कक्षा गृहों का निर्माण	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.56	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
49	अंबागाँव (दामनजोड़ी) गाँव में शौचालय और अन्य सुविधाओं के साथ स्कूल भवन का निर्माण।	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	16.92	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
50	अंबागाँव ग्राम, दामनजोड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र की पुनर्सज्जा।	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	1.96	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
51	बलरामप्रसाद हाई स्कूल में अतिरिक्त के 03 नग कक्षा गृहों का निर्माण।	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.95	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
52	सत्यबादी हाई स्कूल, बड़जोरड़ा, तालचेर में 03 पक्के कक्षा गृहों का निर्माण।	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	3.42	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
53	सत्यबादी हाई स्कूल, बड़जोरड़ा, तालचेर में 03 पक्के कक्षा गृहों का निर्माण।	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	5.51	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
54	वृंदावन गुरुकुल, भुवनेश्वर में 10 छात्रों के लिए सहायता।	मद-ii	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	7.20	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
55	ओड़िशा राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त जीवन को बढ़ावा देना।	मद-iii	हाँ	ओड़िशा भर में	खोर्धा	3.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
56	गोपीनाथ जी और महापुरुष अच्युतानंद पीठ, नेमालो, सालेपुर, कटक में डीजी सेट प्रदान करना।	मद-v	नहीं	ओड़िशा	कटक	4.84	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
57	कटक में समाज द्वारा उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की कांस्य प्रतिमा के लिए वित्तीय सहायता।	मद-v	नहीं	ओड़िशा	कटक	10.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
58	गोप, पुरी में पंचसखा मंडप का नवीनीकरण और निर्माण	मद-v	नहीं	ओड़िशा	पुरी	21.74	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च हुई राशि	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण संख्या
59	पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ जवानों को आर्थिक सहायता।	मद-vi	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2.00	हाँ	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
60	धारवाड़ जिले (कर्नाटक) में खेल परिसर की स्थापना	मद-vii	नहीं	कर्नाटक	धारवाड़	50.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
61	अंबागाँव गाँव दामनजोड़ी में खेल के मैदान का प्रावधान	मद-vii	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	4.86	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
62	बलरामप्रसाद, अनुगुल (माँ हिंगुला फुटबॉल प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन) क्लब भवन का निर्माण।	मद-vii	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	5.38	हाँ	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
63	अंबागाँव, ग्राम दामनजोड़ी के अंदर आरसीसी सड़क का निर्माण	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	14.61	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
64	अंबागाँव ग्राम, दामनजोड़ी में पुराने सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण और नए सामुदायिक केंद्र सह कल्याण मंडप का निर्माण	मद-x	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	9.44	नहीं	नालको फाउंडेशन	लागू नहीं
65	एलएसपी कॉरिडोर (लीन-स्लरी प्रोजेक्ट), अनुगुल में विकासात्मक गतिविधियाँ	मद-x	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	29.20	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
66	उत्कल डी/ई कोयला खान क्षेत्र, छेंडीपदा में विकासात्मक गतिविधियाँ	मद-x	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	2.55	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
67	नालको थाना छक से आईएपीएल चौराहे तक बरास्ते केनाल रोड, अनुगुल तक सड़क की ब्लैक टॉपिंग	मद-x	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	100.88	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल					2,465.34			

अनुलग्नक-ग

पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण:

(₹ लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण / चालू परियोजना की स्थिति
1	_	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के 05 गाँवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) कार्यक्रम	2017-18	5 वर्ष	491.13	50.00	253.41	चालू
2	_	गिरांग गाँव में पाइप से जलापूर्ति	2018-19	4 वर्ष	313.00	0.00	200.00	चालू
3	_	पानी में फ्ल्युओराइड अंश के कारण 11 गाँवों में पेयजल आपूर्ति का नवीनीकरण	2018-19	4 वर्ष	1050.00	0.00	248.66	चालू
4	_	दामनजोड़ी के 15 परिधीय गाँवों/स्कूल एवं संस्थानों में नलकूप की स्थापना	2018-19	3 वर्ष	20.87	2.01	22.88	पूर्ण
5	_	पोट्टांगी के 10 गाँवों में नलकूप की स्थापना	2018-19	3 वर्ष	13.92	1.51	8.46	पूर्ण
6	_	ग्राम गोपीबल्लभपुर में बोरवेल की मरम्मत/ नवीनीकरण सहित जलापूर्ति नेटवर्क	2018-19	3 वर्ष	20.36	5.36	20.36	पूर्ण
7	_	दामनजोड़ी के विभिन्न स्थानों में एक्वा गार्ड का प्रावधान एवं स्थापना	2019-20	2 वर्ष	1.00	0.84	0.84	पूर्ण
8	_	जगन्नाथ बल्लभ मठ से श्री जगन्नाथ मंदिर तक बैटरी संचालित वाहनों का परिचालन।	2017-18	5 वर्ष	648.00	84.55	226.48	चालू
9	_	पुरी के विभिन्न स्थानों पर 12 स्वच्छ जल पोस्ट उपलब्ध कराना।	2017-18	5 वर्ष	54.68	4.14	40.49	चालू
10	_	चक्रवात फनी के बाद गाँधी पार्क और पुरी के अन्य स्थानों पर विद्युतीकरण और नवीनीकरण कार्य।	2019-20	2 वर्ष	49.00	48.89	48.89	पूर्ण
11	_	श्री रामकृष्ण शिशु विद्यामंदिर, खलारी में कक्षाओं का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	7.00	6.99	6.99	पूर्ण
12	_	राजीव गाँधी हाई स्कूल में बहुउद्देश्यीय हॉल और चारदीवारी का निर्माण।	2019-20	2 वर्ष	20.00	19.99	19.99	पूर्ण
13	_	थूरिया उच्च विद्यालय (आवासीय विद्यालय) में भोजन कक्ष का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	12.00	11.98	11.98	पूर्ण
14	_	खिलार विद्यालय में कक्षा गृहों का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	6.00	5.92	5.92	पूर्ण
15	_	चौगाँव सेवाश्रम में कक्षा गृहों का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	2.66	2.38	2.38	पूर्ण
16	_	जीपी हाई स्कूल, कोरड़ा में चारदीवारी का निर्माण	2019-20	2 वर्ष	10.00	9.43	9.93	पूर्ण
17	_	अनुगुल, कोरापुट, खुर्दा में एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास और आरपीएल प्रशिक्षण	2017-18	4 वर्ष	260.02	0.00	221.68	पूर्ण
18	_	ग्वालियर में गरीब, बीपीएल परिवारों के युवाओं का कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	2018-19	3 वर्ष	61.20	0.00	57.90	पूर्ण
19	_	पोट्टांगी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका हस्तक्षेप	2018-19	3 वर्ष	20.00	19.92	19.92	पूर्ण
20	_	दामनजोड़ी और पोट्टांगी में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (वाईएलटीपी)	2018-19	3 वर्ष	22.86	9.61	20.96	पूर्ण
21	_	खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों में कुल सौर समाधान	2017-18	4 वर्ष	169.24	14.72	88.96	पूर्ण
22	_	चंदका डमपड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य में और उसके आसपास वृक्षारोपण के लिए सहायता	2019-20	4 वर्ष	352.00	83.71	257.14	चालू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूर्ण / चालू परियोजना की स्थिति
23	–	भालुगुड़ा एवं भितरभेजापुट में पक्की सड़क की सुविधा	2018-19	3 वर्ष	61.91	18.80	44.97	पूर्ण
24	–	दुरुकागुड़ा ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	2018-19	3 वर्ष	17.24	16.04	16.04	पूर्ण
25	–	मोदीगुड़ा ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	2018-19	3 वर्ष	17.24	10.41	17.02	पूर्ण
26	–	मुड़ेईगुड़ा से नुआगुड़ा तक सड़क का निर्माण	2018-19	3 वर्ष	23.00	11.29	33.51	पूर्ण
27	–	नुआगुड़ा से रंगणीगुड़ा तक बीटी सड़क का निर्माण	2018-19	3 वर्ष	21.00	4.64	10.53	पूर्ण
28	–	मलकारबंध से मालीपुट तक बीटी सड़क का निर्माण	2018-19	4 वर्ष	118.00	85.33	85.33	चालू
		कुल			3,863.33	528.46	2,001.12	

अनुलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1.0 उद्योग संरचना और विकास:

1.1 एल्यूमिना:

वर्ष 2020 के दौरान, मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) का कुल वैश्विक उत्पादन 127.01 मिलियन टन था, जो 2019 के दौरान उत्पादित 123.85 मिलियन टन की तुलना में लगभग 2.55% की वृद्धि दर्ज करता है। 2020 के दौरान एल्यूमिना की खपत 123.26 मिलियन टन की तुलना में 126.77 मिलियन टन थी। जो 2019 के दौरान, 2.85% की वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। उत्पादन और खपत दोनों में चीन का प्रमुख योगदान था, उत्पादन में 53.98% हिस्सेदारी और एल्युमिना की खपत में 57.05% हिस्सेदारी थी। 2021 में विश्व एमजीए की मांग 130.65 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि 3.06% की वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। कुल मिलाकर, एल्यूमिना का बाजार 2021 में 1.23 मिलियन टन के अधिशेष में रहने की उम्मीद है, जिसका उत्पादन 131.88 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कुल एल्यूमिना उत्पादन 65.99 लाख टन था,जिसमें वार्षिक 0.55% की गिरावट दर्ज की गई। इसमें से आपकी कंपनी का योगदान 20.59 लाख टन (31.20%) था। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, एल्यूमिना की कीमतों में समान वृद्धि के साथ एल्यूमिनियम की कीमतों में तेजी सराहनीय नहीं हुई है, और एल्यूमिना की कीमत एक अच्छी आपूर्ति वाले बाजार और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच उच्च एल्यूमिना माल ढुलाई लागत के चलते कम है। इससे दोनों उद्योगों के बीच मार्जिन में विपरीत भाग्य का कारण बन गया है। इस वर्ष मुख्य रूप से कंटेनरों की कम उपलब्धता, बंदरगाहों पर भार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सफेद वस्तुओं की बढ़ती मांग और स्वेज नहर की रुकावट के कारण देरी आदि कई कारणों से माल ढुलाई दरों में वृद्धि हुई है। तंग माल ढुलाई की स्थिति चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2021) तक जारी रहने की उम्मीद है, 2021 की शेष अवधि के लिए कंटेनरों की अनुपलब्धता बनी रहेगी।

2020 के दौरान विश्व बॉक्साइट उत्पादन लगभग 359.76 मिलियन टन था, जो 2019 में उत्पादित 340.51 मिलियन टन से 5.65% अधिक है। 2021 के दौरान वैश्विक बॉक्साइट उत्पादन लगभग 391.53 मिलियन टन होने की उम्मीद है। चीन ने भारी माला में बॉक्साइट का आयात करना जारी रखा है। 2020 के दौरान, चीन द्वारा 111.59 मिलियन टन बॉक्साइट का आयात किया गया, जो मुख्य रूप से गिनी, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से प्राप्त किया गया था। गिनी बॉक्साइट की आपूर्ति 2021 में 94.5 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है, जो 2020 की तुलना में 16.7 मिलियन टन और 2019 के स्तर की तुलना में 30.0 मिलियन टन अधिक है। गिनी में बॉक्साइट उत्पादन में बड़े पैमाने पर लाभ के कारण बॉक्साइट बाजार में अधिक आपूर्ति जारी है, जो बॉक्साइट आयात की चीनी मांग को पछाड़ रहा है।

1.2 एल्यूमिनियम:

वर्ष 2020 के दौरान एल्यूमिनियम का वैश्विक उत्पादन 64.76 मिलियन टन था, जो 2019 में प्राप्त 63.22 मिलियन टन के उत्पादन के आँकड़ों की तुलना में 2.44% की वृद्धि दर्ज करता है। साथ ही, विश्व भर में एल्यूमिनियम की खपत 2019 में हुई 64.57 मिलियन टन हुई थी, जो 2020 में 2.74% घट 62.80 मिलियन टन तक हुई। इस प्रकार, बाजार ने 2020 के दौरान लगभग 1.96 मिलियन टन का अधिशेष दर्ज किया। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता था, जिसने विश्व उत्पादन का 56.67% हिस्सा (36.70 मिलियन टन) और एल्यूमिनियम की विश्व खपत में 60.14% (37.77 मिलियन टन) का योगदान दिया। चीन ने 2020 के दौरान एल्यूमिनियम उत्पादन में 3.98% की वृद्धि दर्ज की, जबकि बाकी विश्व ने उत्पादन में 0.48% की मामूली वृद्धि दर्ज की। जहाँ तक एल्यूमिनियम की खपत का सवाल है, चीन के आँकड़ों ने 2020 के दौरान 4.31% की मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की, जबकि बाकी दुनिया ने 11.74% का संकुचन दर्ज किया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में एल्यूमिनियम की खपत में 7.92% की गिरावट आई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य 1,802 अमेरिकी डॉलर प्रति मेट्रिक टन था, जो 2019-20 के दौरान यू.एस.डॉलर 1,749 प्रति मेट्रिक टन के इसी आँकड़े के मुकाबले 3.03% बढ़ गया। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान कीमतों में और तेजी आई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में अनुमानित वैश्विक एल्यूमिनियम स्टॉक 13.16 मिलियन टन था, जो वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में 12.55 मिलियन टन के स्टॉक के मुकाबले 4.86% की वृद्धि दर्ज करता है।

मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण मांग में तेज गिरावट के कारण बिना किसी महत्वपूर्ण उत्पादन कटौती के 2019 में लगभग 1.34 मिलियन टन के वैश्विक बाजार घाटे के विपरीत, 2020 में 1.96 मिलियन टन का बाजार अधिशेष दर्ज किया गया।

2.0 शक्तियाँ और कमजोरियाँ:

2.1 शक्तियाँ:

ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे प्रचुर माला वाला खनिज है,जो इस ग्रह पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे प्रचुर धातु बनाता है और केवल लौह के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली धातु है। यह बड़े पैमाने पर मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है, भले ही एल्यूमिनियम सामग्री 99% जितनी अधिक हो। एल्यूमिनियम आधुनिक विश्व में सबसे सार्वलिक धातुओं में से एक है, मजबूती-से-भार का अनुपात, उच्च तापीय और विद्युत चालकता, वातावरणीय क्षरण रोधिता, कार्यशीलता और निर्माण क्षमता जैसे अपने गुणों का श्रेय इसे प्राप्त है। ये गुण इसे एयरोस्पेस और निर्माण उद्योगों, उच्च

तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों और अधिक के रूप में विविध अनुप्रयोगों में एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। इसकी उच्च पुनर्चक्रण क्षमता के साथ ये विशेषताएँ, जीवन-चक्र प्रबंधन को बेहतर बनाने और इसके अनुप्रयोग से समग्र आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं।

भारत चीन और रूस के बाद एल्यूमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिना में उत्पादन लागत और रूपांतरण लागत में भी भारत का उचित लाभ होता है। इसके अलावा, लंबी अवधि में बुनियादी ढाँचे के विकास और ऑटोमोटिव उत्पादन में वृद्धि देश के भीतर इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित कर रही है। भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग में मुख्य रूप से प्राथमिक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक्सट्रूज़न, एल्यूमिनियम वेल्लित उत्पाद और एल्यूमिना रसायन शामिल हैं। इनके अलावा, भारत में एक बड़ा द्वितीयक एल्यूमिनियम क्षेत्र भी है, जो एल्यूमिनियम धातु के पुनर्चक्रण से संबंधित है। जबकि इसके अयस्क से प्राथमिक एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए उच्च ऊर्जा खपत की आवश्यकता होती है, इसके पुनर्चक्रण में इस ऊर्जा लागत का केवल एक भाग ही लगता होता है। गुणवत्ता और प्रदर्शन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एल्यूमिनियम का पुनर्चक्रण बार-बार किया जा सकता है।

एल्यूमिनियम उद्योग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल घटकों आदि सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख उपयोगकर्ता खंड विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र है, जिसके बाद मोटर वाहन, परिवहन, भवन , निर्माण, पैकेजिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, औद्योगिक और रक्षा आते हैं। सभी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत खनन क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारतीय धातुकर्म उद्योगों ने अप्रैल, 2000 से मार्च, 2020 की अवधि में 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया (स्रोत: भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग- सेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस - इक्विटी मास्टर)।

2.2 कमजोरियाँ:

2020 के दौरान कोविड-19 महामारी के उद्भव ने न केवल भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग में, बल्कि वैश्विक स्तर पर कुछ प्रमुख कमजोरियों को उजागर किया। दुनिया भर में प्रमुख एल्यूमिनियम खपत करने वाले उद्योगों ने अपने एल्यूमिनियम उठाव में भारी कमी की है। प्रत्येक देश में ऐसे उद्योगों के उपभोग स्तर में सुधार देश की वायरस को नियंत्रित करने की क्षमता के अनुसार भिन्न होता है। 2020 के उत्तरार्ध के दौरान कीमतों में सुधार के प्रमुख कारणों में से एक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में चीन की सफलता और उसके बाद एल्यूमिनियम की खपत में वृद्धि के कारण था। हालांकि, भारत जैसे देशों में एल्यूमिनियम की खपत अभी तक कोविड से पहले के स्तर तक नहीं पहुँची है।

भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग को परेशान करने वाली कुछ अन्य कमजोरियाँ हैं:

(क) उत्पादित अधिकांश धातु का निर्यात बिना किसी मूल्यवर्धन के किया जा रहा है, एक मजबूत एल्यूमिनियम पारिस्थितिकी तंत्र की अनुपस्थिति में, जो एक बड़े डाउनस्ट्रीम उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।

(ख) नवीन उत्पादों के विकास में निवेश की कमी जो नए अनुप्रयोगों में एल्यूमिनियम के उपयोग के लिए रास्ते खोल सकती है या मौजूदा अनुप्रयोगों में एल्यूमिनियम के उपयोग को बढ़ा सकती है।

(ग) रसद में कई बाधाएँ उत्पादन सुविधाओं से कच्चे माल और तैयार माल के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं। इस बाधा को कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश वांछनीय है।

(घ) कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता के कारण धातु के उत्पादन की उच्च लागत, जो उच्च बिजली शुल्क, कोयला उपकर आदि जैसे लागत ओवरहेड्स के साथ आती है। उच्च लागत में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड पर उच्च आयात शुल्क हैं,सीपी कोक और कास्टिक सोडा जो घरेलू एल्यूमिनियम उत्पादकों को नुकसान में डालते हैं।

(ङ) एल्यूमिनियम रिसाइकिलर्स की स्क्रैप आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त एल्यूमिनियम स्क्रैप उत्पादन और हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आयातित एल्यूमिनियम स्क्रैप पर अत्यधिक निर्भरता।

3.0 अवसर और जोखिम:

3.1 अवसर:

एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण हल्की धातु है जिसका उपयोग औद्योगिक और उपभोक्ता दोनों क्षेत्रों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। औद्योगिक मोर्चे पर, धातु का उपयोग मुख्य रूप से मशीनरी, विद्युत शक्ति संचरण उपकरण, निर्माण और परिवहन में किया जाता है। भारत के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग को ईंधन और लागत दक्षता बढ़ाने में, विशेषकर परिवहन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और भवन और निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है। 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एल्यूमिनियम भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर कार्बन-डाई-आक्साइड उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा, जिससे अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाएगी।

भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की खपत लगभग 2.7 किग्रा है, जो वैश्विक औसत 11 किग्रा से काफी नीचे है। (स्रोत: एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इंडिया - सेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस - इक्विटी मास्टर)

भविष्य में, भारत को 16 मिलियन टन एल्यूमिनियम की अतिरिक्त वार्षिक खपत की आवश्यकता होगी, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। कम खपत पर भी, एल्यूमिनियम विनिर्माण क्षेत्र (स्टील 12%, सीमेंट 9%) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2% का योगदान देता है और इसके साथ खपत वृद्धि बढ़ने की उम्मीद है। 2022 तक विनिर्माण से सकल घरेलू उत्पाद का 25% प्राप्त करने के भारत के औद्योगिक दृष्टिकोण के लिए यह वृद्धि महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम उद्योग में भारत में करीब 8,00,000 नौकरियों का सृजन करने वाला एक उच्च प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार गुणक भी है। संयंत्र आम तौर पर देश के भीतरी इलाकों में स्थित होते हैं और परिधीय रोजगार पैदा करने और क्षेत्र के विकास में सहायता करते हैं। और आगे बढ़ते हुए, यह क्षेत्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय पूँजीगत सामान नीति, 100 स्मार्ट शहरों के विकास और 2022 तक 100 गिगावाट सौर क्षमता तक पहुँचने की सरकार की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता होगा (स्रोत: नीति आयोग की रिपोर्ट, 2018)।

अल्पावधि में, लॉकडाउन और कोविड-19 से उबरने के कारण, परिवहन, भवन और निर्माण, औद्योगिक उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओं में मंदी के कारण घरेलू मांग में गिरावट की संभावना है। जैसे ही विद्युत, आनुषंगिक ढाँचे और परिवहन जैसे उपयोगकर्ता उद्योगों के परिदृश्य में सुधार होगा तो एल्यूमिनियम की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भारत सरकार की "राष्ट्रीय खनिज नीति" से एल्यूमिनियम क्षेत्र में स्थायी खनन प्रथाओं के साथ-साथ अधिक पारदर्शिता, बेहतर विनियमन और प्रवर्तन, संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास लाने की उम्मीद है। निर्माण और पैकेजिंग के कारण घरेलू मांग के मजबूत रहने की संभावना है। भारत सरकार की अपनी "मेक इन इंडिया" पहल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना है। एल्यूमिनियम उद्योग को इससे फायदा होगा, क्योंकि नई उत्पादन सुविधाओं के निर्माण की काफी मांग है।

3.2 जोखिम:

एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा अप्रत्याशित व्यवधानों के कारण इसकी अतिसंवेदनशीलता है। कोविड-19 महामारी के फैलने और दुनिया भर में लॉकडाउन लागू होने के तुरंत बाद, वैश्विक एल्यूमिनियम की मांग में गिरावट आई, आपूर्ति श्रृंखला टूट गई और कीमतें तेजी से भारी गिरावट हुईं। हालाँकि तब से कीमतों में सुधार हुआ है, फिर भी कोविड-19 या किसी अन्य प्रकार के फिर से उभरने की संभावना बनी हुई है।

अनुकूल सरकारी नीतियों के माध्यम से उद्योग को समर्थन भी एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने 01.01.2021 से अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना - मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) को बंद कर दिया है, जो सभी भारतीय निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन का एक प्रमुख स्रोत रहा है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना, जो एमईआईएस योजना को प्रतिस्थापित करने वाली है, को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसका देश में एल्यूमिनियम उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो पहले से ही सुस्त घरेलू मांग का सामना कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में निर्यात करके प्रद्रावकों को चालू रखने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2020 ने घरेलू प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्माताओं के सामने शुल्क-मुक्त या अधिमान्य शुल्क आधारित सस्ते आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आने वाली चुनौतियों का भी संकेत दिया।

एक अन्य खतरे में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण लाल मिट्टी या वायु प्रदूषण जैसे अपशिष्टों के निर्वहन से जुड़े पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ सरकारों द्वारा कार्रवाई शामिल है। चीन जैसे कुछ देशों ने पहले ही इस तरह की कार्रवाई को लागू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण गलाने की क्षमता बंद हो गई है। इम्प्रोवाइज्ड स्टील, पीवीसी, इंजीनियर वुड, ग्लास, कार्बन फाइबर, कंपोजिट आदि जैसे विकल्प का खतरा भी प्रकृति में बारहमासी बना हुआ है।

4.0 खंडवार प्रदर्शन:

क्रम सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		धातु (एल्यूमिनियम)		गैर-आवंटन-योग्य		कुल
		₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में	अंश (%)	₹ करोड़ में
1.	संचालन से राजस्व	2,701.67	30.17	6,203.75	69.27	50.38	0.56	8,955.79
2.	कर पूर्व लाभ (असाधारण मदों से पहले)	645.33	48.76	872.53	65.92	(194.26)	(14.68)	1,323.60
3.	नियोजित पूँजी#	2,733.88	27.57	3,707.49	37.39	3,475.62	35.05	9,916.99
4.	आरओसीई (%) (2/3)		23.60		23.53		(5.59)	13.35
5.	पीबीआईटी सीमान्त (%) (2/1)		23.89		14.06		(385.63)	14.78

"गैर-आवंटित-योग्य सामान्य" के तहत नियोजित पूँजी में पवन ऊर्जा संयंत्र और विस्तार इकाईयों की नकदी शेष और संपत्ति शामिल है।

5.0 भविष्य के लिए दृष्टिकोण:

5.1 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:

चीनी प्राथमिक एल्यूमिनियम की मांग 2020 की दूसरी तिमाही के रूप में पूर्व-महामारी के स्तर (और ऊपर) में वापस आ गई, जो कि सरकारी प्रोत्साहन और कोविड-19 मामलों की संख्या के नियंत्रण से उत्प्रेरित थी। इस स्थिति को स्क्रैप की सापेक्ष कमी से भी सहायता मिली थी। उस समय, शेष विश्व गहरे संकट में था और उनकी मांग के स्तर पर लौटने में बहुत लंबा समय लगने की संभावना थी, जो कुछ महीने पहले सामान्य लग रहा था।

पश्चिमी यूरोप के इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि जर्मनी और एशिया के कुछ देशों को अपेक्षाकृत राहत की साँस मिली। वहीं, चीन के बाहर, अमेरिका ने गर्मी और शरद ऋतु के दौरान बेहतर प्रदर्शन के साथ बेहतरीन सुधार का नेतृत्व किया। इसी तरह, यह भी ध्यान देने वाली बात थी कि जब सितंबर से ऑटोमोटिव सेक्टर में तेजी आई, तो जर्मन की खपत में भी अच्छी सुधार हुई।

ए1 सर्कल ने चीन में उच्च विकास दर और दुनिया भर के अन्य प्रमुख बाजारों में एक पलटाव की स्थिति के कारण 2021 के दौरान एल्यूमिनियम की मांग में लगभग 7.5% की तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया है। वैश्विक गतिशीलता में सुधार और वर्ष के आगे चलने के साथ-साथ रुकी हुई प्रयास से हुई मांग के साथ धातु की मांग ज्यादा होने की उम्मीद है।

जहाँ उद्योग ने कम कार्बन एल्यूमिनियम/ग्रीन एल्यूमिनियम जैसे स्थायी विकल्पों की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और दुनिया में सबसे टिकाऊ धातु के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और मिश्र धातुओं का आविष्कार कर रहा है, वहीं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित एल्यूमिनियम को महत्व मिलने की उम्मीद है।

अंतिम उपयोक्ता के मोर्चे पर, एल्यूमिनियम का उपयोग 2021 के दौरान सामान्य स्तर पर फिर से शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि विभिन्न अंतिम उपयोक्ता क्षेत्रों में प्रचालन फिर से शुरू हो गया है। पैकेजिंग क्षेत्र के बढ़ने और एल्यूमिनियम की मांग में उछाल आने का अनुमान है, जबकि ऑटोमोबाइल उद्योग के 2021 की तीसरी तिमाही के दौरान पूर्व-कोविड स्तर तक पहुँचने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, रोलिंग मिलों और एक्सट्रूडरों के जोरदार प्रदर्शन के साथ, चीनी मांग मजबूत बनी हुई है। हालांकि, कुछ निर्यात कारोबार से दूर भाग रहे हैं क्योंकि एलएमई के मुकाबले उच्च एसएचएफई (शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज) एल्यूमिनियम की कीमत घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यात को कम लाभदायक बनाती है। उच्च एसएचएफई मूल्य भी उपभोक्ताओं को खरीदारी में विलम्ब करने और इन्वेंट्री को कम रखने के लिए प्रेरित कर रहा है।

हाल के सप्ताहों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका, दोनों में, अधिकांश प्रमुख एक्सट्रूडर ने विकास में वापसी की सूचना दी है। एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पादकों में भी उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। हालाँकि, एयरोस्पेस क्षेत्र से प्रभावित लोग अभी भी एक खिंचाव पैदा कर रहे हैं क्योंकि विमानन उद्योग दृढ़ता से जमी-बंद है। मंदी के दौरान, पैकेजिंग और सौर क्षेत्र की मांग के साथ-साथ भवन और निर्माण की मांग आम तौर पर सबसे अधिक लचीली थी। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, सामान्य रूप से परिवहन और एयरोस्पेस की मांग पिछड़ी हुई थी। पिछले साल की दूसरी छमाही में, पेय-पदार्थों के डिब्बे में उठाव के साथ तेजी का प्रसार हुआ, विशेष रूप से मोटर वाहन क्षेत्र द्वारा अनुकरण किया गया। अब तक 2021 में स्वचालित वाहन उद्योग की मांग ने एल्यूमिनियम की मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है।

यूरोपीय और अमेरिकी दोनों एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए मांग में वृद्धि का एक अन्य स्रोत या तो आयात को बदलने या डंपिंग रोधी शुल्क का सामना करने की आवश्यकता है। यूरोपीय आयोग ने अब चीन से यूरोपीय संघ में वेल्लित उत्पादों (ऑटो बॉडी शीट और कैन शीट को छोड़कर) पर पर्याप्त प्रारंभिक शुल्क की घोषणा की है। दरअसल, यूरोप में कम से कम, आगे के उपायों की भी चिंता है और यह कुछ उपभोक्ताओं को इस क्षेत्र में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को कम करने का कारण बन सकता है, इसका एक कारक है माल ढुलाई दरें जो नाटकीय रूप से बढ़कर जटिल हो गई।

कुल मिलाकर, मांग महामारी से पहले के स्तर पर लौट आई है। यह पिंडों के लिए प्रीमियम और अर्ध-निर्मित उत्पाद रूपों के लिए लगभग सभी संपरिवर्तन शुल्कों द्वारा भी देखा जा सकता है जो अक्सर पूर्व महामारी स्तरों से भी ऊपर होते हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कोविड-19 से पहले एल्यूमिनियम की मांग लगभग एक साल से मंदी झेल रही थी।

5.2 देशीय दृष्टिकोण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमान (जून, 2021) के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। भारत की (जीडीपी) की वृद्धि काफी हद तक महामारी के आर्थिक नतीजों और देश में संक्रमण दर को कम करने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी।

भारत में एल्यूमिनियम की खपत के साथ-साथ प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन, घरेलू बिक्री और निर्यात का एक आशुचित्र नीचे दिया गया है:

विवरण	2020-21	2019-20	परिवर्तन(%)
एल्यूमिनियम उत्पादन ('000 मेट्रिक टन)	3,614.2	3,618.9	-0.13
एल्यूमिनियम देशीय बिक्री ('000 मे.ट.)	1,347.3	1,548.4	-12.99
एल्यूमिनियम निर्यात बिक्री ('000 मे.ट.)	2,304.8	2,004.7	14.97
एल्यूमिनियम आयात ('000 मे.ट.)	2,060.3	2,152.5	-4.28
कुल एल्यूमिनियम खपत ('000 मे.ट.)	3,407.6	3,700.9	-7.92

(स्रोत: (क) नालको प्रदर्शन डेटा, प्राथमिक उत्पादकों का डेटा और (ख) सीआरयू एल्यूमिनियम मॉनिटर)।

6.0 जोखिम और चिंताएँ:

वर्ष के दौरान, वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर ने मानव जीवन के लिए नई चुनौतियाँ पैदा की हैं और आर्थिक रूप से काफी बुरा प्रभाव डाला है और एल्यूमिनियम उद्योग इसका कोई अपवाद नहीं था। तालाबंदी और आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण कंपनी के संयंत्र और कार्यालयों में गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। वर्ष की शुरुआत में, कम एलएमई और देशीय बाजार में कम मांग ने कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित किया। धीरे-धीरे, मांग द्वारा समर्थित एलएमई में सुधार होने पर उद्योगों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

6.1 जोखिम प्रबंधन:

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं। सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के एक भाग के रूप में और निर्धारित समय पर अलग-अलग कार्यों के रूप में जोखिम प्रबंधन किया जाता है। कंपनी की नदेशक-मंडल स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति है। समिति असाधारण जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है और समय-समय पर उपचारात्मक उपायों की सलाह देती है। जोखिम कम करने के उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यकारी प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढाँचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करता है। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ-साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिमों के लिए, नामित जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में जोखिम रजिस्टरों का रखरखाव करते हैं जिनका कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर भी अवलोकन किया जाता है। यदि कोई विचलन, हो तो इसकी सूचना जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की एक अच्छी तरह से स्थापित और पर्याप्त प्रणाली है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित के लिए निरूपित किया गया है:

- लागू विधियों, नीतियों और प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों और प्रत्यायोजित प्राधिकरण का अनुपालन।
- लागू लेखा मानकों और नीतियों का पालन।
- लेन-देनों को समुचित रूप से रिकार्ड करना और समय पर रिपोर्टिंग करना।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग और कुशल प्रचालन।
- परिसंपत्तियों की सुरक्षा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(ङ) के अनुसार, निदेशकों की यह सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी है कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली और ढाँचे को लागू किया गया है, जो पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

कंपनी के पास व्यवसाय परिचालन और अपने विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग के सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, नियम, कार्यनीतियाँ और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय को निष्पादित करने में अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों और अनुदेशों का प्रभावी ढंग से और दायित्वपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा गया है। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढाँचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें अँदरुनी संस्था स्तर की नीतियाँ/प्रक्रियाएँ और परिचालन स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से कंपनी के मामलों से जुड़े अधिकारियों के बीच जागरूकता लाना है ताकि उनका निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनके प्रभावी नियंत्रण के लिए निरूपित और व्यवस्थित किए गए हैं। इससे निदेशकों को रिपोर्टिंग, परिचालन और अनुपालन जोखिमों से संबंधित जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथासंगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखा-परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी भर में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। यह कम्पनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। इन प्रणालियों, मानक प्रचालन पद्धतियों और नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों से संश्लिष्ट की गई विस्तृत जाँच-सूची संलग्न किया है।

कंपनी ने सभी स्थानों और कार्य क्षेत्रों में लेखा परीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा है। आंतरिक लेखापरीक्षकों के संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई है। लेखापरीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखा परीा समिति के पास जमा कराए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सलाह दी जा सके। इस प्रकार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियंत्रणों को जाँचा गया था और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के अनुसार निरूपण और प्रभावशीलता में कोई रिपोर्ट योग्य भौतिक कमजोरी नहीं देखी गई थी। कंपनी यह मानती है कि आंतरिक नियंत्रण ढाँचे की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की प्रणालियों को बदलते कारोबारी परिवेश के अनुरूप निरंतर आधार पर सुदृढ़ किया जा सके।

8.0 प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

8.1 वित्तीय प्रचालन:

8.1.1 प्रचालन से राजस्व:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
निर्यात कारोबार	5,162.94	3,510.92	47
देशीय कारोबार	3,706.35	4,914.83	(25)
कारोबार	8,869.29	8,425.75	5
अन्य परिचालन आय	86.50	46.09	88
प्रचालन से राजस्व	**8,955.79**	**8,471.84**	**6**

चालू वित्त वर्ष के दौरान बिक्री की मात्रा में वृद्धि और धातु की औसत बिक्री प्राप्ति के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कारोबार ₹ 8,425.75 करोड़ से बढ़कर ₹ 8,869.29 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान बिक्री कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से धातु की बिक्री में वृद्धि के साथ-साथ एल्यूमिनियम की औसत बिक्री प्राप्ति में वृद्धि के कारण बढ़ा है।

एल्यूमिनियम की औसत बिक्री प्राप्ति ₹ 1,36,257 से बढ़कर ₹ 1,45,519 प्रति मेट्रिक टन हो गई है और एल्यूमिना की पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 22,280 से घटकर ₹ 21,395 प्रति मेट्रिक टन हो गई है। मात्रात्मक रूप से, एल्यूमिना की बिक्री में 6% की कमी आई है और एल्यूमिनियम की मात्रा में 7% की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान अन्य परिचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 46.09 करोड़ से बढ़कर ₹ 86.50 करोड़ हो गई है। परिचालन आय में 88% की यह वृद्धि उच्च निर्यात प्रोत्साहन के कारण हुई है, जो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम की उच्च बिक्री प्राप्ति और उत्पादित अक्षय ऊर्जा पर उच्च प्रोत्साहन से हुई आय के लिए मिला है।

8.1.2 अन्य आय (गैर-प्रचालनगत):

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
अन्य आय	146.6	272.58	(46)

नोट: मुख्य रूप से कम निवेश योग्य अधिशेष के साथ-साथ प्रतिप्राप्ति की कम दर के कारण अन्य गैर-परिचालन आय पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

आय का विभाजन: वित्तीय वर्ष 2020-21

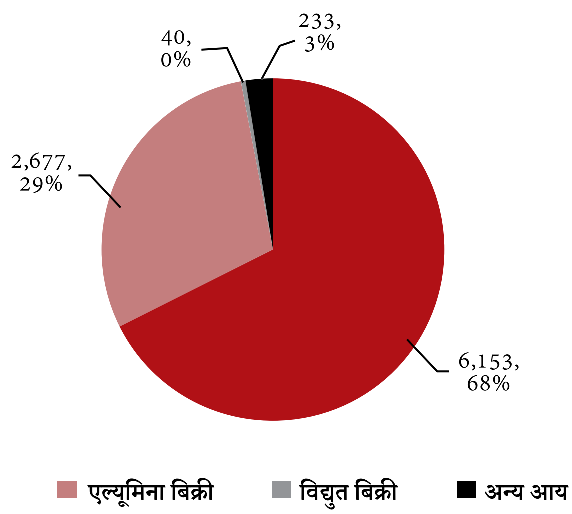

नोट: अन्य आय में प्रचालन आय यानी निर्यात प्रोत्साहन और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर मिला प्रोत्साहन और गैर-परिचालन आय यानी सावधि जमा, म्यूचुअल फंड और अन्य विविध आय में निवेश से हुई आय शामिल है।

8.1.3 व्यय:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
कच्चे माल की खपत	1,315.43	1,702.48	(22.73)
विद्युत एवं ईंधन	2,638.09	2,964.60	(11.01)
कर्मचारी लाभ व्यय	1,930.24	1,994.07	(3.20)
स्टॉक में वृद्धि/कमी	(5.76)	(365.23)	(98.42)
अन्य व्यय	1,294.97	1,686.69	(23.22)
वित्त लागत	7.08	5.74	23.34
मूल्यह्रास	605.82	529.83	14.34
कुल	**7,785.87**	**8,518.18**	**(8.60)**

- मुख्य रूप से सीपी कोक, सीटी पिच, कास्टिक सोड़ा और कोयला और ईंधन तेल की कीमत में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल और विद्युत और ईंधन खर्च में कमी हुई है।
- मुख्य रूप से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभ देयता में कमी के कारण कर्मचारी लाभ व्यय में ₹ 63.83 करोड़ की कमी हुई है।
- लागू दर को 11% से 3% तक संशोधित करने और कम सुरक्षा व्यय के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किए जाने के कारण नवीकरणीय खरीद दायित्व में कमी के फलस्वरूप अन्य खर्चों में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी आई है।
- चालू वर्ष के दौरान मूल्यह्रास नई परिसंपत्तियों के जुड़ने के कारण अधिक है।

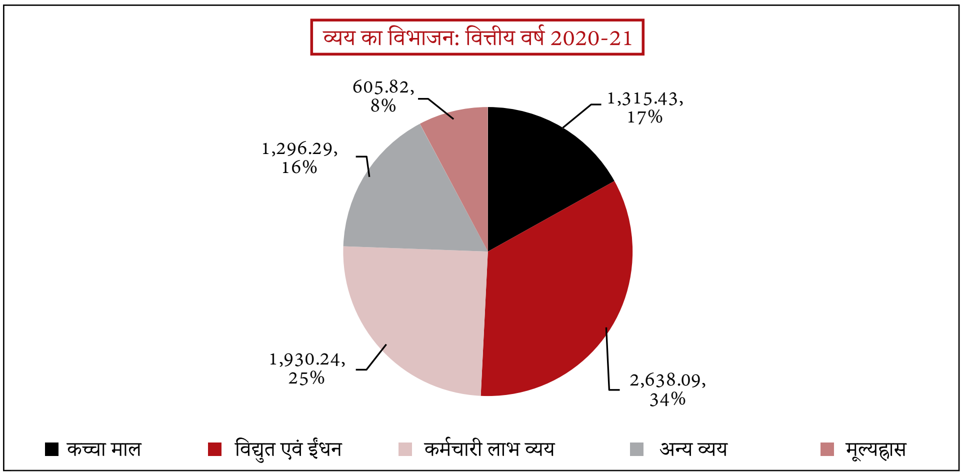

नोट: अन्य खर्चों में मरम्मत और रखरखाव, स्टोर और पुर्जों की खपत, अन्य निर्माण खर्च, सामान्य प्रशासनिक खर्च, स्टॉक में वृद्धि और कमी, वित्तीय लागत और एस एंड डी खर्च शामिल हैं।

8.1.4 कर पश्चात लाभ और प्रति शेयर आय:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर पूर्व लाभ	1,316.52	226.24
कर व्यय	16.99	88.01
कर पश्चात लाभ	1,299.53	138.23
प्रति शेयर आय (₹ 5/- प्रत्येक का)	6.97	0.74

8.1.5 लाभांश विवरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21*	वित्तीय वर्ष 2019-20**
अंतरिम लाभांश (%)	50	30
अंतिम लाभांश (%)	20	-
कुल (%)	**70**	**30**

*₹ 3.50 प्रति शेयर, **₹ 1.50 प्रति शेयर.

8.2 वित्तीय स्थिति:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	8,748.34	8,351.70	5
अमूर्त	487.57	559.77	(13)
निवेश	561.63	332.26	69
मालसूची	1,476.32	1,696.90	(13)
व्यापारिक प्राप्य	147.39	140.09	5
नकद एवं बैंक	1,749.78	1,980.53	(12)
ऋण	116.11	113.18	3
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11.24	10.53	7
चालू कर परिसंपत्तियाँ	85.50	46.22	85
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,326.70	1,318.44	1
कुल	**14,710.58**	**14,549.62**	-
इक्विटी और देयताएँ			
इक्विटी शेयर पूँजी	918.32	932.81	(2)
आरक्षित और अधिशेष	9,762.38	9,055.26	8
आस्थगित कर देयता	893.72	1,060.61	(16)
व्यापारिक देय	977.27	795.62	23
उधारी	46.11	12.31	275
अन्य वित्तीय देयताएँ	385.95	474.55	(19)
प्रावधान	792.80	807.24	(2)
अन्य देयताएँ	934.06	1,411.22	(34)
कुल	**14,710.58**	**14,549.62**	-

- खान में कन्वेयर और भारी मृत्तिका वाहन वाहनों की प्रचालन रस्सी, ग्र.वि.सं. में चौथे चरण के राख माउंड, डी एवं ई ब्लॉक में पट्टाधारी भूमि और अमूर्त यानी एनपीवी के पूँजीकरण सहित अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी के पूँजीकरण, खानों आदि से संबंधित ओड़िशा सरकार को वनरोपण लागत का भुगतान किए जाने के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वहन राशि में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता (ईएससी) (परिशोधक में आगामी 5वीं धारा के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त) की मान्यता के कारण और पोट्टांगी में बॉक्साइट खानों के लिए परियोजना पूर्व व्यय पूँजीगत कार्य-प्रगति में बढ़ोदरी हुई है।
- वर्ष के दौरान म्युचुअल फंड में निवेश में ₹ 193.37 करोड़ की वृद्धि हुई है और संयुक्त उद्यम में कंपनियों की अतिरिक्त इक्विटी योगदान के ₹ 36 करोड़ दिए गए हैं।
- एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों में बिलों की वसूली नहीं होने के कारण व्यापारिक प्राप्य में वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2021 के पहले सप्ताह में वसूल न किए गए बिलों के विरुद्ध सभी राशियों की वसूली कर ली गई है।
- नकद और बैंक शेष में कमी मुख्य रूप से अंतर विद्युत शुल्क की निर्धारित राशि के भुगतान के कारण है। रिपोर्ट किए जाने की तारीख को नकद और बैंक बैलेंस में बैंक के पास अल्पकालिक निवेश के रूप में जमा और भुगतान नहीं किए गए विवादित बिजली शुल्क के लिए नामित खाते में जमा राशि शामिल है।
- एल्यूमिना की मालसूची में वृद्धि के कारण मालभंडार में मामूली वृद्धि हुई है।
- वर्ष के दौरान 2,89,85,711 इक्विटी शेयरों की वापस खरीद के कारण इक्विटी शेयर पूँजी में कमी आई है। वर्ष के दौरान अर्जित लाभ के कारण रिजर्व और अधिशेष में वृद्धि हुई है।
- परिशोधक में परियोजना गतिविधियों पर वर्ष के अंत में देनदारी के कारण व्यापारिक देय राशि में वृद्धि हुई है।
- वर्ष के दौरान मुख्य रूप से बिजली शुल्क के प्रति देयता के भुगतान और दायित्व के संशोधित प्रतिशत के आधार पर अक्षय खरीद दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण अन्य देनदारियों में कमी हुई है।

9.0 नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में भौतिक विकास:

9.1 मानव संसाधन:

31.03.2021 को कंपनी की जनशक्ति 5,805 थी जबकि पिछले वर्ष के अंतिम दिन 6,203 जनशक्ति थी। इसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है::

क्रम सं.	स्थिति*	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क	कार्यपालक	1,620	1,727
ख	पर्यवेक्षक	474	534
ग	कुशल/उच्च कुशल	3,201	3,425
घ	अकुशल/अर्ध कुशल	510	517
कुल		5,805	6,203

*जीईटी/एमटी/एसओटी/जेओटी शामिल हैं

9.2 प्रशिक्षण एवं विकास:

अपने कर्मचारियों की कार्यात्मक और व्यवहारिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ संगठन में व्यावसायिक संस्कृति में सुधार के लिए संगठन के व्यावसायिक उद्देश्य के साथ व्यक्तिगत आवश्यकता को संरेखित करने के लिए, अपने कर्मचारियों को कौशल और व्यवहार प्रशिक्षण प्रदान करके कंपनी द्वारा एक अथक प्रयास किया गया है। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और अच्छे निगम प्रशासन के लिए अपनी प्रतिबद्धता में, कंपनी प्रमुख प्रबंधकीय और तकनीकी संस्थानों के ठेका श्रमिकों, प्रशिक्षुओं, छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

जहाँ तक नियमित कर्मचारियों का संबंध है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान मौजूदा कोविड महामारी के चलते लॉक डाउन के परिदृश्य के बावजूद वर्ष 2020-21 के दौरान 4,379 प्रशिक्षण मानव दिवसों के साथ 3,384 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसमें 48 अधिकारियों को सीआईआई, एएससीआई, एमडीआई (मुर्शिदाबाद), एआईएमए और आईआईएम (लखनऊ) जैसे प्रमुख प्रबंधन संस्थानों/संगठनों से दिलाया गया आभासी प्रशिक्षण शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी में 895 प्रशिक्षु नियुक्त थे जो कंपनी के कर्मचारियों की संख्या (मार्च, 2021 तक कर्मचारियों की संख्या 5,805) का 15.41% है। निगम उत्तरदायित्व और उद्योग अकादमिक इंटरफेस के एक भाग के रूप में, महामारी के दौरान 2020-21 में देश भर के विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के 40 छात्रों ने वर्चुअल प्रशिक्षण मोड के माध्यम से निगम कार्यालय में विभिन्न कार्यात्मक विषयों में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लिया था। कंपनी भर में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 4,944.5 के मानव दिवस के साथ 5,630 सुरक्षा कर्मियों, अनुबंध श्रमिकों और प्रशिक्षुओं के लिए इन-हाउस कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। कंपनी ने क्षमता विकास अभ्यास के भाग के रूप में और कोविड महामारी के प्रारंभिक चरण की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी में ईजीओटी प्रशिक्षण भी दिया है। diksha.gov.in प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आईजीओटी मॉड्यूल में कर्मचारियों, चिकित्सा कर्मचारियों और चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया। कंपनी में कुल 1,668 कर्मचारियों को आईजीओटी प्रशिक्षण दिया गया है।

10.0 प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर पश्चात लाभ/ निवल मूल्य	12.17%	1.38%
ईबीआईटी/ निवल बिक्री	14.92%	2.75%
ईबीआईटी/ नियोजित पूँजी*	13.35%	2.49%

**पूँजी नियोजित = शुद्ध अचल संपत्ति (सीडब्ल्यूआईपी को छोड़कर) + कार्यशील पूँजी

11.0 निवल मूल्य पर वापसी में परिवर्तन

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन %
प्रचालन लाभ सीमान्त	20.10	5.81	245.96
निवल मूल्य पर प्रतिप्राप्ति	12.17	1.38	781.88

नोट: प्रचालन लाभ सीमान्त में वृद्धि धातु और एल्यूमिना की उच्च प्रतिप्राप्ति (रुपये में), कच्चे माल, कोयले और ईंधन की कीमतों में कमी के कारण है। इसने निवल मूल्य पर उच्च रिटर्न में भी योगदान दिया है।

12.0 सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण:

एक जिम्मेदार व्यावसायिक संगठन के रूप में, आपकी कंपनी सुरक्षा पहलुओं के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाती है और हमारी भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपनी सभी गतिविधियों में सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कंपनी द्वारा औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 4 आर सिद्धांत (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिडिजाइन) पर जोर दिया गया है। कंपनी में कर्मचारियों की भलाई के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।

सभी उत्पादन इकाईयाँ पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001) के साथ-साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रमाणित हैं, जो निरंतर सुधार के साथ अग्रसक्रिय रूप से अनुपालन करने की वचनबद्धता की संपुष्टि करती हैं। इसके अलावा कंपनी की सभी परिचालन इकाईयों में स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए, 5-एस सिद्धांत को अपनाया गया है और संयंत्र में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है।

एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, उत्पादन इकाईयों में टाउनशिप सहित सभी उत्पादन इकाइयाँ वायु और जल अधिनियम के तहत वैध "संचालन की सहमति" के साथ काम कर रही हैं, विभिन्न लागू कानूनों (खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकरण आदि) के तहत वैध प्राधिकरण, विभिन्न लागू कानून (कारखाना लाइसेंस, विस्फोटक लाइसेंस आदि) और वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि के तहत कंपनी के पास वैध लाइसेंस हैं।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों, कामगारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के बीच सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए "रासायनिक आपदा निवारण दिवस", "सड़क सुरक्षा माह", "राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह", "विश्व पर्यावरण दिवस", "राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस", "पृथ्वी दिवस", "ओजोन दिवस", "विद्युत सुरक्षा सप्ताह" आदि मनाया।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की सभी उत्पादन इकाईयों में सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

12.1 बॉक्साइट खान:

12.1.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह समारोह 2020-21 बॉक्साइट माइंस में 08.02.2021 से 15.02.2021 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। डीजीएमएस के अंतर्गत भुवनेश्वर क्षेत्र के जोन-2 की चार अन्य खानों ने सेफ्टी थीम प्रतियोगिता में भाग लिया।
- प्रत्येक विभाग में मासिक आधार पर सुरक्षा सभा/सुरक्षा वार्ता आयोजित की जा रही है।
- "नालको सुरक्षा एप्प" को ऑनलाइन असुरक्षित स्थितियों, असुरक्षित कृत्यों, भूलचूक के निकट, आग के खतरों आदि की रिपोर्टिंग के लिए सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।
- मैसर्स विजनटेक, भुवनेश्वर द्वारा ऑनसाइट आपातकालीन योजना तैयार की गई है।
- सितंबर, 2020 और दिसंबर, 2020 में सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
- कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 406 कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई आयोजित किया गया।

12.1.2 पर्यावरण:

- खानों में और उसके आसपास 1,10,000 के लक्ष्य के मुकाबले 1,10,231 संख्यक पेड़ लगाए गए।
- लक्ष्य के अनुसार खानों के अंदर 5,000 वर्ग मीटर घास-टर्फिंग की गई।
- ग्रामीणों के बीच वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को 5,550 संख्यक फलदार पौधे वितरित किए गए।
- खान में एक आम का बाग विकसित किया गया है।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खान में जैव विविधता में सुधार के लिए एक तितली उद्यान स्थापित किया गया।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने 4 संख्यक परिधीय स्कूलों के बच्चों के बीच ऑनलाइन पर्यावरण-सह-खनिज जागरूकता कार्यक्रम-2020 का आयोजन किया।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खान को सी.आई.आई. पूर्वी क्षेत्र कार्यालय द्वारा कोलकाता में आयोजित एक समारोह में सी.आई.आई. ई.आर. एस.एच. एंड ई. उत्कृष्टता प्रशंसा पुरस्कार -2019-20 से सम्मानित किया गया।
- 22-28 फरवरी, 2021 के दौरान खानों में 23वाँ खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह 2020-21 मनाया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के आयोजन की आपकी कंपनी मेजबानी कर रही है।

12.2 एल्यूमिना परिशोधक

12.2.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कुल 2,201 संख्यक ठेकेदार श्रमिकों ने ठेका श्रमिक प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) और अन्य परिस्थल जागरूकता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा, नियमित टूल बॉक्स बातचीत और कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए क्षेत्रवार सुरक्षा सभा के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता पर संवेदीकरण किया जाता है।
- 10 बिंदुओं की कार्रवाई के एक भाग के रूप में असुरक्षित अधिनियम/शर्तों की पहचान और सुरक्षा मोबाइल एप्प के माध्यम से रिपोर्टिंग/अनुपालन के लिए "नालको सुरक्षा एप्प" लागू किया जा रहा है।

- बुनियादी आवश्यकता के एक भाग के रूप में मार्च, 2021 में आगंतुकों, प्रशिक्षुओं, हितधारकों आदि के लिए संयंत्र परिसर में प्रवेश से पहले सुरक्षा जागरूकता की एल्यूमिना परिशोधक में 2 संख्यक सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क स्थापित किए गए थे।
- 2 संख्यक सांविधिक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके अलावा, ओडीआरएएफ टीम, सीआईएसएफ और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से एक परिसर से तत्काल बाहर निकलने का अभ्यास किया गया।
- वार्षिक ईएचएस पत्रिका "सुरक्षा कवच" का 25वाँ संस्करण (रजत जयंती) जारी किया गया।
- वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख पुरस्कार:
  - सीआईआई, ओडिशा चैप्टर द्वारा संचालित सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में एल्यूमिना परिशोधक को सर्वोत्तम प्रथाओं में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया।
  - आईक्यूईएमएस द्वारा आयोजित प्रदर्शन वर्ष-2019 के लिए एल्यूमिना परिशोधक को मार्च, 2021 में ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन में कलिंग सुरक्षा पुरस्कार (प्लैटिनम) से सम्मानित किया गया।
  - एल्यूमिना परिशोधक को मुख्य सुरक्षा अधिकारी को आईक्यूईएमएस द्वारा मार्च, 2021 में आयोजित ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन में कार्य-निष्पादन, 2019 के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अधिकारी के पद से सम्मानित किया गया।
- सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 1,593 कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई आयोजित किया गया।

12.2.2 पर्यावरण:

- डीएफ एंड बी, एसपीसीबी, सीपीसीबी और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं सीसी आदि के संबंध में सभी वैधानिक अनुपालन और रिटर्न समय पर प्रस्तुत किए गए।
- वर्ष के दौरान एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र के सीटीओ, टाउनशिप के सीटीओ (एसटीपी), बायो-मेडिकल सुविधा के लिए सीटीओ और एल्यूमिना परिशोधक के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण आदेश जैसी वैधानिक सहमति नवीनीकृत की गई थी।
- एल्यूमिना परिशोधक ने वर्ष 2020-21 के दौरान 101.47% उड़नशील राख का उपयोग हासिल किया है।
- वर्ष के दौरान 15,000 संख्यक के लक्ष्य के विरुद्ध 18,785 संख्यक पौधे रोपे गए।
- एसटीपी-IV नवीनीकरण के लिए कार्यादेश दिया जा रहा है, जो एसटीपी-III के नवीनीकरण के अनुरूप है, जिसे ओएसपीसीबी दिशानिर्देश के अनुसार पूरा किया गया है।
- खतरनाक अपशिष्ट जैसे प्रयुक्त तेल, फेंके गए एस्बेस्टस, खाली रासायनिक कंटेनर/बैरल और खर्च किए गए रेजिन का निपटान अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

12.3 प्रद्रावक संयंत्र:

12.3.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- कारखाने के लाइसेंस का नवीनीकरण 05 साल के लिए यानी 31.12.2025 तक किया गया।
- मेसर्स लाइफ गियर, मुंबई ने ऊँचाई पर सुरक्षित कार्य करने के लिए जीवन रेखा और अन्य आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा किया। 02.03.2021 को आयोजित शीर्ष प्रबंधन के साथ प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।
- 246 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 06 बैचों में सुरक्षा पहलुओं को संवेदनशील बनाने के लिए, सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, यूनिट हेड-जीजीएम (स्मेल्टर) द्वारा आयोजित विभिन्न विभागों के शिफ्ट प्रभारी और अनुभाग प्रभारी के साथ विचार विमर्श किया गया।
- कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्यशाला परिसर पर काम करने वाले कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित सुरक्षा सभा आयोजित की गई।
- ऑडियो विजुअल एसओपी: जागरूकता फैलाने के लिए विभागों के विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर 24 संख्यक एवी एसओपी तैयार और अपलोड किए गए हैं।
- असुरक्षित प्रथाओं की पहचान और तत्काल अनुपालन के लिए पॉटलाइन (ओपीआरएन) में विभागीय स्तर के सुरक्षा निकायों का गठन शुरू किया गया है, अन्य क्षेत्रों में भी इसका पालन किया जाएगा।
- पारंपरिक ओपन टाइप बस बार को डीएसएल आवरण वाली बस बार से बदल दिया गया है जहाँ अभी तक उपलब्ध नहीं थी।
- एएआईएनएए (एडवाँस एक्शन इन इंडस्ट्रीज टू एबेट एक्सीडेंट) 02 क्षेत्रों में पूरा हुआ, अब तक कुल 04 संख्यक पूरे किए गए।
- स्मेल्टर ने पास के 03 कारखानों यथा- मेसर्स इंडफैब, नालको नगर, मेसर्स ओमफेड, अनुगुल और मेसर्स शकुंतला इंटरप्राइज, अनुगुल को सुरक्षा मित्रों के दायरे में अपनाया गया और उनसे साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।
- असुरक्षित कृत्यों, असुरक्षित स्थितियों की तत्काल रिकॉर्डिंग और विश्लेषण के लिए एक इन-हाउस मोबाइल एप्प विकसित किया गया था। यह पूरे संयंत्र में सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

- सभी विभागों में लोटो (लॉक आउट टैग आउट) प्रणाली लागू कर दी गई है।
- उच्च परिणाम, उच्च संभावना वाले कार्य खतरों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 43 संख्यक जॉब सेफ्टी एनालिसिस (जेएसए) को तैयार किया गया है।
- अग्नि सुरक्षा के मोर्चे पर, एक नया डीसीपी फायर टेंडर खरीदा गया और 01.03.2021 को उपयोग के लिए हाथ में लिया गया।
- यातायात प्रबंधन दस्ते द्वारा राडार गन के माध्यम से वाहनों की गति की जाँच के साथ नियमित रूप से की जाती है। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए गति सीमा निरीक्षण हेतु प्रद्रावक संयंत्र के अंदर 08 स्थानों पर एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग) सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम चल रहा है।
- सभी एनोड परिवहन वाहन, मेटल ट्रांसपोर्ट प्राइम मूवर (एमटीपीएम) और क्रश्ड बाथ टैंकर प्राइम मूवर (सीबीपीएम) में ऑडियो विजुअल अलार्म लगाया गया है।
- जिन फोर्कलिफ्ट्स में रिवर्स हॉर्न नहीं लगा है, उन्हें क्षेत्रवार ले लिया गया है। कार्बन एरिया और कास्ट हाउस में इसे पूरा कर लिया गया है।
- एक पीटीएम में रडार तकनीक पर आधारित टक्कर रोधी प्रणाली को लगाया गया और परीक्षण सफल रहा। अन्य पीटीएम में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।
- एलपीजी गोदाम और कार्बन क्षेत्र के निकट उन्नत रेलवे समपार फाटक के लिए संस्थापन और चालू करने का कार्य पूरा किया गया।
- प्रद्रावक संयंत्र-नालको, ग्रहीत विद्युत संयंत्र-नालको, एनटीपीसी लिमिटेड-तालचेर थर्मल, और हैवी वाटर संयंत्र-तालचेर के बीच 20.03.2020 को अग्निशमन पर पारस्परिक सहायता योजना को अंतिम रूप दिया गया।
- सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार हुआ है यथा- पिछले वर्षों की तुलना में लगभग चूक की घटनाओं की रिपोर्टिंग और प्राथमिक चिकित्सा की घटनाओं में काफी कमी आई है।
- सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वर्ष के दौरान 2,653 कर्मचारियों के लिए आवधिक मेडिकल जाँच आयोजित की गई।

12.3.2 पर्यावरण:

- वर्ष के दौरान प्रद्रावक के संचालन के लिए सहमति और खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण का नवीनीकरण किया गया।
- अधिकृत री-प्रोसेसर मेसर्स ग्रीन एनर्जी, संबलपुर को लगभग 3,500 मेट्रिक टन एसपीएल रिफ्रेक्टरी अंश को विषहरण और बाद में ऊर्जा मूल्य की वसूली के लिए निपटाया गया।
- जाजपुर में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट लैंडफिल में लगभग 183.29 मे.ट. एसपीएल रिफ्रेक्टरी अंश को परीक्षणात्मक रूप से निपटाया गया।
- जाजपुर में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट लैंडफिल के लिए पहली बार खतरनाक अपशिष्ट जैसे एस्बेस्टस अपशिष्ट (8 मेट्रिक टन) और सीढ़ी सफाई अवशेष (39 मेट्रिक टन) का निपटान शुरू हुआ।
- मेसर्स इको रिसोर्स सॉल्यूशन, भुवनेश्वर को पहली बार फेंके गए खाली बैरल (खतरनाक अपशिष्ट) का निपटान शुरू हुआ।
- निकास द्वार पर सामग्री परिवहन वाहनों के लिए मशीनीकृत पहिया धुलाई प्रणाली की स्थापना पूरी हो गई है और प्रचालन में है।
- प्राधिकृत री-प्रोसेसर को 6,000 मेट्रिक टन ड्रॉस के पुराने स्टॉक की बिक्री पूरी हो गई है।
- पुराने विस्तार परियोजना क्षेत्र में संग्रहीत इंडक्शन फर्नेस स्लैग (खतरनाक अपशिष्ट) के पुराने स्टॉक का निपटान पहली बार शुरू हुआ और प्रगति पर है।
- प्रद्रावक संयंत्र का थर्ड पार्टी खतरनाक अपशिष्ट का ऑडिट और सुरक्षित लैंडफिल का पर्यावरण ऑडिट पूरा हुआ।
- वर्ष के दौरान उपचार के बाद 2,93,475 कि.ली. पानी का पुन: उपयोग किया गया (शुरुआत के बाद से उच्चतम)।

12.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

12.4.1 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा:

- मेसर्स लाइफ गियर, मुंबई द्वारा ऊँचाई पर कार्य की सुरक्षा के लिए सर्वेक्षण (जीवन रेखा का निर्धारण) किया गया है।
- सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता के लिए संयंत्र के विशिष्ट स्थानों पर परावर्तक साइनेज बोर्ड प्रदर्शित किए गए थे।
- दुर्घटना की रोकथाम के लिए डॉयरेक्टोरेट ऑफ फेक्टरिज एंड बॉयलर, ओड़िशा द्वारा जारी 10 सूत्री कार्य योजना ग्र.वि.सं. में लागू की गई है। उपरोक्त कार्य योजनाओं के तहत शामिल किए गए बिंदु हैं- वार्षिक सुरक्षा कैलेंडर, सुरक्षा सभा और उद्योगों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अग्रिम कार्रवाई (एएआईएनएए -मॉडल कार्यस्थल), सुरक्षा मोबाइल एप्प, सुरक्षा मित्र, सुरक्षा स्पर्श, सुरक्षा हॉट स्पॉट, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठेकेदारों द्वारा मॉक ड्रिल और सुरक्षा अनुपालन।
- सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए ग्र.वि.सं. में सेफ्टी मोबाइल एप्प लागू किया गया। शीघ्र अनुपालन के लिए इस एप्प के माध्यम से असुरक्षित कृत्यों/शर्तों से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।
- ग्र.वि.सं. में वाहनों की गति को नियंत्रित करने, वाहनों की पार्किंग, राख और कोयला ट्रकों की लोडिंग/अनलोडिंग और यातायात नियमों का पालन

करने के संबंध में वाहन चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।

- ग्र.वि.सं. में असुरक्षित कृत्यों/शर्तों को रोकने के लिए लगभग भूलचूक की रिपोर्टिंग पर पुरस्कार योजना लागू की गई है।
- सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 1,077 कर्मचारियों के लिए आवधिक मेडिकल जाँच आयोजित की गई।

12.4.2 पर्यावरण:

- वर्ष के दौरान प्रचालन की सहमति (सीटीओ) और खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण का नवीनीकरण किया गया।
- मेसर्स एनटीपीसी कंसल्टेंसी विंग को ग्र.वि.सं. में एफजीडी के कार्यान्वयन के लिए एफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- 05.03.2021 को मेसर्स सीएसआईआर-एनईईआरआई को राख तालाब के पर्यावरण स्थल के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया है।
- वर्ष के दौरान 1,85,70,280 घन मीटर राख तालाब के उत्प्लावित जल का पुनर्चक्रण करके पुन: उपयोग किया गया जो कि अब तक का सबसे अधिक है।
- सीपीसीबी द्वारा निर्धारित निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) से गैसीय उत्सर्जन के लिए रिमोट कैलिब्रेशन सुविधा सभी यूनिट-1 से 10 में स्थापित की गई है।
- दिसंबर, 2020 में वार्षिक ओवरहालिंग के दौरान स्टैक उत्सर्जन में सुधार के लिए यूनिट-5 के ईएसपी के पहले 4 क्षेत्रों में सुधार किया गया है।
- ग्र.वि.सं. पर वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के लिए वास्तविक समय पारा मापन के लिए 2 संख्यक ऑनलाइन पारा एनालाइज़र की खरीद और स्थापना की गई है।
- ग्र.वि.सं. के मुख्य द्वार सांविधिक आवश्यकता के अनुपालन के लिए पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड (वीडियो वॉल) स्थापित किया गया है।
- औद्योगिक बहिःस्राव, राख तालाब के उत्प्लावित जल और सीवरेज उपचार संयंत्र के उपचारित जल के संबंध में शून्य निर्वहन प्राप्त किया गया है।
- दिसंबर, 2020 में एसटीपी के उपचारित पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए रासायनिक डोजिंग सिस्टम के उन्नयन के लिए एसटीपी पर इलेक्ट्रो-क्लोरीनीकरण प्रणाली स्थापित की गई है।
- राख प्रबंधन प्रणाली में रिसने वाले पानी का पुन: उपयोग करने के लिए राख तालाब में 300 घन मीटर/घंटा पुनर्चक्रण क्षमता की सीपेज जल पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण किया गया है।
- ग्र.वि.सं. सीमा के बाहर तूफानी जल और सतही अपवाह के संबंध में शून्य निर्वहन प्राप्त करने के लिए दिसंबर, 2020 में एक्जिट प्वाइंट रीसायकल सीस्टम (सेटलिंग पिट और 2 x 200 घनमीटर / घंटा सबमर्सिबल पंपों से लैस) का उन्नयन शुरू किया गया है।
- दिनांक 26.08.2020 को मेसर्स श्री सीमेंट, आठगढ़ के साथ तालाब की राख/उड़नशील राख की आपूर्ति हेतु एक दीर्घकालिक समझौता किया गया है।
- वर्ष 2020-21 में ग्र.वि.सं., नालको ने 5,000 पौधे रोपे हैं। कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 12.21 लाख पौधे लगाए गए हैं जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 35.42% है।
- लीन स्लरी प्रोजेक्ट (एलएसपी) की राख पाइपलाइन का संयोग दिसंबर, 2020 में पूरा हो गया। बाद में एलएसपी को चालू करने की गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। 26 फरवरी, 2021 को दो संख्यक राख स्लरी हेडर के साथ राख के घोल को खदानों में छोड़ा गया है। अन्य हेडर की कमीशनिंग प्रगति पर है।

13.0 तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण:

वर्ष 2020-21 के लिए तकनीकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण से संबंधित विवरण निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

14.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व:

आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में की गई पहलों का विवरण निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध-I में दिया गया है।

15.0 महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत में सुधार के लिए लागत में कमी के उपाय और प्रयास:

प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में बने रहने के लिए तैयार उत्पादों की लागत एक महत्वपूर्ण मानदंड है। आपकी कंपनी ने लागत में कमी के कई उपाय अपनाए हैं जिन्होंने उत्पाद लागत में कमी लाने में योगदान दिया है और आपकी कंपनी को और अधिक सफल बनाया है। विशिष्ट लागत में कमी के लिए अपनाए गए एककवार उपाय नीचे दर्शाए गए हैं:

15.1 खान:

- क्रशर और कन्वेयर सेक्शन में पॉली पुली हब और आइडलर की मरम्मत की गई और इसके उपयोग से ₹ 112.53 लाख की लागत की बचत हुई है।
- एसएमसीपी क्रशर के क्रशिंग सेगमेंट के एसएमसीपी में उनके जीवनकाल के विस्तार के लिए पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 121.83 लाख की बचत हुई।

- फ्यूल एडिटिव के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 17.18 लाख की राशि के 42.66 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।
- खनन स्थल पर वाहनों की पार्किंग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 65.7 लाख की राशि के 119.46 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।
- रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के स्थान पर बैकहोए शोवेल्स के वर्द्धित उपयोग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप 76.93 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है जो लगभग ₹42.31 लाख राशि की है।

15.2 एल्यूमिना परिशोधक:

- कन्व.-008 और कन्व.-009 ड्राइव को 22 कि.वा. क्षमता से 37 कि.वा. में अपग्रेड करने से प्रति वर्ष ₹ 77.56 लाख की बचत हुई है।
- फेज-4 इंस्ट्रुमेंट एयरलाइन में नमी की मात्रा को खत्म करने के परिणामस्वरूप ₹ 13.44 लाख प्रति वर्ष की बचत हुई।
- मानकीकृत खरीदी के बदले एलटीई मोड में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पीडीएस टैंक एगिटेटर गियरबॉक्स की खरीद के लिए एक विस्तृत विक्रेता आधार के विकास के परिणामस्वरूप ₹ 80 लाख की बचत हुई।

15.3 प्रद्रावक:

- कुल 866 पॉट्स के लिए कैथोड ब्लॉकों का ग्राफिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 110 पॉट्स को 2020-21 में ग्राफिटाइज्ड किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पॉट लाइन में 55 कि.वा.घं./मे.ट. की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत में कमी आई है।
- प्रद्रावक ने रियो टिंटो/अल्कान, कनाडा और आपकी कंपनी के बीच विकास सहयोग समझौते के तहत विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना अर्थात "प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास" शुरू किया है। पॉट लाइन में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत के 150 किलोवाट/मे.ट. की सीमा में ऊर्जा की कमी के साथ पॉट लाइन #3 में परीक्षण पूरा हो गया है।
- कार्बन रोडिंग संयंत्र-II में द्वितीय एनोड स्लॉट काटने की मशीन की स्थापना की गई, ताकि पॉट लाइन में विशिष्ट विद्युत ऊर्जा को कम किया जा सके। इससे लगभग 50एम.वी. ड्रॉप कम होगा और इसलिए 140 कि.वा.घं./टन प्रति गर्म धातु तक डीसी ऊर्जा की खपत कम होगी और प्रक्रिया स्थिरता में भी सुधार होगा। यह उपकरण स्थापना के चरण में है।
- रिसीप्रोकेटिंग कंप्रेसर को सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से बदला गया ताकि संपीड़ित हवा की विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम किया जा सके, विशिष्ट ऊर्जा खपत 0.02 कि.वा.घं./एनएम3 तक कम हो सके। परियोजना कार्यान्वन चरण में है।
- पॉट लाइन #4 के 47 पॉट्स में नए ऊर्जा बचत प्रकार के सिलेंडरों का उपयोग करके 62% (औसत) की दर से संपीड़ित हवा की खपत को कम करने के उद्देश्य से ब्रेकर असेंबली में ऊर्जा बचत उपकरण को शामिल किया गया है।
- पुरानी मोटरों को ऊर्जा दक्ष आईई2/आईई3 मोटर्स से बदलना: 2020-21 में कुल 185 मोटरों को बदला गया जिससे आईई3 मोटर के उपयोग के कारण 2.506 मि.यू. ऊर्जा की बचत हुई।

15.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सी.पी.पी.):

विभिन्न विभागों द्वारा लागत में कमी की कुल आठ परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं, जिनमें से तीन परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और शेष पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं।

पूर्ण हुई परियोजनाएँ:

- यूनिट # 1 से 6 में (कुल 9 संख्यक) पुराने अक्षम रिसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर को ऊर्जा दक्ष स्क्रू कम्प्रेसर से बदल दिया गया है, इसमें से 2 संख्यक को 2020-21 में बदला गया। इससे सहायक बिजली की खपत में कमी लाने में मदद मिली है।
- यूनिट -6 में उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्व और डबल सीलिंग व्यवस्था के साथ मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके परिणामस्वरूप वायु रिसाव में कमी और गर्मी हस्तांतरण में वृद्धि के कारण बॉयलर दक्षता में वृद्धि हुई है।
- कुल 14,039 पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान पर एलईडी फिटिंग के प्रतिस्थापन के माध्यम से 20,75,487 कि.वा.घं. की ऊर्जा बचत हासिल की गई।

16.0 लेखांकन उपचार का प्रकटीकरण:

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड-एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक आधार पर तैयार किए गए हैं, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में बताया गया है:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित कंपनी के परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

17.0. निगम योजना:

निगम योजना में कंपनी के अधो पंक्ति और शीर्षपंक्ति दोनों में सुधार के लिए 3 साल की कार्य योजना, 7 साल की रणनीति और 15 साल की दूरदृष्टि की परिकल्पना की गई है। इसने कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के लिए लंबे समय में कमोडिटी चक्र के प्रभाव को दूर करने के लिए कार्यात्मक और व्यावसायिक पहल की पहचान की है।

नई व्यावसायिक पहल में मुख्य व्यवसाय में विस्तार के माध्यम से विकास, मूल्यवर्धन के माध्यम से आगे एकीकरण, डाउनस्ट्रीम सुविधाएँ, चुनिंदा विविधीकरण और कच्चे माल की सुरक्षा के लिए पृष्ठपट एकीकरण शामिल हैं। पहचान की गई कार्यात्मक और व्यावसायिक पहल कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आपकी कंपनी वर्तमान में अपने एल्यूमिना परिशोधक का ब्राउनफील्ड विस्तार कर रही है जिससे इसकी क्षमता में प्रति वर्ष 1 मिलियन टन की वृद्धि होगी। एल्यूमिनियम खंड में, आपकी कंपनी एमसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से मौजूदा संयंत्र में 0.5 मिलियन टन ब्राउन फील्ड विस्तार के अलावा 0.5 मिलियन टन ग्रीनफील्ड प्रद्रावक-कम-पावर संयंत्र के लिए तलाश कर रही है।

18.0 व्यापार विकास:

18.1 मेसर्स गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कास्टिक सोड़ा परियोजना।:

आपकी कंपनी ने मेसर्स जीएसीएल-नालको अल्कलीज एंड केमिकल्स प्रा. लिमिटेड (जीएनएएल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है, जिसमें कच्चे माल के प्रतिभूतिकरण के एक हिस्से के रूप में एल्यूमिना परिशोधक की कास्टिक सोड़ा आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुजरात के दाहेज में 130 मेगावाट के ग्रहीत विद्युत संयंत्र के साथ 2.7 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता का कास्टिक सोडा संयंत्र स्थापित करने के लिए जीएसीएल के साथ 40% इक्विटी भागीदारी की गई है। परियोजना की गतिविधियों का लगभग 93 प्रतिशत पूरा हो चुका है। परियोजना को नवंबर, 2021 में पूरा किया जाना है। आपकी कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी को पहले ही प्रमोटर के रूप में पूर्ण इक्विटी योगदान के लिए 276 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

18.2 अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लिमिटेड मेसर्स ओड़िशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (इडको) के साथ संयुक्त उद्यम में:

आपकी कंपनी और इडको क्रमशः 49% और 51% की इक्विटी होल्डिंग के साथ ओड़िशा में एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क का विकास कर रहे हैं। आपकी कंपनी पहले ही संयुक्त उद्यम कंपनी को पूर्ण इक्विटी योगदान के लिए 16.22 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। पार्क के आंतरिक बुनियादी ढाँचे का विकास प्रगति पर है। परियोजना के वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।

18.3 मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ संयुक्त उद्यम में हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र:

आपकी कंपनी और मिधानी ने मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ आयात प्रतिस्थापन और विविधीकरण के एक हिस्से के रूप में रक्षा, एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए 60,000 टन प्रतिवर्ष हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में मेसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। आपकी कंपनी ने इक्विटी अंशदान के अपने हिस्से के लिए अब तक 20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। संयंत्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 तक चालू होने की उम्मीद है।

18.4 मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मेसर्स खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहण:

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने के लिए विदेशी स्थानों में कुछ रणनीतिक खनिजों के अधिग्रहण के लिए अगस्त, 2019 में एचसीएल और एमईसीएल के साथ मेसर्स खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। 12 शॉर्टलिस्ट किए गए खनिजों पर अध्ययन पूरा हुआ। क्रमशः जुलाई, 2020 और सितंबर, 2020 में काबिल ने जेईएमएसई और वाईपीएफ (अर्जेंटीना की सरकारी कंपनियां) के साथ लिथियम और अन्य खनिज संपत्तियों की सोर्सिंग का पता लगाने के लिए दो समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी ने इक्विटी अंशदान के अपने हिस्से के लिए अब तक 1 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

18.5 एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम परियोजनाएँ:

आपकी कंपनी ने ओड़िशा में ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर ब्लॉक में वेल्लित उत्पाद एकक और फॉयल संयंत्र सहित एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। ओड़िशा सरकार ने 152 एकड़ में से 83.34 एकड़ जमीन आवंटित की है। अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के बाद परियोजना का पहला चरण तीन साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

18.6 लि-आयन सेल प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण:

इसरो के ज्ञान का उपयोग करने के लिए अप्रैल, 2019 में आपकी कंपनी भारत में लिथियम-आयन सेल के निर्माण और बिक्री के लिए इसरो के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओए) के आधार पर एक लिथियम-आयन परीक्षणात्मक परियोजना स्थापित करने की तलाश में है। इस तकनीक के लिए अन्य रास्ते तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षणात्मक परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा।

19.0 सहायक उद्योग विकास:

आपकी कंपनी ने सहायक इकाईयों और एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के विकास के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सहायक इकाईयों और एमएसई के विकास की दिशा में की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

(क) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सहायक इकाईयों सहित ओड़िशा के एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीद ₹ 373.82 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष के ₹ 360.84 करोड़ के मुकाबले) की हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एमएसई इकाईयों (ओड़िशा के बाहर के लोगों सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीद ₹ 536.73 करोड़ (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 484.51 करोड़ के मुकाबले) की हुई है और आपकी कंपनी द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का यह न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य के विरुद्ध कुल खरीद का 30.42% है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीद का लक्ष्य 2021-22 के लिए कुल वार्षिक खरीद का 25% निर्धारित किया गया है जो पीपीपी-एमएसई आदेश के अनुसार है।

(ख) एमएसएमई विभाग, सरकार द्वारा ओड़िशा के भुवनेश्वर में 5 से 9 मार्च, 2021 तक आयोजित किए गए ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 में आपकी कंपनी को "उत्कृष्टता प्रमाण पत्र" से सम्मानित किया गया था।

(ग) वर्ष 2020-21 के लिए एसयूबी-पीएलएसी (संयंत्र स्तरीय सलाहकार उप-समिति) की बैठक डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से 15.01.2021 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में आयोजित की गई थी। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए इसी तरह की एसयूबी-पीएलएसी बैठक प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी।

(घ) 25.08.2020 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में वर्चुअल मोड पर, "एससी-एसटी उद्यमियों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक" आयोजित की गई थी। हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप के कारण खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में कोई क्रेता-विक्रेता बैठक नहीं हो सकी।

(ङ) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में कंपनी ने 06.07.2020 और 16.10.2020 को वर्चुअल मोड के माध्यम से दो विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए थे।

(च) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) और एनएसएसएचओ के सहयोग से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई और एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई के पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, आपकी कंपनी के द्वारा खरीदी जानेवाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए संभावित एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई की पहचान करने का उनसे अनुरोध किया गया है।

(छ) सभी एमएसई विक्रेताओं (सहायकों सहित) से अनुरोध किया जा रहा है कि वे जेम (जीईएम) प्लेटफॉर्म में शामिल हों। साथ ही, चूँकि आपकी कंपनी आरएक्सआईएल (टीआरईडीएस पोर्टल) के साथ पंजीकृत है, सभी एमएसई विक्रेताओं (सहायकों सहित) से एमएसई को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) में पंजीकरण करने का अनुरोध किया जा रहा है।

(ज) एमएसएमई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) से आपकी कंपनी का खरीद का डेटा मासिक आधार पर एमएसएमई विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" एप्प में अपलोड किया जा रहा है।

(झ) कोविड-19 के प्रकोप के कारण, कंपनी 2020-21 में केवल 08 विक्रेता मेले (एमएसई और सहायक सहित) आयोजित कर सकी। उपरोक्त सभी बैठकें वर्चुअल मोड पर ही थीं।

(ञ) नमस्य (नालको सूक्ष्म और लघु उद्यम योगयोग एप्लीकेशन) एप्प, आपकी कंपनी द्वारा आपकी कंपनी के साथ पंजीकृत मौजूदा एमएसई के साथ-साथ पंजीकृत नहीं किए गए एमएसई की सुविधा के लिए 13.07.2018 को लॉन्च किया गया है। यह एप्प एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश, विक्रेता विकास कार्यक्रम और आपकी कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के साथ आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान करके सशक्त बनाता है।

नालको द्वारा एमएसई से की गई खरीद			
	खान मंत्रालय/नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड - नालको		
	(क) इकाई का नाम: निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा नोडल अधिकारी: श्री विभु दत्त मोहंती, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013 मोबाइल: 9437561995, ई-मेल: bibhu.mohanty@nalcoindia.co.in		
	(ख) यूनिट का नाम: प्रद्रावक एंड पावर कॉम्प्लेक्स, अनुगुल, ओड़िशा नोडल अधिकारी: श्री प्रवत कुमार विश्वास, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर, अनुगुल- 759145 मोबाइल: 9437083779, ई-मेल: pravat.biswas@nalcoindia.co.in		
	(ग) इकाई का नाम: खान और परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, ओड़िशा नोडल अधिकारी: श्री बिकास कुमार पंडा, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) एल्यूमिना परिशोधक, नालको, दामनजोड़ी- 763008 मोबाइल: 9437045504, ई-मेल: bikash.panda@nalcoindia.co.in		
क्रम सं.	विवरण	2020-21	2019-20
I	कुल वार्षिक खरीद (मूल्य में) (*) (₹ करोड़ में)	1,764.25	1,558.62
II	एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) (₹ करोड़ में)	536.73	484.51
III	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	8.22	13.77

IV	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	**16.498**	3.50
IV	कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का %	**30.42**	31.08
V	कुल खरीद में से केवल एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	**0.466**	0.88
VI	कुल खरीद में से केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का %	**0.935**	0.22
VII	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	**08**	10
VIII	क्या एमएसई से खरीद के लिए वार्षिक खरीद योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है	**हाँ**	हाँ
IX	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य का उल्लेख किया गया है	**हाँ**	हाँ

* इस मूल्य में कोयला, ईंधन तेल, कास्टिक सोडा, एएलएफ3, सिंथेटिक फ्लोकुलेंट्स, स्टील, सीमेंट, बियरिंग्स, लुब्रिकेंट्स, मालिकाना आइटम, आयातित आइटम और पेशेवर सेवाओं/परामर्श सेवाओं/प्रमुख टर्नकी संविदाओं/विशिष्ट प्रौद्योगिकी से जुड़ी संविदाओं की खरीद शामिल नहीं है।

20.0 2020-21 के दौरान नर्सरी गतिविधियाँ:

आपकी कंपनी कुल पाँच नर्सरी का संचालन कर रही है अर्थात तीन प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में और दो खान एवं परिशोधन संकुल में हैं, जिसमें से एक खान ऊँचे उन्नतांश पर अवस्थित है। ये नर्सरियाँ वनरोपण, सजावटी उपयोग और फल देने वाले मौसमी किस्म के पौधों और गमले में लगनेवाले पौधों के लिए विभिन्न प्रकार के अंकुर उगाती हैं जो वृक्षारोपण के लिए आंतरिक आवश्यकता को भी आंशिक रूप से पूरा करते हैं।

खान में नर्सरी 3 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें एक बार में 2,00,000 पौधे उगाने की क्षमता है। खान की नर्सरी में उगाए गए पौधों का उपयोग करके वर्ष के दौरान खदानों में 1,10,231 संख्यक पौधे लगाए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रोपने के लिए पौधे उगाने के अलावा, विभिन्न प्रजातियों के विकास का आकलन करने के लिए नर्सरी में हर साल प्रायोगिक वृक्षारोपण किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में फलदार पौधों का नि:शुल्क वितरण भी किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को क्षेत्र की हरियाली में सुधार करने में मदद मिल सके। वर्ष के दौरान, ग्रामीणों को 5,550 संख्यक फलदार पौधे वितरित किए गए। खान में नर्सरी प्राकृतिक स्थलाकृति को संरक्षित करने के लिए फिर से भरे गए खनन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान देती है। इस वर्ष के दौरान, 17.59 हेक्टेयर पुनः प्राप्त क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ पुनर्वास किया गया था।

21.0 चेतावनी कथन:

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाओं, अनुमानों और अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए कुछ विवरण लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर 'भविष्योन्मुखी कथन' का संघटन कर सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकते हैं चाहे व्यक्त या निहित हों। कई कारक कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली जलवायु और आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी नियम और कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

अनुलग्नक-III

2020-21 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी:

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1.	कंपनी की निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	**L27203OR1981GOI000920**
2.	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	नालको भवन प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा, भारत
4.	बेवसाइट	www.nalcoindia.com
5.	ई-मेल आईडी	investorservice@nalcoindia.co.in
6.	वित्तीय वर्ष जिसकी रिपोर्ट दी जा रही है	वित्तीय वर्ष 2020-21
7.	क्षेत्र जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खान : औद्योगिक समूह कोड 07292 एल्यूमिना परिशोधक : औद्योगिक समूह कोड 20119 एल्यूमिनियम प्रद्रावक : औद्योगिक समूह कोड 24202 विद्युत सृजन: औद्योगिक समूह कोड 35102
8.	कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदत्त तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची	1. **एल्यूमिना:** • निस्तप्त एल्यूमिना • एल्यूमिना हाईड्रेट • विशेष हाईड्रेट्स 2. **एल्यूमिनियम:** • मानक पिण्ड • शिलिका पिण्ड • टी-पिण्ड • तार छड़ें • लट्ठे (बिलेट) • समतल वेल्लित उत्पाद(कुंडलियाँ, चद्दरें एवं चारखानेदार चद्दरें) 3. **विद्युत**
9.	क) अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य
	ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	क) **पंजीकृत और निगम कार्यालय, भुवनेश्वर - 751013, ओडिशा** ख) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी - 763008, ओड़िशा ग) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर, अनुगुल - 759145, ओड़िशा घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुल - 759128, ओड़िशा ङ) पवन विद्युत संयंत्र: i) पवन विद्युत संयंत्र-I : गंडीकोट्टा, आंध्र प्रदेश ii) पवन विद्युत संयंत्र-II : लुदरवा, राजस्थान iii) पवन विद्युत संयंत्र-III : देवीकोट, राजस्थान iv) पवन विद्युत संयंत्र-IV: जाथ, महाराष्ट्र च) बंदरगाह कार्यालयों की संख्या: 03 (विशाखापत्तनम, कोलकाता, पारादीप) छ) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) ज) शाखा कार्यालय: 01 (बेंगळूरु) झ) स्टॉकयार्ड की संख्या: 09 (जयपुर, बद्दी, कोलकाता, चेन्नै, विशाखापत्तनम, भिवंडी, वडोदरा, दिल्ली, रायपुर)
10.	कंपनी द्वारा उत्पाद सेवा प्रदान किए गए बाजार	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, निम्नलिखित एल्यूमिनियम बाजारों को कंपनी (भारत के अलावा) द्वारा माल आपूर्ति की गई: मलेशिया और सिंगापुर कंपनी की अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, निम्नलिखित एल्यूमिना बाजारों को कंपनी द्वारा (भारत के अलावा) द्वारा उत्पादों की आपूर्ति की गई थी: चीन, मिश्र, मलेशिया, नीदरलैंड, ओमान, कतर, यूके और यूएई।

अनुभाग ख: कंपनी का वित्तीय विवरण:

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1.	31.03.2021 को यथा प्रदत्त पूँजी	**भारतीय रुपये 9,18.32 करोड़**
2.	कुल कारोबार	**भारतीय रुपये 8,869.29 करोड़**
3.	करों के पश्चात कुल लाभ	**भारतीय रुपये 1,299.53 करोड़**
4.	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) पर कुल खर्च क) भारतीय रुपये में: ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में (%):	क) भारतीय रुपये 35.00 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान नि.सा.उ. गतिविधियों पर खर्च की गई। ख) ऊपर बताई गई नि.सा.उ. गतिविधियों पर वास्तविक खर्च पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के **औसत शुद्ध लाभ का** 2.09% है।
5.	उन गतिविधियों की सूची बनाएँ, जिनमें ऊपर उल्लिखित नि.सा.उ. पर खर्च किया गया है	i) (क) स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम: चल चिकित्सा युनिट, सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में ओपीडी केंद्र के माध्यम से निदान और जागरूकता निर्माण (ख) नवरंगपुर में कोविड केयर सेंटर की स्थापना (ग) पीएम केयर्स फंड में योगदान। (घ) कोविड-19 महामारी के दौरान, आसपास के गाँवों और उसके बाहर जागरूकता अभियानों के साथ-साथ मास्क, भोजन, सूखा राशन वितरण किया गया। (ङ) राज्य प्रशासन को चिकित्सा उपकरण जैसे वेंटिलेटर, डिजिटल एक्स-रे मशीन और एम्बुलेंस का समर्थन दिया गया। ii) स्वच्छता कार्यक्रम: (क) ओडीएफ पहल के तहत हाउस होल्ड शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत स्कूल में शौचालयों का निर्माण। (ख) स्वच्छ प्रतिष्ठित शहर परियोजना-पुरी। iii) पेयजल कार्यक्रम- संयंत्रों के परिधीय गाँवों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना iv) शिक्षा को बढ़ावा देना: क) प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में कोरापुट जिले के आदिवासी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए सहयोग देना, ख) भारत सरकार के "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अनुरूप "नालको की लाड़ली" योजना के तहत गरीब और मेधावी छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए सहायता करना। ग) सरस्वती विद्या मंदिर, अनुगुल और दामनजोड़ी में परिधीय क्षेत्र के छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। v) बेरोजगार युवाओं को रोजगार बढ़ाने वाला प्रशिक्षण प्रदान करना। vi) स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करके और वैकल्पिक आजीविका स्रोतों को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना। vii) वृक्षारोपण और सौर उपकरणों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना। viii) राष्ट्रीय धरोहर, संस्कृति के संरक्षण और पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के विकास में अंशदान। ix) ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना। x) परिधीय गाँवों और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ।

अनुभाग ग– अन्य विवरण:

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं? नहीं
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी की व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएँ। लागू नहीं
3. क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों (यथा- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में भाग लेती है? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएँ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]
   अन्य कोई प्रतिष्ठान अर्थात आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि नालको के बीआर प्रयासों में वित्तपोषण या किसी अन्य तरीके से शामिल नहीं हैं। व्यवसाय दायित्व (बीआर) की सभी प्रयास संगठन द्वारा पूरी तरह स्व-संचालित किए जाते हैं।

अनुभाग घ: व्यावसायिक उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना:

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण:

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	डीआईएन नम्बर	08984700
2.	नाम	श्री बी. के. दास
3.	पदनाम	निदेशक (उत्पादन) और निदेशक (वाणिज्यिक)-अतिरिक्त प्रभार

ख) बीआर प्रमुख का विवरण:

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	डीआईएन नम्बर	08984700
2.	नाम	श्री बी. के. दास
3.	पदनाम	निदेशक (उत्पादन) और निदेशक (वाणिज्यिक)-अतिरिक्त प्रभार
4.	टेलीफोन नम्बर	0674-2300660
5.	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

2. सिद्धांतवार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ:

नौ सिद्धांतों का उल्लेख नीचे किया गया है:

सिद्धान्त 1 (पी1): व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 (पी2): व्यवसाय ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

सिद्धांत 3 (पी3): व्यवसाय सं सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए।

सिद्धांत 4 (पी4): व्यवसाय सभी हितधारकों, विशेषकर सुविधारहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

सिद्धांत 5 (पी5): व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान व रक्षा करे और प्रोत्साहन करे।

सिद्धांत 6 (पी6): व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।

सिद्धांत 7 (पी7): सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण तरीके से किए जाएँ।

सिद्धांत 8 (पी8): व्यवसाय को समावेशी विकास और समान विकास का पक्षधर हो।

सिद्धांत 9 (पी9): व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

क) अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में)::

उपरोक्त 9 राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) सिद्धांतों (पी1 से पी9) के संबंध में प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:

क्रम सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या आपके पास 9 एनवीजी सिद्धांतों के लिए कोई नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या नीति को निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध-निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक-मंडल निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी के पास निदेशक-मंडल/निदेशक/अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है, जो इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक इंगित करें**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी हितधारकों को इस नीति का औपचारिक रूप से संप्रेषण किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या नीति/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण मशीनरी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कामकाज का स्वतंत्र *लेखा-परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

हाँ इंगित करता है- 'हाँ'

* संधारणीय विकास (एसडी) सभी नीति नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के सार को धारण करती है। यह एसडी नीति को निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है और इसका कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 50001, ओएचएसएएस 18001 और एसए-8000 मानक की संपुष्टि करते हुए प्रचालित प्रबंधन प्रणालियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। संबंधित प्रबंधन प्रणाली के बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा एसए-8000, ईएमएस, ईएनएमएस, ओएचएसएएस और क्यूएमएस की आवधिक लेखा-परीक्षा और पुन: प्रमाणन के दौरान संधारणीयता से जुड़े सामाजिक, पर्यावरण, ऊर्जा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और गुणवत्ता और ग्राहक से संबंधित मुद्दों की लेखा परीक्षा की गई। नालको की आचार संहिता के अभिप्राय एवं आशय के अलावा, परिकल्पना, मिशन एवं प्रमुख मूल्यपरक मान, सभी प्रयोज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के महत्वपूर्ण समाधान नालको द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न नीतियों में निहित हैं। इसके अतिरिक्त, नालको द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपनाई गई नीतियाँ संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), जीआरआई दिशानिर्देश आदि के उद्देश्य और आशय को प्रकट करती हैं।

**एसडी नीति का लिंक: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/08/Sustainable-Development-Policy-28.06.21.pdf

कुछ अन्य विशिष्ट नीतियों, कंपनी की नियमावलियों और दस्तावेज हैं, जो नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के सार और भावना को सुदृढ़ करते हैं, उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

एनवीजी सिद्धांत	नीतियाँ, नियमावली, दस्तावेज
सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व	1. निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/CodeofConduct.pdf 2. धोखाधड़ी निवारण नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NALCOfraudpreventionpolicy.pdf 3. सचेतक नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf 4. अधिकारों का प्रत्यायोजन 5. सतर्कता नियमावली 6. विपणन दिशानिर्देश 7. क्रय नियमावली: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/03/purchasemanualupdated-upto-2017.pdf 8. संविदा नियमावली: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CONTRACT-MANUAL-2013-updated-till-15-03-2019.pdf 9. भंडार मैनुअल 10. सत्यनिष्ठा समझौता: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Integrity-Pact-Program.pdf
सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवन-चक्र में संधारणीयता	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/OHS-policy-14-10-2020.pdf
सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण	मानव संसाधन मैनुअल सामाजिक उत्तरदायित्व नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Social_Accountability-Policy-English.pdf
सिद्धांत 4: हितधारक के लाभ	गुणवत्ता नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Quality-Policy-14-10-2020-1.pdf मूल मूल्य "BEST": https://nalcoindia.com/Company/vision-mission-values/
सिद्धांत 5: मानव अधिकारों को बढ़ावा देना	सामाजिक उत्तरदायित्व नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Social_Accountability-Policy-English.pdf
सिद्धांत 6: पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Environment-Policy-14-10-2020.pdf
सिद्धांत 7: दायित्वशील सार्वजनिक नीति की वकालत	बुनियादी मूल्य "BEST": https://nalcoindia.com/Company/vision-mission-values/
सिद्धांत 8: समावेशी विकास	नि.सा.उ. नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CSR-Policy-2019.pdf
सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य	गुणवत्ता नीति: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Quality-Policy-14-10-2020-1.pdf

(ख) **यदि क्रम सं.1 के अंतर्गत 2 (क) में किसी सिद्धांत का 'नहीं' है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें: (2 विकल्पों तक टिक लगाएँ):**

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी सिद्धांतों को नहीं समझ पाई है									
2.	कंपनी इस स्थिति में नहीं है कि निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ निरूपित करने और कार्यान्वयन कर सके									
3.	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं					लागू नहीं				
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने की योजना है									
5.	इसे अगले 1 साल के भीतर इस कर लेने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

चूँकि सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के लिए उपरोक्त क्र.सं.1 के 2(क) में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ है, अतः 2(ख) के प्रश्न लागू नहीं हैं।

3. **व्यवसाय दायित्व से संबंधित अभिशासन (बीआर):**

3.1 कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक मंडल, निदेशक-मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से ज्यादा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक-मंडल की नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति की दो बार यानी 19.05.2020 और 31.08.2020 को बैठकें हुई। दिनांक 31.08.2020 को हुई बैठक में 2019-20 की मसौदा बीआर रिपोर्ट की समीक्षा की गई और निदेशक-मंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।

इसके अलावा, 08.09.2020 से कंपनी के निदेशक-मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं और इसलिए, नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति से संबंधित सभी कार्यसूची मदों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष पेश करने का निर्णय लिया गया है, जब तक कि इसके बाद स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है और नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन नहीं किया जाता है।

3.2 क्या कंपनी बीआर या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?

जी हाँ, व्यावसायिक उत्तरदायित्व (बीआर) रिपोर्ट और संधारणीय विकास रिपोर्ट दोनों वार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व (बीआर) रिपोर्ट जो सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के आधार पर तैयार की जाती है और वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के लिए वेब लिंक है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2020/09/NALCO_-Annual-Report-2019-2020-1.pdf

2011-12 से वार्षिक आधार पर जीआरआई दिशानिर्देशों के आधार पर, एक संधारणीय विकास (एसडी) रिपोर्ट भी तैयार की गई है और संधारणीयता टेम्पलेट के तहत नालको वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। एसडी रिपोर्ट 2019-20 के लिए वेब-लिंक है

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/05/NALCO-SD-Report-2019_20-अंतिम-High-Res-Digitally-Signed.pdf

अनुभाग ङ: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन:

सिद्धांत 1: व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

1.1 क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है?

नहीं।

क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य के प्रति भी विस्तारित है?

जी हाँ। कंपनी के प्रत्येक कार्य और उद्यम में नैतिकता और पारदर्शिता लाने के लिए हमने हमारे व्यावसायिक साझेदारों, कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को शामिल किया है। ठेकेदारों और आपूर्तकों के साथ के साथ व्यवहार करते समय हमारे संविदा मैनुअल और क्रय मैनुअल ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं संविदा और खरीद के मामले में उचित सौदा सुनिश्चित करते है। इसी तरह, मार्केटिंग मैनुअल एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में निष्पक्ष और विश्वसनीय लेनदेन के लिए प्रक्रिया और मार्गनिर्देश प्रदान करता है। संधारणीय विकास नीति और बुनियादी मूल्य कंपनी की अखंडता, नैतिक प्रथाओं और पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता को दर्शाते हैं। "धोखाधड़ी रोकथाम नीति", "सचेतक नीति", "निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" "अनधिकृत व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता", सभी अधिकारियों के लिए लागू सीडीए नियमों, सभी कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेश के साथ पद्धति को और सुदृढ़ किया गया है। किसी भी व्यावसायिक लेन-देन में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, तुष्टीकरण आदि के रूप में कोई भी दुर्भावनापूर्ण आचरण के विरुद्ध कंपनी के सतर्कता मैनुअल, सीवीसी दिशानिर्देशों, सेबी अनुर्देशों, आचार संहिता और अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई होती है।

पारदर्शिता अभियान को और मजबूत करने के लिए ₹ 50 लाख और उससे अधिक के सभी ठेकों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता (इंटेग्रिटी पैक्ट) भी कार्यान्वित किया गया है। भारत सरकार की सार्वजनिक सूचना प्रकटन और सूचित करनेवाले मुखबिर के परिरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना के तहत किसी भी बाहरी शिकायत करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

1.2 पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से हल किया गया?

i) वर्ष के दौरान 12 सतर्कता संबंधी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में जाँच के विभिन्न चरणों में 5 शिकायतें लंबित थीं। इन 12 शिकायतों में से बोलीदाता/ठेकेदार/विक्रेता से 4 शिकायतें शामिल थीं, कुल 17 शिकायतों में से वर्ष के दौरान 16 शिकायतों की जाँच कर निर्णीत किया गया और उन्हें बंद कर दिया गया, जबकि 1 शिकायत वर्ष के अंत में लंबित है। देखी गई अनियमितताओं और उल्लंघनों के आधार पर, योग्य मामलों पर नालको सतर्कता मैनुअल और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।

ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 में आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में 9 (नौ) शिकायतें प्राप्त हुईं। उल्लेखनीय है कि सभी 9 शिकायतों को आईईएम को भेजा गया था और आईईएम की प्रतिक्रिया/सिफारिशों के आधार पर सभी 9 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

iii) निवेशक शिकायतें:

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 1537 शिकायतें प्राप्त हुईं। 2020-21 और उन सभी को संतोषजनक ढंग से हल किया गया है। निवेशक संबंधी शिकायतों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	शिकायतों का निराकरण किया गया	लंबित शिकायतें
स्कोर्स-सेबी	शून्य	7	7	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	6	6	शून्य
व्यक्तिगत	शून्य	1,524	1,524	शून्य
कुल	**शून्य**	**1,537**	**1,537**	**शून्य**

iv) 2020-21 के दौरान बाल मजदूरी / जबरन मजदूरी / अस्वैच्छिक मजदूरी, भेदभावपूर्ण नियुक्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और 31.03.2021 को यथा उपर्युक्त के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है। 2020-21 के दौरान यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धांत 2: व्यवसाय ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

2.1 अपने अधिकतम 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें, जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया हैं।

तीन प्रमुख उत्पाद हैं: **निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिनियम और विद्युत।**

पर्यावरणीय प्रभाव की जाँच पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के माध्यम से कंपनी के प्रचालनों की जाँच की जाती है और ऊपर सूचीबद्ध सभी तीन प्रमुख उत्पादों के लिए उचित पर्यावरण प्रबंधन योजना द्वारा निवारण किया जाता है। बॉक्साइट का खनन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है और वृक्षारोपण प्रयासों के साथ उपयुक्त खान बंदी योजना का अनुपालन करते हुए उत्खनित क्षेत्र की मूल स्थिति को बहाल किया जाता है। स्थिति प्रभाव अध्ययन, आपदा की पहचान और जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ भी कुछ पर्यावरणीय और संधारणीयता संबंधी चिंताओं, जोखिमों और अवसरों और उनके समाधान की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कंपनी के उत्पादों के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों, अवसरों को नीचे तालिका-ए में उल्लिखित किया गया है:

तालिका-क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिन्ताएँ	जोखिम	अवसर/ शमन के उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण:** i) चिमनी से उत्सर्जन ii) निस्तप्त एल्यूमिना, बॉक्साइट, कोयला और राख से निपटने वाले क्षेत्रों में धूल	**1. वायु प्रदूषण:** i) बायलर की फ्लू गैस से विवक्त वस्तुओं के संग्रह के लिए बॉयलर में विद्युत अपघटनीय अवक्षेपक (ईएसपी) प्रदान किए गए हैं। ii) निस्तापन प्रक्रिया में उत्पन्न एल्यूमिना धूल को संग्रह करने के लिए निस्तापकों में ईएसपी प्रदान किया गया है। iii) धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए एल्यूमिना लदान और उतराई के क्षेत्र में बैग फिल्टर और धूल रोधी प्रणाली प्रदान की गई है। iv) पलायक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए चूना संवहन क्षेत्र, लाल पंक तालाब क्षेत्र, राख, कोयला और बॉक्साइट हैंडलिंग क्षेत्रों में जल छिड़काव और धूलरोधी प्रणाली प्रदान की गई है।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिन्ताएँ	जोखिम	अवसर/ शमन के उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना		**2. जल प्रदूषण:** i) अपशिष्ट बहिःस्राव ii) मलजल और अपशिष्ट जल। iii) सतही बहाव जल	**2. जल प्रदूषण:** i) उपचार सुविधाओं में बहिःस्रावकों का उपचार किया जाता है। ii) राख तालाब से उत्प्लावित जल और लाल पंक से उत्प्लावित जल के लिए अपशिष्ट जल का उपचार, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग किया जाता है। **iii) राख तालाब के जल को राख का घोल बनाने के लिए पुन: उपयोग किया जाता है।** iv) लाल पंक तालाब का प्रत्यागमन जल कास्टिक लाल पंक धोने के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। v) मलजल अपशिष्ट जल को मलजल ट्रीटमेंट संयंत्र में उपचार किया जाता है और इसे बागवानी के लिए फिर से उपयोग किया जाता है। vi) सतही अपवाही जल और स्टोर्म के जल को सबरी झील में संग्रहित किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक उपचार के बाद बाहर निपटाया जाता है।
			3. भूमि संदूषण: i) चूना गिट्टी ii) लाल पंक iii) राख	**3. भूमि संदूषण:** i) चूना गिट्टी को ईंट या अन्य समान उत्पादों के निर्माण के लिए पुनर्चक्रण करने वालों को निपटाया जाता है। ii) लाल पंक से लौह सांद्रण और गैलियम के निष्कर्षण के लिए लाल पंक के उपयोग की खोज की जा रही है। iii) उड़नशील राख के उपयोग के लिए उद्यमियों को प्रेरित करके उड़नशील राख का उच्चतर उपयोग उड़नशील राख के ईंटें बनाने, सीमेंट निर्माण, सड़क निर्माण, तटबंध बनाने, निचले इलाकों को भरने आदि जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम	• वायु प्रदुषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण:** i) **पॉट ऑपरेशन के कारण एफटीपी/एफटीसी स्टैक से फ्ल्यूराइड और पार्टिकुलेट उत्सर्जन।** ii) एनोड प्रभाव के दौरान पीएफसी का निर्माण, जिसका विवरण नीचे दिया गया है*	**1. वायु प्रदूषण:** i) एफटीपी और एफटीसी में एल्यूमिना में फ्ल्यूराइड गैस के अवशोषण द्वारा फ्ल्यूराइड उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाता है। कुल फ्ल्यूराइड उत्सर्जन को उत्पादित एल्यूमिनियम के 0.8 किलोग्राम प्रति टन के मानक से नीचे बनाए रखा जा रहा है। पॉट लाइन -4 में फ्ल्यूराइड के रूफटॉप उत्सर्जन की निगरानी के लिए निरंतर लेजर आधारित फ्यूजिटिव मॉनिटरिंग प्रणआली पहले से ही स्थापित है और इसे पॉटलाइन -1 से 3 में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही धूल उत्पादन को कम करने के लिए कोक डस्ट का न्यूमेटिक ट्रांसफर सीस्टम भी चल रहा है। ii) प्रद्रावक संयंत्र एएलपीएसबाईएस पॉट रेगुलेशन सीस्टम से लैस है, जो एल्यूमिना की समय पर खुराक देकर एनोड प्रभाव को कम करता है।
			2. जल प्रदूषण: i) फ्ल्यूराइड संदूषित सतही बहाव का सृजन।	**2. जल प्रदूषण:** i) सतही बहाव जल को निर्दिष्ट तीन एचडीपीई पंक्तिवाली नालियों के माध्यम से धारक तालाबों में एकत्रित किया जाता है। फ्ल्यूराइड-युक्त सतह बहाव का उपचार डी-फ्लोराइडेशन संयंत्रों में किया जाता है। (आयन विनिमय प्रौद्योगिकी और नवीनतम एमरियन नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रचालित)। इसके पश्चात् उपचारित जल को शीतलीकरण, बागवानी और संयंत्र के अन्य उपयोग के लिए पुनर्चक्रित होता है। खतरनाक अपशिष्ट भंडारण और संवहन क्षेत्र के आसपास मालानुमा नालों से संदूषित सतह बहाव को इकट्ठा किया जाता है और शोधन के लिए धारक तालाब में स्थानांतरित करते हैं।
			3. भूमि संदूषण: खतरनाक अपशिष्ट का सृजन यथा: (i) एसपीएल (ii) ड्रॉस (iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट आदि.	**3. भूमि संदूषण:** **(i) भूमि संदूषण को रोकने के लिए अभेद्य पंक्तिबद्ध इंजीनियर्ड लैंडफिल और कंक्रीटयुक्त शेड में एसपीएल संग्रहित होता है। एसपीएल के कार्बन भाग को अलग कर दिया जाता है और ऊर्जा वसूली में भविष्य के उपयोग के लिए कंक्रीटयुक्त के आँगन के शेड में अलग से संग्रहीत किया जाता है। अधिकृत री-प्रोसेसर को एसपीएल के कार्बन हिस्से को निपटाने का काम भी चल रहा है।** **(ii) एल्यूमिनियम ड्रॉस को पॉट्स में पुनर्चक्रित किया जाता है। 6000 मेट्रिक टन के पुराने स्टॉक का निपटान पूरा हो गया है। पुराने स्टॉक के अन्य लॉट (1984 मे.ट.) का निपटान प्रगति पर है।** **(iii) सुकिंदा, जाजपुर में स्थित सामान्य खतरनाक अपशिष्ट लैंडफिल में शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट, इंडक्शन फर्नेस स्लैग, फर्नेस की रद्द की गई लाइनिंग, लैडल क्लीनिंग अवशेष आदि को निपटाया जा रहा है।**

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिन्ताएँ	जोखिम	अवसर/ शमन के उपाय
ग्र.वि.सं.	विद्युत	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) **बॉयलर से फ्ल्यू गैस** ii) कोयले और राख प्रबंधन क्षेत्र से पलायक धूल iii) फ्ल्यू गैस में ताप का वायुमंडल में निस्सरण	**1. वायु प्रदूषण:** i) राख और अन्य विवक्त वस्तु फ्ल्यू गैस निस्सरण पथ में उपलब्ध कराए गए ईएसपी द्वारा निकाले जाते हैं। ii) कोयला और राख हैंडलिंग क्षेत्रों में पलायक धूल को नियंत्रित करने के लिए धूल निष्कर्षण और छिड़काव प्रणाली प्रदान की जाती है। iii) फ्ल्यू गैस से ताप की वसूली के लिए एयर हीटर और इकोनोमाईजर प्रदान किए जाते हैं।
			2. जल प्रदूषण i) बहि:स्रावी अपशिष्ट जल ii) मलजल अपशिष्ट जल iii) सतही बहाव जल	**2. जल प्रदूषण:** i) औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन के लिए बहि:स्राव शोधन संयंत्र की व्यवस्था की गई है। शोधित जल का उपयोग राख का घोल बनाने के लिए किया जाता है। ii) राख तालाब से निकले जल का राख घोल बनाने के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। iii) मलजल अपशिष्ट जल के उपचार के लिए मलजल शोधन संयंत्र उपलब्ध है। शोधन के बाद मलजल अपशिष्ट जल का बागवानी और वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। iv) वर्षा जल दोहन प्रणाली और सतही बहाव जल का उपयोग अग्निशमन के लिए अग्निशामक हाईड्रेंट प्रणाली में किया जाता है।
			3. भूमि संदूषण: i) मिल अपशिष्ट ii) राख iii) स्क्रैप (धातु और गैर-धात्विक स्क्रैप)	**3. भूमि संदूषण:** i) अधिकृत पार्टियों को निपटान करके पुन: उपयोग के लिए मिल अपशिष्ट को सीमांकित निचले इलाकों में संग्रहीत किया जाता है। ii) निचली राख और उड़नशील राख दोनों को घोल के रूप में ईएसपी से राख तालाब में निपटाया जाता है। उत्खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए खाली खदानों में पतले घोल (लीन स्लरी) के निपटान की परियोजना को चालू करने का कार्य प्रगति पर है। शुष्क राख का उपयोग निचले क्षेत्र को भरने, पत्थर की खदानों को भरने, राख की ईंट बनाने और एस्बेस्टस, सीमेंट आदि में उपयोग करके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माताओं आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत निपटाया जाता है। iii) स्क्रैप को पुनर्चक्रण करने वालों को बेचा जाता है।
खान	बॉक्साइट	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण • भूमि निम्नीकरण	**1) वायु प्रदूषण** i) भारी वाहनों से उत्सर्जन ii) बॉक्साइट खनन के दौरान, क्रशर में संदलन और कन्वेयर में परिवहन के दौरान धूल का निस्सरण	**1) वायु प्रदूषण:** i) वाहनों से उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहनों का उचित चयन और रखरखाव। ii) ढुलाई सड़क और स्टॉक ढेर क्षेत्र पर 6 संख्यक 28 कि.मी. चल फुहारों और ढुलाई सड़क पर स्थायी फुहालों से जल का छिड़काव। iii) धूल उत्पादन को कम करने के लिए एन.ओ.एन.ई.एल. प्रस्फोटक का उपयोग करके उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइन और विलंबित ब्लास्टिंग। iv) क्रशर और कन्वेयर में धूल के दमन और और पूरी तरह से ढके हुए कन्वेयर में धूल के सृजन को रोकने के लिए पर शुष्क धूम प्रणाली का कार्यान्वयन। v) सभी ड्रिल मशीनों में वैक्यूम सक्शन/गीली ड्रिलिंग को अपनाना। vi) धूल के कणों को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण के साथ 7.5 मीटर चौड़ाई का परिधीय घेरा।
			2) जल प्रदूषण: i) खनन, कैंटीन, वाहनों की धुलाई और शौचालयों से निकलने वाला गंदा जल	**2) जल प्रदूषण:** i) गाद से भरे वर्षाती जल को बाहर निकलने से रोकने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र में चारों ओर इन-सीटू परिधीय घेरा। ii) खनन क्षेत्रों से कीचड़ जल, यदि कोई हो, को छानने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रक रोकबांध। iii) हौदों में खनन क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन करना और एकत्रित जल को भूमि में अंत:स्रवण कराना। iv) शौचालयों से जल सेप्टिक टैंकों में प्रयोग होता है और सोखनेवाले गड्ढों में निपटाया जाता है, कैंटीन अपशिष्ट जल का उपचार जैविक उपचार इकाई में किया जाता है, वाहन धोने के क्षेत्र से निकले जल का तेल जल विभाजक ईकाई में उपचार किया जाता है। कैंटीन और वाहन धुलाई क्षेत्र से उपचारित जल का पूरी तरह से धूल दमन और वृक्षारोपण के लिए पुन: उपयोग किया जाता है।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिन्ताएँ	जोखिम	अवसर/ शमन के उपाय
खान	बॉक्साइट	• वायु प्रदूषण • जल प्रदूषण • ध्वनि प्रदूषण • ठोस अपशिष्ट प्रदूषण • भूमि निम्नीकरण	**3) ध्वनि प्रदूषण:** i) विस्फोटन और भारी वाहनों के प्रचालन के दौरान शोर	**3) ध्वनि प्रदूषण:** i) शोर के सृजन को कम करने के लिए नोनेल डेटोनेटर का उपयोग करके विलंबित ब्लास्टिंग सहित उपयुक्त विस्फोटन का निरूपण। ii) शोर के प्रसार को रोकने के लिए परिधीय वृक्षारोपण। iii) कम शोर पैदा करने वाले उपयुक्त उपकरण का चयन, एचईएमएम में शोर प्रूफ केबिन का प्रावधान और श्रमिकों के लिए पीपीई का प्रावधान।
			4) ठोस अपशिष्ट प्रदूषण: i) खनिजों के उत्खनन से ओवरबर्डन सामग्री	**4) ठोस अपशिष्ट प्रदूषण:** i) खनन किए गए क्षेत्रों को वापस भरने के लिए ऊपरी मिट्टी और ओवरबर्डन का 100% पुन: उपयोग।
			5) भूमि निम्नीकरण: i) विस्फोट द्वारा और मशीनरी के उपयोग से ओवरबर्डन और अयस्क सामग्री का उत्खनन।	**5) भूमि क्षरण:** i) समवर्ती खनन और उत्खनित क्षेत्रों को फिर से भराई। ii) व्यापक वृक्षारोपण के साथ बंजर भूमि क्षेत्र को वन में बदलने के लिए खनन क्षेत्र का पुनर्वासन।

* इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट्स में पीएफसी यानी टेट्राफ्लोरोमीथेन (सीएफ4) और हेक्साफ्लोरोएथेन (सी2एफ6) के बनने का मुख्य कारण एनोड प्रभाव है। सबसे उन्नत "एएलपीएसवाईएस" पॉट विनियमन प्रणाली की सहायता से परफ्ल्यूरोकार्बन्स (पीएफसीज) के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाता है, जो पॉट में सही समय पर एल्यूमिना की खुराक देते हुए एनोडो प्रभाव की आवृत्ति और अवधि को कम करने मदद करती है। वर्ष 2020-21 के लिए, एपी (एल्यूमिनियम पेशिनी) ओवरवॉल्टेज विधि का उपयोग करके प्रद्रावक की पॉट लाइन से पीएफसी निस्सरण का आकलन किया गया है और उनके मूल्यमान नीचे दिए गए हैं:

पीएफसी का प्रकार	वास्तविक उत्सर्जन
सीएफ4(किग्रा/टन एएल)	0.0280
सी2एफ6(किग्रा/टन एएल)	0.0034

2.2 प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति एकक संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)।

i) संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से हासिल प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हासिल की गई कटौती को नीचे तालिका-बी में दर्शाया गया है:

तालिका-ख

प्रति इकाई उत्पादन की विशिष्ट खपत	माप की ईकाई	मानदंड	पूर्ववर्ती वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वर्तमान वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21)
बॉक्साइट खदानों में विस्फोटक खपत	ग्राम/मे.ट.	100	57.9	69.72
हाइड्रेट उत्पादन के लिए परिशोधक के एसपीपी में भाप उत्पादन के लिए कोयला	टन/टन	0.642	0.636	0.638
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत सृजन	कि.वा.घं./टन	316	317.18	318
प्रद्रावक में एल्यूमिनियम फ्ल्यूराइड खपत	कि.ग्रा./मे.ट.	19	16.7	17.6
प्रद्रावक में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन खपत	कि.ग्रा./मे.ट.	425	423	424.0
एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए एल्यूमिना	टन/टन	1.920	1.920	1.9197
ग्र.वि.सं. में ईंधन तेल की खपत	मि.ली./कि.वा.घं.	0.80	1.23	1.614
ग्र.वि.सं. में कोयला खपत	कि.ग्रा./कि.वा.घं.	0.815	0.806	0.856
ग्र.वि.सं.में सहायक विद्युत की खपत	%	11.40	11.243	11.227

ii) उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।

प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादों और एल्यूमिना के निर्माता के रूप में, हम उपभोक्ताओं की तरफ से परेशानी मुक्त और ऊर्जा कुशल प्रक्रियाकरण के लिए कंपनी के उत्पाद की गुणवत्ता को लगातार बनाए रखते हैं। वस्तु के क्षेत्र में होने के कारण, उपभोक्ताओं के स्तर पर ऊर्जा और जल के उपयोग की निगरानी संभव नहीं है। लेकिन ग्राहकों की शिकायत की स्थिति हमें विश्वास दिलाती है कि कंपनी के उत्पाद ग्राहक के इच्छित उपयोग के लिए अच्छे हैं। परिवहन क्षेत्र में एल्यूमिनियम का अधिक से अधिक उपयोग ईंधन/ऊर्जा की खपत में कमी के लिए महान अवसर प्रदान करता है। पुनर्चक्रण में कम ऊर्जा की जरूरत के साथ पुनर्चक्रण योग्य होने के कारण, एक बार उत्पादित एल्यूमिनियम धातु का अनंत बार पुन: उपयोग किया जा सकता है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कार्य पद्धतियाँ हैं? जी हाँ.

क) यदि हाँ, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत संधारणीय आपूर्ति से था?

नालको में, संधारणीय स्रोत के लिए नीति और प्रक्रियाएँ हैं, जिनका कंपनी के सभी क्रय सौदों में उपयुक्त भावना से पालन किया जा रहा है। कंपनी के सभी इनपुट संधारणीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन आपूर्तिकर्ताओं से लिया जा रहा है जो एसए-8000 मानकों और पर्यावरण दिशानिर्देशों का पालन करते हैं

और कंपनी के नैतिक मानक के लिए वचनबद्ध हैं। संधारणीय स्रोत के आपूर्तिकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया में सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय निष्पादन कारकों का समाकलन किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं के सामाजिक निष्पादन के लिए, एसए-8000 मानक लागू किया गया है और उचित नीति और मूल्य प्रणाली लागू हैं। नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नालको की खरीद नियमावली में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अलावा, नालको का सत्यनिष्ठा समझौता नैतिक निष्पादन कारकों का ध्यान रखता है। सत्यनिष्ठा समझौता एक हस्ताक्षरित दस्तावेज होने के साथ जन-करार दृष्टिकोण है, जो एक करार करनेवाले प्राधिकारी और बोलीदाताओं को सर्वोत्तम कार्य-अभ्यास का पालन और अधिकतम पारदर्शिता का पालन करने के लिए वचनबद्ध करता है। इसी तरह, आपूर्तिकर्ताओं को नालको की पर्यावरण नीति और दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है।

इसके अलावा खतरनाक सामग्रियों के परिवहन के दौरान, आपूर्तिकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए जाते हैं:

(i) खतरनाक रसायनों, ज्वलनशील तरल और गैस सिलेंडर के निर्माण, भंडारण, परिवहन और स्वामित्व के लिए लागू ईएचएस कानूनों का पालन करें।

(ii) पहली खेप के समय या जब भी कंपनी को कोई अद्यतन किए जाने पर सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) प्रदान करें।

(iii) परिवहन आपात स्थितियों से निपटने के लिए ड्राइवरों को परिवहन आपातकाल (टीआरईएम) कार्ड प्रदान करें।

कंपनी की पंचपटमाली पर्वतों में स्थित ग्रहीत खान से अत्याधुनिक एकल स्टेट ऑफ आर्ट केबल बेल्ट कन्वेयर द्वारा एल्यूमिना परिशोधक के लिए बॉक्साइट की आंतरिक स्रोत से आपूर्ति की जाती है जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण उड़ान भर के लिए आवरण(छत) से ढंका हुआ है। एल्यूमिनियम प्रद्रावण के लिए भारी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए कंपनी के प्रद्रावक के पास स्थित ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। समर्पित मेरी-गो-राउंड रेलवे प्रणाली द्वारा तालचेर में कुछ किलोमीटर दूर स्थित कोयला खदानों से विद्युत संयंत्र के लिए कोयला प्राप्त किया जाता है। दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौते और ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कोयले की आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी को ई-नीलामी के माध्यम से कोयले किए गए क्रय द्वारा पूरा किया जाता है। अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे एल्यूमिनियम फ्ल्यूराइड, कास्टिक सोड़ा, सीटी पिच और सीपी कोक आदि प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कई विक्रेताओं के माध्यम से खरीदे जाते हैं। बुढापंक, अनुगुल में हमारी अपनी रेलवे साइडिंग, निर्यात और आयात के लिए विशाखापत्तनम् में पत्तन सुविधाएँ, कोयला परिवहन के लिए मेरी-गो-राउंड रेलवे और परिशोधक के लिए बॉक्साइट ढुलाई के लिए केबल बेल्ट कन्वेयर परिवहन के दौरान संधारणीयता की वृद्धि सुनिश्चित करते हैं।

2.4 क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है?

क) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संगठन की अनुषंगी उद्योग विकास नीति स्थानीय विक्रेताओं के विकास को प्रोत्साहित करती है। कंपनी ने सहायक उद्योग विकास नीति के साथ-साथ सरकार के पीपीपी-एमएसई आदेश को लागू करने के लिए अपने दोनों एककों में सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा कक्ष स्थापित किए हैं। जो इन विक्रेताओं को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए तकनीकी, व्यावसायिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करके मदद करते है। एमएसई/सहायक इकाईयों द्वारा पेश की जा सकने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को सूचीबद्ध करके और प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट में प्रकाशित किया गया है और विस्तुत रूप से प्रचार एवं जागरुकता के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एप्प नमस्य (नालको सूक्ष्म और लघु उद्यम योगयोग अनुप्रयोग - द्विभाषी एप्प) में भी प्रकाशित है। नमस्य एक मोबाइल एप्प है जो विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देशों के साथ साथ, आपूर्ति किए जानेवाली वस्तुओं, विक्रेता विकास कार्यक्रम और नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हुए एमएसई को सशक्त बनाता है। कंपनी ने खान एवं परिशोधक और प्रद्रावक एवं विद्युत दोनों में उन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन हॉल स्थापित हैं, जिनकी आपूर्ति एमएसई/सहायक कंपनियों द्वारा की जा सकती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को उत्पाद के विकास के लिए तकनीकी जानकारी के साथ उत्पाद विवरण और वार्षिक आवश्यकता और अंतिम खरीद मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। कंपनी पीपीपी-एमएसई आदेश के दिशानिर्देशों का पालन करती है और एमएसई से कुल खरीद के न्यूनतम 25% के लक्ष्य में से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए कुल खरीद का क्रमशः 4% और 3% आरक्षित किया है। ऐसी इकाईयों को बोली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में छूट अर्थात धरोहर जमा राशि और निविदा शुल्क आदि की छूट दी जाती है। एमएसई इकाईयों को उनके लिए निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए न्यूनतम उद्धृत मूल्य के 15% की सीमा में उद्धृत करते हुए क्रय प्राथमिकता प्रदान करते हुए हमारी क्रय नियमावली पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सहायक इकाईयों सहित ओड़िशा के एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की खरीद 373.82 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष के ₹360.84 करोड़ के मुकाबले) की हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एमएसई इकाईयों (ओड़िशा के बाहर के लोगों सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीद ₹536.73 करोड़ (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹484.51 करोड़ के मुकाबले) हुई है और यह कुल खरीद का 30.42% है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का सरकारी लक्ष्य न्यूनतम सिर्फ 25 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की खरीद का लक्ष्य ₹ 441 करोड़ निर्धारित किया गया है।

- ओड़िशा के भुवनेश्वर में 5 से 9 मार्च, 2021 तक ओड़िशा सरकार द्वारा आयोजित ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2021 में नालको को "उत्कृष्टता प्रमाणपत्र" से सम्मानित किया गया। ।
- डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से 15.01.2021 को वर्ष 2020-21 के लिए उप-पीएलएसी (संयंत्र स्तरीय सलाहकार उप-समिति) की बैठक खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में आयोजित की गई। हालांकि, कोविड के प्रकोप के कारण वर्ष 2020-21 के लिए प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में इसी तरह की सब-पीएलएसी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

- वर्चुअल मोड पर दिनांक 25.08.2020 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में "एससी-एसटी उद्यमियों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक" आयोजित की गई। हालांकि, कोविड के चल रहे परिदृश्य के कारण खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में कोई क्रेता-विक्रेता बैठक नहीं हो सकी।
- कंपनी ने 06.07.2020 और 16.10.2020 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में गूगल मीट के माध्यम से दो विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) और एनएसएसएचओ के सहयोग से महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई और एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई के पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और उनसे नालको द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए संभावित एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।
- सभी एमएसई विक्रेताओं (सहायक कंपनियों सहित) से जीईएम (सरकारी ई मार्केटप्लेस) प्लेटफॉर्म में आने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही, चूँकि नालको रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सीस्टम (टीआरईडीएस) पोर्टल के साथ पंजीकृत है, सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (सहायक उद्योग सहित) से अनुरोध किया जा रहा है कि एसएमई को दिए जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) में पंजीकरण करें।
- एमएसएमई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) से नालको के खरीद के डेटा को एमएसएमई विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" एप्प में मासिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है।
- कोविड के प्रकोप और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन/शटडाउन के कारण, कंपनी 2020-21 में केवल 08 विक्रेता बैठकें (एमएसई और सहायक सहित) आयोजित कर सकीं। उपरोक्त सभी बैठकें वर्चुअल मोड पर ही थीं।
- नालको के साथ पंजीकृत मौजूदा एमएसई और साथ ही पंजीकृत नहीं हुए एमएसई की मदद करने के लिए नालको द्वारा नमस्य (नालको सूक्ष्म और लघु उद्यम योगयोग एप्लिकेशन) एप्प 13.07.2018 को प्रारंभ किया गया। यह एप्प एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, उनके द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं, तकनीकी विनिर्देश, विक्रेता विकास कार्यक्रमों और नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी के साथ सशक्त बनाता है।

2.5 **क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?** जी हाँ.

एल्यूमिनियम धातु और बुनियादी एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्माता के रूप में हम एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण में उद्यम नहीं करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम अत्यधिक पुनर्चक्रण योग्य है और प्राथमिक एल्यूमिनियम के उत्पादन की तुलना में, एल्यूमिनियम उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए सिर्फ 5% ऊर्जा की आवश्यकता होती है और केवल 5% ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है।

जहाँ तक अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का संबंध है, हम प्रक्रिया अपशिष्ट, धातु रद्दी और अपशिष्ट उत्पादों, बहिःस्रावों और औद्योगिक नाले के जल, राख के तालाब और लाल पंक के तालाब से निस्तारित जल, खानों का ऊपरी भार अधिकतम संभव सीमा तक पुनःचक्रण करते हैं। हम कंपनी के एककों में वर्षा जल दोहन, भूमिगत जल को प्रभारित करना और मलजल का शोधन भी कार्यान्वित करते हैं। वर्ष 2020-21 में; ग्र.वि.सं. के राख के तालाब से 1,85,70,280 घन मीटर जल; परिशोधक के राख के तालाब से 74,27,774 घन मीटर जल और परिशोधक के लाल-पंक तालाब से 34,43,254 घन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया। इस बारे में कंपनी की कुछ उपलब्धियाँ नीचे तालिका में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका ग: 2020-21 के दौरान अपशिष्ट का पुनर्चक्रण / पुन: उपयोग

एकक	उपोयग	प्रतिशत
बॉक्साइट खानव	खनन किए गए क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार के लिए उपयोग किया गया ओवरबर्डन	100%
एल्यूमिना परिशोधक	अपशिष्ट लाल पंक से कास्टिक सोडा का पुन्नर्चक्रण	12.81%
	परिशोधक में राख का उपयोग	101.47%
	राख तालाब के जल का पुनर्चक्रण	92.22%
	लाल पंक के तालाब के जल का पुनर्चक्रण	114.52%
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम स्क्रेप का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रिया में निविष्ट के रूप में एल्यूमिनियम ड्रॉस का पुनर्चक्रण	61%
	उपभुक्त एनोड का पुनर्चक्रण	100%
ग्र.वि.सं.	ग्र.वि.सं. में राख का उपयोग	75.69%
	राख के तालाब के जल का पुनर्चक्रण	100%

सिद्धांत 3: व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

3.1 कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएँ:

31.03.2021 को यथा, नियमित नियुक्ति में कर्मचारियों की कुल संख्या 5,805 है।

3.2 कृपया 31.03.2021 को अस्थायी/संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर किराए पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएँ:

नालको द्वारा कोई संविदा/अस्थायी/आकस्मिक कर्मचारी नहीं नियोजित किए गए। आतिथ्य, रखरखाव, स्वच्छता, संरक्षण और परियोजना गतिविधियों आदि जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले कार्य ठेकेदारों ने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए 11,255 ठेका मजदूरों को लगाया है।

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएँ:

31.03.2021 को यथा कुल 343 स्थायी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं।

3.4 कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें:

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कुल 88 संख्यक दिव्यांगजन नियमित नियोजन पर हैं।

3.5 क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?

प्रद्रावक, ग्र.वि.सं., परिशोधक, खान एवं निगम कार्यालय प्रत्येक में एक एक करके नालको में कुल पाँच मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ हैं।

साथ ही नालको में प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, खान एवं परिशोधन संकुल और निगम कार्यालय में 3 अधिकारी संघ कार्यरत हैं।

3.6 आपके स्थायी कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?

विभिन्न मान्यता प्राप्त यूनियनों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

प्रद्रावक – 44.83%, ग्र.वि.सं. – 52.69%, परिशोधक – 47.99%, खान – 57.86% एवं निगम – 76.23%.

3.7 कृपया गत वित्तीय में तक बाल मजदूर, जबरन मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएँ और वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएँ।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2021 को यथा लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूर / जबरन मजदूर /गैर-स्वैच्छिक मजदूर	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	पक्षपाती नियोजन	शून्य	शून्य

3.8 आपके निम्नलिखित कर्मचारियों में से पिछले वर्ष में कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?

स्थायी कर्मचारी; स्थायी महिला कर्मचारी; आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी; विकलांग कर्मचारी।

उपरोक्त प्रशिक्षण से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है:

कर्मचारियों का संवर्ग	वर्तमान शक्ति	सुरक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति	सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी (महिला और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को छोड़कर)	5,374	626	11.65%
स्थायी महिला कर्मचारी	343	35	10.20%
आकस्मिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी	शून्य	—	—
विकलांग कर्मचारी	88	9	10.23%

- विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से 11,255 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 5,630 संविदा कर्मियों ने सुरक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण लिया है अर्थात 50.02%।
- वित्तीय वर्ष में, महामारी की स्थिति और तत्संबंधी प्रतिबंधों से सुरक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण के आयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिद्धांत 4: व्यवसाय सभी हितधारकों, विशेषकर सुविधाओं से रहित, संवेदनशील और कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

4.1 क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की सुव्यवस्था(मैपिंग) की है? जी हाँ.

हितधारकों की मैपिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जहाँ उन्हें सही ढंग से मैप करने के लिए सभी सावधानियाँ बरती जाती हैं। हितधारक या तो आंतरिक अर्थात कर्मचारी या संगठन के बाहरी व्यक्ति हैं अर्थात ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, निवेशक, सरकार और उनके प्रतिनिधि और समितियाँ, स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, वैधानिक और नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता और कार्य ठेका कर्मचारी, उद्योग संघ आदि। सभी हितधारकों के बीच, दलित और हाशिए पर पड़े हितधारकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हितधारकों की मैपिंग करते समय उनकी भौगोलिक स्थिति और भेद्यता के स्तर पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, लक्षित हितधारकों की जरूरतों के मूल्यांकन सर्वेक्षण किए जाते हैं और तदनुसार उनके लिए परियोजनाएँ तैयार की जाती हैं। परियोजनाओं की अवधारणा के लिए प्रभाव की गहनता को भी हिसाब में लिया जाता है। विचारों और चिंताओं के आदान-प्रदान द्वारा समर्थित सामुदाय को शामिल करने प्रक्रिया के द्वारा हितधारकों, उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं की पहचान में एक महान उपकरण के रूप में उभरी हैं। विशद जुड़ाव मशीनरी जो आपसी अभिसरण, विश्वास और हितों पर आधारित है, एक ऐसे संबंध की स्थापना की ओर ले जाता है जो आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के लिए पारस्परिक रूप से समृद्ध है। कंपनी के आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ हमारी संलग्नता और सक्रिय संवाद ने हमें कंपनी की नीतियों की प्रक्रियाओं और उत्पादों को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सक्षम बनाया है।

4.2 उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान की है? जी हाँ.

कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है। नि.सा.उ. परियोजनाओं पर विचार करने से पहले कंपनी के संयंत्र और खानों के परिधीय क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक आधार-रेखा सर्वेक्षण किया जाता है। समुदाय, प्रशासन और नागरिक समाज सहित इच्छित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है। भेद्यता, सीमांत और उनकी नुकसानदेह स्थिति के स्तर पर हमेशा विचार किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी के संयंत्र और खान उन स्थानों पर अवस्थित हैं जहाँ अधिकांश लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी स्थिति में हैं। उनकी भौगोलिक स्थिति ने उन्हें और अधिक संवेदनशील बना दिया है। कंपनी सबसे अधिक सुविधाओं से वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है। हमारा प्रयास है कि कोई भी कमजोर और सीमांत पर स्थित लोग इष्टतम प्रभाव पाने से नहीं चूकें।

4.3 क्या सुविधाओं से वंचित, सवेदनशील और कमजोर हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष प्रयास किया गया है?

रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में की गई कुछ नई गतिविधियों सहित पिछले वर्षों से आज तक सुविधाओं से वंचित और कमजोर समुदायों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं।

क) परिधीय गाँव में घर-के द्वार तक स्वास्थ्य सेवा: मोबाइल स्वास्थ्य युनिट (एमएचयू) और ओपीडी केंद्रों के माध्यम से बुनियादी दवाओं सहित आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

ख) कोविड प्रबंधनः आसपास के गाँवों में मास्क और साबुन का वितरण, मजदूरों को राशन, कोविड योद्धाओं को भोजन के पैकेट, गाँवों का सैनिटाइजेशन।

ग) कोविड केयर अस्पताल: पहले से अविभाजित कोरापुट जिले के आदिवासी बहुल जिले नवरंगपुर में 24 घंटे नैदानिक सुविधा और आईसीयू के साथ 200 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल अस्पताल।

घ) इन्द्रधनुष: कोरापुट और भुवनेश्वर में तीन प्रतिष्ठित स्कूलों के सहयोग से दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के आदिवासी छात्रों को आवासीय शिक्षा।

ई) नालको की लाड़ली: ओड़िशा के कोरापुट और अनुगुल जिलों से बीपीएल श्रेणी से संबंधित मेधावी बालिकाओं को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।

च) स्वच्छ भारत पहल: सफाई, स्वच्छता और समग्र कल्याण के लिए प्रतिष्ठित तीर्थस्थल विकास, स्वच्छ विद्यालय और ओडीएफ गाँवों का विकास।

छ) जरूरतमंदों के लिए पेयजल सुविधा: खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, प्रस्तावित पोट्टांगी बॉक्साइट खान क्षेत्र, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और उत्कल-डी एंड ई कोल ब्लॉक, छेंदीपड़ा के परिधीय गाँवों में पेयजल सुविधा का प्रावधान।

ज) स्किल इंडिया को समर्थन: दामनजोड़ी के आसपास के गाँवों में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम।

झ) ग्रामीण आनुषंगिक सुविधा निर्माण: परिधीय के गाँवों में सड़कों, पुलियों, नालियों, आश्रय गृहों का निर्माण, सामुदायिक केंद्रों और जल निकायों आदि का नवीनीकरण और सुधार।

ञ) सौर समाधान: दामनजोड़ी के दुर्गम आदिवासी बहुल परिधीय गाँवों में सौर स्ट्रीट लाइट और सौर गृह समाधन लगाए गए हैं।

ट) महिला सशक्तिकरण: पोट्टांगी खान क्षेत्र के परिधीय गाँवों से आदिवासी महिलाओं की आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देना। युग्म शहर कटक और भुवनेश्वर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का समाधान किया गया।

ठ) आपदा प्रबंधन: टिकरपाड़ा, अनुगुल के बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता।

सिद्धांत 5: व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान और प्रोत्साहन करे।

5. 1 क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी को या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य को शामिल करती है?

मानवाधिकार सिद्धांत न केवल कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं, बल्कि ये सभी स्रोतों से प्राप्त सभी कार्यों के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए भी लागू होते हैं। प्रयोज्य नियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, खान अधिनियम, 1972, ठेका मजदूर (आर एंड ए) अधिनियम, 1970, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के माध्यम से अधिदेशित मानवाधिकार अभ्यास कंपनी में सख्ती से पालन किए जाते हैं। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए कार्य ठेका की शर्तों में, महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दे यानी बाल मजदूर, जबरन और अनिवार्य मजदरी, भेदभाव, अनुशासनात्मक व्यवहार, मजदूरी और कार्य अनुसूची को उपयुक्त रूप से एसए 8000:2014 मानकों की आवश्यकताओं के तहत प्रबंधित किया जाता है जिसमें आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित माध्यमों से मानव अधिकार का उल्लंघन करने पर नियंत्रित किया जाता है:

(i) सामाजिक जवाबदेही के लिए आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों की वचनबद्धता के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए।

(ii) एसए-8000 मानकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों के निष्पादन और वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन और चयन करने के लिए उचित प्रक्रिया को स्थापित करना और बनाए रखना।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?

गत वित्तीय वर्ष के दौरान मानवाधिकार से संबंधित हितधारकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हितधारकों की अन्य शिकायतों की स्थिति 1.2 में वर्णित है।

सिद्धांत 6: व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एव उसे बहाल करने का प्रयास करे।

6.1 क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्य को भी शामिल करती है?

पर्यावरण देखभाल और सुरक्षा के लिए कंपनी पूर्ण कटिब्ध है और सभी सहायक कंपनियों, भागीदारों और सेवा प्रदाताओं से ऐसी ही अपेक्षा रखती है। आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को किसी भी कार्य को सौंपने से पहले कंपनी की पर्यावरण नीति का पालन करने के लिए सहमत होना की वचनबद्धता ली जाती है और कंपनी के एनआईटी दस्तावेजों में इस संबंध में उपयुक्त खंड पेश किए गए हैं।

6.2 क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए रणनीतियाँ/प्रयास आदि है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हमने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और संबंधित वैश्विक तापवृद्धि को कम करने के लिए पवन विद्युत और सौर ऊर्जा के उत्पादन जैसी हरित ऊर्जा पहलकदमी को अपनाया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- चार पवन विद्युत परियोजनाएँ: i) गंडिकोटा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट, ii) जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट, iii) देवीकोट, राजस्थान में 50 मेगावाट और iv) जाथ, महाराष्ट्र में 50.4 मेगावाट व्यावसायिक प्रचालन में हैं।
- 160 कि.वा.पीक, 100 कि.वा.पीक और 320 कि.वा.पीक क्षमता के तीन रूफ-टॉप सोलर फोटो-वोल्टीक संयंत्र क्रमशः निगम कार्यालय और नालको टाउनशिप, एचआरडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी) भुवनेश्वर में प्रचालित हैं।
- दामनजोड़ी, अनुगुल और विशाखापत्तनम में नालको के विभिन्न स्थानों पर छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता/संभाव्यता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है।
- वर्ष के दौरान प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 10,140 पौधे लगाए गए और क्षेत्र में हरित घेरे में सुधार के लिए ग्रामीणों को 18,000 पौधे वितरित किए गए।
- एल्यूमिना परिशोधक में 18,885 पेड़ लगाए गए हैं और 500 पौधे बाँटे गए हैं।
- कंपनी की पंचपटमाली खदानों में वर्ष के दौरान कुल 1,10,231 पौधे लगाए गए हैं ताकि खनन किए गए क्षेत्र का पुनर्वास किया जा सके और वनीकरण अभियान को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, 5,550 पौधे, जो ज्यादातर देशी फल देने वाली प्रजातियों के हैं, परिधीय ग्रामीणों को वितरित किए गए हैं।

- कंपनी कुल पाँच नर्सरी का संचालन कर रही है अर्थात तीन प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में और दो खान एवं परिशोधन संकुल में, जिसमें एक खदान में है जो एक उच्च ऊँचाई पर स्थित नर्सरी है। ये नर्सरियाँ वनरोपण, सजावटी उपयोग और फल देने वाली मौसमी किस्म के पौधे और गमले वाले पौधों के लिए विभिन्न प्रकार के अंकुर उगाती हैं जो आंशिक रूप से वृक्षारोपण के लिए आंतरिक आवश्यकता को पूरा करते हैं। खान में नर्सरी 3 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और खानों की नर्सरी में उगाए गए पौधों का उपयोग करके वर्ष के दौरान खानों में और 1,10,231 संख्यक पौधे रोपे गए हैं। रोपण के लिए पौधे उगाने के अलावा, विभिन्न प्रजातियों की वनस्पति के विकास का आकलन करने के लिए हर वर्ष प्रायोगिक वृक्षारोपण किया जाता है। खान में नर्सरी प्राकृतिक स्थलाकृति को संरक्षित करने के लिए फिर से भरे गए उत्खनित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों में विशेष योगदान देती है। इस वर्ष के दौरान, 17.59 हेक्टेयर पुनः प्राप्त क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ पुनर्वास किया गया था।

  पवन विद्युत का विवरण नालको की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबलिंक है:
  https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

6.3 क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है और उनका आकलन करती है?

जी हाँ, व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, अवस्थिति प्रभाव अध्ययन, आंतरिक और बाहरी पर्यावरण लेखा परीक्षा टिप्पणियों, जोखिम पहचान और जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रबंधन योजनाओं आदि के माध्यम से संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की गई है। कंपनी की संवेदनशील गतिविधियों के पहचाने गए पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन के लिए एसएसपीडी (स्केल, गंभीरता, संभावना और अवधि) मानदंड अपनाया जाता है। । इसके अलावा पेशेवर एजेंसियां खानों और उत्पादन सुविधाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के दौरान ईआईए करने के लिए लगी हुई हैं। कंपनी के उत्पादों के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों, अवसरों को पैरा 2.1, तालिका-ए में उल्लिखित अनुसार संबोधित किया गया है।

6.4 क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?

गंडिकोटा में हमारे 50.4 मेगावाट के पवन विद्युत संयंत्र ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश का अनुमोदन (एचसीए) प्राप्त किया है। भारत की। परियोजना की गतिविधियों को (यूएनएफसीसीसी) मान्यता प्राप्त नामित परिचालन इकाई (डीओई) द्वारा प्रमाणित किया गया है। वार्षिक औसत जी.एच.जी. निस्सरण में कमी की अनुमानित मात्रा 85,927 टन कार्बन-डाई-आक्साइड के समतुल्य है।

जैसलमेर में हमारे 47.6 मेगावाट के पवन विद्युत संयंत्र ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश का अनुमोदन प्राप्त किया है। वार्षिक औसत जी.एच.जी. निस्सरण में कमी की अनुमानित मात्रा 83,426 टन कार्बन-डाई-आक्साइड के समतुल्य है।

6.5 क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

नवीकरणीय ऊर्जा पर हमारी हाल की पहलों का विवरण नीचे दिया गया है।

- **पवन विद्युत परियोजनाएँ:** गंडिकोटा, कडप्पा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट, लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट, देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मेगावाट और जाथ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मेगावाट के अलावा, अन्य 25.5 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना तूतीकोरिन जिलe, तमिलनाडु के कायाथर में निष्पादन के अधीन है।

  पवन विद्युत का विवरण नालको की वेबसाइट पर निम्न वेब लिंक में उपलब्ध है:
  https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

- **रूफटॉप सौर परियोजनाएँ:** नालको निगम कार्यालय में 160 कि.वा.पीक, नालको नगर टाउनशिप में 100 कि.वा.पीक, नालको अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में 370 कि.वा.पीक और एसपीपी, परिशोधक, नालको में 40 कि.वा.पीक (2X20 कि.वा.पीक) स्थापित करने के अलावा, नालको की पत्तन सुविधाएँ विशाखापत्तनम् में 100 कि.वा.पीक रूफटॉप सौर परियोजना के लिए क्रयादेश दिया गया है। खान, दामनजोड़ी में एक और 130 कि.वा.पीक ऑन-ग्रिड रूफटॉप सौर परियोजना चालू होने के अधीन है। वेब लिंक है:-
  https://nalcoindia.com/business/operation/solar-power/

6.6 रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्पन्न निस्सरण/अपशिष्ट क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के भीतर हैं?

कंपनी के प्रचालन एककों द्वारा उत्पन्न सभी निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के भीतर हैं। इस सूचना से संलग्न पर्यावरण विवरण हर वर्ष नियामक प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

6.7 वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि के लिए समाधान नहीं हुआ है)।

कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र से संबंधित एसपीसीबी, ओड़िशा से प्राप्त दो कारण बताओ नोटिस का वित्तीय वर्ष के अंत तक संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया है।

सिद्धांत 7: सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप से किए जाएँ।

7.1 क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन्हीं प्रमुख कंपनियों के नाम बताएँ जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा है: जी हाँ, प्रमुख संघ हैं:

1. एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया
2. सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली
3. भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई
5. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली
6. उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भुवनेश्वर
7. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता
8. भारतीय निर्यात संघटन परिसंघ, नई दिल्ली
9. इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली
10. रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कोलकाता
11. राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
12. इंडियन सिरेमिक सोसाइटी, कोलकाता
13. ओड़िशा राज्य उत्पादकता परिषद
14. अखिल भारतीय प्रबंधन संघ

7.2 क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से पैरवी की/समर्थन प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (जैसे- अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यापार सिद्धांत, अन्य)।

जी हाँ। सार्वजनिक भलाई के लिए उठाए गए व्यापक क्षेत्र हैं:

- उड़नशील राख का उपयोग
- जल पुनर्चक्रण और संरक्षण
- जलवायु परिवर्तन अनिवार्यताएँ
- पर्यावरण का संरक्षण
- नि.सा.उ. और परिधीय विकास
- कौशल विकास और रोजगार सृजन
- ऑटोमोबाइल, विद्युत पारेषण, निर्माण और पैकेजिंग क्षेत्र में एल्यूमिनियम का बढ़ा हुआ उपयोग
- संधारणीय खनन
- ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण
- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिस्थिति विज्ञान
- उद्योगों की बेहतरी के लिए आर्थिक नेतृत्व
- भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास।
- निर्यात नीतियाँ बनाना और निर्यात प्रोत्साहन

सिद्धांत 8: व्यवसाय समावेशी विकास और समान विकास का पक्षधर हो।

8.1 क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कंपनी के पास निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें:

जी हाँ। समावेशी वृद्धि और समान विकास कंपनी की नि.सा.उ. नीति के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। कंपनी लगातार एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रही है जो समानता पर आधारित विकास को सुनिश्चित करे। नालको का विश्वास है, "विकास सर्व-समावेशी है"। अलग-थलग रह कोई नहीं बढ़ सकता। समान और समावेशी

विकास ही एकमात्र स्वीकार्य व्यवसाय मॉडल है जो संधारणीय हो सकता है। सभी हितधारकों का कल्याण कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। कंपनी की सभी नि.सा.उ. गतिविधियाँ एक लक्ष्य की ओर संचालित हैं अर्थात् प्रसन्नता फैलाना। इसलिए, ऐसी सभी गतिविधियों को महत्व दिया जाता है जो सभी के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करती हैं, जो अंततः हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाने में योगदान करती हैं। ऐसी कुछ परियोजनाएँ हैं- नालको की लाड़ली, इन्द्रधनुष, कोविड देखभाल और प्रबंधन, सौर विद्युतीकरण, महिला सशक्तीकरण,जिनका विवरण पैरा 8.4 में दिया गया है।

8.2 क्या आंतरिक टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यक्रम/परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है?

कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियाँ निम्नलिखित के माध्यम से की जाती हैं: (i) पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकार समितियाँ (आरपीडीएसीज) (ii) नालको फाउंडेशन (iii) सीधे नालको द्वारा।

क) आरपीडीएसी: आरपीडीएसी ओड़िशा सरकार द्वारा संबंधित राजस्व मंडल आयुक्तों की अध्यक्षता में अनुगुल सेक्टर और दामनजोड़ी सेक्टर के लिए गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में जिलाधीश, स्थानीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि और नालको के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस निकाय की परियोजनाओं की सूची विस्तृत विचार-विमर्श और विचार के लिए नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति और निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई है।

ख) नालको फाउंडेशन: नालको फाउंडेशन, नालको की नि.सा.उ. शाखा है, जो इंडिया ट्रस्ट एक्ट, 1882 के तहत पंजीकृत है, और यह कंपनी की ओर से नि.सा.उ. परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। नि.सा.उ. परियोजनाओं की परिकल्पना और कार्यान्वयन सामुदायिक जुड़ाव प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे जमीनी स्तर पर संधारणीय मॉडल स्थापित होते हैं। फाउंडेशन ने आगे युवाओं, महिलाओं, पीआरआई सदस्यों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण में मदद की है।

ग) कुछ परियोजनाओं को कार्यक्रम की प्रकृति और परिमाण के आधार पर सीधे नालको द्वारा भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

8.3 क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?

परियोजनाओं की क्षमता और प्रभावशीलता को मापने के लिए कंपनी समय-समय पर सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करती है। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन की नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के प्रभाव और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। कंपनी की नि.सा.उ. नीति के अनुसार, तीन या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं। अब तक किए गए कुछ अध्ययनों का विवरण नीचे दिया गया है:

i) मेसर्स आई-लैंड इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा फरवरी, 2005 के दौरान खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में नालको के सामाजिक-आर्थिक योगदान पर एक सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन किया गया।

ii) मेसर्स राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद द्वारा दिसंबर, 2008 के दौरान प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। ।

iii) ओड़िशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट द्वारा वर्ष 2012 के दौरान नालको फाउंडेशन की परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया था।

iv) 2017 में प्रीमियर संस्थान, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा नालको द्वारा कार्यान्वित नि.सा.उ. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) किया गया।

v) 2019 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क (एमएसएसडब्ल्यू), चेन्नई के सहयोग से एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था।

8.4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- राशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण दें?

उपर्युक्त नि.सा.उ. गतिविधियों को क्रियान्वित करने में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल ₹35.00 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की गई हैं:

क. स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ:

क.1 एमएचयू सेवाएँ और ओपीडी सेवाएँ: रिपोर्ट किए गए वर्ष में, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी दोनों में संयंत्र क्षेत्रों के परिधीय इलाके में लगभग 70,000 रोगियों का इलाज 8 मोबाईल स्वास्थ्य एककों के माध्यम से किया गया। यह मध्यवर्तन कार्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुलभ बनाकर उनके जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने में सक्षम रहा है।

नालको टाउनशिप में एक विशेषज्ञ ओपीडी केंद्र प्रचालित हो रहा है, जो प्रद्रावक एवं विद्युत परिसर के आसपास के ग्रामीणों को मुफ्त दवा के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सलाह प्रदान करता है। इस वित्तीय वर्ष में ओपीडी में 13,133 संख्यक मरीजों का इलाज किया गया।

क.2. कोविड देखभाल और प्रबंधन: खान एवं परिशोधन संकुल में, एमएचयू के माध्यम से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया, ताकि उन्हें कोविड महामारी से बचाने के लिए हाथ धोने, मास्क का उपयोग, सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी आदि जैसी बुनियादी स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके अलावा, ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) और महिला स्वयं सहायता समूहों (स्वयं सहायता समूहों) के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता पैदा की गई। कोविड और संबंधित सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए कंपनी की गतिविधियों के अनुसार गतिविधि का वर्णन नीचे किया गया है:

क) **मास्क वितरण:** कोविड-19 के प्रसार की दिशा में एक निवारक उपाय के रूप में, निगम स्तर पर 1 लाख से अधिक फेस मास्क वितरित किए गए। दामनजोड़ी में, नालको और नालको फाउंडेशन द्वारा परिधीय ब्लॉकों में और उसके आसपास लगभग 47,000 मास्क और 32,000 साबुन वितरित किए गए, जिससे 7,500 परिवार लाभान्वित हुए। इसी प्रकार अनुगुल में 50 हजार मास्क खरीदे गए जिन्हें शासन के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वितरण के लिए जिला प्रशासन को सौंपा गया।

ख) स्थानीय परिधीय क्षेत्रों को कीटाणुरहित करना: प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के परिधीय क्षेत्र में, गिरांग, कांडसर, कन्याबेड़ा, बलरामप्रसाद, गोटमारा, कुकुडांग, तेंतोई, तेंतुलोई, कुरुडोल, एकघरिया गाँव सहित प्रद्रावक और ग्र.वि.सं. हटिंग को कीटाणुनाशक का छिड़काव करके साफ किया गया है।

ग) खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं का वितरण: भुवनेश्वर नगर निगम क्षेत्र में, तालाबंदी के दौरान चावल, दाल, चीनी, तेल, नमक, साबुन, आलू आदि जैसी किराने की वस्तुओं को मजदूरों के बीच वितरित किया गया है। जिला प्रशासन, अनुगुल के अनुरोध पर, गरीब जरूरतमंद लोगों को वितरण के लिए 1,000 संख्यक राशन किट जिला प्रशासन को सौंपी गई। साथ ही, कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से एक नेक कार्य के रूप में ड्यूटी पर तैनात पुलिस और यातायात कर्मियों के बीच नाश्ता वितरित किया गया।

घ) नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम: जागरूकता अभियान को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, आगंतुकों और तीर्थयात्रियों के बीच कोविड जागरूकता पैदा करने के लिए नालको महिला समिति द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के प्रवेश द्वार पर और गांधी पार्क, पुरी में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।

ङ) सतर्कता कार्य बल: खान एवं परिशोधन संकुल में, पार्क, शॉपिंग मॉल, मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों और अस्पताल आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक सतर्कता कार्य बल का गठन किया गया था।

च) नालको टाउनशिप, दामनजोड़ी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा हाट: नालको टाउनशिप, दामनजोड़ी में, ओर्मास के सहयोग से गेलगुड़ा गाँव के जयदुर्गा उत्पादक समूह द्वारा स्थानीय महिला विक्रेताओं की कमाई का समर्थन करने के दोहरे उद्देश्य के साथ नालको टाउनशिप के अंदर सब्जियाँ बेचने के लिए सब्जी हाटों का आयोजन किया गया और टाउनशिप के निवासियों के लिए सुरक्षित विपणन की सुविधा प्रदान की गई।

छ) राज्य प्रशासन को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए वेंटिलेटर एम्बुलेंस और डिजिटल एक्स-रे मशीन दी गई है।

ज) पूरे राज्य में जेल से बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के लिए 7 संख्यक एम्बुलेंस का प्रावधान किया गया।

क.3. पीएम केयर्स फंड में योगदान: कोविड महामारी का मुकाबला करने और महामारी के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत और सहायता के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में ₹5 करोड़ का योगदान दिया गया।

क.4. नवरंगपुर में कोविड अस्पताल की स्थापना: ओड़िशा सरकार के सहयोग से नबरंगपुर, ओड़िशा में ₹ 5 करोड़ की अनुमानित लागत से 200 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित किया गया है। यह 200 बिस्तरों वाला अस्पताल विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए अन्य गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के अलावा 10 बिस्तरों वाले आईसीयू और ऑक्सीमेट्री से सुसज्जित है। इसमें 24 घंटे की नैदानिक सुविधा है और यह आदिवासी बहुल नबरंगपुर जिले और दक्षिणी ओड़िशा के रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी और कालाहांडी और अन्य आसपास के जिलों के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहा है। रिपोर्ट किए गए वर्ष में एक हजार से अधिक रोगियों ने उपचार सुविधा का लाभ उठाया है।

ख. स्वच्छता:

ख.1. खुले में शौच मुक्त: स्वच्छ भारत मिशन और आईबीएम के निर्देशों के अनुरूप, नालको ने खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) कार्यक्रम के तहत दामनजोड़ी और अनुगुल के दूरदराज के गाँवों में कुल 1,025 आईएचएचएल इकाईयों (व्यक्तिगत हाउस होल्ड शौचालय) का निर्माण किया था, जिनमें से 313 रिपोर्ट किए गए वर्ष में आईएचएचएल एककों को लक्षित लाभार्थियों को सौंप दिया गया है।

ख.2. स्वच्छ विद्यालय अभियान: स्वच्छ विद्यालय अभियान कार्यक्रम के तहत, नालको ने सभी छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता और छात्राओं की सुविधा के लिए सरकारी स्कूलों में शौचालयों का प्रावधान किया है।

ग. सुरक्षित पेयजल:

ग.1. **गर्मियों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति:** गर्मियों के दौरान जिला प्रशासन और स्थानीय प्राधिकरण के सहयोग से बनारपाल, अनुगुल और छेंदीपड़ा ब्लॉक में टैंकरों के माध्यम से प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के 26 परिधीय गाँवों के लोगों के दरवाजे पर सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की गई है।

ग.2. **पाइप से जलापूर्ति:** कंपनी के प्रद्रावक एवं विद्युत प्रचालनों के आसपास जल की कमी को दूर करने और भूजल और सतही जल दूषित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जिला प्रशासन की सहायता से विभिन्न गाँवों में पाइप जलापूर्ति की जा रही है। निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता (आरडब्ल्यूएस एंड एस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

ग.2.1 ग्राम गिरांग को पाइप जलापूर्ति जिससे 4,103 ग्रामीणों को लाभ होगा।

ग.2.2 **11 फ्ल्यूराइड दूषित क्षेत्रों में पाइप पीने के जल का नवीनीकरण:** 11 गाँवों के 4,386 संख्यक घर लाभान्वित होंगे।

ग.2.3 उन 5 गाँवों में पाइप जलापूर्ति, जहाँ सतही जल दूषित है, जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया है।

ग.2.4 रिपोर्ट किए गए वर्ष में गाँव गोपीबल्लभपुर में बोरवेल की मरम्मत और नवीनीकरण सहित जलापूर्ति नेटवर्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

ग.3 **25 गाँवों में जलापूर्ति प्रणाली:** रिपोर्ट किए गए वर्ष में, आरडब्ल्यूएसएस, कोरापुट के सहयोग से दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधीय गाँवों में 21 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना से लगभग तीन हजार घर लाभान्वित हुए हैं।

ग.4. **सौर ऊर्जा आधारित जल शोधक और कूलर की स्थापना: सुरक्षित जल और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भुवनेश्वर में सौर ऊर्जा आधारित जल शोधक और कूलर स्थापित किए गए हैं।**

घ. शिक्षा:

घ.1. **खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधीय गाँवों के गरीब, पिछड़े और आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा को प्रायोजित करना (इंद्रधनुष):** कोरापुट के परिधीय क्षेत्रों में व्यापक निरक्षरता को देखते हुए, कंपनी ने इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच पर जोर देते हुए और वर्ष 2012-13 से यहाँ के गरीब छात्रों को कीस्स, भुवनेश्वर, बिकास विद्यालय और आदर्श विद्यालय, कोरापुट के आवासीय विद्यालयों में प्रायोजित करना शुरू कर दिया है। । कोविड लॉकडाउन के कारण, उपरोक्त संस्थानों के बंद होने से प्रायोजित छात्रों के लिए समस्या पैदा हो गई थी, जिसे लागू करने वाले भागीदार के परामर्श से कुछ नवीन दृष्टिकोण अपनाकर निपटा गया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क) **ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रेरणा:** कार्यान्वयन भागीदारों और स्कूल प्राधिकारियों को सुझाव दिया गया, संवेदनशील बनाया गया और 10 वीं कक्षा के छात्रों को शामिल करते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और अध्यायों को अपलोड करके अध्ययन में उनकी सहायता करने और उनकी शंकाओं पर ऑनलाइन रूप से स्पष्टीकरण देने का सुझाव दिया गया।

ख) समर्थित छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण: कार्यान्वयन भागीदारों को ओड़िशा सरकार के निर्देश के अनुसार पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है, ताकि पाठ्यपुस्तकों का छात्र लॉक डाउन अवधि का उपयोगी तरीके से उपयोग कर सकें।

ग) संदेह समाशोधन कक्षाओं और कर्मचारी सामाजिक उत्तरदायित्व (ईएसआर) की सुविधा: प्रायोजित छात्रों के लाभ के लिए कार्यान्वयन भागीदारों को संदेह निवारण कक्षाएँ संचालित करके उचित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया था। नालको के कुछ कर्मचारियों ने भी छात्रों के लिए विशेष रूप से गणित और विज्ञान जैसे विषयों में संदेह निवारण कक्षाएँ शुरू करने के लिए स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया।

घ) **एचएससी में उपलब्धियाँ और उपलब्धि हासिल करने वालों का सम्मान:** इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत, इस वर्ष, 92% छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी मैट्रिक शिक्षा पूरी की है। माननीय कलेक्टर और डीएम कोरापुट और कार्यपालक निदेशक, खान एवं परिशोधन संकुल, नालको द्वारा छात्रों में शीर्ष 3 स्कोर हासिल करने वालों को क्रमशः ₹10,000/-, ₹7,000/- और ₹5,000/- के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य विद्वानों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक टोकन उपहार के साथ सम्मानित किया गया। प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में, 21 सर्वश्रेष्ठ मैट्रिक पास को सर्वश्रेष्ठ मैट्रिकुलेट का पुरस्कार दिया गया।

घ.2. **नालको की लाड़ली:** भारत सरकार की "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना के पूरक के रूप में, नालको ने प्रद्रावक एवं विद्युत और खान एवं परिशोधन संकुल दोनों के परिधीय गाँवों से "नालको की लाड़ली" कार्यक्रम के तहत छात्राओं की शिक्षा को प्रायोजित किया है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों की मेधावी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिससे उन्हें प्रेरित करने और उनके शैक्षणिक निष्पादन में सुधार की उम्मीद है। इस परियोजना का उद्देश्य खराब वित्तीय स्थिति के कारण स्कूल छोड़ने वालों की जाँच करना भी है। अब तक कुल 723 लड़कियों को सहयोग दिया जा चुका है। नालको आर्थिक रूप से सहायता करने के अलावा, खेल, पाठ्येतर और सह-पाठयक्रम गतिविधियों जैसे आयोजनों के माध्यम से छात्राओं को बढ़ावा देकर और प्रोत्साहित भी कर रहा है। नालको की लाड़ली के सर्वांगीण विकास के लिए प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में, महिलाओं के लिए वार्षिक खेल प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती है।

घ.3. **स्कूलों की स्थापना:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नालको ने सरस्वती विद्या मंदिर और दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे सर्वोत्तम सुविधाओं के साथ स्कूलों की स्थापना की। कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों के सुपात्र छात्रों का प्रवेश आस-पास के समुदायों के निवासियों के लिए एक राहत के रूप में आया है। कंपनी द्वारा स्थापित स्कूल सीमांत समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, भले ही कंपनी के साथ उनका जुड़ाव कुछ भी हो।

घ.4. **शैक्षिक संस्थानों को ढाँचागत सहायता: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचा न्यूनतम आवश्यकता है। इस दिशा में, कंपनी की नि.सा.उ. पहलों के तहत निम्नलिखित ढाँचागत समर्थन लागू किया गया है:**

क) श्री रामकृष्ण शिशु विद्यामंदिर, खलारी में स्कूल में पढ़ने वाले सभी 150 छात्रों को समायोजित करने के लिए, जिनमें से 70% से अधिक छात्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं और 50% बीपीएल श्रेणी के हैं, कक्षा का निर्माण किया गया।

ख) जीपी हाई स्कूल, कोरड़ा की चारदीवारी का निर्माण।

ग) किलार स्कूल और चौगान सेवाश्रम में कक्षा कक्षों का निर्माण।

घ) दामनजोड़ी में अंबागांव स्कूलों में कक्षा कक्षों का निर्माण।

ङ) राजीव गांधी हाई स्कूल, मालीपुट में एक क्लास रूम-कम-हॉल का निर्माण।

च) थुरिया स्कूल में एक डाइनिंग हॉल का निर्माण।

ङ. आजीविका संवर्धन:

ङ.1. **स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण:** कंपनी के नि.सा.उ. का उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा, आय और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाना रहा है। इसके लिए, ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और वीडीसी (ग्राम विकास समिति) जैसे समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के गठन में सुविधा प्रदान की जाती है। सीबीओ के गठन के बाद सदस्यों को के.वी.के., सुनाबेड़ा और आईसीएआर, सुनाबेड़ा, ओआरएमएएस, ओएलएम, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों और वैकल्पिक आय सृजन गतिविधियों जैसे संगठनों के साथ प्रशिक्षित करके जोड़ा गया है। हाल के दिनों में, मशरूम की खेती और कटहल और कद्दू के चिप बनाने के माध्यम से स्वयं सहायता समूह अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और उनमें से कुछ ने 300 किलोग्राम तक के कटहल की चिप्स बेची है। इस वर्ष भी 14 स्वयं सहायता समूह नालको फाउंडेशन की वित्तीय और तकनीकी सहायता के तहत 8 गाँवों में मशरूम उत्पादन जारी रखे हुए हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह, कुछ स्वयं सहायता समूहों ने प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद अचार बनाना, झाड़ू बनाना, पत्तों की प्लेट बनाना और बेचना शुरू किया है।

ङ.2. **युवा नेतृत्व कार्यक्रम:** नालको फाउंडेशन ने दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधीय गाँवों में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए श्री श्री विश्वविद्यालय (आर्ट ऑफ लिविंग) के साथ भागीदारी की।

च. पर्यावरणीय संधारणीयता:

च.1. **सौर विद्युतीकरण कार्यक्रम:** नालको फाउंडेशन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, कंपनी के विकास और स्थिरता के लिए प्रमुख खतरे को संबोधित करने के लिए हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। रिपोर्ट किए गए वर्ष में, 4 गाँवों को सौर विद्युतीकृत बनाने की सुविधा प्रदान की गई।

च.2. हरित घेरे को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है जो भयंकर चक्रवाती तूफान फनी के बाद बेहद क्षतिग्रस्त हो गया था। भुवनेश्वर के चंदका क्षेत्र में चार वर्ष तक 60 हजार पौधे रोपने और उनका रखरखाव करने की योजना है।

च.3. छेंदीपड़ा प्रखंड के छह तालाबों का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण किया गया है। ग्रामीण अब जल का वैकल्पिक उपयोग जैसे स्नान, सफाई और आजीविका के उद्देश्यों जैसे आस-पास के खेतों में सिंचाई, मछली की खेती आदि के लिए भी कर सकते हैं।

छ. अवसंरचना विकास परियोजनाएँ:

दामनजोड़ी के दूरदराज के इलाकों और पहाड़ी इलाकों में आदिवासी आबादी को खराब सड़क संपर्क के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक प्रगति प्रभावित होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में संचार की आसानी और समृद्धि के साधन विकसित करने के लिए सड़कों और अन्य बुनियादी ढाँचे का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया गया जो कि नीचे सूचीबद्ध है:

छ.1. दुर्कागुड़ा स्कूल से मोडीगुड़ा (600 मीटर) तक बीटी रोड़ का निर्माण।

छ.2. मोडीगुड़ा से नुआगुड़ा (700 मीटर) तक निर्माण सड़क जिसमें पुलिया भी शामिल है।

छ.3. मोडीगुड़ा और दुर्कागुड़ा में सामुदायिक भवन का निर्माण।

छ.4. मलकरबंध से मालीपुट तक निर्माण सड़क जिसमें पुलिया भी शामिल है।

छ.5. नालको थाना चौक से आईएपीएल चौक तक बीटी सड़क का निर्माण।

ज. आपदा प्रबंधन:

वर्ष के दौरान टिकरपाड़ा क्षेत्र के 05 गाँवों के 600 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए। जिला प्रशासन, अनुगुल ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सहायता के लिए नालको प्राधिकरण से संपर्क किया। चूड़ा (चपटा चावल), चीनी, बिस्किट के पैकेट और 1 लीटर मिनरल वाटर युक्त सूखे भोजन की राहत सामग्री के 2,000 संख्यक पैकेट नालको कर्मचारी बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति, नालको नगर से तुरंत खरीद कर 3 सितंबर, 2020 को कराड़पाड़ा, माझीपाड़ा, गैंडी, बेहरासाही और टिकरपाड़ा 05 गाँवों के लोगों को वितरित किए गए।

झ. प्रतिष्ठित शहर परियोजनाएँ:

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल विकास कार्यक्रम में भारत सरकार के निगम भागीदारों में से एक होने के नाते, नालको ने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पुराने और ऐतिहासिक शहर पुरी को भगवान जगन्नाथ मंदिर, समुद्र और एक स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में विकसित करने के काम में भाग लिया है। लॉकडाउन और शटडाउन के बावजूद इस दिशा में निम्नलिखित प्रगति हुई है:

क) गांधी पार्क में मरम्मत, जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और रखरखाव कार्य के साथ-साथ शटडाउन अवधि के दौरान निगरानी और चौकीदारी के लिए सुरक्षा की तैनाती की गई।

ख) श्री जगन्नाथ मंदिर और पुरी के जगन्नाथ वल्लभ मठ, पार्किंग स्थल के बीच आगंतुकों के वाहनों के लिए वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के परिवहन के लिए बैटरी संचालित वाहनों का संचालन किया गया है।

ग) नालको ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, पुरी को श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर संग्रहालय और उपवन (उद्यान) के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

घ) नालको ने पुरी के विभिन्न स्थानों में 12 संख्यक आरओ आधारित स्वच्छ जल केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे वर्ष भर पुरी आने वाले लाखों भक्तों को लाभ होगा।

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस समुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है?

लागू करने से पहले सभी परियोजनाओं को जरूरत के नजरिए से जाँचा जाता है। जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों को पहले कार्यान्वित किया जा रहा है। इसलिए जरूरत की पहचान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को महत्व दिया जा रहा है। आम तौर पर, महत्वपूर्ण जरूरतों की पहचान की जाती है और पारस्परिक रूप से प्राथमिकता दी जाती है। सामुदायिक जुड़ाव प्रक्रिया के माध्यम से जरूरतों की पहचान की जाती है और इसमें शामिल समुदायों को भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) उपकरणों के अनुप्रयोग के माध्यम से उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए सक्षम किया जाता है। गर्भाधान से समुदाय की भागीदारी सृजित परिसम्पत्तियों पर अधिक से अधिक स्वामित्व उत्पन्न करती है। इसके अलावा, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) जैसे- स्वयं सहायता समूह (एसजीएच), ग्राम विकास समिति (वीडीसी), युवा मंडल, किसान समूह आदि को परिवर्तन एजेंट के रूप में काम करने के लिए और जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तैयार, पुनर्जीवित और मजबूत किया जा रहा है। ये परिवर्तन एजेंट समुदाय द्वारा स्वीकृति और अपनाने को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर संवेदीकरण कार्यशालाओं और ग्राम स्तर की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिससे नालको और लक्षित समुदाय के बीच आपसी समझ को मजबूत किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अंततः बेहतर अपनाने की स्थिति और संधारणीयता मिलती है।

इसके अलावा, नालको स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण विकास, पर्यावरण (वृक्षारोपण) और जातीयता के विषयगत क्षेत्रों में सामुदायिक विकास पहलों को लागू करने के लिए वृहत्तर व्याप्ति और वर्धित स्वीकार्यता के लिए सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के साथ सहयोग के रास्ते तलाशती है।

सिद्धांत 9: व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं ले जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप में मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

9.1 वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं?

शिकायत से निपटने और निवारण के लिए आईएसओ 9001 आवश्यकताओं के अनुरूप एक निर्धारित प्रक्रिया प्रचलन में है। लागू प्रक्रिया के अनुसार, भुगतान, देर से वितरण, गुणवत्ता, मात्रा या प्रलेखन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के संबंध में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली शिकायतों का समाधान किया जाता है। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालयों के नालको के प्रतिनिधि और/या संयंत्र के सक्षम तकनीकी कर्मचारी शिकायत की जाँच करने और मौके पर ही मूल्यांकन करने के लिए ग्राहक के परिसर में जाते हैं। ऐसे मामलों में जहाँ ग्राहक द्वारा मुआवजा/दावा किया जाता है, एक समिति दावे के बारे में

सभी आवश्यक सत्यापन के बाद, पार्टी को हुए नुकसान का अनुमान लगाती है और देय मुआवजे की उचित राशि की सिफारिश करती है। एकमुश्त निपटान के रूप में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ग्राहक को उसका भुगतान किया जाता है। कंपनी की प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुधार के लिए ग्राहकों की शिकायतों की भी समीक्षा की जाती है।

31.03.2021 को यथा ग्राहक शिकायतों पर स्थिति की रिपोर्ट निम्नवत् है:

31.03.2020 को यथा लंबित शिकायतें	02
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतें	05
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	07
31.03.2021 को यथा लंबित शिकायतें	00
31.03.2021 को यथा लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	0%

9.2 स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद के लेबल पर क्या कंपनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है? जी नहीं।

कानूनी तौर पर केवल अनिवार्य पहलू से संबंधित सूचना उत्पाद के लेबल पर दी जाती है।

एल्यूमिनियम धातु के लिए, उत्पाद के लेबल पर उत्पाद ग्रेड, स्टैक की सं., बंडल सं., शुद्ध वजन प्रदर्शित होता है। रोल्ड (वेल्लित) उत्पादों के मामले में, कंपनी का नाम और उत्पादन की इकाई और जगह, कुंडली संख्या, ग्रेड, आकार (मोटाई X चौड़ाई) मिमी में, शुद्ध वजन (किलोग्राम में), निरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तारीख, उप-स्टैक की संख्या और प्रति पैकेट में शीट्स की कुल संख्या (केवल रोल्ड शीट के लिए) उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित होते हैं। एल्यूमिना के मामले में, कंपनी का नाम और लोगो, उत्पाद विवरण और उत्पाद कोड पैकेजिंग पर प्रदर्शित होते हैं। विशेष उत्पाद हाइड्रेट के मामले में, शुद्ध वजन/सकल वजन भी प्रदर्शित किया जाता है।

9.3 क्या किसी हितधारक ने गत पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार की शिकायत की है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है? यदि है, तो उसका विवरण दें : जी नहीं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी भी हितधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया गया है।

9.4 क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती है?

हाँ। ग्राहक और उपभोक्ता संतुष्टि और सद्भावना नालको का एक पोषित आदर्श वाक्य है और कंपनी के विपणन कर्मी इसे अपने पेशेवर एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हैं। कंपनी के उत्पादों और संबंधित सेवाओं पर ग्राहकों और उपभोक्ताओं की धारणा को समझने के लिए संगठन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारी गुणवत्ता नीति स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि ग्राहक की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करना और कंपनी की प्रणाली और कार्य लोकाचार में लगातार सुधार करना व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कुंजी है। कंपनी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चैनलों से उत्पाद और सेवा के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र करती है और कंपनी की ब्रांड छवि को बढ़ाने के लिए लगातार काम करती है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण सितंबर और मार्च को समाप्त होने वाली दो छह-मासिक अवधि के लिए हर वित्तीय वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है, ताकि अवधि के दौरान ग्राहकों की धारणाओं को परखा जा सके। ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर परिकलित वर्ष के दौरान औसत ग्राहक संतुष्टि सूचकांक लक्ष्य से अधिक है। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक को एक पवित्र विपणन मानदंड के रूप में लिया जाता है, जिसकी प्रवृत्ति मार्केटिंग के मोर्चे पर कंपनी के अपने प्रदर्शन का एक बुनियादी संकेतक है और इसका उपयोग बाजार में आगे की पैठ के लिए रणनीति विकसित करने के लिए किया जाता है।

अनुलग्नक-IV

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन पर रिपोर्ट:

1.0 ऊर्जा का संरक्षण:

1.1 **ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:**

उत्पादन इकाईयों के प्रतिस्पर्धी तरीके से संधारणीय संचालन के लिए, आपकी कंपनी ने 2020-21 के दौरान कई ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाया है। एकक की विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

1.2 **विभिन्न एककों में अपनाए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय निम्नानुसार हैं:**

1.2.1 **बॉक्साइट खान:**

1.2.1.1 ईंधन योज्य के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप एचएसडी की 42.66 कि.ली. की बचत हुई है।

1.2.1.2 खनन स्थल पर वाहनों की पार्किंग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप एचएसडी की 119.46 कि.ली. की बचत हुई है।

1.2.1.3 रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के स्थान पर बैकहोए शोवेल्स के वर्द्धित उपयोग से डीजल की खपत में कमी के परिणामस्वरूप एचएसडी की 76.93 कि.ली. की बचत हुई है।

1.2.1.4 ऊर्जा संरक्षण के लिए, ऊर्जा कुशल एलईडी रेट्रोफिट्स के लिए पारंपरिक ल्यूमिनरीज के प्रतिस्थापन का शेष कार्य जुलाई, 2020 तक पूरा कर लिया गया था। 2020-21 में कुल 28 किलोवाट की ल्यूमिनरीज को बदल दिया गया है, जिसमें लगभग 44 मेगावाट वार्षिक ऊर्जा बचत की संभावना है।

1.2.2 एल्यूमिना परिशोधक:

1.2.2.1 ताप हस्तांतरण में वृद्धि के कारण बॉयलर दक्षता बढ़ाने के लिए यूनिट # 2 बॉयलर में उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्वों के साथ पारंपरिक प्रोफाइल हीटिंग तत्वों का प्रतिस्थापन।

12.2.2 क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के लिए 70वाट की लाइटों को 40वाट की एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है, जिससे 4,02,100 किलोवाट/वर्ष की बचत हो रही है।

1.2.2.3 पुराने और कम दक्षता वाले 70 संख्यक एसी को 3-स्टार और उससे ऊपर के ऊर्जा कुशल एसी से बदल दिया गया है, जिससे 4,36,000 कि.वा.घं. / वार्षिक की बचत होती है।

1.2.2.4 पुराने और कई खराबी वाले मोटरों को ऊर्जा कुशल आईई2/आईई3 एल.टी. मोटरों से बदल दिया गया है, जिससे 63,300 कि.वा.घं./वर्ष की बचत होती है।

1.2.2.5 नवंबर, 2020 में, ₹41.23 लाख के पूँजी निवेश के साथ, परिशोधक के वा. व वि.सं. में 2 x 20 कि.वा.पीक क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर संयंत्र चालू किया गया था। मार्च, 2021 तक 15,051 कि.वा.घं. हरित ऊर्जा उत्पन्न हुई।

1.2.2.6 बॉल मिल - 004 के ग्राइंडिंग मीडिया को हाई-क्रोम मीडिया से बदल दिया गया है ताकि ग्राइंडिंग दक्षता में सुधार हो और ऊर्जा की बचत हो।

1.2. 3 प्रद्रावक संयंत्र:

1.2.3.1 कुल 866 पॉट्स के लिए कैथोड ब्लॉकों का ग्राफिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 2020-21 में 110 पॉट्स का ग्राफिटाइजेशन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पॉट लाइन में 55 किलोवाट/मे.ट. की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत में कमी आई है।

1.2.3.2 एक परीक्षण पायलट परियोजना: रियो टिंटो/अल्कान, कनाडा और आपकी कंपनी के बीच विकास सहयोग समझौते के तहत विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से पॉट लाइन में लगभग 150 कि.वा.घं./मे.ट. विशिष्ट डी.सी. ऊर्जा खपत में कमी के साथ "प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास" किया गया है।

1.2.3.3 ऊर्जा दक्ष आईई2/आईई3 मोटर्स के साथ पुरानी मोटरों का प्रतिस्थापन: 2020-21 में 185 मोटरों को बदला गया जिससे आईई3 के उपयोग के कारण 2.506 मि.यू. ऊर्जा की बचत हुई।

1.2.3.4 एचएफओ खपत को 96 कि.ली. / वर्ष तक कम करने के लिए वेल्लित उत्पाद एकक की मेल्टिंग फर्नेस नंबर 2 में रिक्यूपरेटर के साथ उच्च तापमान बर्नर स्थापित किया गया।

1.2.3.5 कूलिंग टावर-1(ङ) के हॉट वेल पंपों को ऊर्जा दक्ष पंपों से बदला गया जिससे 7,36,560 कि.वा.घ./वर्ष की ऊर्जा बचत हुई।

1.2.3.6 सी.आई.आई. टीम ने आपकी कंपनी के प्रयास को मान्यता दी और कोलकाता में सी.आई.आई. -पूर्व क्षेत्र द्वारा 13वें एनकॉन पुरस्कार-2020 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों की वृहद स्तरीय श्रेणियों के लिए प्रथम रनर अप ट्रॉफी के साथ-साथ पाँच सितारा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (उच्चतम सितारा) से सम्मानित किया।

1.2.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1.2.4.1 यूनिट -6 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण उन्नत प्रोफाइल हीटिंग एलीमेंट और डबल सीलिंग व्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वायु रिसाव में कमी और ताप हस्तांतरण में वृद्धि के कारण बॉयलर दक्षता में वृद्धि हुई है।

1.2.4.2 यूनिट # 1 से 6 (कुल 9 नंबर) के पुराने अक्षम रिसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर को ऊर्जा दक्ष स्क्रू कम्प्रेसर से बदल दिया गया है, इसमें से 2020-21 में 2 संख्यक को बदला गया है। इससे सहायक बिजली की खपत में कमी लाने में मदद मिली है।

1.2.4.3 कुल 14,039 पारंपरिक एमवी/एसवी लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों के प्रतिस्थापन के माध्यम से 20,75,487 किलोवाट की ऊर्जा बचत हासिल की गई। ।

1.2.4.4 ग्र.वि.सं. को 19 फरवरी, 2021 को आयोजित आभासी सम्मेलन में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा पूर्वी क्षेत्र में "सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा कुशल बिजली संयंत्र - कोयला (ग्र.वि.सं.)" के रूप में सम्मानित किया गया है।

1.3 2020-21 के दौरान प्रस्तावित या प्रगति पर ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँ:

1.3.1 बॉक्साइट खान:

1.3.1.1 औद्योगिक जल भंडारण टैंकों पर जल स्तर निगरानी प्रणाली निष्पादित की गई है और निगरानी में है जबकि पेयजल भंडारण टैंक के लिए समान प्रणाली प्रगति पर है।

1.3.1.2 उपरोक्त परियोजना जल की खपत के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत में प्रति वर्ष 41.06 मेगावाट-घंटे की एक अस्थायी विद्युत की कमी के साथ-साथ कच्चे भंडारण टैंकों से अधिक प्रवाह से बचने के लिए औद्योगिक जल की खपत में कमी का समर्थन करेगी।

1.3.1.3 130 कि.वा.पीक ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर संयंत्र की खरीद पूरी हो चुकी है और स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

1.3.2 एल्यूमिना परिशोधक:

1.3.2.1 यूनिट 4 एयर प्री-हीटर पारंपरिक प्रोफाइल हीटिंग तत्वों को उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्वों के साथ बदलना।

1.3.2.2 चरण 1, 2 और 3 के पाचन और डिसिलेशन के रीसर्क्युलेटिंग पंप्स मोटर्स में वीएफडी का प्रावधान।

1.3.2.3 पुराने और मल्टीपल रिवाउंड एलटी मोटर्स को आईई2/आईई3 क्लास मोटर्स से बदलना।

1.3.3 प्रद्रावक संयंत्र:

1.3.3.1 बेकिंग फर्नेस में ईंधन तेल की खपत को कम करने के लिए एनोड बेकिंग फर्नेस (एबीएफ)-I में मेन रिंग डैम्पर्स की स्थापना।

1.3.3.2 रॉडिंग शॉप-II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना और कमीशनिंग कार्यान्वयन अधीन है, ताकि पॉट्स में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत को कम किया जा सके और प्रक्रिया स्थिरता में सुधार किया जा सके।

1.3.3.3 पुराने कंप्रेसर हाउस (दो संख्यक) में ऊर्जा की बचत के लिए रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर की स्थापना।

1.3.3.4 फर्नेस 8 कास्ट हाउस-ए में थर्मल दक्षता बढ़ाने के लिए सॉलिड मेटल चार्जिंग डोर (एसएमसीडी) का प्रतिस्थापन।

1.3.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1.3.4.1 यूनिट-2 से 5 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर के 04 सेटों का उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्व और डबल सीलिंग व्यवस्था के साथ नवीनीकरण और आधुनिकीकरण।

1.3.4.2 यूनिट -1 से 5 तक के एक कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार: कंडेनसर वैक्यूम में सुधार किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप ताप दर और कोयले की खपत में कमी आएगी।

1.3.4.3 #1 से #5 तक के कूलिंग टावर पंखे में वीवीएफडी पैनल का कार्यान्वयन: इससे बिजली की खपत को कम करने में मदद मिलेगी।

1.4 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

1.4.1 आपकी कंपनी निम्नलिखित पवन और सौर उत्पादन इकाईयों का व्यावसायिक रूप से संचालन कर रही है:

1.4.1.1 गंडिकोटा, कडपा, आंध्र प्रदेश में 50.4 मेगावाट क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.2 लुदर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मेगावाट क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4..1.3 देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50.0 मेगावाट क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.4 जठ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मेगावाट क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.5 नालको भवन, नालको नगर, एनआरटीसी और परिशोधक के भवनों में 620 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट।

1.4.2 आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, परिशोधक के रूफ टॉप सोलर विद्युत संयंत्र से सृजित 15,051 कि.वा.घं. सहित पवन विद्युत से 295 मि.यू. और सौर ऊर्जा से 0.52 मि.यू. का विद्युत उत्पादन किया है।

1.4.3 2020-21 के दौरान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग और 2021-22 के दौरान कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई:

1.4.3.1 खानों में स्थापित 130 कि.वा.पीक आरटी एसपीवी संयंत्र, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाना है।

1.4.3.2 पत्तन सुविधाओं में एक 100 किलोवाट का आरटी एसपीवी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

1.4.3.3 कयाथर, तमिलनाडु में 25.5 मेगावाट की पवन परियोजना की स्थापना की जा रही है।

1.5 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजी निवेश:

1.5.1 बॉक्साइट खान:

क्रम सं.	मद	निवेश (लाख रुपये में)
1.	ईंधन योज्य का उपयोग	8.6
2.	पारंपरिक लाइट फिटिंग्स को एलईडी लाइट्स से बदलना	13.85
3.	रूफ टॉप सोलर पावर संयंत्र (130 कि.वा.पीक) की स्थापना	73

1.5.2 एल्यूमिना परिशोधक:

क्रम सं.	मद	निवेश (लाख रुपये में
1.	बॉयलर -2 में उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्वों के साथ पारंपरिक हीटिंग तत्वों का प्रतिस्थापन	42.36
2.	मौजूदा आईई1 क्लास मोटर्स को आईई2/आईई3 क्लास मोटर्स से बदलना	45.77
3.	पारंपरिक 70वाट लाइट फिटिंग्स को 40वाट एल.ई.डी. लाइट्स से बदलना	23
4.	पुराने और कम दक्षता वाले एसी को 3 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले ऊर्जा कुशल एसी से बदलना।	14.65
5.	रूफ टॉप सोलर पावर संयंत्र (2X20 कि.वा.पीक) की स्थापना	41.23

1.5.3 प्रद्रावक संयंत्र:

क्रम सं.	मद	निवेश (लाख रुपये में
1.	110 पॉट्स में कैथोड ब्लॉकों का ग्राफिटाइजेशन	10932.49
2.	पुराने मोटर्स को आईई3 मोटर्स से बदलना	57.91
3.	वेल्लित उत्पाद एकक में रीक्यूपरेटर के साथ उच्च ताप बर्नर की स्थापना	56.34
4.	कूलिंग टावर-1 के हॉट वेल पंप्स को ऊर्जा कुशल पंप्स से बदलना	15.45

1.5.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

क्रम सं.	मद	निवेश (लाख रुपये में
1.	यूनिट -6 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण	593
2.	दो पुराने रिसीप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर्स को नए ऊर्जा दक्ष स्क्रू कंप्रेशर्स से बदला गया	54
3.	पारंपरिक एमवी/एसवी लाइटों को एलईडी लाइटों से बदलना	88.66

2.0 प्रौद्योगिकी अंगीकरण, समावेशन और अभिनवता:

क्रम सं.	प्रौद्योगिकी	इनके लाभ
1.	पारंपरिक फ्लैट बॉटम सेटलर्स/वाशर को हाई रेट थिकनर और डीप कोन वाशर से बदलना।	पीएच-1, 2 और 3 के लिए फ्लैट बॉटम वाशर और सेटलर्स के स्थान पर एचआरटी और डीसीडब्ल्यू की खरीद और स्थापना का कार्य प्रगति पर है। परिवर्तन के लाभ हैं: छोटे पदचिह्न क्षेत्र। कम होल्डिंग समय और इसलिए कम हाइड्रोलिसिस हानि / ताप हानि। उच्च अंडरफ्लो ठोस के परिणामस्वरूप कम घुलनशील सोड़ा और एल्यूमिना हानि कम होती है।
2.	प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद स्वीकार किए गए लाल पंक के शुष्क निपटान के लिए दाब निस्पंदन।	कार्यान्वयन के अधीन (डीपीआर चरण)। इसके लाभ हैं: लाल पंक कीच ठोस में सुधार वर्तमान में 56% से 75% से बेहतर है। कीचड़ के साथ सोड़ा हानि में न्यूनतम 36 प्रतिशत की कमी। आगे के अध्ययन के बाद लाल पंक के तालाब की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का अनुमान लगाया जाएगा।
3.	धारा 4 अवक्षेपण में इंटर स्टेज कूलर का एक और चरण जोड़ना।	सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुआ। लिक्कर उत्पादकता में सुधार हुआ।
4.	एनोड बट मापदंडों को मापने के लिए इन-लाइन स्वचालित एनोड बट निगरानी प्रणाली का विकास।	कार्बन संयंत्र में प्रणाली स्थापित हुई। एनोड बट्स की निगरानी प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
5.	एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस सेल के एनोड करंट वितरण के ऑनलाइन मापन के लिए वाई-फाई सक्षम सेंसर व्यवस्था का विकास।	उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सीस्टम का उपयोग किया जा रहा है। बीमार पॉट्स के निरीक्षण और निगरानी में मदद मिलेगी।

3.0 पिले 5 वर्षों के दौरान आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण:

क्रम सं.	प्रौद्योगिकी आयातित/उन्नत	आयात/उन्नयन का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया है	यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो वह क्षेत्र जहाँ यह नहीं हुआ है, इसके कारण और भविष्य की कार्य योजना
1.	बॉक्साइट के लिए मध्यम दाब पाचन	-	-	विस्तार के लिए कार्यान्वयन के तहत प्रस्तावित।

4.0 अनुसंधान एवं विकास पर व्यय: **₹ करोड़ में**

प्रकृति	2020-21	2019-20
पूँजी	0.79	2.76
राजस्व	11.83	10.82
कुल	12.62	13.55
कारोबार के% के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.14	0.16

5.0 वर्ष 2020-21 के लिए विदेशी मुद्रा आय, ₹5,060.72 करोड़ की हुई, जबकि 2019-20 में ₹3,442.97 करोड़ थी। रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय ₹277.84 करोड़ था, जबकि 2019-20 में ₹520.30 करोड़ था।

अनुलग्नक-V

निगम अभिशासन रिपोर्ट

1.0 अभिशासन संहिता की धारणा:

निगम अभिशासन एक व्यापक शब्द है जिसमें सामाजिक और संस्थागत दोनों पहलू शामिल हैं। निगम अभिशासन विश्वास योग्य, सदाचरण और साथ ही नैतिक वातावरण को प्रोत्साहित करता है। यह पारदर्शिता, प्रकटन, दायित्वशीलता और अखंडता की नींव रखता है। यह केवल मात्र कानून से अधिक मनःस्थिति है जो सुशासन सुनिश्चित करती है। कोई कानून न होने पर भी नैतिक व्यवसाय अभ्यासों से सुशासन होता है।

अच्छा निगम प्रशासन निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देता है जो बदले में एक संगठन की क्षमता को भुनाने का काम करता है। यह हितधारकों की अपेक्षाओं के मूल्यवर्धन में मदद करता है और मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है। निगम अभिशासन एक संगठन में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है जहाँ शेयरधारक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और संगठन उनके अधिकारों को पहचानता है।

2.0 निदेशक मंडल:

कंपनी के समग्र निष्पादन और दृश्यता में निदेशक-मंडल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक प्रबुद्ध निदेशक-मंडल कंपनी के लिए दृष्टि, रणनीति और नीति तैयार करता है और इसकी प्रभावशीलता के लिए समय-समय पर इसकी समीक्षा करता है। निदेशक-मंडल कंपनी के यथार्थ मालिक के रूप में शेयरधारकों के अपरिहार्य अधिकारों और हितधारकों के लिए न्यासिता के रूप में अपनी भूमिका में विश्वास करता है।

2.1 निदेशक-मंडल की संरचना:

2.1.1 निदेशक-मंडल की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है::

(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक।

(ii) दो अंशकालिक सरकारी निदेशक।

(iii) आठ अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

2.1.2 31 मार्च, 2021 को यथा निदेशक-मंडल की संरचना का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
	कार्यात्मक निदेशक		
1.	श्री श्रीधर पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	06500954	17.12.2019
2.	श्री राधाश्याम महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	07248972	01.01.2020
3.	श्री मनसा प्रसाद मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार*	08951624	01.11.2020
4.	श्री बिजय कुमार दाश निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वाणिज्यिक)-अतिरिक्त प्रभार#	08984700	01.12.2020
	अंशकालिक सरकारी निदेशकगण$		
5.	श्री सत्येन्द्र सिंह, भा.प्र.से.^	05195060	05.08.2020
6.	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.@	07151125	09.11.2020

* निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में श्री एस.के. रॉय की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री मनसा प्रसाद मिश्र को 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 28.02.2021 को श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्यिक) की सेवानिवृत्ति पर 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था , जिन्हें पहले 01.12.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

निदेशक (उत्पादन) के रूप में श्री वी. बालसुब्रमण्यम् की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री बिजय कुमार दास को 01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में दिनांक 28.02.2021 को श्री पी.के. मिश्रा, निदेशक (वाणिज्यिक) सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार 01.03.2021 से सौंपा गया।

$ डॉ. के. राजेश्वर राव, भा.प्र.से. और श्री अनिल कुमार नायक, अंशकालिक सरकारी निदेशकों का कार्यकाल 05.08.2020 को समाप्त हो गया।

^ श्री सत्येंद्र सिंह, भा.प्र.से. और श्री उपेंद्र सी. जोशी, आईआरटीएस को 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

$ श्री उपेंद्र सी. जोशी, आईआरटीएस, अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यकाल 09.11.2020 को समाप्त हो गया।

@ श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से. को दिनांक 09.11.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

2.1.3 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशक अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशक निदेशक-मंडल की कुल संख्या का 33.33 प्रतिशत हैं। 08.09.2020 से निदेशक-मंडल में कोई अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

2.1.4 वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, निदेशक-मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149(4) के अनुपालन में नहीं थी। निदेशक-मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (सेबी विनियम) के विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) दोनों के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी, पूरे वित्तीय वर्ष में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होने से संबंधित प्रावधान को छोड़कर, जो 07.09.2020 तक अनुपालन में था।

2.1.5 उपरोक्त गैर-अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई दोनों द्वारा जुर्माना लगाया गया। प्रशासनिक मंत्रालय को, एक सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए दंड के बारे में सूचित किया गया था और उनसे अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था। समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष तथ्य रखे गए और उसके बाद, निदेशक मंडल के निर्णयों को संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को दंड को माफ करने के अनुरोध के साथ सूचित किया गया, क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा, कंपनी के अनुरोध के आधार पर, इस तथ्य के लिए कि, निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है, दंड को माफ करने के लिए, बीएसई ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से 30.09.2020 और 31.12.2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए लगाए गए दंड को माफ कर दिया है। लगाए गए जुर्माने की माफी के लिए एनएसई के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और बीएसई से 30.06.2020 और 31.03.2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए लगाए गए दंड को माफ करने का अनुरोध किया गया है।

2.2 निदेशक-मंडल की बैठकें और निदेशकों की उपस्थिति:

2.2.1 निदेशक-मंडल नियमित अंतराल व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए पर बैठक करता है और कंपनी के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करता है। निदेशक-मंडल को सेबी विनियमों की अनुसूची II के भाग-ए के साथ पठित विनियम 17 में निर्धारित मामलों पर कार्यसूची मदों की समीक्षा करने और उन पर विचार करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

2.2.2 निदेशक-मंडल ने अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है, जिनमें कुछ वैधानिक हैं और कुछ गैर-सांविधिक प्रकृति की हैं।

2.2.3 निदेशक-मंडल की बैठकों, समिति की बैठकों और सामान्य बैठकों के आयोजन के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।

2.2.4 न्यूनतम 7 दिन की अग्रिम सूचना देकर समिति के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक बुलाई जाती हैं। बैठक में तात्पर्यपूर्ण और सुविज्ञ चर्चा के लिए बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले विस्तृत मसौदा टिप्पणियों के साथ आम तौर पर कार्यसूची परिचालित की जाती है।

2.2.5 निदेशक मंडल की बैठकें और समिति की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की एक बैठक पुरी में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा चिन्हित 30 पर्यटन स्थलों में से एक में बैठक आयोजित की गई थी।

2.2.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक-मंडल की आठ बैठकें हुईं। बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के साथ बैठक की तिथियाँ नीचे दी गई हैं:

उपस्थित निदेशकों की संख्या						
निदेशक-मंडल बैठक संख्या एवं तारीख	निदेशक-मंडल जनशक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक सरकारी	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	जनशक्ति पर उपस्थिति का प्रतिशत%
321वीं 26.06.2020	9	5	1	2	8	88.89
322वीं 04.09.2020	9	5	1	2	8	88.89
323वीं 11.11.2020	7	5	0	0	5	71.43
324वीं 18.11.2020	7	5	1	0	6	85.71
325वीं 27.01.2021	7	5	2	0	7	100.00
326वीं 12.02.2021	7	5	2	0	7	100.00

उपस्थित निदेशकों की संख्या						
निदेशक-मंडल बैठक संख्या एवं तारीख	निदेशक-मंडल जनशक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक सरकारी	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	जनशक्ति पर उपस्थिति का प्रतिशत%
327वीं 15.03.2021	6	4	2	0	6	100.00
328वीं 23.03.2021	6	4	2	0	6	100.00

टिप्पणियाँ

(क) किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 69 दिनों का था।

(ख) 321वीं और 322वीं निदेशक-मंडल की बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था। हालांकि, वर्ष के दौरान हुई शेष बैठकों में स्वतंत्र महिला निदेशक के बिना कोरम (निदेशकों की आवश्यक संख्या) मौजूद था।

2.2.7 नीचे दी गई तालिका 2020-21 के दौरान आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकों में निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति, पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशक पद और अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता और अध्यक्षता को दर्शाती है:

नाम और पदनाम	निदेशक-मंडल की बैठकें		30.09.2020 को आयोजित 39वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की संख्या	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री श्रीधर पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	8	8	हाँ	2	शून्य	शून्य
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	4	4	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	2	2	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त-प्रभार&	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राधाश्याम महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	8	8	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम.पी. मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार*	6	6	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी. के. दाश निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वाणिज्यिक) –अतिरिक्त प्रभार#	4	4	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. के. राजेश्वर राव, भा.प्र.से. अंशकालिक सरकारी निदेशक##	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए.के. नायक, आईओएफएस अंशकालिक सरकारी निदेशक##	1	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री उपेंद्र सी. जोशी, आईआरटीएस अंशकालिक सरकारी निदेशक%	1	1	नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री सत्येन्द्र सिंह, भा.प्र.से. अंशकालिक सरकारी निदेशक^	7	4	नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से. अंशकालिक सरकारी निदेशक@	6	5	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री एन. एन. शर्मा स्वतंत्र निदेशक@@	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अचला सिन्हा स्वतंत्र निदेशक^^	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: सेबी विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

$$ 30.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

& निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त-28.02.2021 को अतिरिक्त प्रभार।

* 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल 05.08.2020 को समाप्त हो गया।

% 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 09.11.2020 को पद पर नहीं रहे।

^ 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

@ 09.11.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

@@ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 05.09.2020 को समाप्त हुआ।

^^ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07.09.2020 को समाप्त हुआ।

2.2.8 सभी निदेशकों के निदेशकत्व (ओं) और समिति सदस्यता (ओं)/अध्यक्षता (ओं) की संख्या अधिनियम और सेबी विनियमों के तहत निर्धारित संबंधित सीमाओं के भीतर है।

2.2.9 कोई भी निदेशक कंपनी के निदेशक-मंडल में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

2.3 गैर-कार्यकारी निदेशकगण:

2.3.1 अंशकालिक सरकारी निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं जो निदेशक-मंडल का हिस्सा हैं।

2.3.2 जहाँ अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय से निदेशक-मंडल में नामित किया जाता है, वहीं अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

2.3.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर और निदेशक-मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक उक्त अधिनियम, सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

2.3.4 निदेशक-मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। नियुक्ति पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। जब भी कोई स्वतंत्र निदेशक निदेशक-मंडल में नियुक्त होता है, स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशक-मंडल में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।

2.3.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

2.3.6 निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर उनके लिए अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को एसोचैम, सीआईआई, स्कोप और डीपीई द्वारा संचालित किए जा रहे अनुकूलन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है ताकि वे देशीय/वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन/विकास के पक्षों पर अद्यतन हो सकें। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/11/Familiarisation_Programme_for_Directors-14-11-2019.pdf

2.3.7 किसी भी गैर-कार्पालक निदेशक का कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है।

2.3.8 स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी में स्टॉक विकल्प के संबंध में कोई अधिकार नहीं हैं।

2.3.9 सभी निदेशक कंपनी द्वारा ली गई डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स (डी एंड ओ) बीमा के अंतर्गत शामिल हैं।

2.3.10 निदेशक-मंडल में कोई गैर-कार्यपालक निदेशक 75 वर्ष से अधिक के नहीं है।

2.4 निदेशक-मंडल की कुशलता/विशेषज्ञता/दक्षता से निर्दिष्ट तालिका/ढाँचा:

खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के सभी निदेशकों को कंपनी के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में एक निदेशक द्वारा आवश्यक मूल कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची की पहचान नहीं की है, जैसा कि सेबी विनियमों के तहत आवश्यक है।

2.5 **निदेशक-मंडल के सदस्यों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन:**

2.5.1 निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो निदेशक-मंडल, समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की विधि, जिन्हें निदेशक-मंडल रिपोर्ट में उल्लेख किए जाने की आवश्यकता होती है, को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है।

2.5.2 अधिनियम के अधीन निदेशक-मंडल के सदस्यों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को निगम मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2015 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए भी छूट दी गई है।

2.5.3 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक के दायरे से सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को वापस लेते हुए डीपीई द्वारा दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा भी इसी तरह की रियायत प्रदान की गई है।

2.5.4 दिनांक 05.07.2017 के परिपत्र के माध्यम से एमसीए ने अधिनियम की अनुसूची-IV में निर्दिष्ट गैर-स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन कार्यविधि को छूट दी है।

2.5.5 सेबी विनियमों के तहत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को ऐसी कोई रियायत/मुक्ति नहीं दी गई है।

3.0 निदेशकों का पारिश्रमिक:

3.1 आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक, लाभ और निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। एमसीए ने सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट दी है।

3.2 सभी कार्यात्मक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।

3.3 सरकार द्वारा नामित निदेशक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं।

3.4 स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹30,000/- का बैठक शुल्क और स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक सहित निदेशक-मंडल द्वारा गठित समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹25,000/- का भुगतान किया जाता है। यह फीस अधिनियम के तहत निर्धारित सांविधिक सीमा के भीतर है।

3.5 कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों में भाग लेने के लिए आवश्यक व्यवस्था करती है। बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए फिटकर व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3.6 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या भारत सरकार के अधिवर्षिता या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। अंशकालिक सरकारी निदेशकों को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित किया जाता है और वे प्रशासनिक मंत्रालय के अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहते हैं। अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

3.7 कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

3.8 किसी निदेशक को विच्छेद शुल्क के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। नोटिस अवधि मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लागू है और नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट है।

3.9 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	वर्ष 2020-21 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
श्री श्रीधर पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	48,72,253	6,854	48,79,098
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	54,06,893	38,17,118	92,24,011
श्री एस. के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	36,60,245	34,51,031	71,11,276
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (वित्त) – अतिरिक्त प्रभार&	66,99,718	36,38,216	1,03,37,934
श्री राधाश्याम महापाल निदेशक (मानव संसाधन)	47,25,511	32,751	47,58,262

नाम	वर्ष 2020-21 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
श्री एम. पी. मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार*	20,86,852	9,41,913	30,28,765
श्री बी. के. दाश निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वाणिज्यिक) –अतिरिक्त प्रभार#	16,59,103	7,094	16,66,197

टिप्पणी: अन्य लाभों में ग्रेच्युटी, निष्पादन संबंधी वेतन और चिकित्सा लाभ, जैसा लागू हो, शामिल हैं।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

$$ 30.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

& निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त -28.02.2021 से अतिरिक्त प्रभार।

* 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ सौंपा गया।

01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) के अतिरिक्त प्रभार के साथ सौंपा गया।

3.10 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	बैठक शुल्क (₹)		कुल (₹)
	निदेशक-मंडल की बैठक	समिति की बैठक	
श्री एन. एन. शर्मा@@	55,500	1,61,875	2,17,375
श्रीमती अचला सिन्हा^^	55,550	1,85,000	2,40,500

टिप्पणी: बैठक शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि से टीडीएस(स्रोत पर कर कटौती) की कटौती की गई थी।

@@ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 05.09.2020 को समाप्त हो गया।

^^ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07.09.2020 को समाप्त हुआ।

4.0 निदेशक-मंडल की विभिन्न समितियाँ:

4.1 निदेशक-मंडल स्तर की 10 समितियाँ हैं जिनमें से 7 समितियाँ वैधानिक हैं और 3 समितियाँ स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। 08.09.2020 से निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सांविधिक समितियों यथा- लेखा-परीक्षा समिति, नि.सा.उ. और संधारणीयता विकास समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

4.2 विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुचारू करने के लिए समय-समय पर निदेशक मंडल के कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के मिश्रण के साथ स्वैच्छिक समितियों का गठन किया गया था।

4.3 निदेशक-मंडल बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति की बैठकों पर समान रूप से लागू होते हैं।

4.4 प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित हैं।

5.0 सांविधिक समितियां:

5.1. लेखा परीक्षा समिति:

5.1.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के निदेशक-मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक थे। इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। 08.09.2020 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में सेबी विनियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। चूँकि लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है, निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, सभी मामले जिन्हें लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक था, सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया था।

5.1.2 सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, सेबी विनियमों का अनुपालन करने के लिए लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

5.1.3 दिनांक 08.09.2020 से लेखा परीक्षा समिति के अस्तित्व के संबंध में उपरोक्त गैर-अनुपालन से पहले, समिति की वर्ष के दौरान दो बार बैठक हुई, अर्थात 26.06.2020 और 04.09.2020 को। इन दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बीच 69 दिनों का अंतर था।

5.1.4 उपरोक्त दो बैठकों में समिति के सदस्य और प्रत्येक सदस्य ने बैठक (बैठकों) में भाग लिया, जो इस प्रकार हैं:

लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
श्रीमती अचला सिन्हा^^	स्वतन्त्र	अध्यक्ष	2	2
श्री एन. एन. शर्मा@@	स्वतन्त्र	सदस्य	2	2
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यकारी	सदस्य	2	2

^^ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07.09.2020 को समाप्त हुआ

@@ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 05.09.2020 को समाप्त हुआ।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

5.1.5 निदेशक (वित्त) के अलावा निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी), निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (मानव संसाधन) को समिति में आमंत्रित किया गया था, जो समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

5.1.6 आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख, सांविधिक लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को आवश्यकता के आधार पर बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

5.1.7 कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

5.1.8 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में दिनांक 30.09.2020 को आयोजित 39वीं वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को अध्यक्ष का पद रिक्त था। इसलिए, समिति के अध्यक्ष 39वीं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान उपस्थित नहीं थे।

5.1.9 लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें मोटे तौर पर इस प्रकार हैं:

5.1.9.1 **लेखापरीक्षा समिति के अधिकार:**

- संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जाँच करना।
- किसी भी कर्मचारी से सूचना मांगना।
- बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- संबंधित विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो।

5.1.9.2 **अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- निदेशक-मंडल को, लागत लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना और यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखा परीक्षा शुल्क और नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।
- लागत लेखापरीक्षकों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को निदेशक-मंडल के पास जमा करने से पहले निम्नलिखित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना:
  - अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।
  - लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।
  - प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
  - लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
  - वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन और अन्य कानूनी अर्हताओं का अनुपालन।
  - संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन।
  - मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएँ।
- निदेशक-मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

- इश्यू, (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रिया के उपयोग की निगरानी करनेवाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए निदेशक-मंडल को उचित सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या तदुपरांत कोई रूपांतरण।
- अंतर-निगम ऋण और निवेश, यदि कोई हो, की जाँच करना।
- कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का, यथा आवश्यक, मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना।
- किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों के उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले की सूचना निदेशक-मंडल को रिपोर्ट करना है।
- लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा परीक्षा की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में चर्चा के साथ-साथ किसी भी चिंता के क्षेत्र का पता लगाने के लिए तत्पश्चात लेखा परीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का गैर-भुगतान के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई हो, के कारणों की जाँच करना।
- सचेतक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना।
- एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (भीतरी व्यवसाय निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन का पुनरीक्षण करना और यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त है और कुशलता से काम कर रही है।
- इस प्रावधान के लागू होने की तारीख को विद्यमान वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश सहित सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग किए जाने का पुरीक्षण करना ।
- ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल और/या अन्य निदेशकों की समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है।

5.1.9.3 **लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षा:**

- वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम;
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण;
- प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
- आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें, और
- व्यतिक्रमों का विवरण:
    - निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य हो, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।
    - विनियम 32(7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका/नोटिस में बताए गए प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

5.1.9.4 लेखापरीक्षा समिति की कार्यवाहियों में यह भी शामिल है:

- लागत नियंत्रण पर्याप्त होने और प्रचालन के आकार के अनुरूप होने की जाँच करना।

- आय बढ़ाने जा सकने वाले और लागत कम किए जानेवाले क्षेत्रों का अध्ययन करना
- उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र पर प्रबंधन सूचना प्रणाली और निदेशक-मंडल को अपनी संस्तुति देना।

5.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

5.2.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के निदेशक-मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक थे। इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। 08.09.2020 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में सेबी विनियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। चूँकि समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है, निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, सभी मामलों को समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक था, सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया था।

5.2.2 समिति के संदर्भ की शर्तें:

- कार्यपालकों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों में निर्धारित सीमा के अँदर वितरण वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल नीति का अनुमोदन।
- अधिनियम और सेबी विनियमों में निहित विषय वस्तु।

5.2.3 एमसीए ने अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 और 05.07.2017 के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ निश्चित प्रावधानों, जैसे कि निदेशक-मंडल और व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता निर्धारित करने के लिए नीति तैयार करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, निदेशकों की स्वतंत्रता और निदेशकों के पारिश्रमिक के लिए निदेशक-मंडल को दी गई नीति की संस्तुति से छूट दी है। तथापि, सेबी के विनियम के तहत अभी तक सेबी द्वारा ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

5.2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

5.2.5 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में दिनांक 30.09.2020 को आयोजित 39वीं वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को अध्यक्ष का पद रिक्त था। इसलिए, समिति के अध्यक्ष 39वीं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान उपस्थित नहीं थे।

5.3 हितधारक संबंध समिति

5.3.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के निदेशक-मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक थे। इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। 08.09.2020 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में सेबी विनियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। चूँकि समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है, निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, सभी मामलों को समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक था, सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया था।

5.3.2 समिति शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश की प्राप्ति न होने और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित निवेशकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी करती है।

5.3.3 समिति के संदर्भ की शर्तें:

- शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने और आम बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का निवारण करना।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना।
- दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और प्रयासों की समीक्षा करना।

5.3.4 प्रत्यक्ष या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों की सभी शिकायतों पर विचार करने और उन्हें हल करने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। शिकायतों का संभावित समय में शीघ्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किए गए।

5.3.5 श्री एन. के. मोहंती, आपकी कंपनी के महाप्रबंधक और कंपनी सचिव को सेबी विनियमों के विनियम 6(1) के तहत अपेक्षित अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.3.6 वर्ष के दौरान एक बैठक 31.08.2020 को हुई।

5.3.7 31.08.2020 को समिति का गठन और हुई बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	भाग लिया
श्रीमती अचला सिन्हा^^	स्वतन्त्र	अध्यक्षा	1	1
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक)&	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री राधाश्याम महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

^^ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07.09.2020 को समाप्त हुआ।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

& निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त -28.02.2021 को अतिरिक्त प्रभार।

5.3.8 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में दिनांक 30.09.2020 को आयोजित 39वीं वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को अध्यक्ष का पद रिक्त था। इसलिए, समिति के अध्यक्ष 39वीं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान उपस्थित नहीं थे।

5.3.9 वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त एवं निराकरण की शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

जिनसे प्राप्त हुई	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हुए समाधान	अंतिम शेष
सेबी	0	7	7	0
स्टॉक एक्सचेंज	0	6	6	0
व्यक्ति	0	1,524	1,524	0
कुल	**0**	**1,537**	**1,537**	**0**

टिप्पणी: प्राप्त शिकायतों की संख्या कंपनी के शेयरधारकों की कुल संख्या का 0.49% है। सभी शिकायतों का उचित समय सीमा के भीतर समाधान किया गया।

5.3.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त और समाधान की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

शिकायतों का प्रकार	शिकायतों की संख्या
सिक्योरिटी का प्राप्त न होना	18
लाभांश का प्राप्त न होना	1496
वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना	10
कुल	**1,537**

5.3.11 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों को नियमित अंतराल पर पत्र भेजकर उनसे अपने पैन, पते और बैंक विवरणों को डेटाबेस में अपडेट करने का अनुरोध किया था ताकि कंपनी प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम रहे।

5.3.12 इसके अलावा, सेबी विनियमों के विनियम 40 में संशोधन करते हुए सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि संचरण एवं प्रतिस्थापन मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रभावी भौतिक शेयरों की प्रक्रिया/प्रभावी अंतरण न करे। प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने की सलाह दी है।

5.4 जोखिम प्रबंधन समिति

5.4.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के निदेशक-मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक थे। इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। 08.09.2020 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका।

5.4.2 समिति संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

- प्रचालनात्मका, कार्यनीतिक, बाहरी पर्यावरण जोखिमों और साइबर सुरक्षा की पहचान, मूल्यांकन और शमन के संबंध में उत्तरदायित्वों की निरीक्षण में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- कंपनी की जोखिम नीतियों और संबद्ध प्रथाओं की निगरानी रखने और अनुमोदित करने के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी।

- किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणों की समीक्षा करना और उनका अनुमोदित करना।

5.4.3 समिति जोखिम मूल्यांकन योजना की समीक्षा और निगरानी करती है, आकलन किए गए जोखिम और उठाए जाने वाले कदम के बारे में समय-समय पर निदेशक-मंडल को सूचित करती है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में संभावित जोखिमों का विवरण भी दिया गया है।

5.4.4 श्री आर.सी. जोशी, महाप्रबंधक (वित्त) को 03.06.2020 से कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

5.4.5 वर्ष के दौरान 25.06.2020 को समिति की एक बैठक हुई।

5.4.6 समिति का गठन और दिनांक 25.06.2020 को हुई बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणई	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री एन. एन. शर्मा@@	स्वतन्त्र	अध्यक्ष	1	1
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

@@ कार्यकाल 05.09.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हुआ।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

$$ 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त।

5.5 नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति:

5.5.1 वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के निदेशक-मंडल में दो स्वतंत्र निदेशक थे। इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में दिनांक 08.09.2020 से समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। चूँकि समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है, निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, सभी मामलों को समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक था, सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया।

5.5.2 समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

- संबंधित पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकारी समितियों (आरपीडीएसी) और एमएमडीआर अधिनियम के अधीन स्वीकार किए जानेवाले प्रस्ताव के जरिए कंपनी द्वारा की जा रही परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी करना।
- नालको फाउंडेशन।
- पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण।

5.5.3 समिति की वर्ष के दौरान 19.05.2020 और 31.08.2020 को दो बार बैठक हुई।

5.5.4 उपरोक्त दो बैठकों में समिति का गठन और प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री एन. एन. शर्मा@@	स्वतन्त्र	अध्यक्ष	2	2
श्रीमती अचला सिन्हा^^	स्वतन्त्र	सदस्य	2	2
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यात्मक	सदस्य	2	2
श्री राधाश्याम महापाल निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यात्मक	सदस्य	2	2

@@ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 05.09.2020 को समाप्त हुआ।

^^ स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 07.09.2020 को समाप्त हुआ।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

5.6 प्रौद्योगिकी समिति:

5.6.1 डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया।

5.6..2 समिति प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों का आकलन करने की निगरानी करती है एवं विशेष ध्यान देती है र प्रतिस्पर्धा मं बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और समावेशन के साथ साथ कंपनी के प्रद्रावक, परिशोधक आदि से संबंधित विशिष्ट खपत मानकों की समीक्षा एवं प्रद्योगिकी क्षेत्र में संधारणीय शक्ति को बनाए रखने हेतु अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर विशेष ध्यान देती है।

5.6.3 वर्ष के दौरान 25.06.2020 को समिति की एक बैठक हुई।

5.6.4 दिनांक 25.06.2020 को हुई बैठक में समिति का गठन और प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थिति बैठक इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणई	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यकारी	अध्यक्ष	1	1
श्री एस. के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक) एवं (वित्त) अतिरिक्त प्रभार &	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री एम. पी. मिश्र, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार*	कार्यकारी	सदस्य	—	—
श्री बी. के. दाश, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वाणिज्यिक)-अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	सदस्य	—	—

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

$$ 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त।

& निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त -28.02.2021 को अतिरिक्त प्रभार।

* 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

5.7 शेयर अंतरण समिति:

5.7.1 फटे हुए/विकृत/विरूपित/गुम हो चुके/पुनः भौतिकीकरण के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मामलों को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यात्मक निदेशकों को शामिल करते हुए गठित शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

5.7.2 समिति ने वर्ष के दौरान 18.06.2020, 10.07.2020, 27.11.2020, 15.12.2020, 08.01.2021 और 22.01.2021 को छह बार बैठक की।

5.7.3 31.03.2021 को समिति की संरचना और बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यकारी	अध्यक्ष	3	3
श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	कार्यकारी	सदस्य	1	2
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार &	कार्यकारी	सदस्य/अध्यक्ष	6	6
श्री राधाश्याम महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यकारी	सदस्य	6	6
श्री एम. पी. मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$	कार्यकारी	सदस्य	4	3
श्री बी. के. दाश निदेशक (उत्पादन)@	कार्यकारी	सदस्य	3	3

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

$$ 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त।

& सदस्य के रूप में 3 बैठकों और समिति के अध्यक्ष के रूप में 3 बैठकों में भाग लिया (30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) की सेवानिवृत्ति पर समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित)। निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त - 28.02.2021 को अतिरिक्त प्रभार।

* 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

6.0 गैर-सांविधिक समितियाँ (स्वैच्छिक प्रकृति में):

6.1 मानव संसाधन समिति:

6.1.1 निदेशक-मंडल को अपनी संस्तुति के लिए कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन पर नीतिगत निर्णय लेना समिति के पास निहित है।

6.1.2 समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावों का अध्ययन करके अनुमोदन के लिए निदेशक-मंडल को संस्तुति करना है:

- निदेशक-मंडल स्तर से नीचे के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियमों और विनियमों का निर्माण और उनमें परिवर्तन।
- गैर-कार्यपालकों की वेतन संरचना और वेतनमान और उनमें कोई परिवर्तन।
- जनशक्ति योजना सहित संगठन का चार्ट।
- निदेशक-मंडल द्वारा समय-समय पर दिया गया कोई अन्य संदर्भ।

6.1.3 वर्ष के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

6.2 नैतिकता और निगम अभिशासन समिति

6.2.1 यह समिति कंपनी में अपनाए जा रहे नैतिक मानकों और सुशासन पर निगरानी रखती है।

6.2.2 समिति के संदर्भ की शर्तें में शामिल हैं:

- सभी स्तरों पर निगम अभिशासन का पालन करना और जहाँ कहीं आवश्यक हो, सुधार के उपायों का सुझाव देना।
- कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए मीडिया को निविष्टियों का प्रावधान करना।
- निवेशकों, संस्थानों और आम जनता को तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी का प्रसार।
- मौजूदा और संभावित एफआईआई और रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ आपसी बातचीत।
- परामर्शदाताओं/सलाहकारों की सहायता से, यदि आवश्यक हो, तो कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की जाँच स्थापित करना।
- उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी की सुविधा के लिए कंपनी भर में आंतरिक संचार के मानकीकृत माध्यमों की स्थापना।
- सेबी की शर्तों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गठित निम्नलिखित का अनुपालन:
  - वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
  - अंतरंगी व्यवसायी विनियम
  - संबंधित पक्ष के लेनदेन
  - सतर्कता संबंधी मुद्दे
  - सचेतक नीति

6.2.3 समिति की वर्ष के दौरान एक बार 31.08.2020 को बैठक हुई।

6.2.4 समिति का गठन और 31.08.2020 को हुई बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती अचला सिन्हा^^	स्वतन्त्र	अध्यक्ष	1	1
श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

नाम	श्रेणी	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक)&	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री राधाश्याम महापाल निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

^^ कार्यकाल 07.09.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हुआ।

$$ 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त।

& निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त -28.02.2021 को अतिरिक्त प्रभार।

6.3 परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

6.3.1 यह समिति परियोजना से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखती है और नई परियोजनाओं में निवेश की सिफारिश करती है।

6.3.2 समिति के संदर्भ की शर्तें नई परियोजनाओं/संयुक्त उद्यमों पर पूँजीगत व्यय की जाँच करके निदेशक-मंडल को सिफारिश करना है:

- डीपीआर तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का मूल्यांकन और अनुमोदन।
- भारत और विदेशों में प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं में निवेश के प्रस्तावों का अध्ययन और निदेशक-मंडल को सिफारिश करना।
- प्रत्येक ₹100 करोड़ से अधिक की लागत वाली पूँजीगत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना।

6.3.3 वर्ष के दौरान समिति की एक बार 25.06.2020 को बैठक हुई।

6.3.4 समिति का गठन और दिनांक 25.06.2020 को हुई बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री श्रीधर पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	कार्यात्मक	अध्यक्ष	1	1
श्री ए. के. नायक अंशकालिक सरकारी निदेशक^	सरकारी नामिती	सदस्य	1	0
श्री वी. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन)$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री एस. के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)$$	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री पी. के. मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार-&	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री राधाश्याम महापाल निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री एम. पी. मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)*	कार्यात्मक	सदस्य	0	0
श्री बी. के. दाश निदेशक (उत्पादन)#	कार्यात्मक	सदस्य	0	0

^ 05.08.2020 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।

$ 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में सेवानिवृत्त।

$$ 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में सेवानिवृत्त।

& निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त) के रूप में सेवानिवृत्त - 28.02.2021 को अतिरिक्त प्रभार।

* 01.11.2020 से निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

01.12.2020 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

7.1 अधिनियम के साथ-साथ सेबी विनियमों के तहत स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक एक अपेक्षित है।

7.2 निगम मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ क्षेत्रों को जैसे- सरकारी कंपनियों के लिए अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से निदेशक-मंडल के कार्यनिष्पादन की समीक्षा को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के क्षेत्र से मुक्त रखा है।

7.3 समिति कंपनी प्रबंधन और निदेशक-मंडल के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करती है जो निदेशक-मंडल के लिए अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निर्वाह करने के लिए आवश्यक है।

7.4 वर्ष के दौरान 31.08.2020 को एक बैठक हुई।

7.5 दिनांक 31.08.2020 को आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही:

नाम	श्रेणई	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
श्री एन. एन. शर्मा@@	स्वतन्त्र	अध्यक्ष	1	1
श्रीमती अचला सिन्हा^^	स्वतन्त्र	सदस्य	1	1

@@ कार्यकाल 05.09.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हुआ।

^^ कार्यकाल 07.09.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त हुआ।

7.6 कंपनी सचिव ने स्वतंत्र निदेशकों के अनुरोध पर बैठक आयोजित करने और धारण करने की सुविधा प्रदान की।

7.7 बैठक के कार्यवृत्त को निदेशक-मंडल की सूचना के लिए बाद की निदेशक-मंडल बैठक में रखा गया था।

8.0 साधारण सभा बैठकें:

8.1 अंतिम तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष	वार्षिक साधारण बैठक की तारीख	समय	विशेष संकल्प, यदि कोई हो	स्थान
2017-18	29.08.2018	11:00 बजे पूर्वाह्न	नहीं	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
2018-19	18.09.2019	11:00 बजे पूर्वाह्न	नहीं	
2019-20	30.09.2020	11:00 बजे पूर्वाह्न	नहीं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल का अर्थ है ["ओएवीएम"] मान लिया गया स्थान: नालको भवन, पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर- 751 013

8.2 पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई है।

8.3 कोविड-19 के प्रकोप के कारण, कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल ने कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, पिछली वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई थी।

8.4 पात्र शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में शामिल होने और स्पीकर के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई।

8.5 30.09.2020 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। एजीएम के दौरान सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सके।

8.6 इस वार्षिक आम बैठक में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित करने का प्रस्ताव नहीं है।

9.0 संचार के साधन:

9.1 कंपनी अच्छे निगम अभिशासन अभ्यास के एक उपाय के रूप में, भौतिक जानकारी साझा करने और समयानुसार परिणामों के प्रकटन में विश्वास करती है।

9.2 पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी विनियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर घोषित किए गए थे। सेबी द्वारा घोषित की गई विस्तारित समयावधि के भीतर कंपनी की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम घोषित किए गए।

9.3 निदेशक-मंडल की बैठकों के समापन से निर्धारित समय के भीतर एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सीस्टम (एनईपीएस) और बीएसई लिस्टिंग सेंटर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को परिणाम प्रसारित किए गए थे, जहाँ निदेशक-मंडल द्वारा परिणामों को मंजूरी दी गई थी। साथ ही परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड कर दिए गए।

9.4 परिणामों के अंश अंग्रेजी और उड़िया समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

परिणाम का विवरण	बैठक की तारीख	समाचार-पत्र	प्रकाशन की तारीख
पहली तिमाही- (अप्रैल-जून, 2020)	04.09.2020	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) और समाज (ओड़िआ)	05.09.2020
दूसरी तिमाही- (जुलाई-सितंबर, 2020)	11.11.2020	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और संबाद (ओड़िआ)	12.11.2020
तीसरी तिमाही- (अक्टूबर- दिसंबर, 2020)	12.02.2021	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) और धारित्री (ओड़िआ)	13.02.2021
चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2021 और वर्ष 2020-21)	28.06.2021	इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेज़ी) और प्रमेया (ओड़िआ)	29.06.2021.

9.5 कंपनी ने अपने शेयरधारकों से संवाद करने के लिए ई-संचार पद्धति को अपनाया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचनाएँ/रिपोर्ट उन शेयरधारकों की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जाती हैं, जिन्होंने डेटाबेस में अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की है। जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उन्हें तत्काल और बेहतर संचार के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9.6 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य विज्ञप्ति वेबसाइट में उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाउनलोड करने योग्य रूप में होस्ट की जाती है।

9.7 समय-समय पर अपने लाभांश के नकदीकरण की स्थिति के साथ-साथ अन्य संबंधित जानकारी का पता लगाने के लिए शेयरधारकों के लिए वेबसाइट में "निवेशक सेवा" पृष्ठ में ऑन-लाइन आक्सेस सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

9.8 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय, भविष्य के विस्तार, विविधीकरण आदि पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ साक्षात्कार समय-समय पर विभिन्न चैनलों में प्रसारित किए गए।

10.0 सामान्य शेयरधारक सूचना:

10.1 कंपनी पंजीकरण विवरण:

निगम पहचान संख्या (सीआईए;)	:	L27203OR1981GOI000920
कंपनी का पैन	:	AAACN7449M
कंपनी का जीएसटी	:	21AAACN7449M1Z9
पंजीकरण की तारीख	:	7 जनवरी, 1981
वित्तीय वर्ष	:	1st अप्रैल - 31 मार्च
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओड़िशा.

10.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक साधारण बैठक:

चल रहे कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, निगम मामले मंत्रालय ने दिनांक 13.01.2021 के परिपत्र के माध्यम से 31 दिसंबर, 2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, इस वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को आयोजित होने का प्रस्ताव है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वार एवं तारीख	वृहस्पतिवार, 30 सितंबर, 2021
समय	11.00 बजे पूर्वाह्न
माना गया स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
मोड	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

10.3 2021-22 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

घटनाक्रम	संभावित तारीख
गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर/सेबी द्वारा प्रदत्त विस्तारित समय, यदि कोई हो।
चौथी तिमाही के परिणाम सहित वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर/ सेबी द्वारा प्रदत्त विस्तारित समय, यदि कोई हो।
31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक	सितंबर, 2022 तक

10.4 लाभांश नीति:

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और यह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/लाभांश-Policy.pdf

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कें.सा.क्षे.उ. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन, कर-पश्चात लाभ का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा।

10.5 लाभांश का भुगतान:

10.5.1 वर्ष के दौरान, कंपनी ने दो चरणों में कुल ₹460.61 करोड़ की राशि का ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

10.5.2 निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 20% की दर से अंतिम लाभांश अर्थात ₹1 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है।

10.5.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश भुगतान (अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश के दो चरणों सहित) पिछले वर्ष के ₹279.84 करोड़ के मुकाबले ₹644.27 करोड़ है (2019-20 में प्रति शेयर ₹1.50 प्रति शेयर के मुकाबले 2020-21 में ₹3.50 प्रति शेयर)।

10.5.4 01.04.2020 से प्रभावी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के अनुसार लाभांश शेयरधारकों के हाथों में टीडीएस के अधीन है। लाभांश की घोषणा के बाद, शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी लाभांश आय से कोई टीडीएस नहीं काटा गया था, फॉर्म 15जी/15एच जमा करने की सलाह दी गई थी। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, कंपनी के आरटीए ने शेयरधारकों द्वारा फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा के लिए निम्नलिखित लिंक भी प्रदान किया: https://ris.kfintech.com/form15/

10.6 पिछले 5 वर्षों का लाभांश इतिहास:

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	भागतान की तारीख	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)	कर पश्चात लाभ के प्रति लाभांश का %
2015-16	(अंत.)- ₹1.25 (अंति.)- ₹0.75	(अंत.)-31.03.2016 (अंति.)-25.10.2016	467.13	63.90
2016-17	(अंत.)- ₹2.80 (अंति.)- शून्य	(अंत.)-23.03.2017 (अंति.)-ला.न.	541.22	80.96
2017-18	(अंत.)- ₹4.70 (अंति.)- ₹1.00	(अंत.)- 28.02.2018 (अंति.)-24.09.2018	1,101.77	82.07
2018-19	(अंत.)- ₹4.50 (अंति.)- ₹1.25	(अंत.)- 28.03.2019 (अंति.)-14.10.2019	1,072.73	161.49
2019-20	(अंत.)- ₹1.50 (अंति.)- शून्य	(अंत.)-06.03.2020 (अंति.)-लागू नहीं	279.84	202.45

अंतरिम(अंत.), अंतिम(अंति.)

10.7 सूचीयन विवरण:

नालको के शेयरों का सूचीयन विवरण इस प्रकार है:

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड(आईएसआईएन)	INE 139A01034	INE 139A01034
2021-22 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	30.04.2021	30.04.2021

कंपनी द्वारा एनएसडीएल और सीडीएसएल को वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक परिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान किया गया है।

10.8 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य डेटा:

महीना	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि ₹ में)			शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि ₹ में)			बाजार पूँजीकरण (करोड़ ₹ में)	
	उच्च.	न्यून.	औसत कारोबार	उच्च.	न्यून.	औसत कारोबार	बीएसई	एनएसई
अप्रैल, 2020	35.35	27.55	492028	35.35	27.50	13181555	5820.70	5824.40
मई	31.15	26.80	492508	30.80	26.75	9348168	5324.42	5322.56
जून	34.90	29.35	1485600	34.90	29.30	19779099	5913.95	5915.82
जुलाई	37.50	31.25	825630	37.50	31.25	16338643	6320.65	6324.38
अगस्त	40.00	32.50	826829	40.05	32.50	15144424	6736.68	6742.28
सितंबर	38.00	30.00	704201	38.05	29.95	12660590	6376.62	6376.62
अक्टूबर	33.30	29.15	518480	33.30	29.10	11768462	5757.24	5753.51
नबंबर	40.20	29.95	919607	40.20	29.95	14154020	6443.78	6443.78
दिसंबर	45.00	37.40	1694289	45.00	37.35	23739704	7854.18	7852.31
जनवरी,2021	50.00	42.90	1943148	50.00	42.90	29349300	8688.10	8691.83
फरवरी	61.20	47.35	2601318	61.25	47.30	30468859	9645.15	9652.61
मार्च*	64.00	50.80	1505520	64.00	50.70	23947960	10514.54	10510.86

स्रोत: बीएसई एवं एनएसई के बेवसाइट

*बाय-बैक ऑफर के कारण 17.03.2021 को बकाया चुकता इक्विटी शेयरों की कुल संख्या 1,86,56,17,498 से घटकर 1,83,66,31,787 रह गई।

10.9 व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना में निष्पादन:

बीएसई:

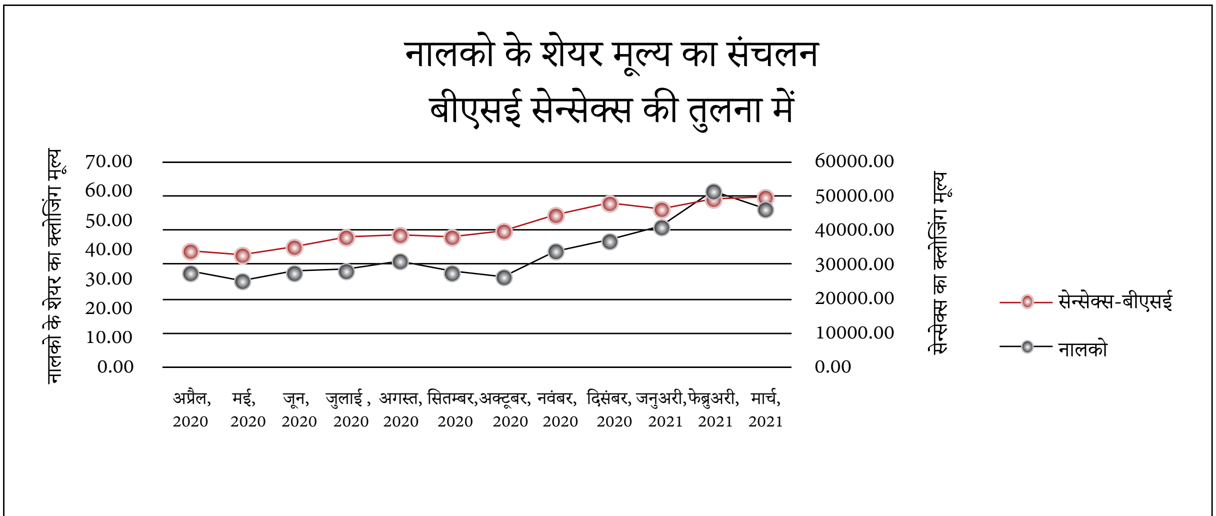

<u>एनएसई:</u>

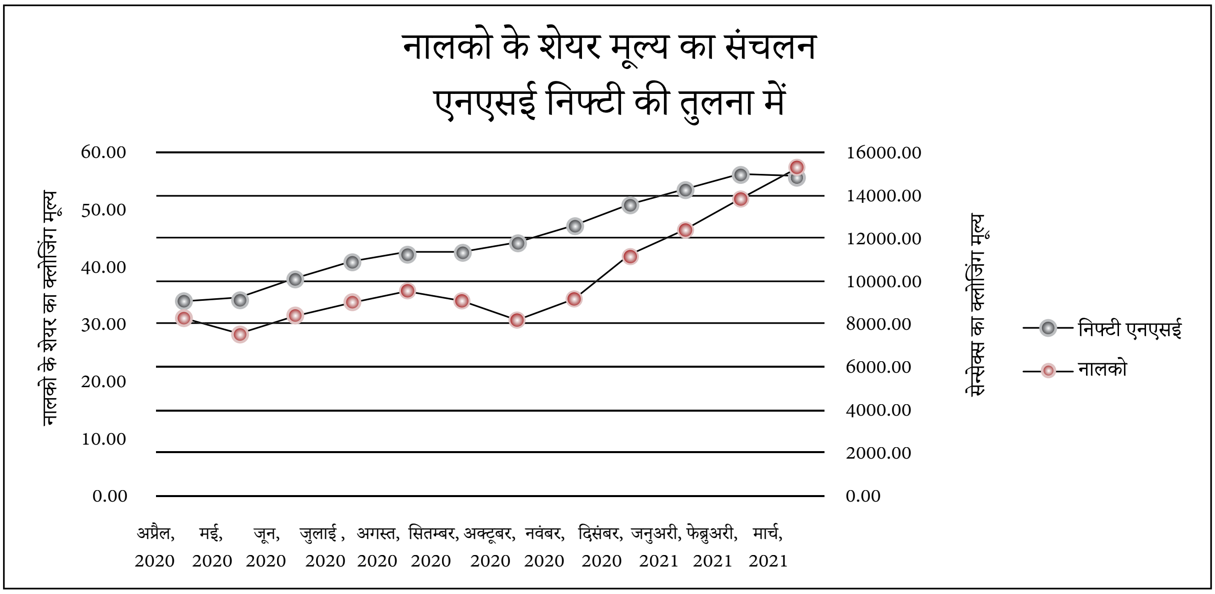

10.10 रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

कंपनी में शेयरधारकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शेयरधारकों को कुशल और प्रभावी सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए, शेयर रजिस्ट्री गतिविधियों को मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) को आउटसोर्स किया गया है। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड शेयरों से संबंधित गतिविधियों जैसे शेयरों का प्रसारण, शेयरों का स्थानांतरण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, नाम हटाना, पता बदलना, बैंक विवरण, समाप्त लाभांश वारंट के बदले डीडी जारी करना, लाभांश खातों का मिलान आईईपीएफ से संबंधित गतिविधियों, नामांकित व्यक्तियों के पंजीकरण, शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन/ रीमटेरियलाइजेशन आदि सभी कार्य संभालती है। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का संपर्क विवरण इस प्रकार है:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

यूनिट: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32,

वित्तीय जिला, नानक्रामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,

हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना।

टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001, ईमेल:einward.ris@kfintech.com

10.11 शेयर ट्रांसफर प्रणाली:

निदेशक-मंडल द्वारा कंपनी सचिव को शेयरों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन और डीमैटरियलाइजेशन से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, फटे हुए / विकृत/ विरूपित / गुम हो गए / पुन: भौतिकीकरण के मामले में नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामलों को शेयर हस्तांतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं। सेबी विनियमों के संशोधित विनियम 40 के अनुपालन में भौतिक शेयरों का हस्तांतरण 01.04.2019 से रोक दिया गया है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सेबी विनियमों के विनियम 7 (3) के तहत आवश्यक अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा, सेबी विनियमों के विनियम 40(10) के अनुसार, मेसर्स देब महापात्र एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव से अर्धवार्षिक आधार पर से प्रमाण पत्र द्वारा पुष्टि की गई कि सभी प्रमाण पत्र ट्रांसमिशन / ट्रांसपोजिशन, सब-डिवीजन, समेकन, नवीनीकरण, एक्सचेंज या कॉल / आवंटन धन के समर्थन के लिए जमा करने की तारीख के तीस दिनों के भीतर जारी किए गए और स्टॉक एक्सचेंजों को सांविधिक अवधि के अंदर जमा किया गया।

10.12 31.03.2021 को यथा शेयरधारिता स्वरूप:

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता क %
1.	प्रमोटर (भारत के राष्ट्रपति)	1	94,17,93,011	51.28
2.	बैंक/वित्तीय संस्थान	44	18,56,95,649	10.11
3.	म्यूचुअल फंड	56	16,63,22,897	9.06
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1,600	0.00
6.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	150	15,38,50,192	8.38
6.	निगमित निकाय	1,503	7,80,64,722	4.25
7.	भारतीय जनता	2,99,988	27,77,21,052	15.12
8.	अन्य	11,694	3,31,82,664	1.81
	कुल	**3,13,438**	**1,83,66,31,787**	**100.00**

10.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रमोटर की होल्डिंग निम्नलिखित तरीके से बदल गई है:

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या (वर्ष के आरंभ में)	धारिता का %	वर्ष के दौरान कमी हुई	परिवर्तन की तारीख	मोड	शेयर शेष	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	96,07,93,011	51.50	1,90,00,000	17.03.2021	शेयरों की वापस खरीदी	94,17,93,011	51.28

10.14 31.03.2021 को यथा संवर्ग-वार शेयरधारिता

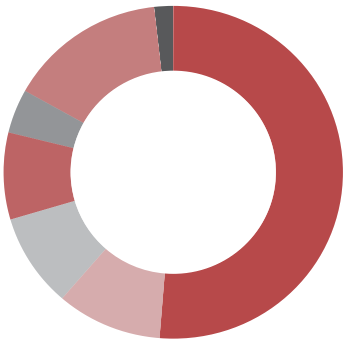

10.1531.03.2021 को शेयरधारिता का वितरण:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूँजी का %
1-200	1,78,194	56.85	1,42,85,981	0.78
201-500	58,773	18.75	2,22,67,029	1.21
501-1000	33,425	10.66	2,79,15,953	1.52
1001-50000	42,344	13.52	18,03,75,966	9.82
50001-100000	311	0.10	2,21,36,425	1.21
100001 and above	391	0.12	1,56,96,50,433	85.46
कुल	**3,13,438**	**100.00**	**1,83,66,31,787**	**100.00**

10.1631.03.2021 को यथा कंपनी के प्रमोटर के अलावा शीर्ष 10 इक्विटी शेयरधारक:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	10,41,04,003	5.67
2.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड	6,14,34,544	3.34
3.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,97,31,664	1.62
4.	आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड खाता	2,27,18,194	1.24
5.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,95,42,744	1.06
6.	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1,83,85,327	1.00
7.	रेणुका इंवेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड	1,64,18,964	0.89
8.	यूटीआई-मिड कैप फंड	1,53,42,503	0.84
9.	सोसाइटी जेनरल - ओडीआई	1,45,79,584	0.79
10.	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड	1,28,14,264	0.70
	कुल	**31,50,71,791**	**17.15**

10.17सूचीबद्ध शेयरों और चलनिधि का अभौतिकीकरण / पुन: भौतिकीकरण:

10.17.1 कंपनी के शेयर अनिवार्य अभौतिकीकृत खंड में हैं और दोनों डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास स्वीकृत हैं।

10.17.2 अभ्यासत कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पुनर्मिलान के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को सांविधिक अवधि के भीतर जमा की गई है।

10.17.3 31.03.2021 को भौतिक और अभौतिक रूप में धारित शेयरों की कुल संख्या :

	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या
भौतिक	18,31,792	0.10	2,465
डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक)			
एनएसडीएल	1,66,34,55,360	90.57	1,40,690
सीडीएसएल	17,13,44,635	9.33	1,70,283
कुल	**1,83,66,31,787**	**100**	**3,13,438**

10.17.4 वर्ष के दौरान, 17,004 शेयरों से जुड़े 35 अभौतिकीकरण अनुरोधों की पुष्टि की गई है। वर्ष के दौरान कोई पुनः भौतिकीकरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

10.18 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया गया है।

10.19 उचंत खाते में इक्विटी शेयर:

सेबी विनियमों के विनियम 34(3) और अनुसूची V, भाग एफ के अनुसार कोई भी इक्विटी शेयर उचन्त खाते में नहीं पड़ा है।

10.20 भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश का आईईपीएफ को अंतरण:

अधिनियम के अधीन प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दावाहीन अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹10,38,882/- की राशि और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दावाहीन अंतिम लाभांश से संबंधित ₹6,85,923/- की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि मेंअंतरित की गई है।

शेयरधारक निम्नलिखित लिंक में वेबसाइट से अप्रत्त/दावाहीन लाभांश से संबंधित डेटा प्राप्त कर सकते हैं: https://kosmic.karvy.com/IEPF/IEPFInfo.aspx

10.21आईईपीएफ में शेयरों का हस्तांतरण:

10.21.1 अधिनियम की धारा 124(6) और समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 के अनपालन में, जिन शेयरों के संबंध में सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण खाते में अंतरित करना आवश्यक है।

10.21.2 वर्ष के दौरान, 100 शेयरधारकों के 29,173 शेयर एनएसडीएल के साथ खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए गए। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में 913 शेयरधारकों के 2,61,353 शेयर अंतरित किए हैं। आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों की विस्तृत जानकारी https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/01/Shares-Transferred-to-IEPF-4-1-2021.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

10.21.3 आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों और/या लाभांश का वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन जमा करके आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ प्राधिकरण और फॉर्म आईईपीएफ-5 से शेयरों/लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया निम्नलिखित लिंक में प्रदान की गई है: http://www.iepf.gov.in/IEPF/corporates.html

10.22वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव जोखिम:

कंपनी का वस्तु बचाव पर प्रकटन नहीं है और इसलिए दिनांक 15 नवंबर, 2018 के सेबी परिपत्र के अनुसार प्रकटन को शून्य माना गया है। हालांकि, निर्धारित सेबी प्रारूप के अनुसार शून्य रिपोर्ट नीचे दी गई है:

माल का नाम	विशेष वस्तु के प्रति भारतीय रुपये में अरक्षितता	विशेष वस्तु के विषय में माला हिसाबसे अरक्षितता	वस्तु व्युत्पादित के माध्यम से बचाव की गई ऐसी अरक्षितता का%				
			देशीय बाजार		अंतरराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.23 किसी भी संशोधन के साथ संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग(उधार मूल्यांकन) की सूची:

वर्ष के दौरान, मेसर्स इंडिया रेटिंग्स ने आपकी कंपनी की रेटिंग, साधन-वार निम्नानुसार पुष्टि की है:

साधन के प्रकार	रेटिंग/आउटलुक
अल्पकालिक बैंक सुविधाएँ	इंड ए1+
दीर्घावधि बैंक सुविधाएँ	इंड एए/स्थिर

रेटिंग एजेंसी द्वारा 18.02.2021 के रेटिंग मूल्यांकन कार्यवाही के प्रकाशन के साथ उपरोक्त रेटिंग की पुन: पुष्टि की गई है।

11.0 अन्य प्रकटन:

11.1 कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों पर एक नीति का गठन किया है जो निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NEW-RPT-नालको.pdf

संबंधित पक्ष और संबंधित पक्षों के लेनदेन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के एकलस्थित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों दोनों की टिप्पणी संख्या 38 में प्रकट किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक लेन-देन नहीं किया गया था। निर्धारित फॉर्म एओसी -2 में संबंधित पक्ष के लेनदेन निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

11.2 कंपनी ने इस रिपोर्ट में कहीं और बताई गई सीमा को छोड़कर निगम अभिशासन पर सेबी विनियमों, अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले का अनुपालन न करने के लिए कंपनी को कोई सख्ती नहीं मिली है और सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। हालांकि, दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई ने स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, मुख्य रूप से निदेशक-मंडल और अन्य सांविधिक समितियों की संरचना पर, विभिन्न तिमाहियों के लिए सेबी विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने के लिए दंड लगाया है। कंपनी, केंद्र सरकार की कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और यह कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया गया है। बीएसई ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 द्वारा 30.09.2020 और 31.12.2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए दंड को माफ कर दिया है।

11.3 सतर्कता तंत्र के एक उपाय के रूप में, निदेशक-मंडल ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन या नैतिकता नीति। नीति तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करती है।

यह भी पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया था। दोनों नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf और https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf

11.4 आज तक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी ने सामग्री सहायक के निर्धारण के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।

11.5 कंपनी के पास एक मुद्रा बचाव नीति है, जिसकी समीक्षा नियामक प्रावधान, यदि कोई हो और बाजार की गतिशीलता में परिवर्तन पर विचार करते हुए की जाती है। हालांकि, कंपनी की बिक्री पर कोई बचाव (हेजिंग) नीति नहीं है।

11.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिमानी आवंटन या योग्यताप्राप्त संस्थानिक व्यवस्थापन के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है।

11.7 कंपनी ने मेसर्स देब महापात्र एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के निदेशक-मंडल में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल या निगम मामले मंत्रालय या कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से राका नहीं गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उक्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

11.8 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है जहाँ निदेशक-मंडल ने किसी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की है जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

11.9 कंपनी ने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए शुल्क और व्यय के लिए वर्ष के दौरान ₹73 लाख का भुगतान किया है।

11.10 वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

11.11 विभिन्न नीतियों के लिए वेब लिंक संबंधित शीर्षों के अधीन प्रदान किए गए हैं।

11.12 निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

11.13 **भेदिया व्यापार संहिता:**

11.13.1 निदेशक-मंडल ने सेबी (अनधिकृत व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटन के लिए एक मजबूत आचरण संहिता निर्धारित की है।

11.13.2 इस संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कोई भी अंतरंगी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना, जो उसके पास है, को सार्वजनिक किए जाने से पहले कोई लाभ प्राप्त नहीं करे या दूसरों को कोई लाभ प्राप्त करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं करे।

11.13.3 कंपनी सचिव इस संहिता के अनुपालन अधिकारी हैं।

11.13.4 निदेशक-मंडल ने अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को नियंत्रित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता को भी अनुमोदित किया है।

11.13.5 भेदिया (इनसाइडर) को भेदिया व्यापार संहिता में वर्णित कुछ शर्तों और अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन अनधिकृत व्यापार योजना तैयार करने का अधिकार होता है। व्यापार योजना को अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होती है।

11.13.6 मनोनीत व्यक्ति और उनके निकट संबंधियों को ट्रेडिंग विंडो (व्यवसाय अवसर) बंद होने पर प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। संहिता में निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों/मनोनीत कर्मचारियों को इस संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रारंभिक सीमा से ऐसे लेनदेन का मूल्य अधिक होने पर निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध के पास अपने लेनदेन के प्रकट करने आवश्यकता पड़ती है।

11.13.7 यह संहिता कंपनी की वेबसाइट निम्नलिखित लिंक में प्रदर्शित है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/AMENDED-COPP.pdf

11.14 **आचार संहिता**

11.14.1 कंपनी ने कंपनी के सभी निदेशक-मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) के लिए लागू एक आदर्श व्यावसायिक आचरण और नैतिकता ('संहिता') तैयार की है। कोड कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CodeofConduct.pdf

11.14.2 निदेशक-मंडल में शामिल होने पर सभी निदेशकों को संहिता की एक प्रति प्रदान की जाती है, वे इसे प्राप्त होने की सूचना देते हैं। इसके अलावा, निदेशक-मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आधार पर संहिता की पुष्टि करते हैं।

11.15 सेबी विनियमों की अनुसूची V के तहत अपेक्षित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

घोषणा

निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहि ता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता.
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

11.16 **मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सीएफओ प्रमाणन:**

श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और श्री एम. पी. मिश्र, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) और निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, सेबी विनियमों के विनियम 17(8) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सीएफओ प्रमाणपत्र, दिनांक 28.06.2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

11.17 **डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटन:**

11.17.1 लेखा बहियों में उन व्ययों को घटाया नहीं गया है, जो व्यवसाय से संबंधित न हों।

11.17.2 कोई ऐसा व्यय नहीं है, जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया हो।

11.17.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय और कार्यालय व्यय का विवरण वित्तीय व्यय का विवरण और इसकी वृद्धि के कारण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20
प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	103.23	124.14
कुल व्यय	7,785.87	8,518.18
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय	1.33	1.46
वित्तीय व्यय	7.08	5.74

11.17.4 कंपनी तिमाही आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को 'बहुत अच्छा' दर्जा दिया गया है। 2020-21 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट को वेबसाइट पर निम्न कड़ी पर देखा जा सकता है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/04/For-Quarter-ended-31.03.2021.pdf

11.17.5 कंपनी ने वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया है।

11.17.6 कंपनी निदेशक-मंडल और सांविधिक निदेशक-मंडल स्तर की उप-समितियों की संरचना को छोड़कर निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

12.0 गैर-अनिवार्य आवश्यकताएँ

सेबी विनियमों की अनुसूची-II के भाग-ई के साथ पठित विनियम 27(1) के तहत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:

- कंपनी को पिछले कई वर्षों से सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से गैर-योग्यताप्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जो गैर-योग्यताप्राप्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की सूचक है।
- आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक को रिपोर्ट करते हैं और बदले में, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

13.0 कंपनी के संयंत्रों की अवस्थिति:

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय : नालको भवन प्लॉट सं. पी/1, नयापल्ली भुवनेश्वर – 751013, (ओड़िशा)	**प्रद्रावक संयंत्र** नालको नगर अनुगुल - 759 145, (ओड़िशा)
खान एवं परिशोधक खान एवं परिशोधक संकुल दामनजोड़ी- 763 008 जिला-कोरापुट, (ओड़िशा)	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र** अनुगुल - 759 122, (ओड़िशा)
पत्तन सुविधाएँ अयस्क संवहन संकुल के सामने पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम्-530035, (आंध्र प्रदेश)	**जैसलमेर 47.6 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - लुडर्वा, काहेला, खदेरो-की-ढाणी, तावारिया, चातरेल मंडल/तालुक/जिला - जैसलमेर राजस्थान – 345001
गंडीकोटा 50.4 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - गंडीकोटा मंडल - प्रोदात्तुर तालुक– जम्मालमाडुगु, जिला – कडपा, आंध्र प्रदेश	**सांगली 50.4 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम-मेंधीगिरी, तालुक-जाथ जिला- सांगली, महाराष्ट्र- 416404
जैसलमेर 50 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम –देवीकोट, तहसील-फतेहगढ़ मंडल/तालुक/जिला – जैसलमेर राजस्थान- 245009	**कायाथार 25.5 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम- ओणम्कुलम्,तहसील- कायाथार जिला- तूतीकोरिन, तमिल नाडु- 628303
पत्तन सुविधाएँ	
विशाखापत्तनम् अयस्क संवहन संकुल के सामने, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530 035 आंध्र प्रदेश	**पारादीप (पत्तन कार्यालय)** 'व्ही' प्वाइंट, बड़पड़िया, पारादीप - 751 142
क्षेत्रीय कार्यालय	

पूर्वी क्षेत्र प्रथम तल जे.के.मिलेनियम सेण्टर, प्रथम तल 46-डी,चौरंघी रोड़ कोलकाता- 700 071	**पश्चिमी क्षेत्र** 215, टी.वी.इण्डस्ट्रियल इस्टेट एस.के.अहीरे मार्ग,वर्ली, मुम्बई - 400 030
उत्तरी क्षेत्र कोर-4 (पांचवाँ तल), साउथ टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली- 110 092	**दक्षिणी क्षेत्र** 3ई, सेझुरी प्लाजा, 560, अन्ना सलाई, तेयनामपेट, चेन्नई-600 018
शाखा कार्यालय	
बेंगळूरु भूमि तल, "जल भवन" सं. 6, प्रथम स्तर, प्रथम चरण बीटीएम लेआऊट, बान्नेरघट्टा मेन रोड़ बेंगळूरु - 560 029	
स्टॉक यार्ड	
भिवंडी मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- एनएसआईसी लिमिटेड, 183/5 इंडियन कार्पोरेशन कंपाउंड, मनकोली नाका, मुंबई नासिक रोड, ठाणे, महाराष्ट्र, भिवंडी - 421 302.	**कोलकाता** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, डब्ल्यूएच, 1-सोनपुर रोड, कोलकाता - 700 088, पश्चिम बंगाल
जयपुर मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ओम प्रकाश अग्रवाल, खसरा 9/2/3, 9/2/4 और 16/12, ग्राम निमेदा, बिंद्याका औद्योगिक क्षेत्र के पास, सिरसी रोड, जयपुर -302012, राजस्थान.	**विशाखापत्तनम्** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम् - 530 035, आंध्र प्रदेश,
बद्दी मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- एनएसआईसी लिमिटेड, ग्राम : धरमपुर, पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़, जिला : सोलन - 173205, हिमाचल प्रदेश	**चेन्नई** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- एनएसआईसी लिमिटेड, प्लॉट सं. ए-12, सीएमडीए ट्रक टर्मिनल, पोन्नियामनमेडु पोस्ट, माधवरम, चेन्नई - 600 110.
वडोदरा मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- सेंट्रल वॉरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 1बी, सेंट्रल वेयरहाउस, रानोली फ्लाईओवर के पास, रानोली, कराचिया, वडोदरा, गुजरात - 391350.	**नई दिल्ली** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- सुप्रीम रोड़ ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमिटेड, खसरा 46/15/1, ग्राम टिकरी कलां, नेताजी सुभाष विहार, नई दिल्ली 110041
रायपुर मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा- एकता एंटरप्राइजेज, मोनेट रोड, मंदिर हसौद, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492101	

14.0 पत्राचार के लिए पता

14.1 अनुपालन अधिकारी:

महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड.
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013
E-mail: company_secretary@nalcoindia.co.in

14.2 रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 और 32,
वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना।
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001
ईमेल: einward.ris@kfintech.com

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी क्लॉज (10)(i) के अनुसार
(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015)

सेवा में ,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1,
नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा-सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसरण में कंपनी द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमारे सामने प्रस्तुत, मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका सीआईए;-L27203OR1981GOI000920 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नंबर पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओड़िशा में (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न (विवरणियों) और प्रकटनों की जाँच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन के अनुसार (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की वस्तुस्थिति सहित) और कंपनी के अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ,जैसा कि आवश्यक समझा गया, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक-मंडल में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री श्रीधर पात्र	06500954	01.09.2018
2.	श्री राधाश्याम महापात्र	07248972	01.01.2020
3.	श्री मनसा प्रसाद मिश्र	08951624	01.11.2020
4.	श्री बिजय कुमार दाश	08984700	01.12.2020
5.	श्री सत्येन्द्र सिंह, भा.प्र.से.	05195060	05.08.2020
6.	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.	07151125	09.11.2020

निदेशक-मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/अविच्छिन्नता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर अपनी राय व्यक्त कना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी की व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावशीलता आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते, देब महापात्र एंड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28.05.2021
यूडीआईएन: F009393C000389278

हस्ता.
सीएस अंचल अग्रवाल, साझेदार
एफसीएस नं. 9393, सीपी नं. 10548

निगम शासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

प्रति
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

1. यह प्रमाणपत्र हमारे दिनांक 28.07.2021 के नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।

2. हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (i) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('विनियम), जैसा कि संशोधित है, की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में विनियमों में निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चिता हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जाँच और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मत की अभिव्यक्ति है।

5. विनियमों की अर्हता के अनुसार और निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक उचित आश्वासन प्रदान करें कि कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विनियमों में निर्धारित निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है या नहीं।

6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्र (संशोधित 2016) ('मार्गदर्शन नोट') पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार अपनी परीक्षा आयोजित की। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (एसक्यूसी) 1 की प्रासंगिक प्रयोज्य अर्हताओं का अनुपालन किया है, उन फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचना, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के जुड़ाव की लेखा-परीक्षा और समीक्षा करती है।

अभिमत

8. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विनियमों में निर्धारित निगम शासन की शर्तों का, निम्नलिखित के सिवाय ,अनुपालन किया है:

   क. 31.03.2021 तक, गैर-कार्यकारी निदेशकों यानी अंशकालिक सरकारी निदेशकों की कुल निदेशक-मंडल संख्या का 33.33% हिस्सा होता है, जबकि आवश्यकता कुल निदेशक-मंडल की संख्या के 50% से कम नहीं होती है (विनियम का विनियमन 17 (1) (क))

   ख. कंपनी के पास किसी भी समय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक-मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 08.09.2020 कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित और पद 31.03.2021 तक खाली रहे।(विनियमन के प्रावधान 17 (1) (क) और विनियम 17 (1) (ख) के प्रावधान)

   ग. दिनांक 08.09.2020 से प्रभावी निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में 11.11.2020, 18.11.2020, 27.01.2021, 12.02.2021, 15.03.2021 और 23.03.2021 को आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकें कोरम के लिए आवश्यक निदेशकों की संख्या की न्यूनतम संख्या के साथ लेकिन एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के बिना थीं। (विनियमों के विनियम 17 (2ए))

   घ. लेखापरीक्षा समिति की (विनियमों के विनियम 18 (2)) के अनुसार वर्ष के दौरान चार बार बैठक करने की आवश्यकता है परंतु दो बार बैठकें हुई। समिति के किसी भी सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय विशेषज्ञता (विनियमों का विनियमन 18 (1) (ग)) नहीं थी और अध्यक्ष वार्षिक साधारण बैठक में विनियमों (विनियमों के विनियम 18 (1) (घ)) की आवश्यकतानुसार उपस्थित नहीं थे। विनियमों के प्रावधानों के तहत। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में 08.09.2020 से प्रभावी, विनियमों (विनियमों के विनियम 18 (1) (क), 18 (1) (ख) के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, निदेशक-मंडल की सिफारिश के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया था।

ङ. 08.09.2020 से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में , नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है (विनियमों का विनियमन 19 (1), 19 (2)) और समिति की वर्ष के दौरान कम से कम एक बार बैठक नहीं हुई है (विनियम 19 (3 ए) विनियम) और अध्यक्ष विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक वार्षिक साधारण बैठक (विनियमों के विनियम 19 (3)) में उपस्थित नहीं थे। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, निदेशक-मंडल को सिफारिश के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया था।

च. इसी प्रकार, 08.09.2020 से निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में , हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है (विनियमों के विनियमन 20 (2), 20 (2ए)) और अध्यक्ष वार्षिक साधारण बैठक (विनियमों के विनियमन 20 (3)) में उपस्थित नहीं थे। जैसा कि विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक है। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, निदेशक-मंडल की सिफारिश के लिए हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा गया था।

9. हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते पाल्लो एंव कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
यूडीआईएन:21057820AAAAGL8957

कृते, जीएनएस एंड एसोसिएट्स के लिए पेट्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

(सीए राजेश कुमार पहाड़ी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 058221
यूडीआईएन:21058221AAAAAL6585

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 26th अगस्त 2021

अनुलग्नक-VI

फॉर्म नंबर एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) एवं
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं, जिसमें उसके तीसरे उपबंध के तहत कुछ असंबंधित लेन-देन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्म:

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन, जो संबंधित पक्ष के आधार पर नहीं हैं, का विवरण:

(क)	संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति:	शून्य.
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति:	लागू नहीं।
(ग)	संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि:	लागू नहीं।
(घ)	मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें:	लागू नहीं।
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्य:	लागू नहीं।
(च)	निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख:	लागू नहीं।
(छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं।
(ज)	धारा 188 के पहले उपबंध के तहत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तारीख को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ था:	लागू नहीं।

2. सामग्री संविदाओं या व्यवस्था या संबंधित आधार पर लेन-देन का विवरण:

संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति:	शून्य.
संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति:	लागू नहीं।
संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि:	लागू नहीं।
मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, :	लागू नहीं।
निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो:	लागू नहीं।
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता.
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

अनुलग्नक-VII

फॉर्म नंबर एमआर 3

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी के नियम संख्या 9 के अनुसार
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014]

सेवा में:
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट सं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मैसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अच्छे निगम अभ्यासों के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी, जिसने हमें निगम आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और इसके शर्ताधीन, यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित निदेशक-मंडल-प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र मौजूद है:

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा दर्ज की गई बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित;

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011, यथा संशोधित;

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015, यथा संशोधित;

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं है।

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं है।

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं है।

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं है।

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक-मंडल (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018;

(vi) अन्य कानून जो विशेष रुप से कंपनी पर लागू हो सकते हैं वे हैं:

क. खान अधिनियम, 1952;

ख. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, यथा संशोधित;

ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;

घ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986;

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;

च. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम), 1974;

छ. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ज. भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923।

झ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988

ञ. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991

ट. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995

ठ. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, 1997

ड. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001

ढ. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

ण. भारतीय वन अधिनियम, 1947

त. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

थ. ओड़िशा वन अधिनियम, 1972

द. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

ध. जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002

न. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प. कारखाना अधिनियम, 1948

फ. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

ब. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

भ. ओड़िशा उद्योग (सुविधा) अधिनियम, 2004

म. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

य. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 2006

(नए कानून जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हो सकते हैं, क्रम संख्या क से य तक हैं)

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है।.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) निदेशक-मंडल की संरचना:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची

क्रम सं.	निदेशक का नाम	धारित पद	नियुक्ति की तारीख	समाप्ति की तारीख
पूर्णकालिक निदेशक:				
1	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक	17.12.2019	—
2.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)	01.01.2020	—
3.	श्री मनसा प्रसाद मिश्र	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) and निदेशक (वित्त)- अतिरिक्त प्रभार	01.11.2020	—
4.	श्री बिजय कुमार दाश	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वाणिज्यिक)- अतिरिक्त-प्रभार	01.12.2020	—
5.	श्री वी. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	30.11.2020
6.	श्री संजीब कुमार रॉय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	03.02.2017	31.10.2020
7.	श्री श्री प्रदीप कुमार मिश्र	निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (वित्त) -अतिरिक्त प्रभार	23.04.2018	28.02.2021
अंशकालिक सरकारी निदेशक:				
1.	श्री सत्येन्द्र सिंह, भा.प्र.से.	निदेशक	05.08.2020	—
2.	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.	निदेशक	09.11.2020	—
3.	डॉ. के. राजेश्वर राव, भा.प्र.से.	निदेशक	19.02.2018	05.08.2020
4.	श्री अनिल कुमार नायक	निदेशक	27.03.2018	05.08.2020
5.	श्री उपेंद्र सी. जोशी	निदेशक	05.08.2020	09.11.2020
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक:				
1.	श्री नागेंद्र नाथ शर्मा	निदेशक	06.09.2017	05.09.2020
2.	श्रीमती अचला सिन्हा	निदेशक	08.09.2017	07.09.2020

टिप्पणी:

1. 31.10.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में श्री एस के रॉय की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री मनसा प्रसाद मिश्र को 01.11.2020 को निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें दिनांक 28.02.2021 को श्री पी.के.मिश्र, निदेशक (वाणिज्यिक) के सेवानिवृत्त होने पर 01.03.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जिन्हें पहले 01.12.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
2. 30.11.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में श्री वी. बालसुब्रमण्यम् की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, श्री बिजय कुमार दास को 01.12.2020 को निदेशक (उत्पादन) के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें दिनांक 28.02.2021 को श्री पी. के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्यिक) के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
3. 05.09.2020 और 07.09.2020 से क्रमशः दो अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के पद की समाप्ति के बाद, वित्तीय वर्ष के अंत तक निदेशक-मंडल में 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

   सेबी विनियमों के तहत आवश्यकताओं के संबंध में, निदेशक-मंडल की संरचना पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान सेबी विनियमों के विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) दोनों के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं थी।

गैर-अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(ख) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक-मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, निदेशक-मंडल की कुल संख्या का 1/3 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी भी समय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक-मंडल में 08.09.2020 से कम से कम एक महिला निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है और यह पद 31.03.2021 तक खाली रहा।

तदनुसार, निदेशक-मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (विनियम) के तहत:

विनियमों के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, निदेशक मंडल के कम से कम 50% में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

इसके अलावा, विनियमों के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, यदि सूचीबद्ध कंपनी में एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशक अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशक कुल निदेशक-मंडल की संख्या का 33.33 प्रतिशत हैं। कंपनी के पास किसी भी समय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक-मंडल में 08.09.2020 से कम से कम एक महिला निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और यह पद 31.03.2021 तक खाली रहा।

तदनुसार, निदेशक-मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया जुर्माना

एनएसई और बीएसई दोनों द्वारा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय को, एक सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्राधिकरण होने के नाते, बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में सूचित किया गया था और उनसे अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया। समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष तथ्य रखे गए और उसके बाद, निदेशक मंडल के निर्णयों को संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को दंड को माफ करने के अनुरोध के साथ सूचित किया गया, क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है।

(ख) निदेशक-मंडल की बैठकें:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें अर्थात 321वीं से 328वीं बैठक तक क्रमशः 26.06.2020, 04.09.2020, 11.11.2020, 18.11.2020, 27.01.2021, 12.02.2021, 15.03 को हुई। क्रमशः 2021 और 23.03.2021 को हुई।

निदेशक-मंडल की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस भेजे गए थे। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे। बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए बैठकों से पहले रखी गई कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निदेशक-मंडल की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के साथ लिए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए रखी गई मिनट बुक में दर्ज किए गए।

गैर-अनुपालन

सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक-मंडल बैठक के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई या कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशक जो भी अधिक हो, होगा।

08.09.2020 से निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, 11.11.2020, 18.11.2020, 27.01.2021, 12.02.2021, 15.03.2021 और 23.03.2021 को आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकें वैध कोरम के बिना थीं।

(ग) अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की अलग बैठक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक यानी कंपनी के अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की 7वीं बैठक आयोजित की गई थी। 31.08.2020। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में आयोजित की गई:

1. श्री एन. एन. शर्मा – बैठक के अध्यक्ष
2. श्रीमती अचला सिन्हा

(घ) निदेशक-मंडल की वैधानिक समितियां:

08.09.2020 से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी ने सांविधिक समितियों, यानी लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, नि.सा.उ. और संधारणीयता विकास समिति और हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया है, क्योंकि इन समितियों की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है।

(i) लेखा परीक्षा समिति:

समिति की वर्ष के दौरान 2 बार बैठक हुई, अर्थात् 26.06.2020 और 04.09.2020 को। दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 69 दिनों का था।

निदेशक (वित्त) [निदेशक (वित्त) की अनुपस्थिति में, पूरे वर्ष के लिए वित्त का अतिरिक्त प्रभार धारण करने वाले निदेशक] समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेज दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे। बैठक से पहले कार्यसूची के मदों पर और जानकारी मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के साथ लिए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

08.09.2020 से निदेशक-मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसलिए, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, जिन सभी निदेशक-मंडल को सिफारिश के लिए लेखापरीक्षा समिति मामलों को पहले रखा जाना आवश्यक है, उनको सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

गैर-अनुपालन:

अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के तहत समिति के अध्यक्ष के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय विशेषज्ञता नहीं थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की न्यूनतम चार बार बैठक नहीं हुई, जैसा कि अधिनियम और सेबी विनियमों के तहत आवश्यक है।

(ii) नि.सा.उ. और संधारणीयता विकास समिति:

समिति की वर्ष के दौरान 19.05.2020 और 31.08.2020 को दो बार बैठक हुई।

समिति के सभी सदस्यों को नि.सा.उ. और संधारणीयता विकास समिति की बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना भेजी गई थी।

समिति के सभी सदस्यों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ काफी पहले ही भेज दी गई थीं। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी लेने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के साथ लिए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

07.09.2020 से निदेशक-मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नि.सा.उ. और संधारणीयता विकास समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, निदेशक-मंडल को सिफारिश के लिए नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति के समक्ष रखे आवश्यक होनेवाले सभी मामलों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

(iii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

07.09.2020 से निदेशक-मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसलिए, अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, निदेशक-मंडल को सिफारिश के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

गैर-अनुपालन:

सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, समिति को हर वर्ष कम से कम एक बार मिलना चाहिए। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई है।

(iv) **हितधारक संबंध समिति:**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 31.08.2020 को एक बैठक हुई।

हितधारक संबंध समिति की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेज दी गई थी। समिति के सभी सदस्यों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ काफी पहले ही भेज दी गई थीं। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी लेनेऔर स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

हितधारक संबंध समिति की बैठक में सभी निर्णय बहुमत के साथ लिए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

07.09.2020 से निदेशक-मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसलिए, अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है। निदेशक-मंडल के निर्णय के आधार पर, निदेशक-मंडल की सिफारिश के लिए हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों को सीधे निदेशक-मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

(v) **जोखिम प्रबंधन समिति:**

समिति की वर्ष के दौरान एक बार 25.06.2020 को बैठक हुई।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी।

समिति के सभी सदस्यों को कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ काफी पहले ही भेज दी गई थीं। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी लेने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में सभी निर्णय बहुमत के साथ किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

(vi) **प्रौद्योगिकी समिति:**

कंपनी की प्रौद्योगिकी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. निदेशक (उत्पादन)
2. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
3. निदेशक (वाणिज्यिक)
4. निदेशक (वित्त)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 25.06.2020 को प्रौद्योगिकी समिति की एक (1) बैठक हुई।

प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। समिति के सभी सदस्यों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ काफी पहले ही भेज दी गई थीं। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी लेने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में सभी निर्णय बहुमत के साथ किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

(ङ) निदेशक-मंडल द्वारा गठित अन्य समितियां

(i) **मानव संसाधन (एचआर) समिति::**

कंपनी की मानव संसाधन (एचआर) समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
2. निदेशक (मानव संसाधन)
3. निदेशक (वित्त)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मानव संसाधन (मानव संसाधन) समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

(ii) **परियोजनाओं और नए उपक्रमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी):**

परियोजनाओं और कंपनी के नए उपक्रमों के लिए सीओडी में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक

3. निदेशक (उत्पादन)

4. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

5. निदेशक (मानव संसाधन)

6. निदेशक (वाणिज्यिक)

7. निदेशक (वित्त)

वित्तीय वर्ष के दौरान, परियोजनाओं और नए उपक्रमों के लिए सीओडी की एक समिति की बैठक दिनांक 25.06.2020 को आयोजित की गई थी।

परियोजनाओं और नए उपक्रमों की बैठक के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी। समिति के सभी सदस्यों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ काफी पहले ही भेज दी गई थीं। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

परियोजनाओं और नए उपक्रमों की बैठक के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) के सभी निर्णय बहुमत के साथ किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

(iii) नैतिकता और निगम अभिशासन समिति:

कंपनी की नैतिकता और निगम अभिशासन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

2. निदेशक (मानव संसाधन)

3. निदेशक (वाणिज्यिक)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नैतिकता और निगम अभिशासन समिति की एक बैठक 31.08.2020 को आयोजित की गई थी।

समिति के सभी सदस्यों को नैतिकता और निगम अभिशासन समिति की बैठकों के लिए पर्याप्त नोटिस भेजा गया था। समिति के सभी सदस्यों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ काफी पहले ही भेज दी गई थीं। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

नैतिकता और निगम अभिशासन समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के साथ किए गए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यवृत्त में दर्ज किए गए।

(च) सांविधिक अभिलेखों का रखरखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्टरों को उसमें की गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ ठीक से रखा और बनाए रखा गया था। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान इन अधिनियमों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया।

(छ) वैधानिक रिटर्न दाखिल करना:

आवश्यक/निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर एमसीए/कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ विभिन्न फॉर्म और रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अधिनियम और अन्य विधियों के सभी प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया था।

विभिन्न कानूनों/सूचीकरण विनियमों/व्यापार नियमों के तहत सभी दस्तावेज/सूचनाएँ भी नियमित रूप से निर्धारित नियत तारीखों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी (एनएसडीएल और सीडीएसएल) के साथ दायर की गई थीं।

(ज) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद कंपनी का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है।

अभिलेखों के अनुसार मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड को कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में 3 वर्ष की एक और अवधि के लिए 01.04.2020 से फिर से नियुक्त किया गया है।

(झ) फिजिकल ट्रांसफर/ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन/डुप्लीकेट शेयर जारी करना:

कंपनी ने अपनी शेयर रजिस्ट्री गतिविधियों को आरटीए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को आउटसोर्स किया है। शेयर ट्रांसफर कमेटी (एसटीसी) के अनुमोदन से फटे / कटे-फटे / विरूपित / खो जाने के मामले में और रीमैटरियलाइजेशन के खिलाफ भी नए शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जबकि शेयरों का ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन कंपनी सचिव के अनुमोदन से किया जाता है, जिसे इसके लिए निदेशक मंडल द्वाराअधिकृत किया गया है।

(ञ) शेयरों की वापस खरीद:

निदेशक मंडल ने 27.01.2021 को आयोजित अपनी 325वीं बैठक में ₹5/- के अंकित मूल्य के 13,02,79,083 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों (कंपनी की चुकता शेयर पूँजी में शेयर इक्विटी की कुल संख्या के 6.98% का प्रतिनिधित्व करते हुए) ₹57.50 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद में देय कुल प्रतिफल ₹749,10,47,273/- से अधिक नहीं तक की वापस खरीदी को मंजूरी दी थी। वापस खरीदी प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी बायबैक विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुपालन में पूरी की गई थी। कुल मिलाकर, 2,89,85,711शेयरों को वापस खरीदा गया और 17.03.2021 को समाप्त कर दिया गया। बायबैक के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूँजी ₹932.81 करोड़ से ₹918.32 करोड़ थी। बायबैक के बाद भारत सरकार की हिस्सेदारी कुल चुकता शेयर पूँजी का 51.50 प्रतिशत से घटकर 51.28 प्रतिशत हो गई।

(ट) लाभांश की घोषणा और भुगतान:

निदेशक मंडल ने 18 नवंबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 932.81 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी पर पहले अंतरिम लाभांश @ 0.50 प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 5 के अंकित मूल्य पर 10%) के भुगतान को मंजूरी दी थी। तदनुसार, पात्र शेयरधारकों को दिनांक 16.12.2020 को लाभांश का भुगतान किया गया।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने 15 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की कम चुकता इक्विटी शेयर पूँजी पर ₹2.00 प्रति शेयर (₹5/प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 40%) की दर से दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी। तदनुसार, पात्र शेयरधारकों को 31.03.2021 को लाभांश का भुगतान किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी प्रावधानों, सचिवीय मानक और शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा और भुगतान से संबंधित सेबी विनियमों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

(ठ) निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर हस्तांतरण, प्रसारण, शेयरों के डीमैट/रीमैट, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/शिकायतों पर ध्यान दिया गया और एक उचित समय सीमा के भीतर हल किया गया।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को 1,537 शिकायतें प्राप्त हुई, यानी निवेशकों से 1,524 शिकायतें प्राप्त हुई, स्टॉक एक्सचेंजों से 6 शिकायतें प्राप्त हुई और सेबी से 7 शिकायतें प्राप्त हुई और उन सभी का एक उचित समय के भीतर समाधान किया गया।

(ड) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अदत्त/ दावा न किए गए लाभांश का हस्तांतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, लाभांश हकदारी जो लगातार 7 (सात) वर्षों से दावा न की गई या भुगतान न की गई हो कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाएगा।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹10,38,882/- की राशि और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दावा न किए गए अंतिम लाभांश से संबंधित ₹6,85,923/- की राशि का गतान किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में क्रमशः 26.05.2020 और 05.11.2020 को हस्तांतरित करके भुगतान किया गया है।

(ढ) आईईपीएफ को शेयरों का हस्तांतरण:

आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसार, कंपनी को उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान/दावा लगातार 7 (सात) वर्षों या उससे अधिक के डीमैट खाते में नहीं किया गया है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, एनएसडीएल के साथ खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में 100 शेयरधारकों के 29,173 शेयर हस्तांतरित किए गए।

इसके अलावा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यक्तिगत नोटिस भेजे और समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर शेयरधारकों को उनके अदत्त लाभांश को भुनाने/दावा करने के लिए सूचित किया, जिन्होंने अंतिम लाभांश 2012-13 और अंतरिम लाभांश 2013-14 के आधार पर लगातार सात वर्षों तक अपने लाभांश का दावा/ नकद नहीं किया है।

(ण) लागू कानूनों का अनुपालन:

हम रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

कृते, देब महापात्र एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ता.
सीएस आँचल अग्रवाल, साझेदार
सीपी नं.10548, एफसीएस नं. 9393

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28.05.2021
यूडीआईएन:F009393C000389355

(इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है)

अनुलग्नक क

सेवा में:
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट सं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1 सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2 हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3 हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4 जहाँ कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5 निगम और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते, देब महापात्र एंड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28.05.2021
यूडीआईएन:F009393C000389355

हस्ता.
सीएस आँचल अग्रवाल, साझेदार
सीपी नं.10548, एफसीएस नं. 9393

सचिवीय लेखा परीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में दी गई अर्हक टिप्पणी और प्रबंधन के स्पष्टीकरण नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हक टिप्पणी	प्रबंधन के स्पष्टीकरण
1.	निदेशक-मंडल की संरचना: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(ख) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक-मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, निदेशक-मंडल की कुल संख्या का 1/3 स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के पास किसी भी समय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। । इसके अलावा, निदेशक-मंडल में 08.09.2020 से कम से कम एक महिला निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है और यह पद 31.03.2021 तक खाली रहा। तदनुसार, निदेशक-मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। विनियमों के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, निदेशक मंडल के कम से कम 50% में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। इसके अलावा, विनियमों के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, यदि सूचीबद्ध कंपनी में एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल के कम से कम आधे में स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशक अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशक कुल निदेशक-मंडल की संख्या का 33.33 प्रतिशत हैं। कंपनी के पास किसी भी समय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक-मंडल में 08.09.2020 से कम से कम एक महिला निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और यह पद 31.03.2021 तक खाली रहा। **तदनुसार, निदेशक-मंडल की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है।**	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी के दो स्वतंत्र निदेशक (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) थे और इन दो स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 को समाप्त हुआ। भारत के राष्ट्रपति कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की शीघ्र नियुक्ति के लिए मामला प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया है।
2.	निदेशक-मंडल की बैठकें: **सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक-मंडल की बैठक के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई या कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशक जो भी अधिक हो, होगा।** **08.09.2020 से निदेशक-मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, 11.11.2020, 18.11.2020, 27.01.2021, 12.02.2021, 15.03.2021 और 23.03.2021 को आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकें वैध कोरम के बिना थीं।**	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निदेशक-मंडल में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे। इन दो स्वतंत्र निदेशकों का क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 से अपना पदभार समाप्त हो गया। दिनांक 26.06.2020 और 04.09.2020 को आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकों में वैध कोरम था। हालांकि वर्ष में बाद की बैठकों में आवश्यक संख्या में निदेशक मौजूद थे, लेकिन कोरम में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। भारत के राष्ट्रपति कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है।

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हक टिप्पणी	प्रबंधन के स्पष्टीकरण
3.	लेखा परीक्षा समिति: **समिति के अध्यक्ष के पास अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक लेखांकन या संबंधित वित्तीय विशेषज्ञता नहीं थी।** **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की न्यूनतम चार बार बैठक नहीं हुई, जैसा कि अधिनियम और सेबी विनियमों के तहत आवश्यक है।**	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 7 स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के मुकाबले निदेशक-मंडल में केवल 2 स्वतंत्र निदेशक थे। अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के तहत इन 2 स्वतंत्र निदेशकों में से किसी के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय विशेषज्ञता नहीं थी। उपलब्ध दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ, 26.06.2020 और 04.09.2020 को दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन 2 स्वतंत्र निदेशकों ने क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 से अपना पद छोड़ दिया। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका और इसलिए अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं हो सकी। भारत के राष्ट्रपति कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की शीघ्र नियुक्ति के लिए मामला प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ सेबी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
4.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति: सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, समिति को हर वर्ष कम से कम एक बार मिलना चाहिए। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई है।	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निदेशक-मंडल में केवल 2 स्वतंत्र निदेशक थे। निदेशक-मंडल से इन 2 स्वतंत्र निदेशकों के पद की समाप्ति के बाद क्रमशः 05.09.2020 और 07.09.2020 से, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका और इसलिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हो सकी। भारत के राष्ट्रपति कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की शीघ्र नियुक्ति के लिए मामला प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

कृते **निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से**

हस्ता.
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 06.09.2021

वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में:
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के एकलस्थित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण शामिल है। और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा यथा आवश्यक जानकारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, जैसा कि संशोधित है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, मामलों की स्थिति 31 मार्च, 2021 को कंपनी का और उसका लाभ, और अन्य व्यापक आय, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी और उसके नकदी प्रवाह में परिवर्तन की जानकारी आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। ।

अभिमत के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसए) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हम इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। चालू वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की पहचान की है, वे इस प्रकार हैं:

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इन मामलों का कैसे निवारण किया गया
1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वहन मूल्य जिसमें अमूर्त संपत्ति और पूँजीगत कार्य-प्रगति शामिल है	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कुल ₹ 7317.28 करोड़ (2019-20: ₹ 7174.54 करोड़) जैसा कि नोट 5ए में बताया गया है, पूँजीगत कार्य-प्रगति (नोट 6) ₹ 1431.06 करोड़ (2019-20: ₹ 1177.16 करोड़) और अमूर्त संपत्ति (नोट 7) कुल ₹ 343.18 करोड़ (2019-20 : ₹ 310.23 करोड़) वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज महत्वपूर्ण शेष राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी टिप्पणी 3.4, 3.5 और 3.6 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूँजीगत कार्य-प्रगति और अमूर्त संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन करती है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग का समर्थन करने वाली प्रमुख मान्यताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और उनके संबंधित मूल्यह्रास प्रोफाइल के वहन मूल्य को प्रभावित करता है। इनमें पूँजीकरण या व्यय लागत का निर्णय, कंपनी की रणनीति में बदलाव के प्रभाव सहित परिसंपत्ति के जीवनकाल की समीक्षा; और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के लिए पूँजीकरण, निर्धारण या माप और मान्यता मानदंड की समयबद्धता शामिल है।	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्य से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में अमूर्त संपत्ति और पूँजीगत कार्य-प्रगति में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने मूल्यों और उपयोगी जीवन के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई मान्यताओं का मूल्यांकन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त संपत्ति के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन और प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार कुछ संपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना करके प्रबंधन के निर्णयों को चुनौती देकर मूल्यांकन किया कि क्या वहन मूल्य और उपयोगी जीवन उचित थे। • हमने चालू वर्ष में संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के उपयोगी जीवन की तुलना पिछले वर्ष से की ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संपत्ति के उपयोगी जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं या नहीं, और व्यापार और उद्योग के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर परिवर्तनों की तर्कसंगतता पर विचार किया। • हमने मूल्यांकन किया कि क्या व्यापार और उद्योग के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर हानि के संकेतक 31 मार्च, 2021 को मौजूद थे। • हमने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों पर नियंत्रणों का परीक्षण किया, पूँजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूँजीकृत लागतों पर विवरण का परीक्षण किया और पूँजीकरण की समयबद्धता का आकलन किया जिसमें सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के डीकैपिटलाइजेशन और आवेदन शामिल हैं। संपत्ति जीवन। • इन मूल प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का मूल्यांकन किया जिसमें पूँजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति, मूल्यह्रास और परिशोधन की गणना में लागू परिसंपत्ति जीवन की उपयुक्तता; और हानि के संदर्भ में, यदि आवश्यक हो, त्वरित मूल्यह्रास/परिशोधन की आवश्यकता का आकलन करने में शामिल है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का वहन मूल्य निर्धारित करने में प्रबंधन का मूल्यांकन उचित है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इन मामलों का कैसे निवारण किया गया
2. कर्मचारियों के परिभाषित लाभ दायित्वों और अन्य दीर्घकालिक लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने ₹ 475.38 करोड़ (2019-20: ₹ 471.20 करोड़) की दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देनदारियों और ₹ 207.81 करोड़ (2019-20: ₹ 239.76 करोड़) के परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिकृत ग्रेच्युटी दायित्व के खिलाफ योजना परिसंपत्ति का शुद्ध) को मान्यता दी है। और उन्हें नोट 3.16 (महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ) और नोट्स 22 और 31 (दीर्घकालिक और रोजगार के बाद के लाभ) में वर्णित किया। कर्मचारी लाभ दायित्वों का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों और किए गए अनुमानों पर निर्भर है। मुख्य लेखापरीक्षा मामला विशेष रूप से निम्नलिखित प्रमुख मान्यताओं जैसे छूट दर, मुद्रास्फीति की उम्मीदों और जीवन प्रत्याशा मान्यताओं से संबंधित है। इन मान्यताओं की स्थापना जटिल है और तीसरे पक्ष के बीमांकक के समर्थन से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता है।	कर्मचारियों के मूल्यांकन, परिभाषित लाभ दायित्वों और अन्य दीर्घकालिक लाभों से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों की जाँच की है, जो वित्तीय और जनसांख्यिकीय दोनों का उपयोग किए गए प्रमुख बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा करते हैं, और इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति पर विचार किया है। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और बीमांकक द्वारा की गई मान्यताओं का मूल्यांकन किया कि ये इंड एएस 19 के रूप में सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • इसके अलावा, हमने परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में प्रमुख मान्यताओं पर संवेदनशीलता विश्लेषण की जाँच की है। उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि देनदारियों के निर्धारण के संबंध में लागू कार्यप्रणाली और धारणाएँ स्वीकार्य हैं।.
3. आकस्मिक देनदारियों के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण और प्रावधानीकरण	
जैसा कि नोट 4.2.5 (प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ) में वर्णित है, कंपनी ने टिप्पणी 25 में ₹ 2153.49 करोड़ (2019-20: ₹ 2561.82 करोड़) की आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया। ₹ 1220.94 करोड़ (2019-20: ₹ 1602.70 करोड़) की कुल मांग से जुड़े विवाद के तहत कंपनी के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के अनिश्चित कर मामले हैं, जिसके लिए इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास ओड़िशा सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ₹ 932.55 करोड़ (2019-20: ₹ 959.13 करोड़) की कुल मांग वाले विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चल रहे कानूनी मामले हैं। जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंधन निर्णय के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक देनदारियों के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण और प्रावधान से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने इंड एएस 37 के प्रावधानों के अनुसार, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के रूप में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की और नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जिसे कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और प्रावधान के संबंध में स्थापित किया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की आकस्मिक देनदारियों के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ कीं: • कर मुकदमों और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रणों का आकलन। • कानूनी अग्रता और इसी तरह के मामलों में अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावित कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मान्यताओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक दस्तावेजों के निरीक्षण के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा। • जहाँ उपलब्ध हो वहाँ कर विशेषज्ञों से प्राप्त अभिमत का विश्लेषण। • वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देनदारियों के संबंध में कंपनी के संभावित एक्सपोजर का आकलन रने में, हमने: • ज्ञात एक्सपोजर की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का आकलन किया; • कंपनी के विचार के अधीन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संदर्भित निदेशक-मंडल और अन्य बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; • कंपनी को प्रभावित करने वाले चल रहे और संभावित कानूनी मामलों को समझने के लिए कंपनी के आंतरिक कानूनी सलाहकारों से परामर्श किया; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी अभिमत की समीक्षा की; तथा • वास्तविक और संभावित कानूनी देनदारियों के प्रस्तावित लेखांकन और प्रकटीकरण की समीक्षा की। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने समग्र रूप से अभिमत दी कि चल रहे कानूनी मामलों के संबंध में लेखांकन और प्रकटीकरण उपयुक्त हैं।
4. संपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा	
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, अन्य परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में ₹ 573.47 करोड़ (2019-20: ₹ 570.28 करोड़) की राशि के वैट और सेनवेट क्रेडिट सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के वसूली योग्य दावे शामिल हैं, जो समायोजन/निर्णय के लिए लंबित हैं। इन एक्सपोजर की प्रकृति और उनके लेखांकन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने पूर्ण कर निर्धारण और अपीलीय प्राधिकारी की मांगों और अपील आदेशों के प्रबंधन विवरण से प्राप्त किया। • कर देयता और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमने अपने आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता और अन्य निर्णयों पर भी विचार किया। • इसके अतिरिक्त, वसूली योग्य राशियों की प्रकृति, स्थिरता और अंतिम समाधान पर वसूली की संभावना की समीक्षा करने के लिए, हमने कानूनी और कर विशेषज्ञों के अभिमत, जहाँ कहीं भी उपलब्ध हुए, पर विचार किया। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हम वसूली योग्य मानी जाने वाली दावा राशि के प्रबंधन के निर्धारण के साथ सहमत हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इन मामलों का कैसे निवारण किया गया
5. आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन	
कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को ₹ 893.72 करोड़ (2019-20: ₹ 1060.61 करोड़) की स्थिति के अनुसार टिप्पणी 23 आस्थगित कर देयता (आस्थगित कर परिसंपत्ति का शुद्ध) में खुलासा किया है। कंपनी ऐसी गतिविधियों में काम करती है जिसमें कई आयकर प्रावधानों को लागू करना शामिल है। आस्थगित कर आस्तियों/दायित्व के मूल्यांकन का मूल्यांकन, समय के अंतर के परिणामस्वरूप, और अनिश्चित कर स्थितियों के प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गणना जटिल है और संवेदनशील और निर्णयात्मक मान्यताओं पर निर्भर करती है। इनमें, अन्य के मध्य, दीर्घकालिक भविष्य की लाभप्रदता और स्थानीय वित्तीय नियम और विकास, शामिल हैं।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर आस्तियों/देनदारियों की पूर्णता और सटीकता का पता लगाना और अनिश्चित कर स्थितियों को पहचानना। • हमने आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली योग्यता के प्रबंधन के आकलन और कंपनी द्वारा पहचानी गई आस्थगित कर देनदारियों के संबंध में भविष्य में नकदी के बहिर्वाह की संभावना को चुनौती दी और परीक्षण किया। • हमने लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों और विकासों का भी आकलन किया, विशेष रूप से वे जो सांविधिक आयकर दर और सीमा के क़ानूनों में परिवर्तन से संबंधित हैं, क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारियों के मूल्यांकन में अंतर्निहित प्रमुख धारणाएँ हैं। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया और कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली मान्यताओं और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं और उपयोग की गई धारणाओं पर इंड-एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता पर भी ध्यान केंद्रित किया। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण के संबंध में लागू पद्धति और धारणाएँ स्वीकार्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उल्लिखित अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकलस्थित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत होना।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें भौतिक गलत विवरण है, तो हमें शासन के प्रभारित लोगों को मामले से अवगत कराना होगा और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।)इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; लेखांकन नीतियों के उपयुक्त कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि, के कारण हो, से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने, संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है के लिए जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा-परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को रूपरेखा तैयार करना और निष्पादित करना, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप होने वाले पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की कार्य-प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशाली हैं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन की चालू व्यवस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षार की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के मद्देनजर कंपनी की चालू मुद्दे के रूप में जारी रखना बंद कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षार की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के मद्देनजर कंपनी चालू मुद्दे के रूप में जारी रखना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन की घटनाओं को इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त होता है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन से प्रभारित लोगों को सूचना देते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखा-परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी सूचना प्रदान करते हैं जिन पर अभिशासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और हमारी संवतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार से सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य कानूनी और नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक "क" में इस रिपोर्ट को आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू होने वाली सीमा तक एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में, हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "बी" में उसमें निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता रखा गया है, जैसा कि उन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरण, लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण संशोधित अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाता है।

(ङ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं होती है। ।

(च) **कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध "ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।**

(छ) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामलों के मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियों को या तो प्रदान किया गया है या आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 25 देखें।

ii. कंपनी ने लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक होने पर, सामग्री के लिए संभावित नुकसान, यदि कोई हो, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
यूडीआईएन: 21057820AAAAFE5944

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार
सदस्यता सं.: 086157
यूडीआईएन: 21086157AAAACF3773

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

अनुलग्नक "क"

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक (हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)

i. (क) कंपनी अचल संपत्तियों के मालात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्डों का रख-रखाव कर रही है।

(ख) कंपनी की सभी चल संपत्तियों को प्रबंधन द्वारा हर वर्ष भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है। सत्यापन की आवृत्ति, हमारी राय में, उचित है। वर्ष के दौरान किए गए ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पाई गईं।

स्थायी अचल संपत्तियों का प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी की संपत्ति के आकार और प्रकृति के संबंध में उचित है।

बहियों में दर्ज रिकॉर्ड और भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं देखी गई हैं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं। कंपनी द्वारा धारित 8047.26 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि और 11004.06 एकड़ लीजहोल्ड भूमि में से 64.15 एकड़ फ्रीहोल्ड और 1697.71 एकड़ लीजहोल्ड भूमि के संबंध में टाइटल/लीज डीड कंपनी के पक्ष में मालिकाना दस्तावेजों के निष्पादन के लिए लंबित हैं। हालांकि, कंपनी को संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि पर अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है

कोलकाता में 6459 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान के संबंध में पंजीकरण औपचारिकताएँ अभी पूरी नहीं हुई है। (टिप्पणी 5.क देखें)

ii. इस उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान स्टॉक-इन-ट्रांजिट से संबंधित स्टॉक को छोड़कर, इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। सत्यापन की आवृत्ति उचित है। कमी के मामले में भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों को लेखा बहियों में ठीक से निपटाया गया है जबकि अधिकता को नजरअंदाज कर दिया गया है।

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। नतीजतन, आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (ख) और (ग) लागू नहीं हैं।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निदेशकों को ऋण के संबंध में निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण और निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi. हमने निर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी द्वारा बनाए गए बहियों और अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम द्रष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं और रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और संपूर्ण हैं

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में आम तौर पर नियमित है कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क का शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री पर सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करती है और उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2021 को कोई अविवादित वैधानिक बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादित वैधानिक बकाया जो विवाद के तहत मामलों के लिए जमा नहीं किया गया है और विभिन्न अधिकारियों के समक्ष लंबित है, उनका विवरण नीचे बताया गया है:

क्रम सं.	संविधि की प्रकृति	विवादित सांविधिक देय राशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़)	कर प्राधिकारियों द्वारा विरोध/ समायोजित के तहत जमा की गई राशि (₹ करोड़)
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/टीडीएस/ ब्याज	2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06	उच्च न्यायालय	22.06	61.77
			2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	50.74	20.54
			2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16	आयकर सहायक आयुक्त/उप आयुक्त	89.90	396.65

2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2007-08 to 2013-14	उच्च न्यायालय	397.58	0.10
			1999-2000 to 2014-15	न्यायाधिकरण	7.47	0.39
			2007-08 to 2015-16	अपीलीय प्राधिकारी	5.40	0.19
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2007-08 to 2016-17	न्यायाधिकरण	5.07	1.96
			2007-08 to 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी	7.67	1.19
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2000-01 to 2012-13	न्यायाधिकरण	102.77	1.95
			2012-13	अपीलीय प्राधिकारी	1.70	0.32
5	ओड़िशा वैट अधिनियम, 2004	वैट	2005-06 to 2009-10	न्यायाधिकरण	12.60	2.17
			2016-17 to 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी	0.05	0.00
6	ओड़िशा बिक्री अधिनियम, 1947	ओएसटी	1995-96 to 2002-03	उच्च न्यायालय	1.63	0.37
			1992-93 to 2004-05	न्यायाधिकरण	1.00	0.64
			2003-04	रिवीजनरी प्राधिकारी	1.08	1.80
7	ओड़िशा प्रवेश कर अधिनियम 1999	प्रवेश कर	1999-00 to 2010-11	उच्च न्यायालय	12.89	6.06
			1999-00 to 2013-14	न्यायाधिकरण	131.52	54.06
			2004-05 to 2014-15	रिवीजनरी प्राधिकारी	33.47	5.14
			1999-00 to 2014-15	अपीलीय प्राधिकारी	43.48	4.97
8	केंद्रीय बिक्री अधिनियम, 1956	सीएसटी	1991-92	उच्च न्यायालय	3.49	3.49
			1992-93 to 2008-09	न्यायाधिकरण	277.52	77.84
				कुल	**1209.90**	**641.60**

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंकों के साथ बिल छूट व्यवस्था को छोड़कर, कंपनी के पास किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं है। कंपनी ने बिल छूट सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव, आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों सहित) या सावधि ऋणों के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

x. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

xi. प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, जहाँ प्रयोज्य है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं। इस तरह के लेन-देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का कोई अधिमान्य आवंटन या गैर-सरकारी व्यवस्थापन नहीं किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 में निर्दिष्ट किसी भी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-Iक के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
यूडीआईएन: 21057820AAAAFE5944

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार
सदस्यता सं.: 086157
यूडीआईएन: 21086157AAAACF3773

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

अनुलग्नक "ख"

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकलस्थित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर रिपोर्ट

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एसएपी प्रणाली की व्यवस्था है। चूँकि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित लेखांकन लेनदेनों के वित्तीय प्रभाव एवं लेखा की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी व्यक्त करने का सवाल नहीं उठता है।
2. किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी ऋण की पुनर्रचना या छूट/ऋण/ऋण/ब्याज को बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3. वर्ष के दौरान कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी भी योजना के लिए कोई फंड प्राप्त/प्राप्य नहीं हुआ है।

कृते पात्रो एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन: 310100ई	**कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एफआरएन: 318171ई
(सीए अंबिका प्रसाद महांति) साझेदार सदस्यता सं.: 057820 यूडीआईएन: 21057820AAAAFE5944	**(सीए गोकुल चंद्र दास)** साझेदार सदस्यता सं.: 086157 यूडीआईएन: 21086157AAAACF3773

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

अनुलग्नक "ग"

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एकलस्थित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुलग्रक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 तक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकलस्थित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना और रखरखाव करना , जो कंपनी की नीतियों का पालन सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा-परीक्षा की है , दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित थे

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमें जो लेखा-परीक्षा साख्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निरूपित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और प्रकृति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के द्वारा प्राधिकृत किए गए अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अतिक्रमण शामिल हैं, चूक या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था।

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
यूडीआईएन: 21057820AAAAFE5944

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार
सदस्यता सं.: 086157
यूडीआईएन: 21086157AAAACF3773

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अभिमत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 28 जून 2021 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागजात तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डो की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और
उनकी ओर से

(सुप्रणा देव)
महानिदेशक लेखापरीक्षा(खदान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.08.2021

मार्च 31, 2021 को यथा तुलन पत्र

राशि करोड़ ₹ में

विवरण		टिप्पणी	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
परिसंपत्तियाँ				
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	5	7,317.28	7,174.54
	(ख) पूँजी कार्य प्रगति में	6	1,431.06	1,177.16
	(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	343.18	310.23
	(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	144.39	249.54
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) निवेश	9	313.25	277.25
	(ii) व्यापार प्राप्य	10	—	—
	(iii) ऋण	11	85.95	73.02
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	11.24	10.48
	(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	757.90	719.60
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**10,404.25**	**9,991.82**
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) मालभंडार	15	1,476.32	1,696.90
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) निवेश	9	248.38	55.01
	(ii) व्यापार प्राप्य	10	147.39	140.09
	(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	213.52	18.47
	(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	1,536.26	1,962.06
	(v) ऋण	11	30.16	40.16
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	—	0.05
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	85.50	46.22
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	568.80	598.84
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**4,306.33**	**4,557.80**
कुल परिसंपत्तियाँ			**14,710.58**	**14,549.62**
इक्विटी एवं देनदारियाँ				
(1)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	918.32	932.81
	(ख) अन्य इक्विटी	18	9,762.38	9,055.26
	कुल इक्विटी		**10,680.70**	**9,988.07**
	देयताएँ			
(2)	**गैर-चालू देनदारियाँ**			
	(क) वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) व्यापार देय			
	(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	20	—	—
	(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	37.70	22.69
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	86.55	58.53
	(ख) प्रावधान	22	633.34	628.80
	(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	23	893.72	1,060.61
	(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	328.77	70.90
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ		**1,980.08**	**1,841.53**
(3)	**चालू देनदारियाँ**			
	(क) वित्तीय देनदारियाँ			
	(i) उधारी	19	46.11	12.31
	(ii) व्यापार देय			
	(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	20	11.70	7.06
	(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	927.84	765.87
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	299.40	416.02
	(ख) प्रावधान	22	159.46	178.44
	(ग) अन्य चालू देनदारियाँ	24	605.29	1,340.32
	कुल चालू देनदारियाँ		**2,049.80**	**2,720.02**
	कुल देनदारियाँ		**4,029.88**	**4,561.55**
कुल इक्विटी and देनदारियाँ			**14,710.58**	**14,549.62**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-39) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई
(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. न.:057820)

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई
(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. न.:086157)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

मार्च 31, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

		टिप्पणी	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व	27	8,955.79	8,471.84
II	अन्य आय	28	146.60	272.58
III	**कुल आय (I + II)**		**9,102.39**	**8,744.42**
IV	**व्यय**			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	1,315.43	1,702.48
	(ख) खपत हुए विद्युत और ईंधन की लागत	29	2,638.09	2,964.60
	(ग) तैयार माल की मालभंडार एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	(5.76)	(365.23)
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	1,930.24	1,994.07
	(ङ) वित्त लागत	32	7.08	5.74
	(च) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	5 एवं 7	605.82	529.83
	(छ) अन्य व्यय	33	1,294.97	1,686.69
	कुल व्यय (IV)		**7,785.87**	**8,518.18**
V	**विशिष्ट मदों और कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**1,316.52**	**226.24**
VI	**विशिष्ट मद**		—	—
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**1,316.52**	**226.24**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	34	177.70	151.40
	(2) आस्थगित कर	34	(160.71)	(63.39)
IX	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)**		**1,299.53**	**138.23**
X	**अन्य विशद आय**			
	(i) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)		17.65	(22.84)
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आय कर	34	6.18	6.67
	वर्ष के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (X)		**23.83**	**(16.17)**
XI	**वर्ष के लिए कुल विशद आय (IX+X) [लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशय आय को समाविष्ट करके]**		**1,323.36**	**122.06**
XII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(1) मूल (₹ में)	36	6.97	0.74
	(2) मंदित (₹ में)	36	6.97	0.74

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-39) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. न.:057820)

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. न.:086157)

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

क.	इक्विटी शेयर पूँजी	
	31.03.2019 को यथा शेष	**932.81**
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	—
	31.03.2020 को यथा शेष	**932.81**
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	(14.49)
	31.03.2021 को यथा शेष	**918.32**

ख. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

	आरक्षित एवं अधिशेष			
अन्य इक्विटी	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
31.03.2019 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**1,082.91**	**9,551.70**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	138.23	138.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**122.06**	**122.06**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**586.47**	**9,055.26**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,299.53	1,299.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	23.83	23.83
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,323.36**	**1,323.36**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर प्रीमियम		(152.18)	—	(152.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)		(3.45)	—	(3.45)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	—	—
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(460.61)	(460.61)
31.03.2021 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.86**	**1,449.22**	**9,762.38**

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. न.:057820)

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. न.:086157)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ	**1,299.53**	**138.23**
	निम्न के लिए समायोजन		
	लाभ या हानि में मान्य आयकर व्यय	16.99	88.01
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्त लागत	7.08	5.74
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(84.89)	(217.90)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(5.48)	(7.60)
	निवेश की बिक्री पर निवल (लाभ) / हानि	—	(1.35)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटाल पर निवल (लाभ) / हानि	(0.82)	0.25
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापी गई वित्तीय आस्तियों पर उपजी शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.38)	(0.01)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	22.86	(1.35)
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	11.18	15.64
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	605.82	529.83
	निवल विदेशी मुद्रा(लाभ)/हानि	1.85	(5.94)
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**1,873.74**	**543.55**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि) / कमी	209.41	(502.15)
	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि) / कमी	(7.30)	100.43
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(3.64)	(11.62)
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	53.62	(103.57)
	व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	179.77	(505.35)
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(16.10)	(12.64)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	7.09	158.46
	प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(0.09)	84.79
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**2,296.50**	**(248.10)**
	भुगतान किया गया आयकर	**(97.52)**	**(100.46)**
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**2,198.98**	**(348.56)**
ख.	**निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(225.00)	(29.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	32.39	56.17
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(36.00)	(101.47)
	बैंक के पास साधि जमा में (निवेश)/मोचन	(58.45)	1,568.10
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	5.48	7.60
	बैंक एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	84.89	217.90
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(1,172.55)	(844.82)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	11.81	11.25
	के लिए भुगतान अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(46.27)	(13.01)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(1,403.70)**	**872.72**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	(166.67)	—
	शेयर वापस खरीदी लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	(3.45)	—
	अल्पावधि उधारी से कार्यवाहियाँ / (भुगतान बाबत)	33.80	(54.48)
	अल्पावधि उधारी को चुकाना		
	पट्टा देयता का भुगतान	(3.51)	(3.45)
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	0.21	(0.86)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश भुगतान	(460.61)	(513.04)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश भुगतान पर कर	—	(105.46)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह	**(600.23)**	**(677.29)**
नगद या नगद समतुल्य में निवल वृद्धि या (कमी)		**195.05**	**(153.13)**
वर्ष के प्रारंभ में नगद एवं नगद समतुल्य		**18.47**	**171.60**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य [टिप्पणी 16.क का संदर्भ लें]		**213.52**	**18.47**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिएगए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. न.:057820)

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. न.:086157)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं.1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (कें.सा.क्षे.उ.) है, जिसे कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है और यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के निर्माण और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में स्थित 22.75 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और अनुगुल, ओड़िशा में 4.60 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का संचालन कर रही है। कंपनी के पास एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधक संयंत्र के पास ग्रहीत बॉक्साइट खदानें हैं और प्रद्रावक की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास स्थित 1200 मेगावाट का ग्रहीत थर्मल विद्युत संयंत्र भी है। इसके अलावा, कंपनी आंध्र प्रदेश (गंडिकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) और महाराष्ट्र (सांगली) में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने और इसकी नवीकरणीय ऊर्जा के खरीद दायित्व का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता वाले चार पवन ऊर्जा संयंत्रों का संचालन भी कर रही है।

टिप्पणी सं.2 अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी पर वर्ष के लिए लागू और प्रांसगिक हैं, को कंपनी के एकलस्थित वित्तीय विवरण तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं.3 उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ:

3.1 तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड-एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची- III में निर्धारित और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई है। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग

ये वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

कोविड-19 का प्रभाव

पूर्वानुमानित अपने लेनदेनों, पीपीई, अमूर्त, मालसूचियों, प्राप्यों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों की वहन राशि पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले संभावी प्रभावों को विवेचित किए जाने के आधार पर कंपनी को विश्वास है कि यह प्रभाव अर्थपूर्ण नहीं है। बचाव की प्रभावकारिता का आकलन करते समय कंपनी ने सूचना के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों के साथ ऋण रिपोर्ट एवं संबंधित सूचना, आर्थिक पूर्वानुमानों का प्रयोग किया है, इन सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर एवं मौजूदा आकलनों के आधार पर, कंपनी अपेक्षा करती है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली हो पाएगी एवं देयताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा । कोविड-19 के प्रभाव पर कंपनी के आकलन में इन वित्तीय विवरणों की तिथि को अंतर आ सकता है एवं भावी आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलावों पर कंपनी बारीकी से नज़र रखना जारी रखेगी।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित है।

3.3 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब तक ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है। सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इंड एएस 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत में मापा जाता है।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने की और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानातंरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूँजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्य ह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं:

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवनकाल या खान की शेष पट्टा अवधि है, जो भी कम हो, होता है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प एवं विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण)	उपयोग योग्य जीवनकाल वर्ष में
1	भवन	30-60
2	संयंत्र और मशीनरी	15-40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08-10
5	फर्नीचर और जोड़नार	08-10
6	कंप्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियाँ का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 घटक अलग करने की लागत

सतह खनन में घटक अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे उन्नत अयस्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि घटक अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, घटक अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को "घटक अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के घटक अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित घटक अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"घटक अलग करने की लागत की संपत्ति" का बाद में, घटक अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने गये पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है। विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात्, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस , ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षो की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित होता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य

के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है।

यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरण

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी का संचालन होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और विघटनकारी देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 आकस्मिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग (1 अप्रैल, 2019) की तिथि को स्वीकृत संचयी प्रभाव के साथ रूपान्तरित पूर्व-प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए सभी पट्टों पर 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस-116 - पट्टे का प्रयोग किया है। इसी अनुसार, पूर्ववर्ती अवधि की सूचना को पुनः व्यक्त नहीं किया गया है। कंपनी इन सभी पट्टों को चिह्नित करती है जिसमें संविदा है या ऐसे पट्टों को चिह्नित करती है जो संविदा के आरंभ में विवेचित समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग का नियंत्रण अधिकार प्रदान करता है (संविदा में उल्लिखित व्यक्त या अव्यक्त रूप में)।

पट्टे के आरंभ होने की तिथि को कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं पट्टा देयता की उस तिथि को भुगतान नहीं हुए सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, इसमें 12 महीने या कम अवधि का वो पट्टा शामिल नहीं रहता है जिसमें कोई क्रय विकल्प नहीं रहता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं अन्तर्निहित परिसंपत्ति के लिए पट्टे का मूल्य कम होता है।

12 महीने या कम अवधि के पट्टे के लिए पट्टा भुगतान जिसमें क्रय विकल्प नहीं होता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं पट्टे जिसके लिए अन्तर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9.1 प्रारंभिक माप:

"आरओयू परिसंपत्ति का मूल्य" में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप

ii. पूर्वदत्त पट्टा भुगतान जो कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर है

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और

iv. अन्तर्निहित परिसंपत्ति के विखंडन, निकासी या पुनर्बहाली की अनुमानित लागत

पट्टा देयता को दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड की कूपन दर पर पट्टा भुगतानों पर छूट प्रदान करते हुए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

"पट्टा भुगतान" में शामिल है:

i. स्थायी भुगतान (अवास्तविक स्थायी भुगतान समेत)

ii. परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो सूचक या दर पर निर्भर है

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि

iv. क्रय विकल्प का निष्पादन मूल्य यदि कंपनी इनके निष्पादन के लिए यथोचित निश्चितता की अपेक्षा करती है।

v. कंपनी द्वारा परिसमापन के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प रहता है।

3.9.2 तदुपरांत माप:

तदुपरांत अवधियों के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणता, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. नकद या नकद समतुल्य

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानती है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग . अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकल करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तो के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत त क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा- आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक कि संपत्तियाँ उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जातीं। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में एक व्यवस्थित रूप से संबंधित संपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से संबंधित सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व और देनदारी मान्य है, जो संबंधित अवधि की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति पश्चात दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अँशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए गए, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब किसी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

कंपनी को राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता को पूरी करती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्री

कारखाने से/स्टॉकयार्ड से बिक्री से प्राप्त राजस्व को नियत सांविधानिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने और शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं और इनकोटर्म (पर्व निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के दस्तावेज तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स / उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है जो उनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के अधीन है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने एवं अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर है, जो विद्युत क्रय अनुबंध एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के निर्धारण के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.4 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्य किया जाता है।

3.17.5 ब्याज

एक वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय के परिमाण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया मूलधन और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

सरकारी एजेंसियों से शुल्क वापसी की प्रकृति के प्रोत्साहन और निर्यात पर व्यापारिक निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन पर प्रोत्साहन को इसके तहत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग की राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियों) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन शामिल है।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर व्यय या आय वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है, जिसकी गणना उस अवधि के लिए होती है, जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का भाग होता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के समान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण कंपन द्वारा अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक महसूस किया जाता है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्त्वपूर्ण भूल/ चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी संख्या 4: महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय

उन शामिल अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूँजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन

खनिज भंडार के आकलन में परिवर्तन जहाँ संपत्ति का उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित है, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के आधार पर किया जाता है।

4.2.4 नियुक्ति के पश्चात लाभ देयता के लिए देनदारी

नियुक्ति पश्चात लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थ वादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्विध जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए विचारयोग्य निविष्टि के स्तर एवं अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए निविष्टि के महत्व पर आधारित होते हैं, जिनका निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियाँ वे निविष्टि हैं जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के निविष्टि परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5.क - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास एवं ऋणशोधन				वहन राशि	
	31-03-2020 को यथआ	संयोजन/ अंतरण	निकासी/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31-03-2020 को यथा	वर्ष के लिए	निकासी/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
— निजी स्वामित्व की परिसंपत्तियाँ										
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	81.88	0.58	—	82.46	—	—	—	—	82.46	81.88
भवन	756.48	56.66	(0.03)	813.11	179.86	33.91	(0.02)	213.75	599.36	576.62
संयंत्र एवं उपकरण	8,331.44	536.50	(60.31)	8,807.63	1,994.72	488.34	(45.78)	2,437.28	6,370.35	6,336.72
फर्नीचर एवं जुड़नार	22.44	1.17	(0.08)	23.53	12.07	2.24	(0.07)	14.24	9.29	10.37
कार्यालय उपकरण	51.50	2.01	(1.04)	52.47	28.34	8.44	(1.03)	35.75	16.72	23.16
वाहन	31.90	3.55	(0.15)	35.30	13.42	3.06	(0.11)	16.37	18.93	18.48
रेलवे साइडिंग	64.16	4.53	—	68.69	20.21	4.13	—	24.34	44.35	43.95
— पट्टायुक्त परिसंपत्तियाँ										
पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)	86.54	98.33	(0.01)	184.86	3.18	5.86	—	9.04	175.82	83.36
Grand कुल	**9,426.34**	**703.33**	**(61.62)**	**10,068.05**	**2,251.80**	**545.98**	**(47.01)**	**2,750.77**	**7,317.28**	**7,174.54**

टिप्पणियाँ

5.क.1 64.15 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है एवं इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.क.2 पूर्ण स्वामित्व की भूमि की लागत में 43.75 एकड़ भूमि की लागत शामिल है, जो ओड़िशा सरकार को सौंपी गई है, जिसके खिलाफ अलगाव की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।

5.क.3 कंपनी के पास 1697.71 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना प्रचालन जारी रखने की अनुमति दी गई है।

5.क.4. ₹4.59 करोड़ की वहन राशि के साथ कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्रय किए गए कोलकाता में 6,459 वर्गफीट के कार्याल य स्थल (भवन) के संबंध में पंजीयन औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन हैं।

5.क.5 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम-मूल्य की संपत्ति के पट्टों से संबंधित खर्चों के लिए ₹0.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.82 करोड़) खर्च किए, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों का नकद बहिर्वाह और कम-मूल्य की संपत्ति के पट्टे सहित पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹4.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.27 करोड़) है।

6. पूँजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
पूँजी कार्य प्रगति में	1,420.17	1,135.86
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	11.44	41.30
	1,431.61	**1,177.16**

6.1. प्रगति में पूँजीगत कार्य की राशि में उत्कल-डी और उत्कल-ई कोल ब्लॉक के कारण अवसंरचना विकास व्यय के लिए ₹ 53.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 46.44 करोड़) शामिल हैं। इसमें 5वीं धारा एल्यूमिना परिशोधक के विस्तार के लिए ₹105.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹62.09 करोड़) का प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय और ओड़िशा में अवसंरचनागत विकास पर खर्च के लिए ₹250.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹62.01 करोड़) के पूर्व-परियोजना व्यय शामिल हैं, जो पोट्टांगी खानों के आवंटन के लिए ओड़िशा सरकार के प्रति कंपनी का बाध्यकारी दायित्व था।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास एवं ऋणशोधन				वहन राशि	
	31-03-2020 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निकासी/ अंतरण/ समायोजन	को यथा 31-03-2021 को यथा	को यथा 31-03-2020 को यथा	वर्ष के लिए	निकासी/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
उपयोक्ता अधिकार	79.79	—	—	79.79	11.28	4.00	—	15.28	64.51	68.51
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	11.24	0.13	—	11.37	7.70	1.76	—	9.46	1.91	3.54
खनन अधिकार [टिप्पणी सं.8.1 देखें]	288.39	91.36	—	379.75	51.22	52.83	—	104.05	275.70	237.17
लाइसैंस	10.25	1.30	—	11.55	9.24	1.25	—	10.49	1.06	1.01
कुल योग	**389.67**	**92.79**	**—**	**482.46**	**79.44**	**59.84**	**—**	**139.28**	**343.18**	**310.23**

टिप्पणियाँ

7.1 कंपनी ओडिशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारो के अंतर्गत अमूर्त आस्तियो के रूप में पूँजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया।

8. विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	को यथा 31.03.2021	को यथा 31.03.2020
खनन अधिकार	144.39	249.54
	144.39	**249.54**

टिप्पणी:

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला खनन के लिए पट्टेवाली भूमि के अधिग्रहण हेतु व्यय, कोयला ब्लॉक के आबंटन, एनपीवी एवं कोयला ब्लॉक की वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं संबंधित कार्यों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों को किया गया भुगतान शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

			को यथा 31.03.2021	को यथा 31.03.2020
क. गैर-चालू				
	क.1 निवेश इक्विटी साधनों में निवेश			
	क.1.1	सहयोगियों में निवेश		
	क.1.2	संयुक्त उद्यमों में निवेश		
		अनुद्धृत निवेश		
	क)	**उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड** (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयर्स, 31.03.2021 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त के 2,00,00,000 शेयर्स).	20.00	10.00
		₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि##	—	10.00
		कुल	**20.00**	**20.00**
		[# ₹10 के 1,00,00,000 पूर्ण प्रपत्त इक्विटी शेयर 14.05.2020 को राइट्स इश्यू के तहत उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए हैं]		
	ख)	**खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड** (31.03.2020 को यथा : ₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 40,000 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 10,00,000 शेयर्स).	1.00	0.04
		₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 9,60,000 शेयरों के लिए आवेदन शुल्क.##	—	0.96
		कुल	**1.00**	**1.00**
		[## ₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 संख्यक इक्विटी शेयर्स 12.06.2020 को राइट्स इश्यू के तहत खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए।]		
	ग)	**अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राईवेट लिमिटेड** (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त के 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2021 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर).	16.22	16.22
		कुल	**16.22**	**16.22**
	घ)	**जीएसीएल-नालको अल्कालिज एवं रसायन प्राईवेट लिमिटेड** (31.03.2020 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 24,00,00,000 शेयर, 31.03.2021 को यथा:₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर).	276.00	240.00
		कुल	**276.00**	**240.00**
	16.02.2021 को, मेसर्स जीएसीएल-नालको अल्कालिज एवं रसायन प्राईवेट लिमिटेड ने राइट्स इश्यू के तहत ₹10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 3,60,00,000 शेयर कंपनी को जारी किए।			
	संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश		**313.22**	**277.22**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी.)

राशि करोड़ ₹ में

संयुक्त उद्यमों का विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण इस प्रकार है

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रमुख गतिविधि और कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/ कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण, कार्यनीतिक और अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप सहित सभी उच्च अंत एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, बिक्री, क्रय, व्यापार, वितरण, आयात और निर्यात	50.00%	50.00%
(ख) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर कार्यनीतिकक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अर्जन, विकास, खनन, प्रक्रियाकरण, प्राण्ण और विक्रय	40.00%	40.00%
(ग) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राईवेट लिमिटेड	ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में एल्यूमिनियम विशिष्ट अनप्रवाह को प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एवं रसायन प्राईवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%
अनुद्धृत निवेश			
ओड़िशा केपिल मार्केट एंड इंटरप्राइजेस लिमिटेड. (₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,000 शेयर		0.03	0.03
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश		**0.03**	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश		**313.25**	**277.25**
अतिरिक्त सूचना			
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि		313.25	277.25

			31.03.2021 को यथा		31.03.2020 को यथा
ख. चालू					
	म्युचुअल फंड में निवेश	'000 इकाई में	राशि करोड़ ₹ में	'000 इकाई में	राशि करोड़ ₹ में
	तयशुदा निवेश				
	बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	—	—	50	5.00
	बीओआई एएक्सए ओवरनाइट फंड	—	—	100	10.00
	केनारा लिक्विड फंड	239	24.05	—	—
	बड़ौदा लिक्विड फंड	1,009	101.14	120	12.00
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	684	71.10		
	युनियन केबीसी लिक्विड	520	52.09	180	18.01
	यूटीआई ओवरनाइट फंड	—	—	100	10.00
कुल - अन्य चालू निवेश			**248.38**		**55.01**
अतिरिक्त सूचना					
उद्धृत निवेशों की कुल लागत			248.00		55.00
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य			248.38		55.01
अनुद्धृत निवेशों की कुल लागत			—		—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि			—		—
संवर्ग-वार वर्गीकरण					
			को यथा 31.03.2021		को यथा 31.03.2020
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)			248.38		55.01
			248.38		55.01

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

10. व्यापार प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	—	—
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ)	ऋण क्षति	37.11	37.11
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)		37.11	37.11
गैर-चालू व्यापार प्राप्य		—	—
ख.	**चालू**	**को यथा 31.03.2021**	**को यथा 31.03.2020**
	(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
	(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	147.39	140.09
	(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	20.24	—
		—	—
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		20.24	—
चालू व्यापार प्राप्य		**147.39**	**140.09**

टिप्पणियाँ

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को बिक्री पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2020 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

		ग्राहक	व्यापार प्राप्य का %	ग्राहक संवर्ग
क	a	दुबई एल्यूमिनियम पीजेएससी	44%	एल्यूमिना
	b.	एपीएसपीडीसीएल	19%	पवन विद्युत
	ग.	आरडीपीपीसी,देवीकोट,राजस्थान	12%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन किया है।

10.4

प्राप्यों की आयु	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	108.40	78.04
3-6 महीने	—	—
6 महीने से अधिक	37.11	37.11
	145.51	**115.15**
पवन विद्युत		
0-3 महीने	4.45	9.28
3-6 महीने	3.02	7.31
6 महीने से अधिक	31.52	45.46
	38.99	**62.05**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	66.48	62.42
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	19.26	10.30
(ख)	अन्य को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.21	0.30
घटाव: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		—	—
कुल गैर-चालू ऋण		**85.95**	**73.02**
ख.	**चालू**	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना गया, सुरक्षित	17.71	29.52
	अच्छा माना गया, असुरक्षित	9.47	9.07
(ख)	संबंधित पार्टियों को ऋण		
	अच्छा माना गया, सुरक्षित [टिप्पणी सं. 11.2 देखें]	0.01	0.02
(ग)	अन्य को ऋण		
	अच्छा माना गया - सुरक्षित	2.97	1.55
कुल चालू ऋण		**30.16**	**40.16**

टिप्पणियाँ

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 संबंधित पक्षों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी से कर्मचारियों के पद पर रहे समय लिए गए मोटर वाहन ऋण की राशि है। इन ऋणों के बारे में अधिक जानकारी टिप्पणी 38-संबंधित पार्टी प्रकटीकरण में दी गई है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
	प्रतिभूति जमा	11.24	10.48
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**11.24**	**10.48**
ख.	**चालू**	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	—	0.04
(ख)	बीमा दावा प्राप्य और अन्य	7.22	8.46
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**7.22**	**8.50**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			
क)	बीमा दावे	7.22	8.45
कुल खराब और संदिग्ध - अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		**7.22**	**8.45**
निवल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**—**	**0.05**
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण			
असुरक्षित, अच्छा माना गया		—	0.05
संदिग्ध		7.22	8.45
सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**7.22**	**8.50**

टिप्पणियाँ

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।.

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

13. चालू कर परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
आय कर	85.50	46.22
कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	**85.50**	**46.22**

14. अन्य परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	पूँजी अग्रिम		240.61	197.18
(ख)	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
	सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम			
	(1)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	170.60	216.66
	(2)	आयकर प्राधिकारी के पास जमा (शुद्ध)	326.80	285.55
	(3)	अन्य सरकारी प्राधिकारी	3.52	2.18
(ग)	अन्य			
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	16.63	18.29
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**758.16**	**719.86**
घटाएँ: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते				
(क)	पूँजी अग्रिम		0.26	0.26
कुल खराब और संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			**0.26**	**0.26**
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**757.90**	**719.60**
ख. चालू			**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे			
	(1)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	28.53	14.33
	(2)	नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	2.94	3.86
	(3)	वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	332.80	345.47
	(4)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	8.84	8.79
(ख)	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	2.39	2.85
	(2)	अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	4.91	5.29
(ग)	हाथ में स्वर्णमुद्राएँ एवं डाक-टिकटें		0.01	0.01
(घ)	अन्य प्राप्य		1.23	1.63
(ङ)	अन्य अग्रिम			
	(1)	कर्मचारियों को अग्रिम	29.23	28.46
	(2)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	363.20	395.11
	(3)	अन्य	3.84	2.67
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**777.92**	**808.47**
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
(क)	वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य		197.81	197.81
(ख)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे		7.09	7.09
(ग)	अन्य प्राप्य		0.39	1.00
(घ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम		2.02	1.88
(ङ)	अन्य		1.81	1.85
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते			**209.12**	**209.63**
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**568.80**	**598.84**

15. मालसूची

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क) कच्चे माल	72.69	89.46
(ख) कोयला एवं ईंधन तेल	215.62	338.63
(ग) तैयार उत्पाद	464.43	440.02
(घ) कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	118.57	153.03
(ङ) प्रगति में कार्य	298.35	282.54
(च) भंडार और कल पुर्जे	292.84	378.51
(छ) स्क्रैप	13.82	14.71
कुल मालसूची	**1,476.32**	**1,696.90**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ माल		
(i) कच्चे माल	4.15	10.71
(ii) कोयला एवं ईंधन तेल	25.12	10.48
(iii) भंडार और कल पुर्जे	4.45	9.86
कुल मार्गस्थ माल	**33.72**	**31.05**

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹3,806.06 करोड़ है। (पिछले वर्ष : ₹4,027.93 करोड़).

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं को लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹2.00 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹4.23 करोड़) शामिल है।.

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।.

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की टिप्पणी 3.10 में वर्णित है।

16.क नकद एवं नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क) बैंक में शेष		
(1) अनुसूचित बैंकों में शेष		
(i) चालू खाते में	213.52	18.47
कुल नकद एवं नकद समतुल्य	**213.52**	**18.47**

16.ख बैंक शेष (नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क) जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	1,463.00	1,404.55
मूलधन	1,446.00	1,358.00
प्रोद्भूत ब्याज	17.00	46.55
(ख) अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष	73.26	557.51
कुल अन्य बैंक शेष	**1,536.26**	**1,962.06**

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों के पास ₹73.26 करोड़ की निर्धारित शेष राशि में ₹3.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.95 करोड़) की राशि का दावा न किए गए लाभांश की राशि शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय ओड़िशा के निर्देश के अनुसार ₹69.39 करोड़ की शेष राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा का प्रतिनिधित्व करती है। [टिप्पणी 24.2 देखें]

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

17. शेयर पूँजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी:		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल हैं:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2020 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक के 1,86,56,17,498 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	918.32	932.81
	918.32	**932.81**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

राशि करोड़ ₹ में

	शेयरों की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
31.03.2019 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2020 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**
शेयरों की वापस खरीद	(2,89,85,711)	(14.49)
31.03.2021 को यथा शेष	**1,83,66,31,787**	**918.32**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) **वापस खरीद:** वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पँजूी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई।.

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने फिर से ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹966.46 करोड़ से पुनः घटकर ₹ 932.81 करोड़ रह गई।

चालू वर्ष के दौरान, ₹5 प्रत्येक के 2,89,85,711 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹932.81 करोड़ से घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई।

(iii) **विनिवेश:** 2017-18 वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक) का विनिवेश किया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

2019-20 वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) से 31.03.2020 को घटकर 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) रह गई है।

चालू वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की धारिता 31.03.2020 को 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) से 31.03.2021 को घटकर 94,17,93,011 संख्यक (51.28%) रह गई है।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा		31.03.2020 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	96,07,93,011	51.50%
भारतीय जीवन बीमा निगम	10,41,04,003	5.67%	9,41,04,003	5.04%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड	6,14,34,544	3.34%	11,00,27,027	5.90%
अन्य	72,93,00,229	39.71%	70,06,93,457	37.56%
कुल	**1,83,66,31,787**	**100.00%**	**1,86,56,17,498**	**100.00%**

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क) पूँजी मोचन आरक्षित	370.30	355.81
(ख) सामान्य आरक्षित	7,942.86	8,112.98
(ग) प्रतिधारित आय	1,449.22	586.47
कुल	**9,762.38**	**9,055.26**

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
01.04.2019 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**1,082.91**	**9,551.70**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	138.23	138.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**122.06**	**122.06**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**586.47**	**9,055.26**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,299.53	1,299.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	23.83	23.83
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,323.36**	**1,323.36**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर प्रीमियम	—	(152.18)	—	(152.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)	—	(3.45)	—	(3.45)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	—	—
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(460.61)	(460.61)
31.03.2021 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.86**	**1,449.22**	**9,762.38**

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

2018-19 वर्ष के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹33.65 करोड़ की कमी आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गए एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित निधि से पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को ₹ 57.50 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,89,85,711 शेयर वापस खरीदे। भुगतान की गई कुल कुल धनराशि ₹166.67 करोड़ मान्य हुई। वापस खरीदी के बाद, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी ₹932.81 करोड़ से ₹14.49 करोड़ कम होकर ₹918.32 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹152.18 करोड़ सामान्य आरक्षित से विनियोजित की गई। शेयरों को 17 मार्च, 2021 को समाप्त कर दिया गया और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, ₹14.49 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित से पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरित कर दिया गया।

18.3 कंपनी ने 16 दिसंबर, 2020 को ₹0.5 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹93.28 करोड़ के अंतरिम लाभांश की पहली किश्त का भुगतान किया। 31.03.2021 को अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त ₹2.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹367.33 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹279.84 करोड़ के अंतरिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹233.20 करोड़ के अंतिम लाभांश के साथ-साथ इन पर संबंधित लाभांश की मात्रा पर क्रमशः ₹57.52 करोड़, ₹47.94 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान किया।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (सुरक्षित) (परिशोधित लागत पर)	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	46.11	12.31
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**46.11**	**12.31**

20. व्यापारिक देय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क.	**गैर-चालू**		
	(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	—	—
	— अन्य	37.70	22.69
	कुल गैर-चालू व्यापारिक देय	**37.70**	**22.69**
ख.	चालू		
	(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	11.70	7.06
	— अन्य	702.45	535.03
	उपार्जित मजदूरी और वेतन	225.39	230.84
	कुल चालू व्यापारिक देय	**939.54**	**772.93**

टिप्पणियाँ

20.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-20) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-21) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

	विवरण	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
i)	बकाया मूलधन	11.70	7.06
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियम दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

21. अन्य वित्तीय देनदारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क.	**गैर चालू**		
	(क) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
	— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	—	—
	— अन्य	36.07	8.28
	(ख) पट्टा देयता	50.48	50.25
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ		**86.55**	**58.53**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21. अन्य वित्तीय देनदारियाँ (जारी...)

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	अदत्त लाभांश	3.87	2.95
(ख)	अन्य देनदारियों के लिए लेनदार		
	1) पूँजी आपूर्ति एवं सैवाओं के लिए लेनदार		
	— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	—	—
	— अन्य	211.01	312.72
	2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	3.88	2.07
	3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	7.61	26.50
	(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	67.27	65.93
	(5) कर्मचारी वसूली	0.27	0.63
(ग)	पट्टा देयता	5.49	5.22
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ		**299.40**	**416.02**

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क.	गैर-चालू		
(क)	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**		
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
	(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	147.48	135.39
	(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	16.02	17.27
	(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.21	2.41
	(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	9.51	12.07
	(v) सेवानिवृत्ति उपहार	6.17	7.08
	(2) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ		
	(i) क्षतिपूरित अनुपस्थियाँ	375.78	383.08
	(ii) लम्बी सेवा पुरस्कार	12.83	11.01
	(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	25.54	25.94
(ख)	**अन्य प्रावधान**		
	(1) परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	37.42	34.17
	(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर चालू प्रावधान		**633.34**	**628.80**
ख .	चालू	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
(क)	**कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान**		
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
	(i) ग्रेच्युटी (वित्तपोषित)	10.63	55.98
	(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	7.85	5.03
	(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	3.57	3.32
	(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.51	0.58
	(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	2.87	0.45
	(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.99	0.18
	(2) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ		
	(i) क्षतिपूरितअनुपस्थियाँ	54.59	44.49
	(ii) लम्बी सेवा पुरस्कार	0.30	0.53
	(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	6.34	6.15

22. प्रावधान (जारी...)

राशि करोड़ ₹ में

(ख)	अन्य प्रावधान			
	(1) परिधीय विकास व्यय की बाबत		30.47	31.03
	(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत		41.34	30.70
कुल चालू प्रावधान			**159.46**	**178.44**
ग.	प्रावधान का संचलन			
(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]			
(2)	कर्मचारी लाभ का संचलन			
		क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
	31.03.2019 को यथा शेष	**347.26**	**10.36**	**22.58**
	अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	125.09	1.22	28.77
	भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(75.16)	(2.30)	(19.26)
	पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	30.38	2.26	—
	31.03.2020 को यथा शेष	**427.57**	**11.54**	**32.09**
	अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	126.18	1.35	20.57
	भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(106.42)	(1.06)	(20.78)
	पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	(16.96)	1.3	—
	31.03.2021 को यथा शेष	**430.37**	**13.13**	**31.88**
(3)	अन्य प्रावधानों का संचलन	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
	31.03.2019 को यथा शेष	**31.12**	**28.46**	**31.53**
	अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.50	4.52	—
	भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(1.95)	(0.50)
	छूट का फैलाव	2.55	0.05	—
	31.03.2020 को यथा शेष	**34.17**	**31.08**	**31.03**
	अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.70	14.67	—
	भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(4.08)	(0.56)
	छूट का फैलाव	2.55	0.05	—
	31.03.2021 को यथा शेष	**37.42**	**41.72**	**30.47**

टिप्पणी:

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेचुइटी अधिनियम के अनुसार ग्रेचुइटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं इंड एएस 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रचलन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

23. आस्थगित कर देनदारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
आस्थगित कर देनदारियाँ			1,141.28	1,582.79
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			247.56	522.18
			893.72	**1,060.61**
2019-20	**01.04.2019 को यथा प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2020 को यथा अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देनदारियाँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,545.06)	(28.76)	—	(1,573.82)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.94	(0.58)	—	2.36
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(18.00)	—	6.67	(11.33)
आस्थगित कर देनदारियाँ	**(1,560.12)**	**(29.34)**	**6.67**	**(1,582.79)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूरित अनुपस्थियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	121.35	28.05	—	149.40
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.17	2.65	—	90.82
प्रावधान for संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों	90.24	(1.22)	—	89.02
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अंतर	125.27	63.25	—	188.52
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	—	—	—
अन्य	4.42	—	—	4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**429.45**	**92.73**	—	**522.18**
आस्थगित कर (देनदारियाँ) / परिसंपत्तियाँ - [शुद्ध]	**(1,130.67)**	**63.39**	**6.67**	**(1,060.61)**
2020-21	**01.04.2020 को यथा प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2021 को यथा अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देनदारियाँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,573.82)	433.37	—	(1,140.45)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.36	1.96	—	4.32
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(11.33)	—	6.18	(5.15)
आस्थगित कर देनदारियाँ	**(1,582.79)**	**435.33**	**6.18**	**(1,141.28)**
निम्न सं संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क्षतिपूरित अनुपस्थियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	149.40	(41.08)	—	108.32
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	90.82	(24.70)	—	66.12
संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	89.02	(20.01)	—	69.01
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अंतर	188.52	(187.59)	—	0.93
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	—	—	—
अन्य	4.42	(1.24)	—	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**522.18**	**(274.62)**	—	**247.56**
आस्थगित कर (देनदारियाँ) / परिसंपत्तियाँ [शुद्ध]	**(1,060.61)**	**160.71**	**6.18**	**(893.72)**

टिप्पणी:

भारत सरकार द्वारा कराधान कानूनों (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के अनुसरण में, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों को त्यागकर कम कर दर में स्थानांतरित करने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प था। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का प्रयोग किया और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तदनुसार मापा गया है। चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 34.944%) है। 31.03.2021 को आस्थगित कर पर करों की दर में ऐसे परिवर्तन का प्रभाव ₹345.15 करोड़ है।

24. अन्य देनदारियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(i)	एनईएफएफएआरएस के अंतर्गत जमा	98.27	70.90
(ii)	अन्य [टिप्पणी सं.24.1 का संदर्भ लें]	230.50	—
कुल अन्य गैर-चालू देनदारियाँ		**328.77**	**70.90**
B.	चालू		
(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	97.27	94.25
(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये		
	(क) विद्युत शुल्क [टिप्पणी सं.: 24.2 का संदर्भ लें]	107.47	589.43
	(ख) स्रोत पर कर सटौती एवं संग्रह	29.35	21.61
	(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	43.58	38.17
	(घ) स्टाम्प शुल्क बाबत बकाया	212.78	212.78
	(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	63.71	64.91
(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी सं.: 24.3 का संदर्भ लें]	24.99	293.82
(iv)	एनईएफएफएआरएस के अंतर्गत जमा	25.20	24.22
(v)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए अनुदान	0.51	0.53
(vi)	अन्य ऋण शेष	0.43	0.60
कुल अन्य चालू देनदारियाँ		**605.29**	**1,340.32**

टिप्पणी:

24.1 माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए कंपनी के पक्ष में ₹ 230.50 करोड़ का रिफंड आदेश जारी किया है। तत्समान मामले पर इसके पूर्व के विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर, जहाँ लाभार्थी को लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, अनिश्चितता की उच्च डिग्री की शामिल के कारण, कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम तक उक्त राशि को देयता के रूप में मान्यता देने को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, विभाग ने सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा जारी आदेश को ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

24.2 ओड़िशा सरकार के अनुरोध के आधार पर, विवादित अंतर विद्युत शुल्क की संचित देयता के विरुद्ध, ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के शर्ताधीन, ओड़िशा सरकार को 31.12.2020 तक ₹675.23 करोड़ के अंतर बिजली शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। 01.01.2021 से, मासिक बिजली शुल्क राशि का भुगतान सीधे ओड़िशा सरकार को किया जा रहा है।

24.3 ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या के ओईआरसी/आरए/आरई-5/2013/2012 दिनांक 31.12.2019 परिणामस्वरूप जिसमें 1.4.2016 से पहले चालू किए गए सीजीपी के लिए आरपीओ की उद्भन्धन दर 3% (सौर स्रोतों के लिए 0.5% अन्य गैर-सौर स्रोतों के लिए 2.5%) है और ओड़िशा अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (ओआरईडीए) द्वारा दिनांक 17.06.2021 के दिए गए स्पष्टीकरण के बाद, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को अपने दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जो कंपनी के पास भौतिक रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों को ध्यान में रखते हुए 24.99 करोड़ होता है (पिछले वर्ष 293.82 करोड़) और आरईसी के दावे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। देयता के इस तरह के संशोधन के प्रभाव को "अन्य खर्चों" में कमी पर विचार में लिया गया है। [टिप्पणी 33 (जे) देखें।]

25. आकस्मिक देनदारियाँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**		
	1. ओड़िशा विक्रय कर	3.72	4.31
	2. केंद्रीय विक्रय कर	281.01	281.01
	3. वीएटी	12.64	12.64
	4. उत्पाद शुल्क	410.44	410.44
	5. सीमा शुल्क	104.47	104.47
	6. सेवा कर	21.98	18.19
	7. आय कर	162.66	547.62
	8. प्रवेश कर	221.37	221.37
	9. सड़क कर	2.65	2.65
	10. स्टाम्प ड्युटी	0.51	0.51
	11. सरकार से दावा (एनजीटी)	62.30	15.59
	12. सा.क्षे.उद्यमों से दावा	247.59	188.73
	13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	73.73	88.20
	14. ओड़िशा सरकार के खान विभाग से मांग	136.32	136.32
	15. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	—	92.45
	16.जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य द्वारा दावे**		—
	1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	292.85	318.08
	कुल	**2,153.48**	**2561.82**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

25. आकस्मिक देनदारियाँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) (जारी...)

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहि यों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीएसयू से दावे में खान एवं परिशोधन संकुल में नालको परिशोधक द्वारा अपर कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी निकालने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की हानि के लिए ओड़िशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मांग किए गए ऊर्जा क्षतिपूरक प्रभार एवं वर्ष 2005 से उस पर विलम्बित भुगतान उपकर शामिल है।

iv. कंपनी के विरुद्ध दावे अधिकतर आकलन चरण में आईटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण है। ये दावे धारा 32(i)(iiक) के अधीन अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकार वस्तुतः परिधीय विकास व्यय के अस्वीकार, अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान, अल्पमियादी पूंजी लाभ के उपचार एवं दीर्घमियादी पूंजी लाभ के अधीन हानि की अस्वीकृति एवं व्यवसाय आय के रूप में इनका माना जनाना, धारा 14क के अधीन अस्वीकार जैसे बहु मसलों के कारण हैं। विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण में ये मामले विचाराधीन एवं लम्बित हैं। कर सलाहकार समेत प्रबंधन को अपेक्षा है कि उच्चतर अपीलीय फोरम द्वारा सीआईटी(ए)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) रहने के कारण कंपनी के पक्ष में पहले से ही आखिरी समाधान रहने से इसकी स्थिति कायम रहेगी। अतएव, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण एवं कंपनी की कर दर को प्रभावित करेगा।

कंपनी ने विवाद के संभावित परिणाम और संसाधनों के बहिर्वाह की संभावनाओं पर विचार करते हुए विवादित आयकर मामलों और विभाग/प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों की समीक्षा की और तदनुसार 31.03.2021 को खुलासा किया।

राशि करोड़ ₹ में

25.1		आकस्मिक देनदारियों का संचलन	31.03.2020 को यथा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2021 को यथा
	क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
		1. ओड़िशा विक्रय कर	4.31	(0.59)	—	3.72
		2. केंद्रीय विक्रय कर	281.01	—	—	281.01
		3. वीएटी	12.64	—	—	12.64
		4. उत्पाद शुल्क	410.44	—	—	410.44
		5. सीमा शुल्क	104.47	—	—	104.47
		6. सेवा कर	18.19	(0.07)	3.86	21.98
		7. आय कर	547.62	(384.96)	—	162.66
		8. प्रवेश कर	221.37	—	—	221.37
		9. सड़क कर	2.65	—	—	2.65
		10. स्टाम्प शुल्क	0.51	—	—	0.51
		11. सरकार से दावा (एनजीटी)	15.59	—	46.71	62.30
		12. सा.क्षे.उद्यमों से दावा	188.73	—	58.86	247.59
		13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	88.20	(21.69)	7.22	73.73
		14. ओड़िशा सरकार के खान विभाग से मांग	136.32	—	—	136.32
		15. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	(92.45)	—	—
		16. जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—	—	119.24
	ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं और अन्य द्वारा दावे**	—			—
		1. ठेकेदार के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	318.08	(67.20)	41.97	292.85
		कुल	**2,561.82**	**(566.96)**	**158.61**	**2,153.48**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क)	पूँजी खाते में संविदाओं की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है	1308.97	993.90
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ		
	(1) उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है.	18.11	18.11
	(2) एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व।	शून्य	254.32
	(3) पोट्टांगी बॉक्साइट खदानों के आवंटन के लिए ओड़िशा सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि।	49.89	शून्य
	(4) परिशोधक की 5वीं धारा परियोजना के लिए भारत सरकार (एमओईएफएफसी) के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि।	10.81	शून्य
	(5) पूँजी निवेश के लिए निगम पर्यावरण जिम्मेदारी (सीईआर)	12.00	शून्य
कुल		1399.78	1266.33

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	**उत्पादों की बिक्री**		
	1) निर्यात:		
	i) एल्यूमिना	2,534.63	2,764.30
	ii) एल्यूमिनियम	2,628.31	746.62
	2) देशीय:		
	i) एल्यूमिना	141.95	213.98
	ii) एल्यूमिनियम	3,524.48	4,645.92
(ख)	**विद्युत की बिक्री**		
	i) पवन विद्युत [टिप्पणी सं. 27.1 का संदर्भ में]	39.92	54.93
(ग)	**अन्य प्रचालन आय**	**86.50**	**46.09**
प्रचालनों से राजस्व		8955.79	8471.84

टिप्पणी:

27.1 2018-19 से प्रॉवर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) की अनुपलब्धता के कारण कंपनी ने राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को मान्यता नहीं दी है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय		
	(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है।		
	— बैंक जमा	69.99	144.30
	— कर्मचारियों को ऋण	9.42	9.43
	— परिशोधित लागत पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5.48	2.99
	(ii) आय कर वापसी के बाबात अर्जित ब्याज आय	—	61.18
(ख)	लाभांश आय		
	— चालू निवेशों से लाभांश	5.48	7.60
(ग)	निवल विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(1.85)	5.94
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	0.38	0.01
(ङ)	अन्य निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	—	1.35
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी: 28.1 का संदर्भ लें]	8.86	3.73
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	15.71	19.52
(ज)	अन्य	33.13	16.53
कुल अन्य आय		146.60	272.58

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

29. खपत हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क.	कच्चे माल		
	(1) कास्टिक सोड़ा	687.62	935.17
	(2) सी.पी. कोक	351.00	460.73
	(3) सी. टी. पिच	130.67	142.25
	(4) एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	74.80	80.58
	(5) चूना	44.14	51.47
	(6) अन्य	27.20	32.28
	खपत हुए कच्चे माल का योग	**1,315.43**	**1,702.48**
ख.	विद्युत एवं ईंधन		
	(1) कोयला	1,584.74	1,667.11
	(2) ईंधन तेल	576.49	663.21
	(3) निजी सृजन पर शुल्क	415.35	400.30
	(4) विद्युत क्रय	55.25	224.47
	(5) विद्युत पारेषण प्रभार	6.26	9.51
	खपत हुए विद्युत एवं ईंधन का योग	**2,638.09**	**2,964.60**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
तैयार उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
1) बॉक्साइट	3.74	18.12
(2) रसायन	159.30	91.48
(3) एल्यूमिनियम	276.97	12.68
प्रारंभिक स्टॉक	**440.01**	**122.28**
तैयार उत्पादों का कुल प्रारंभिक स्टॉक	**440.01**	**122.28**
घटाएँ:		
अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	4.34	3.74
(2) रसायन	232.28	159.30
(3) एल्यूमिनियम	227.81	276.97
अंतिम स्टॉक	**464.43**	**440.01**
तैयार उत्पादों का कुल अंतिम स्टॉक	**464.43**	**440.01**
तैयार उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**(24.42)**	**(317.73)**
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	136.37	122.16
अन्य	16.67	18.97
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**153.04**	**141.13**
घटाएँ: अंतिम स्टॉक		
एनोड	100.83	136.37
अन्य	17.74	16.67
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**118.57**	**153.04**
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**34.47**	**(11.91)**
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	282.54	246.95
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	298.35	282.54
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	**(15.81)**	**(35.59)**
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	**(5.76)**	**(365.23)**

31. कर्मचारी परिलाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदूरी		1,544.25	1,585.52
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			
	1)	भविष्य निधि	120.10	129.45
	2)	उपदान	42.85	52.09
	3)	रोजगार उपरांत पेंशन योजना	107.03	114.00
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय		116.01	113.01
कर्मचारी परिलाभ व्यय का योग			**1,930.24**	**1,994.07**

टिप्पणियाँ

31.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि: कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।**

ख) **पेंशन निधि: कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।**

31.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के शर्ताधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजना :** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना :** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजना:** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.ख.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरितअनुपस्थियाँ :** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कार :** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएस :** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, योजना के अधीन निर्दिष्टानुसार निर्धारित राशि के जमा पर, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैं:-

i. **बीमांकिक जोखिम:** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता है:

क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव:** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी परिलाभ व्यय (जारी...)

ख. **मृत्यु दर में विविधता:** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

ग. **आहरण दरों में विविधता:** यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिम:** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यां कन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	को यथा मूल्यांकन	
	31.03.2021	31.03.2020
छूट दर(रों)	6.60%	6.50%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	8%	8%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :-

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सेवा लागत:		
— चालू सेवा लागत	(52.67)	(54.67)
— समझौतों से विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	16.10	12.19
— शुद्ध ब्याज व्यय	(5.11)	(11.97)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(41.68)**	**(54.45)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	(1.78)	5.12
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.10	(45.79)
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	14.31	23.08
अन्य		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**17.63**	**(17.59)**
कुल	**(24.05)**	**(72.04)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
मार्च 31, 2020						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(140.42)	(20.59)	(2.99)	(12.52)	(7.26)	(632.24)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					576.26
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(55.98)**
मार्च 31, 2021						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					585.17
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(155.35)**	**(19.58)**	**(2.73)**	**(12.38)**	**(7.16)**	**(10.63)**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी परिलाभ व्यय (जारी...)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना	सेवानिवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
अप्रैल 01, 2019 को यथा प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**(123.43)**	**(22.42)**	**(3.04)**	**(11.90)**	**(6.93)**	**(604.90)**
चालू सेवा लागत	—	(3.55)	—	—	—	(51.12)
ब्याज लागत	(7.82)	(1.38)	(0.18)	(0.72)	(0.42)	(37.05)
पुनःमापन (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.97)	(1.10)	(0.12)	(0.60)	(0.48)	(39.52)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.43)	5.35	(0.11)	(1.06)	(0.32)	30.65
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा लागत	—	—	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
लाभ भुगतान किया गया	6.23	2.51	0.46	1.76	0.89	69.70
अन्य	—	—	—	—	—	—
मार्च 31, 2020 को यथा अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(632.24)**
चालू सेवा लागत	—	**(3.14)**	—	—	—	**(49.53)**
ब्याज लागत	**(9.06)**	**(1.26)**	**(0.17)**	**(0.75)**	**(0.45)**	**(38.65)**
पुनःमापन	—	—	—	—	—	—
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.98	0.03	0.01	0.06	0.05	3.97
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.11)	2.36	(0.44)	(1.50)	(0.43)	27.43
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा लागत	—	—	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
लाभ भुगतान किया गया	6.26	3.02	0.86	2.33	0.93	93.22
अन्य	—	—	—	—	—	—
मार्च 31, 2021 को यथा अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)

31. कर्मचारी परिलाभ व्यय (जारी...)

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :

	उपदान (निधिबद्ध)
अप्रैल 01, 2019 को यथा योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	547.80
ब्याज आय	35.60
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	5.12
अन्य	(0.05)
नियोक्ता से अंशदान	57.49
प्रदत्त लाभ	(69.70)
मार्च 31, 2020 को यथा योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	576.26
ब्याज आय	45.23
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(1.78)
अन्य	—
नियोक्ता से अंशदान	58.68
योजना भागीदार से अंशदान	—
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	—
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—
प्रदत्त लाभ	(93.22)
अन्य	—
31 मार्च, 2021 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	585.17

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31.03.2021	31.03.2020
निधियों में निवेशः		
1. बीमा कंपनियाँ	585.17	576.26
कुल	585.17	576.26

31.ग परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**4.25**	**5.19**	**0.60**	**0.61**	**0.08**	**0.08**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.03%	3.70%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतनवृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	**0.07**	**0.07**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.42%	2.37%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	**0.02**	**0.02**	—	—
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.04**	**0.04**	**0.09**	**0.09**	**0.01**	**0.01**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

31. कर्मचारी परिलाभ व्यय (जारी...)

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**0.34**	**0.35**	**0.20**	**0.20**	**21.02**	**19.70**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.12%
वेतनवृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.30**	**0.30**	**0.18**	**0.17**	**3.66**	**3.24**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.58%	0.51%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.02**	**0.02**	**0.01**	**0.01**	**0.21**	**0.21**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.03**	**0.03**	**0.02**	**0.02**	**0.53**	**0.53**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**4.49**	**4.58**	**0.57**	**0.58**	**0.07**	**0.08**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतनवृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	**0.07**	**0.06**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	2.42%	2.37%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	**0.02**	**0.02**	—	—
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.71**	**0.71**	**0.09**	**0.09**	**0.01**	**0.01**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवानिवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**11.11**	**11.18**	**0.19**	**0.20**	**20.38**	**19.05**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.73%	90.28%	2.71%	2.76%	3.42%	3.20%
वेतनवृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**11.18**	**11.12**	**0.17**	**0.17**	**3.33**	**2.91**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	90.24%	89.76%	2.42%	2.37%	0.56%	0.49%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**11.14**	**11.15**	**0.01**	**0.01**	**0.08**	**0.08**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.99%	90.02%	0.15%	0.15%	0.01%	0.01%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**11.14**	**11.15**	**0.02**	**0.02**	**0.51**	**0.51**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.97%	90.03%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेष ण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

32. वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत			
क.	पट्टे देयता पर ब्याज व्यय	4.01	3.98
ख.	अन्य [टिप्पणी सं.32.1 का संदर्भ लें]	3.07	1.76
कुल वित्त लागत		**7.08**	**5.74**

टिप्पणी:

32.1 अन्य वित्त लागत में बैंक से ऋण पर ब्याज के ₹0.21 करोड़ शामिल हैं।

33. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कल पुर्जों की खपत		333.16	356.12
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव			
	(1)	भवन	65.82	61.65
	(2)	मशीनरी	157.94	164.08
	(3)	अन्य	24.63	27.12
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय			
	(1)	जल प्रभार	34.13	32.04
	(2)	रॉयल्टी	132.57	125.39
	(3)	जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	41.81	40.13
	(4)	सतत तकनीकी सहयोग व्यय	—	4.52
	(5)	अन्य	92.34	90.59
(घ)	मालभाड़ा एवं संवाहन खर्च			
	(1)	आवक सामग्री (एल्यूमिना)	109.35	110.28
	(2)	जावक सामग्री	163.22	131.58
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय			
	(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.35	0.35
	(ii)	कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.07	0.07
	(iii)	अन्य सेवाओं के लिए	0.29	0.34
	(iv)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.02	0.15
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान		0.03	0.04
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय		150.24	180.71
(ज)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी सं. 33.1 का संदर्भ लें]		35.00	39.71
(झ)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय		103.23	124.14
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व [टिप्पणी सं. 24.3 का संदर्भ लें]		(261.86)	114.11
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान		0.01	0.01
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय		34.81	25.17
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना		11.18	15.64
(ढ)	डूबंत एवं संदिग्ध प्रावधान/ (पुनरांकन)		22.86	(1.35)
(ण)	अन्य		43.77	44.10
कुल अन्य व्यय			**1,294.97**	**1,686.69**

टिप्पणी:

33.1 **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय:**

क) मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹33.42 करोड़ है। (मार्च 31, 2020 को ₹37.38 करोड़)

ख) मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 35.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹39.71 करोड़)
	कुल	**₹ 35.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹39.71 करोड़)**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

34. आय कर

34.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	204.02	152.27
पूर्व वर्षों के संबंध में	(26.32)	(0.87)
	177.70	**151.40**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(160.71)	(63.39)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	—	—
	(160.71)	**(63.39)**
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर का योग	16.99	88.01

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है :

कर पूर्व लाभ	**1,316.52**	**226.24**
उस पर आय कर व्यय @ 25.168% (पिछले वर्ष 34.944%) :	**331.34**	**79.06**
कर का प्रभाव-		
i) कराधान से मुक्त आय	—	(2.66)
ii) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	6.78	13.97
iii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य आय	(55.24)	(31.96)
iv) रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास एवं अन्य भत्ते)	—	(0.47)
v) दीर्घावधि पूँजी लाभ के लिए अंतर	—	(0.04)
vi) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	(26.32)	(26.80)
vii) अन्य	(239.57)	56.91
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	**16.99**	**88.01**

34.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

चालू कर		
शेयरों की वापस खरीदी लागत	(1.16)	—
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	**(1.16)**	—

34.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	—	—
— आस्थगित कर	6.18	6.67
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	**6.18**	**6.67**
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	**6.18**	**6.67**

टिप्पणी:

भारत सरकार द्वारा कराधान कानूनों (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकक के अनुसरण में, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर निम्नतर कर दर में स्थानांतरित करने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प था। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का प्रयोग किया और करों को तदनुसार मान्यता दी गई है। चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 34.944%) है।

35. खंड की सूचना

35.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम पिण्ड, तार छड़ें, विट्ठे, स्ट्रिप्स, वेल्लित और अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन विद्युत संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

35.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	3,950.50	4,248.29
एल्यूमिनियम खंड	6,263.47	5,466.37
अनाबंटित	50.38	42.63
प्रचालनों का योग	**10,264.35**	**9,757.29**
घटाएँ: अंतर-खंड राजस्व	1,308.56	1,285.45
प्रचालनों से राजस्व	**8,955.79**	**8,471.84**

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	635.75	554.26
एल्यूमिनियम खंड	867.67	(281.98)
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	**1,503.42**	**272.28**
ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार	7.08	5.74
ब्याज एवं लाभांश आय	90.75	134.43
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(270.57)	(174.73)
कर पूर्व लाभ	**1,316.52**	**226.24**

35.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा "	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
रसायन खंड	4,216.76	4,399.65	1191.18	1125.10
एल्यूमिनियम खंड	5,337.53	6,014.16	1560.93	2062.48
खंड परिसंपत्तियों और देनदारियों का योग	**9,554.29**	**10,413.81**	**2,752.11**	**3,187.58**
अनाबंटित	5,156.28	4,135.81	384.04	313.37
परिसंपत्तियों और देनदारियों का योग	**14,710.57**	**14,549.62**	**3,136.15**	**3,500.95**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35.4 अन्य खंड की सूचना

	मूल्यह्रास और परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	268.03	216.70	(110.26)	322.21
एल्यूमिनियम खंड	271.53	250.52	(53.24)	59.61
अनाबंटित	66.26	62.61	575.93	63.74
प्रचालनों का योग	**605.82**	**529.83**	**412.43**	**445.56**

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	(9.24)	36.38
एल्यूमिनियम खंड	(12.33)	65.62
अनाबंटित	(1.60)	6.69
	(23.17)	**108.69**

35.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है :

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	2,676.58	2,978.28
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	6,152.79	5,392.54
	8,829.37	8,370.82

35.6 भौगोलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
भारत	3,666.43	4,859.90	10,404.25	9,991.82
भारत के बाहर	5,162.94	3,510.92	—	—
कुल	**8,829.37**	**8,370.82**	10,404.25	**9,991.82**

36. प्रति शेयर आय

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
36.1 मूल आय प्रति शेयर (₹)		
कुल प्रचालनों से	6.97	0.74
कुल मूल आय प्रति शेयर	**6.97**	**0.74**

36.2 मुल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लिए लाभ	1,299.53	138.23
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	**1,299.53**	**138.23**

	को यथा 31.03.2021	को यथा 31.03.2020
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	**186.44**	**186.56**

टिप्पणी:

इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना 17.03.2021 को वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या 2,89,85,711 को ध्यान में रखते हुए की गई है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

37. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

37.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)			
(क)	अनिवार्य रूप से आकलित:		
	(i) म्युचुअल फंड में निवेश	248.38	55.01
	(ii) विदेशी मुद्रा परअग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत पर आकलित			
(क)	नकद एवं बैंक शेष	213.52	18.47
(ख)	परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,124.25	2,503.11
		2,586.15	**2,576.59**
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित लागत पर आकलित		1,409.30	1,282.48
स्तर 1 की उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वित्तीय संपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गई। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य एक सक्रिय बाजार के रूप में चिह्नित किया जाता है जो कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितताओं का कारक होता है।.			

37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ संधारणीय व्यवसाय वृद्धि;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए निदेशक-मंडल जिम्मेदार है। अतएव, निदेशक-मंडल अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

37.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधि त मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन (जारी...)

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

राशि ₹ करोड़ में

	को यथा देयताएँ		को यथा परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
यूएसडी	0.48	0.07	277.62	100.42
यूरो	14.82	0.47	—	0.50

37.4.1 विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

मार्च 31, 2020 और मार्च 31, 2019 के अनुसार निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

राशि ₹ करोड़ में

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	27.7	10.0	1.48	0.00

37.5 अन्य मूल्य जोखिम

37.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

37.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।.

37.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

38. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

38.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

I) पूर्णकालिक निदेशकगण

(क)	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)
(ग)	श्री एम. पी. मिश्र	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) [01.11.2020 से प्रभावी]*
(घ)	श्री बी. के. दाश	निदेशक (उत्पादन) [01.12.2020 से प्रभावी]#
(ङ)	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार [30.11.2020 तक]
(च)	श्री एस. के. रॉय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) [31.10.2020 तक]
(छ)	श्री पी. के. मिश्र	निदेशक (वाणिज्य) [28.02.2021 तक]

* 01.03.2021 से प्रभावी निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

\# 01.03.2021 से प्रभावी निदेशक (वाणिज्य) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।.

अन्य

श्री एन. के. महांति — महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

II) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण: (भारत सरकार द्वारा नामित)

(क) डॉ. के. राजेश्वर राव., भा.प्र.से. [05.08.2020 तक]
(ख) श्री. अनिल कुमार नायक, आईओएफएस [05.08.2020 तक]
(ग) श्री उपेन्द्र जोशी, आईआरटीएस [05.08.2020 से 09.11.2020 तक]
(घ) श्री सत्येन्द्र सिंह, भा.प्र.से. [05.08.2020 से प्रभावी]
(ङ) श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से. [09.11.2020 से प्रभावी]

(III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशकगण:

(क) श्री एन. एन. शर्मा. [05.09.2020 तक]
(ख) श्रीमती अचला सिन्हा. [07.09.2020 तक]

ख. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड
(ख) जीएसीएल नालको अल्कालिज एवं रसायन लिमिटेड
(ग) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है:

(क) भारत सरकार

च संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।.

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2.	पूर्व तट रेलवे
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	4.	गुजरात अल्कालिज एवं रसायन लि.
5.	सेण्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स	6.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड,
7.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8.	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	10.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

11. विशाखापत्तनम् पोर्ट ट्रस्ट
12. ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.
14. बामर लॉरी एंड कं. लिमिटेड,
15. ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लिमिटेड
17. भारतीय जीवन बीमा निगम
18. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
19. दक्षिण रेलवे
20. सेंट्रल रेलवे
21. बीईएमएल लिमिटेड
22. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
23. मेकॉन लिमिटेड.

ii) वस्तुओं का विक्रय

1. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन
2. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
3. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
4. सैल रिफ्रेक्टोरी यूनिट

38.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	3.95	4.36
— भविष्य निधि में अंशदान	0.24	0.25
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.03)	(0.09)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.01	0.09
कुल	4.20	4.65

चूँकि रोजगार-उपरातं लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.01	0.02
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.01	0.03

II. संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँ

वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यमों के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है:

राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	36.00	80.47
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (प्रारंभिक अंशदान)	—	10.00
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	आवेदन राशि (राइट्स इश्यू)	—	10.00
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (प्रारंभिक अंशदान)	—	0.04
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	आवेदन राशि (राइट्स इश्यू)	—	0.96

रिपोर्टिंग दिन के अंत में शेष — राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	16.22	16.22
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	276.00	240.00
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	20.00	20.00
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	1.00	1.00

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

III. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	भविष्य निधि-अंशदान	485.86	431.1
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण	55.98	57.35

वर्ष के अंत में बकाया शेष

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	भविष्य निधि-अंशदान देय	33.25	27.37
एनईजीजी ट्रस्ट	कमी का वित्तपोषण देय	10.63	55.98

IV. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	14.41	18.58

V. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	109.25	—
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	236.4	265.38

VI. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	2388.83	3212.19
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री	1194.72	883.56
वर्ष के अंत में बकाया शेष		
विवरण	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	75.19	26.51
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	—

39. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते पाल्लो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (सदस्यता सं..:057820)

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (सदस्यता सं.:086157)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थिति

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	- कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। - वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है। - इंड एएस की अपेक्षानुसार जानकारी (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्न प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्यत्न प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक है।
इंड एएस 2	मालसूचियाँ	- मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है। - मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में, प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियाँ की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	- अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है। - नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्नुटियों में परिवर्तन	- लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया। - लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते है, को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है। - किसी पूर्व अवधि(यों) की त्नुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	- कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में राशियों को समायोजित किया है। - रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आयकर	- कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच सांख्यिकी मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है। - अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किए गए हैं। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थिति

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	- प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है। - वर्ष के दौरान संयोजन, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय व्यक्त करने वाले प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के मिलान को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजना के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप से स्वीकार किया गया है। - परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है। - जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शानेवाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच मिलान टिप्पणी 31.ख. में प्रकट किया गया है। - बीमांकिक धारणाओं का संवेदनशील विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ है, को टिप्पणी 31.ग. में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	- परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	दिशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी उधारी लागतों को पूँजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	- संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	- कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	- यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	- परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 36 में किया गया है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थिति

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	- एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार अपने अंतरिम वित्तीय ब्यौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	- प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। - विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मक के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिःभाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(ग) में प्रकट किया गया है। - अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	- इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। - कंपनी आर एवं डी गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशि त मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। - संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाले अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।
इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	- वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	- यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	- यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	- कंपनी के पास कौई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	- कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थिति

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रो का प्रकटन	- वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	- कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो वे कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाते हैं। - खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	- म्युच्युअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर पाया गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किये गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	- समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	- कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	- कंपनी के पास चार संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसके मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	- कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। - इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखे	- कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व	- ग्राहकों के साथ संविदा के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।
इंड एएस 116	पट्टे	- कंपनी उन सभी पट्टों को चिह्नित करती है, जिसमें कोई अनुबंध है, या पट्टा है, यदि यह अनुबंध के प्रारंभ में विचार आदान-प्रदान की समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग के नियंत्रण अधिकार को वहन करता है। - कंपनी लागत पर “उपयोगाधिकार” आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापा जाता है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में: सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) एवं इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी परिवर्तन का समेकित विवरण, नकद प्रवाह समेकित विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षानुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के साथ तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में, 31 मार्च, 2021 की स्थिति को कंपनी के मामलों की समेकित यथा स्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ, कुल विशद आय, इसके समेकित नकद प्रवाह एवं इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तु

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ वो विषयवस्तुएँ हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थीं। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं :

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में इन विषयवस्तुओं का कैसे निवारण किया गया
1. अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य समेत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वहन मूल्य	
टिप्पणी 5ए में प्रकट किए गए कुल ₹ 7317.28 करोड़ (2019-20: ₹ 7174.54 करोड़) के संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कुल, चल रहे पूँजीगत कार्य (टिप्पणी 6) ₹1431.06 करोड़ (2019-20: ₹ 1177.16 करोड़) और अमूर्त संपत्तियाँ (टिप्पणी 7) कुल ₹ 343.18 करोड़ (2019-20: ₹ 310.23 करोड़) वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज महत्वपूर्ण शेष राशि को दर्शाते हैं। कंपनी ने टिप्पणी 3.4, 3.5 एवं 3.6 में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजी कार्य प्रगति में एवं अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन किया है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; कंपनी की नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के लिए पूँजीकरण, निर्धारण या मापन और मान्यता मानदंड की समयसीमा पर निर्णय शामिल है।	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के साथ अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य के वहन मूल्य से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैः • हमने वहन मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये भारतीय लेखांक मानक (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित वहन मूल्यों एवं उपयोगी जीवनकाल और प्रबंधन के तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल यथा संगत थे। • हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। • हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2021 को मौजूद थे; • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया और पूँजीकरण की समयबद्धता का आकलन किया जिसमें सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के विपूँजीकरण और परिसंपत्तियों के जीवनकाल के अनुप्रयोग शामिल थे। • इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में इन विषयवस्तुओं का कैसे निवारण किया गया
2. कर्मचारी के परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं के लिए ₹ 475.38 करोड़ (2019-20: ₹ 471.20 करोड़) एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) के लिए ₹ 207.81 करोड़ (2019-20: ₹ 239.76 करोड़) को स्वीकृति दी है एवं टिप्पणी 3.16 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) और टिप्पणी 22 और 31 (दीर्घकालिक और नियुक्ति उपरांत लाभों) में वर्णित किया है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित हैः छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	कर्मचारियों, परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभ के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैंः • मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया। • हमने प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा किए गए आकलनों का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 19 के सिद्धांतों के संगत में है। • इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन में प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
3. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
टिप्पणी 4.2.5 (प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ) में वर्णित अनुसार, कंपनी ने टिप्पणी 25 में ₹2153.49 करोड़ (2019-20: ₹2561.82 करोड़) की आकस्मिक देयता प्रकट की है। कंपनी के पास ₹1220.94 करोड़ (2019-20: ₹ 1602.70 करोड़) की मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित मामले हैं, जिसके लिए इन विवादों के संभावित परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी के पास ₹932.55 करोड़ (2019-20: ₹959.13 करोड़) की कुल मांग से संश्लिष्ट राज्य सरकार द्वारा एवं ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गठित ओड़िशा सरकार या अन्य एजेन्सियों द्वारा विभिन्न दावों के संबंध में अन्य चालू कानूनी मामले हैं, जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने के लिए प्रबंधन निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है।	आकस्मिक देयता के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैः हमने इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित सिद्धांत एवं लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया हैः • कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। • समरूप मामलो ं में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमो ं पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। • कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। • वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: • ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; • कंपनी की विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए निदेशक-मंडल एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; • कंपनी को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरूनी कानूनी लेखापरीक्षकों से सलाह ली गई; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा; और • वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम समग्र रूप से अभिमत देते हैं कि चालू कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।
4. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा	
31 मार्च, 2021 की स्थिति को, अन्य परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में शामिल है ₹73.47 करोड़ (2019-20: ₹ 570.28 करोड़) राशि के लिए वीएटी एवं सेनवेट उधार समेत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के वसूलीयोग्य दावे जो लम्बित समायोजन/अधिनिर्णय में है। इन अरक्षितता एवं उनके लेखांकन और प्रकटन आवश्यकताओं की प्रकृति के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तु के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैंः • हमने प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपीलेट अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त किया। • हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया था। • हमारे आतंरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया। • इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु जहाँ भी उपलब्ध हैं, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर वसूली योग्य के रूप में विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में इन विषयवस्तुओं का कैसे निवारण किया गया
5. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को टिप्पणी 23 में ₹ 893.72 करोड़ (2019-20 : ₹ 1060.61 करोड़) की आस्थगित कर देयता (आस्थगित कर परिसंपत्ति का शुद्ध) प्रकट की है। कंपनी बहु आयकर प्रावधानों के प्रयोग से सन्निहित गतिविधियों का संचालन करती है। समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियम एवं विकास शामिल हैं।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमेबाजी के तहत कर मामलों के संबंध में अग्रिम और जमा से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना। • हमने कंपनी द्वारा चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की। • हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान से संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ हैं। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयक्तु धारणाओं एवं कार्यविधियो का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित परिसंपत्तियों/ देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न सूचना, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख के उपरातं ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करेगी।

वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी उल्लिखित अन्य सूचना का पठन करना है, एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या अन्य सूचना एकलस्थित वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है या फिर भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करती हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है एवं जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक-मंडल के दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो संबंधित कंपनी की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग, तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो जो उपरोक्त अनुसार कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों के निदेशक मंडल एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों को लागू अनुसार प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि कंपनी या संयुक्त उद्यम का प्रबंधन या तो समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नहीं है। कंपनी एवं संयुक्त उद्यमों के निदेशक मंडल कंपनी एवं संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्ति संगत आश्वासन प्राप्त करना है ताकि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त हैं चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार

संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमो ं के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी जालसाजी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।

- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु, लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की ध ारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।

- प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखाकंन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकंन की उपयिक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों को चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो समेकित वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी या इसके संयुक्त उद्यमों को एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण समेत समेकित वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरण इस रूप में अंतर्निहीत लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए संस्थाओं की वित्तीय सूचना या कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों की व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। शामिल की गई इन संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनी एवं ऐसी अन्य संस्थाओं के अभिशासन से प्रभारित जनों जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया हैं एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएं हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तु के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य विषयवस्तु

समेकित वित्तीय विवरणों में तीन संयुक्त उद्यमों के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.61 करोड़ की कुल व्यापक हानि (कर के बाद शुद्ध हानि और अन्य विशद आय शामिल करके) का कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में एक संयुक्त उद्यम के ₹ 0.49 करोड़ की कुल विशद आय (कर के बाद शुद्ध लाभ और अन्य विशद आय सहित) का कंपनी का हिस्सा शामिल है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए लंबित है। तीन संयुक्त उद्यमों के इन वित्तीय विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है , और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह पूर्वोक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और किए जा चुके कार्य के क्षेत्र में निर्भरता के संदर्भ में उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, प्रयोज्य सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं किः

(क) हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट से सम्बंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुरक्षित लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है एवं भारत में गठित इसके संयुक्त उद्यमों की सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुपालन में 31 मार्च, 2021 की स्थिति को संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं किया गया।

(च) कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ अनुलग्नक “क” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) संशोधित अनुसार अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखीपरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामलें में:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) के माध्यम से कंपनी पर लागू नहीं है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

i. कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास लंबित मुकदमे हैं जिसके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं । समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ यदि है, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्गत अपेक्षानुसार कंपनी ने प्रावधान किया है।

iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा राशि अंतरित किए जाने में कोई देरी नहीं हुई है।

कृते पात्रो एंड कंपनी	**कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएनः 310100ई	एफआरएनः 318171ई
(सीए अंबिका प्रसाद महांति)	**(सीए गोकुल चंद्र दास)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं.: 057820	सदस्यता सं.: 086157
यूडीआईएनः 21057820AAAAFF3360	यूडीआईएनः 21086157AAAACG8046

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 28 जून, 2021

अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इसके बाद "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है एवं इसके संयुक्त उद्यमों, जो आज की तारीख में भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया।

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमारे पास जमा की गई है एवं संयुक्त उद्यमों के विषय में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित अधिनियम की ध ारा 143 की उप-धाराएं (3) एवं (11) के अनुपालन में हमारी रिपोर्ट मुख्यतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों से संबंधित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता से संबंधित हमारी उक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत कंपनी के तत्संबंधी लेखा परीक्षकों की अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी और इसके संयुक्त उद्यमों, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ एवं नीचे अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की उनकी रिपोर्ट के अनुसरण में उनसे जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, भारत में निगमित, इसके संयुक्त उद्यमों एवं कंपनियों के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
यूडीआईएन: 21057820AAAAFF3360

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार
सदस्यता सं.: 086157
यूडीआईएन: 21086157AAAACG8046

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, परन्तु इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड, अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड एवं खनिज बीदेश इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। **इसके अलावा, जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण उनकी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) लागू नहीं है। इसी अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है।** यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक - लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25.08.2021

समेकित तुलन पत्र मार्च 31, 2021 को यथा

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
परिसंपत्तियाँ			
(1) **गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5.	7,317.28	7,174.54
(ख) पूँजी कार्य प्रगति में	6	1,431.06	1,177.16
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	343.18	310.23
(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	144.39	249.54
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	311.56	275.68
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	—	—
(iii) ऋण	11	85.95	73.02
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	11.24	10.48
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	757.90	719.60
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**10,402.56**	**9,990.25**
(2) **चालू परिसंपत्तियाँ**			
(क) मालसूची	15	1,476.32	1,696.90
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	248.38	55.01
(ii) व्यापार प्राप्य	10	147.39	140.09
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	213.52	18.47
(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	1,536.26	1,962.06
(v) ऋण	11	30.16	40.16
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	—	0.05
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	85.50	46.22
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	568.80	598.84
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**4,306.33**	**4,557.80**
कुल परिसंपत्तियाँ		**14,708.89**	**14,548.05**
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1) **इक्विटी**			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	918.32	932.81
(ख) अन्य इक्विटी	18	9,760.69	9,053.69
कुल इक्विटी		**10,679.01**	**9,986.50**
देयताएँ			
(2) **गैर-चालू देनदारियाँ**			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	20	—	—
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	37.70	22.69
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	86.55	58.53
(ख) प्रावधान	22	633.34	628.80
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	23	893.72	1,060.61
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	328.77	70.90
कुल गैर-चालू देनदारियाँ		1,980.08	1,841.53
(3) **चालू देनदारियाँ**			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधारी	19	46.11	12.31
(ii) व्यापार देय			
(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के देय	20	11.70	7.06
(ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	927.84	765.87
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	299.40	416.02
(ख) प्रावधान	22	159.46	178.44
(ग) अन्य चालू देनदारियाँ	24	605.29	1,340.32
कुल चालू देनदारियाँ		**2,049.80**	**2,720.02**
कुल देनदारियाँ		**4,029.88**	**4,561.55**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		**14,708.89**	**14,548.05**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-41) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई
(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. नं.:057820)

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. नं.:086157)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: जून 28, 2021

समेकित लाभ और हानि विवरण मार्च 31, 2021 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		टिप्पणी	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालनों से राजस्व	27	8,955.79	8,471.84
II	अन्य आय	28	146.60	272.58
III	कुल आय (I + II)		9,102.39	8,744.42
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	**1,315.43**	**1,702.48**
	(ख) खपत हुए विद्युत और ईंधन की लागत	29	**2,638.09**	**2,964.60**
	(ग) तैयार माल की मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	**(5.76)**	**(365.23)**
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	**1,930.24**	**1,994.07**
	(ङ) वित्त लागत	32	**7.08**	**5.74**
	(च) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	5 एवं 7	**605.82**	**529.83**
	(छ) अन्य व्यय	33	**1,294.97**	**1,686.69**
	कुल व्यय (IV)		**7,785.87**	**8,518.18**
V	विशिष्ट मदों और कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)		1,316.40	226.24
VI	विशिष्ट मद		—	—
VII	संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) का अंश		(0.12)	(2.00)
VIII	कर के पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI + VII)		**1,316.40**	**224.24**
IX	कर व्यय			
	(1) **चालू कर**	34	177.70	151.40
	(2) **आस्थगित कर**	34	(160.71)	(63.39)
X	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VIII - IX)		1,299.41	136.23
XI	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद — परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)		17.65	(22.84)
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आय कर	34	6.18	6.67
	वर्ष के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (XI)		**23.83**	**(16.17)**
XII	वर्ष के लिए कुल विशद आय (X+XI) [लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके]		**1,323.24**	**120.06**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय:			
	(1) मूल (₹ में)	36	6.97	0.73
	(2) मंदित (₹ में)	36	6.97	0.73

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-41) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: जून 28, 2021

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. नं.:057820)

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. नं.:086157)

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण मार्च 31, 2021 को समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क.	इक्विटी शेयर पूँजी	
	31.03.2019 को यथा शेष	932.81
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	—
	31.03.2020 को यथा शेष	932.81
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	(14.49)
	31.03.2021 को यथा शेष	918.32

ख. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
31.03.2019 को यथा शेष	355.81	8,113.10	1,083.22	9,552.13
वर्ष के लिए लाभ	—	—	136.23	136.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	120.06	120.06
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	355.81	8,113.10	584.78	9,053.69
वर्ष के लिए लाभ	—	—	1,299.41	1,299.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	23.83	23.83
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,323.24	1,323.24
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर प्रीमियम		(152.18)	—	(152.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी पर व्यय (कर लाभ का शुद्ध)		(3.45)	—	(3.45)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	—	—
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(460.61)	(460.61)
31.03.2021 को यथा शेष	370.30	7,942.98	1,447.41	9,760.69

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: जून 28, 2021

(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. नं.:057820)

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. नं.:086157)

समेकित नकदी प्रवाह विवरण मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ	1,299.41	136.23
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	16.99	88.01
	संयुक्त उद्यमों के (लाभ) / हानि के अँश	0.12	2.00
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	7.08	5.74
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(84.89)	(217.90)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(5.48)	(7.60)
	निवेश की बिक्री पर शुद्ध (लाभ) / हानि	—	(1.35)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ) / हानि	(0.82)	0.25
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	(0.38)	(0.01)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	22.86	(1.35)
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	11.18	15.64
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋणशोधन	605.82	529.83
	निवल विदेशी मुद्रा(लाभ)/हानि	1.85	(5.94)
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**1,873.74**	**543.55**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन::		
	मालभंडार में (वृद्धि) / कमी	209.41	(502.15)
	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि) / कमी	(7.30)	100.43
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3.64)	(11.62)
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	53.62	(103.57)
	व्यापारिक देय में वृद्धि/(कमी)	179.77	(505.35)
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(16.10)	(12.64)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	7.09	158.46
	प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(0.09)	84.79
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**2,296.50**	**(248.10)**
	भुगतान किया गया आयकर	(97.52)	(100.46)
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**2,198.98**	**(348.56)**
ख.	**निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(225.00)	(29.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	32.39	56.17
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(36.00)	(101.47)
	बैंक के पास साधि जमा में (निवेश)/मोचन	(58.45)	1,568.10
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	5.48	7.60
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	84.89	217.90
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(1,172.55)	(844.82)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	11.81	11.25
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(46.27)	(13.01)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(1,403.70)**	**872.72**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	(166.67)	—
	शेयर वापस क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	(3.45)	—
	अल्पावधि उधारी से कार्यवाहियाँ / (भुगतान बाबत)	33.80	(54.48)
	अल्पावधि उधारी को चुकाना		
	पट्टा देयता का भुगतान	(3.51)	(3.45)
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	0.21	(0.86)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(460.61)	(513.04)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	—	(105.46)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(600.23)**	**(677.29)**
नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या (कमी)		**195.05**	**(153.13)**
वर्ष के आरंभ में नगद एवं नगद समतुल्य		**18.47**	**171.60**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य [टिप्पणी सं.16.क देखें]		**213.52**	**18.47**

टिप्पणी:

कोष्ठकों में दिएगए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
कंपनी सचिव

(एम. पी. मिश्र)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08951624

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्रो एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई
(सीए अंबिका प्रसाद महांति)
साझेदार (एम. नं.:057820)

कृते जी.एन.एस. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (एम. नं.:086157)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: जून 28, 2021

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत ताप विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं, जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है। कंपनी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दो संयुक्त उद्यम कंपनियाँ यथा अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. एवं गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. में कार्यनीतिक निवेश किया है।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 तैयारी का आधार

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़ कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग

ये समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित हैं।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के परिणाम,परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समाविष्ट किए गए हैं, इसके अलावा कि जब निवेश या इसका कोई भाग, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस मामले में इसका लेखांकन इंड ए.एस. 105 के अनुसार किया जाता है। इक्विटी पद्धति में, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश आरम्भ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद समायोजन हेतु कंपनी के लाभ या हानि और सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अन्य विशद आय में मान्य किया जाता है।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरणों से निवेश की वहन राशि कम हो जाती है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम की हानि के कंपनी का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घावधि हित शामिल हों, वस्तुतः जो उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के शुद्ध निवेश का भाग रूप हो), कंपनी आगे और हानि को अपने हिस्से की मान्यता देना बन्द कर देती है। अतिरिक्त हानियाँ केवल उसी सीमा तक मान्य की जाती हैं कि कंपनी को कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन करना हो, या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम किसी निवेश का उस तारीख से, जिससे निवेशी एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनता है, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशी की अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश पर निवेश की लागत के अतिरिक्त को साख के रूप में मान्य किया जाता है, जो निवेश की वहन राशि के अंदर शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश के किसी अतिरिक्त को सीधे इक्विटी में पूँजी आरक्षित के रूप में उसी अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वह अधिगृहीत हुई है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के लागू होने के बाद, कंपनी निश्चित करती है कि क्या किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की आरंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य मिला है और उस घटना (या घटनाओं) के शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नगदी प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसी हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य हो, तब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में क्षति हानि को मान्य करना आवश्यक होता है।

जब आवश्यक हो, निवेश के समग्र वहन मूल्य इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में, एक एकल परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्तियों की हानि को इसकी वसूलीयोग्य राशि (प्रयोग में उच्चतर मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर) इसकी वहन राशि से तुलना करके हानि का परीक्षण किया जाता है। कोई क्षति हानि मान्य होती है तो वह निवेश की वहन राशि का भाग होती है। उस क्षति हानि का कोई व्युत्क्रमण इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ती है।

जिस तारीख से कोई निवेश एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बने रहने की समाप्ति हो जाती है, या जब निवेश बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत हो जाता है, उस तारीख से कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करना बन्द कर देती है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखती है और धारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, तो कंपनी धारित हित को उस तारीख को उचित मूल्य पर मापती है और इंड ए.एस. 109 के अनुसरण में उस उचित मूल्य को इसकी आरंभिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बन्द होने की तारीख को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी धारित हित के बीच अंतर और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक हित के निपटान से हुई किसी आमदनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उस सहोयगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित अन्य विशद आय में पहले से मान्य की गई सभी राशि को उसी आधार पर लेखांकन करती है जैसा कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सीधे निपटान पर आवश्यक होता।

कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखती है, जब सहयोगी में कोई निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। मालिकाना हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्मापन नहीं होता।

जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में मालिकाना हित कम होता है किन्तु कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रहता है, तो कंपनी उस मालिकाना हित में कमी से संबंधित अन्य विशद आय में मान्य किए गए पिछले लाभ या हानि के अनुपात का लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह लाभ या हानि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि में उस लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया गया हो।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने की और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियो को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है । ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूँजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्य ह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवनकाल या खान की शेष पट्टा अवधि, जो भी कम हो, होता है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

(च) प्रमुख पुर्जे कथित पुर्जों के तकनीकी आकलन पर आधारित हैं

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	उपयोग योग्य जीवनकाल वर्ष में
1	भवन	30-60
2	संयंत्र और मशीनरी	15-40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08 - 10
5	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
6	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 घटक अलग करने की लागत

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे उन्नत अयस्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि घटक अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, घटक अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को मौजूदा "घटक अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित घटक अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"घटक अलग करने की लागत की संपत्ति" का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने गये पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस , ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगीकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित होता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरण

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों का संचालन होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और विघटनकारी देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 आकस्मिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व है परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ समेकित वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग (1 अप्रैल, 2019) की तिथि को स्वीकृत संचयी प्रभाव के साथ रूपान्तरित पूर्व-प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए सभी पट्टों पर 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस-116 - पट्टे का प्रयोग किया है। इसी अनुसार, पूर्ववर्ती अवधि की सूचना को पुनः व्यक्त नहीं किया गया है। कंपनी इन सभी पट्टों को चिह्नित करती है जिसमें संविदा है या ऐसे पट्टों को चिह्नित करती है जो संविदा के आरंभ में विवेचित समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग का नियंत्रण अधिकार प्रदान करता है (संविदा में उल्लिखित व्यक्त या अव्यक्त रूप में)।

पट्टे के आरंभ होने की तिथि को कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं पट्टा देयता की उस तिथि को भुगतान नहीं हुए सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, इसमें 12 महीने या कम अवधि का वो पट्टा शामिल नहीं रहता है जिसमें कोई क्रय विकल्प नहीं रहता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं अन्तर्निहित परिसंपत्ति के लिए पट्टे का मूल्य कम होता है।

12 महीने या कम अवधि के पट्टे के लिए पट्टा भुगतान जिसमें क्रय विकल्प नहीं होता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं पट्टे जिसके लिए अन्तर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9.1 प्रारंभिक माप:

"आरओयू परिसंपत्ति का मूल्य" में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप

ii. पूर्वदत्त पट्टा भुगतान जो कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर है

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और

iv. अन्तर्निहित परिसंपत्ति के विखंडन, निकासी या पुनर्बहाली की अनुमानित लागत

पट्टा देयता को दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड की कूपन दर पर पट्टा भुगतानों पर छूट प्रदान करते हुए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। "पट्टा भुगतान" में शामिल है:

i. स्थायी भुगतान (अवास्तविक स्थायी भुगतान समेत)

ii. परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो सूचक या दर पर निर्भर है

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि

iv. क्रय विकल्प का निष्पादन मूल्य यदि कंपनी इनके निष्पादन के लिए यथोचित निश्चितता की अपेक्षा करती है।

v. कंपनी द्वारा परिसमापन के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प रहता है।

3.9.2 तदुपरांत माप:

तदुपरांत अवधियों के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणता, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है। आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. नकद या नकद समतुल्य

सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष माना जाता है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट -रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है।

सेवा लागत को शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता पूरी होती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्री

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिगं बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है । सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स / उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है जो उनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के अधीन है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने एवं अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर है, जो विद्युत क्रय अनुबंध एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के निर्धारण के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.4 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की माला को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी समझा गया है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं, जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाएँ॥ ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की माला के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

उन शामिल अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन माला में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की माला, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूँजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते है।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ देयता के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए विचारयोग्य निविष्टि के स्तर एवं अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए निविष्टि के महत्व पर आधारित होते हैं, जिनका निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियाँ वे निविष्टियाँ हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 की निविष्टियाँ परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5.क - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्य ह्रास एवं परिशोधन				वहन राशि	
	31-03-2020 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निपटान/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31-03-2020 को यथा	वर्ष के लिए	आहरण/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
निजी स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	81.88	0.58	—	82.46	—	—	—	—	82.46	81.88
भवन	756.48	56.66	(0.03)	813.11	179.86	33.91	(0.02)	213.75	599.36	576.62
संयंत्र एवं उपकरण	8,331.44	536.50	(60.31)	8,807.63	1,994.72	488.34	(45.78)	2,437.28	6,370.35	6,336.72
फर्नीचर एवं जोड़नार	22.44	1.17	(0.08)	23.53	12.07	2.24	(0.07)	14.24	9.29	10.37
कार्यालय उपकरण	51.50	2.01	(1.04)	52.47	28.34	8.44	(1.03)	35.75	16.72	23.16
वाहन	31.90	3.55	(0.15)	35.30	13.42	3.06	(0.11)	16.37	18.93	18.48
रेलवे साइडिंग	64.16	4.53	—	68.69	20.21	4.13	—	24.34	44.35	43.95
पट्टायुक्त परिसंपत्ति										
पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)	86.54	98.33	(0.01)	184.86	3.18	5.86	—	9.04	175.82	83.36
कुल योग	**9,426.34**	**703.33**	**(61.62)**	**10,068.05**	**2,251.80**	**545.98**	**(47.01)**	**2,750.77**	**7,317.28**	**7,174.54**

टिप्पणियाँ:

5.क.1 64.15 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है एवं इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.क.2 फ्रीहोल्ड भूमि लागत सहित 43.75 एकड़ भूमि की लागत ओड़िशा सरकार को समर्पित किया जा चुका है, बस अलगाव प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।

5.क.3 कंपनी के पास 1697.71 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

5.क.4. ₹4.59 करोड़ की वहन राशि के साथ कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्रय किए गए कोलकाता में 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थल (भवन) के संबंध में पंजीयन औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन हैं।

5.A.5 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹0.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.82 करोड़) व्यय किए, जो अल्पकालिक पट्टों एवं कम-मूल्य संपत्ति पट्टों से संबंधित हैं। वहीं, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह ₹4.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.27 करोड़) है, जिनमें अल्पकालिक पट्टे एवं कम-मूल्य संपत्ति के पट्टे के नकदी बहिर्वाह शामिल हैं।

6. पूंजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
पूंजी कार्य प्रगति में	1,420.17	1,135.86
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	11.44	41.30
	1,431.61	**1,177.16**

6.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में शामिल है उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोल ब्लॉक को आरोप्य अवसंरचना विकास व्यय के बाबत ₹53.97 करोड़ (पिछला वर्ष ₹46.44 करोड़) की राशि शामिल है। इसमें 5वीं धारा एल्यूमिना परिशोधन विस्तार के लिए ₹105.59 करोड़ (पिछला वर्ष ₹62.09 करोड़) का व्यय एवं ओड़िशा में अवसंरचना विकास जो पोट्टांगी खानों के आवंटन हेतु ओड़िशा सरकार के प्रति कंपनी का अनिवार्य दायित्व था, पर व्यय के लिए ₹ 250.11 करोड़ (पिछला वर्ष ₹62.01 करोड़) का पूर्व-परियोजना व्यय भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्य ह्रास एवं परिशोधन				वहन राशि	
	31-03-2020 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निपटान/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31-03-2020 को यथा	वर्ष के लिए	आहरण/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2021 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
उपयोग अधिकार	**79.79**	**—**	**—**	**79.79**	**11.28**	**4.00**	**—**	**15.28**	**64.51**	**68.51**
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	11.24	0.13	—	11.37	7.70	1.76	—	9.46	1.91	3.54
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 देखें]	288.39	91.36	—	379.75	51.22	52.83	—	104.05	275.70	237.17
लाइसेंस	10.25	1.30	—	11.55	9.24	1.25	—	10.49	1.06	1.01
कुल योग	**389.67**	**92.79**	**—**	**482.46**	**79.44**	**59.84**	**—**	**139.28**	**343.18**	**310.23**

टिप्पणी:

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूँजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
खनन अधिकार	144.39	249.54
	144.39	**249.54**

टिप्पणी:

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला खनन के लिए पट्टेवाली भूमि के अधिग्रहण हेतु व्यय, कोयला ब्लॉक के आबंटन, एनपीवी एवं कोयला ब्लॉक की वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं संबंधित कार्यों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों को किया गया भुगतान शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क. गैर-चालू		
क.1 इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1 सहयोगियों में निवेश		
क.1.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश		
अनुद्धृत निवेश		
क) **उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड** (31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 2,00,00,000 शेयर, 31.03.2020 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयर)	18.50	8.37
₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि #	—	10.00
कुल	**18.50**	**18.37**
[# ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 14.05.2020 को राइट इशू के अधीन उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।]		
ख) **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड** (31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 10,00,000 शेयर, 31.03.2020 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 40,000 शेयर)	0.64	0.04
₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि##	—	0.60
कुल	**0.64**	**0.64**
[## ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 12.06.2020 को राइट इशू के अधीन खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]		
ग) **अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड** (31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2020 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,62,23,900 शेयर)	18.36	17.87
कुल	**18.36**	**17.87**
घ) **जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड** (31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 27,60,00,000 शेयर, 31.03.2020 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 24,00,00,000 शेयर)	274.03	238.77
कुल	**274.03**	**238.77**
16.02.2021 को जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 3,60,00,000 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर राइट इशू के अधीन जारी किए।		
संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	311.53	275.65

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी)

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण, कार्यनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप समेत सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, विक्रय, क्रय, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात	50.00%	50.00%
(ख) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर कार्यनीतिक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अर्जन, विकास, खनन, प्रक्रिया, प्रापण एवं विक्रय	40.00%	40.00%
(ग) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात, भारत	40.00%	40.00%

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के संबंध में वित्तीय सूचना

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	यूडीएएनएल		केएबीआईएल		एएपीपीएल		जीएनएएल	
	31.03.2021 को यथा	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	7.58	2.23	0.00	—	58.75	28.87	1,756.48	1,338.46
चालू परिसंपत्तियाँ	29.63	34.52	1.58	1.58	112.18	52.69	147.10	118.26
गैर-चालू देयताओं	—	—	—	—	34.01	23.99	1,069.88	701.10
चालू देयताओं	0.20	0.01	0.01	0.01	40.68	21.09	148.60	158.65
परिसंपत्तियों और देनदारियों की उपर्युक्त राशियों में शामिल हैं :								
नकद एवं नकद समतुल्य	28.74	34.51	1.58	1.58	51.80	51.40	95.07	53.29
चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	133.83	156.78
गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	1,069.88	701.10
राजस्व	0.75	—	—	—	1.43	1.51	0.59	1.38
निरंतर प्रचालनों से लाभ या हानि	0.26	(3.26)	(0.00)	(0.92)	1.01	1.01	(1.86)	(1.25)
वर्ष के लिए अन्य विशद आय	—	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के लिए कुल विशद आय	0.26	(3.26)	(0.00)	(0.92)	1.01	1.01	(1.86)	(1.25)
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:								
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.07	0.03	—	—	—	—	0.19	0.12
ब्याज आय	0.75	—	—	—	1.43	1.51	0.33	0.43
ब्याज व्यय	—	—	—	—	—	—	—	—
आयकर व्यय (आय)	0.11	(0.38)	0.00	—	0.39	0.39	0.15	0.36

समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त सं.उ. में ब्याज की वहन राशि में उपर्युक्त सारयुक्त वित्तीय सूचना का पुनर्मिलानः

संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्ति	37.01	36.75	1.57	1.58	37.49	36.48	685.10	596.96
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (%)	50%	50%	40%	40%	49%	49%	40%	40%
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (आईएनआर)	18.50	18.37	0.63	0.63	18.37	17.87	274.04	238.78
जोड़ें:- इक्विटी के विरुद्ध शेयर वारंट/अग्रिम का अतिरिक्त अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ें:- अधिग्रहण पर साख	—	—	—	—	—	—	—	—
घटाएं:- वसूल नहीं हुए लाभ	—	—	—	—	—	—	—	—
सं.उ. की शुद्ध परिसंपत्ति में समूह का अंश	**18.50**	**18.37**	**0.63**	**0.63**	**18.37**	**17.87**	**274.04**	**238.78**
सं.उ. में समूह के ब्याज की वहन राशि	**18.50**	**18.37**	**0.63**	**0.63**	**18.37**	**17.87**	**274.04**	**238.78**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी)

क.1.3 अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश

राशि करोड़ ₹ में

अनुद्धृत निवेश	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड	0.03	0.03
(₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,89,000 शेयर)		
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	**0.03**	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	**311.56**	**275.68**
अतिरिक्त सूचना		
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	311.56	275.68

टिप्पणी:
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स अंगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के खातों को अभी स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि, समेकित वित्तीय विवरणों में मेसर्स अंगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उक्त वित्त वर्ष के लिए खातों पर विचार किया गया है।

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू	31.03.2021 को यथा		31.03.2020 को यथा	
	म्युचुअल फंड में निवेश	'000 में इकाई	राशि ₹ करोड़ में	'000 में इकाई	राशि ₹ करोड़ में
	उद्धृत निवेश				
	बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	—	—	50	5.00
	बीओआई एएक्सए ओवरनाइट फंड	—	—	100	10.00
	कनाड़ा लिक्विड फंड	239	24.05	—	—
	बड़ौदा लिक्विड फंड	1,009	101.14	120	12.00
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	684	71.10		
	यूनियन केबीसी लिक्विड	520	52.09	180	18.01
	यूटीआई ओवरनाइट फंड	—	—	100	10.00
कुल - अन्य चालू निवेश			**248.38**		**55.01**
अतिरिक्त सूचना					
उद्धृत निवेशों का सकल मूल्य			248.00		55.00
उद्धृत निवेशों का सकल बाजार मूल्य			248.38		55.01
अनुद्धृत निवेशों की सकल मूल्य			—		—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि			—		—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	248.38	55.01
	248.38	55.01

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

10. व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क. गैर-चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	—	—
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ) ऋण क्षति	37.11	37.11
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	**37.11**	**37.11**
गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य	—	—
ख. चालू	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	147.39	140.09
(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	20.24	—
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते	**20.24**	—
चालू व्यापारिक प्राप्य	**147.39**	**140.09**

टिप्पणियाँ:

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को बिक्री पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2021 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

ग्राहक		व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	दुबई एल्यूमिनियम पीजेएससी	44%	एल्यूमिना
ख.	एपीएसपीडीसीएल	19%	पवन विद्युत
ग.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	12%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है । चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन किया है।

10.4

प्राप्यों की आयु	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	128.64	78.04
3-6 महीने	—	—
6 महीने से अधिक	37.11	37.11
	165.75	115.15
पवन ऊर्जा		
0-3 महीने	4.45	9.28
3-6 महीने	3.02	7.31
6 महीने से अधिक	31.52	45.46
	38.99	**62.05**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	66.48	62.42
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	19.26	10.30
(ख)	अन्य को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.21	0.30
घटाएं: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		—	—
कुल गैर-चालू ऋण		**85.95**	**73.02**

ख.	चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित	17.71	29.52
	अच्छा माना गया-असुरक्षित	9.47	9.07
(ख)	संबंधित पार्टियों को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.01	0.02
(ग)	अन्य को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित	2.97	1.55
कुल चालू ऋण		**30.16**	**40.16**

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-38 प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
	प्रतिभूति जमा		11.24	10.48
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**11.24**	**10.48**
ख .	**चालू**		**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
	(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	—	0.04
	(ख)	बीमा दावा प्राप्य और अन्य	7.22	8.46
	सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**7.22**	**8.50**
	घटाएं: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			
	क)	बीमा दावे	7.22	8.45
	कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		**7.22**	**8.45**
	शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		—	**0.05**
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:			
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		—	0.05
	संदिग्ध		7.22	8.45
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**7.22**	**8.50**

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

13. चालू कर परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
आय कर	85.50	46.22
कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	**85.50**	**46.22**

14. अन्य परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	पूँजी अग्रिम		240.61	197.18
(ख)	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
	सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम			
	(1)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	170.60	216.66
	(2)	आयकर प्राधिकारी के पास जमा (शुद्ध)	326.80	285.55
	(3)	अन्य सरकारी प्राधिकारी	3.52	2.18
(ग)	अन्य			
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	16.63	18.29
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**758.16**	**719.86**
घटाएँ: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते				
(a)	पूँजी अग्रिम		0.26	0.26
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			**0.26**	**0.26**
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**757.90**	**719.60**

ख.	चालू		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे			
	(1)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	28.53	14.33
	(2)	नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	2.94	3.86
	(3)	वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	332.80	345.47
	(4)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	8.84	8.79
(ख)	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	2.39	2.85
	(2)	अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	4.91	5.29
(ग)	हाथ में डाक टिकटें		0.01	0.01
(घ)	अन्य प्राप्य		1.23	1.63
(ङ)	अन्य अग्रिम			
	(1)	कर्मचारियों को अग्रिम	29.23	28.46
	(2)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	363.20	395.11
	(3)	अन्य	3.84	2.67
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**777.92**	**808.47**
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
(क)	वेट एवं सेनवेट क्रेडिट वसूलीयोग्य		197.81	197.81
(ख)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे		7.09	7.09
(ग)	अन्य प्राप्य		0.39	1.00
(d)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम		2.02	1.88
(e)	अन्य		1.81	1.85
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते			**209.12**	**209.63**
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**568.80**	**598.84**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

15. मालसूची

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	कच्चे माल	72.69	89.46
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	215.62	338.63
(ग)	तैयार उत्पाद	464.43	440.02
(घ)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	118.57	153.03
(ङ)	प्रगति में कार्य	298.35	282.54
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	292.84	378.51
(छ)	स्क्रैप	13.82	14.71
कुल मालसूची		**1,476.32**	**1,696.90**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः			
(i)	कच्चे माल	4.15	10.71
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	25.12	10.48
(iii)	भंडार और कल पुर्जे	4.45	9.86
कुल मार्गस्थ माल		**33.72**	**31.05**

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹3,806.06 करोड़ है (पिछले वर्षः ₹4,027.93 करोड़)।

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹2.00 करोड़ (पिछले वर्षः ₹4.23 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16.क नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	बैंक में शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों में शेष		
	(i) चालू खाते में	213.52	18.47
कुल नकद एवं नकद समतुल्य		**213.52**	**18.47**

16.ख बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	1,463.00	1,404.55
	मूलधन	1,446.00	1,358.00
	प्रोद्भूत ब्याज	17.00	46.55
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	73.26	557.51
कुल अन्य बैंक शेष		**1,536.26**	**1,962.06**

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों के साथ ₹73.26 करोड़ की निर्धारित शेष राशि में ₹3.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.95 करोड़) की राशि का दावा न किए गए लाभांश के लिए जमा की गई राशि शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय ओड़िशा के निर्देश के अनुसार ₹69.39 करोड़ की शेष राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा का प्रतिनिधित्व करती है। (संदर्भ टिप्पणी 24.2)

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

17. शेयर पूँजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी:		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल है:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2020 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक के 1,86,56,17,498 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	918.32	932.81
	918.32	**932.81**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

	शेयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2019 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2020 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**
शेयरों की वापस खरीद	(2,89,85,711)	(14.49)
31.03.2021 को यथा शेष	**1,83,66,31,787**	**918.32**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) **वापस खरीदः**

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने फिर से ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹966.46 करोड़ से पुनः घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई।

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 2 ,89,85,711 संख्यक इक्विटी शेयरो ंकी वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹932.81 करोड़ से घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई।

(iii) **विनिवेशः**

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) से घटकर 31.03.2020 को 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) रह गई है।

चालू वर्ष के दौरान, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद के फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2020 को 96,07,93,011 संख्यक (51.5%) से घटकर 31.03.2021 को 94,17,93,011 संख्यक (51.28%) रह गई है।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा		31.03.2020 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	96,07,93,011	51.50%
भारतीय जीवन बीमा निगम	10,41,04,003	5.67%	9,41,04,003	5.04%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल इन्फ्रास्ट्राक्चर फंड	6,14,34,544	3.34%	11,00,27,027	5.90%
अन्य	72,93,00,229	39.71%	70,06,93,457	37.56%
कुल	**1,83,66,31,787**	**100.00%**	**1,86,56,17,498**	**100.00%**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क) पूँजी मोचन आरक्षित	370.30	355.81
(ख) सामान्य आरक्षित	7,942.98	8,113.10
(ग) प्रतिधारित आय	1,447.41	584.78
कुल	**9,760.69**	**9,053.69**

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
01.04.2019 को यथा शेष	**355.81**	**8,113.10**	**1,083.22**	**9,552.13**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	136.23	136.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**120.06**	**120.06**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,113.10**	**584.78**	**9,053.69**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,299.41	1,299.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	23.83	23.83
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,323.24**	**1,323.24**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(152.18)	—	(152.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय (करों का शुद्ध)	—	(3.45)	—	(3.45)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अतंरण	14.49	(14.49)	—	—
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(460.61)	(460.61)
31.03.2021 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.98**	**1,447.41**	**9,760.69**

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹33.65 करोड़ की कमी आई है, जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है ।

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को ₹57.50 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 2,89,85,711 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹166.67 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹14.49 करोड़ की कमी आई है जो ₹932.81 करोड़ से घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹152.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 17 मार्च, 2021 को समाप्त हो गई एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹14.49 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है ।

18.3 कंपनी ने 16 दिसंबर, 2020 को ₹93.28 करोड़ की राशि के साथ ₹0.5 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश की पहली किश्त का भुगतान किया था। वहीं, कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को ₹367.33 करोड़ की राशि के साथ ₹2.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश की दूसरी किश्त का भुगतान किया था। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹279.84 करोड़ के अंतरिम लाभांश एवं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹233.20 करोड़ के अंतिम लाभांश के भुगतान के साथ-साथ ₹57.52 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान तथा लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹47.94 करोड़ का भुगतान किया।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	46.11	12.31
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**46.11**	**12.31**

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क.	गैर-चालू			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	37.70	22.69
	कुल गैर-चालू कारोबार देय		**37.70**	**22.69**

ख.	चालू			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	11.70	7.06
		— अन्य	702.45	535.03
		उपार्जित मजदूरी और वेतन	225.39	230.84
	कुल चालू कारोबार देय		**939.54**	**772.93**

टिप्पणी:

20.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-20) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-21) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

	विवरण	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
i)	बकाया मूलधन	11.70	7.06
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	0	0
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन।	0	0
iv)	भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना।	0	0
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया।	0	0
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	0	0

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क .	गैर-चालू			
	(क)	आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	36.07	8.28
	(ख)	पट्टा देयता	50.48	50.25
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ		**86.55**	**58.53**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21. अन्य वित्तीय देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
	(क)	अदत्त लाभांश		3.87	2.95
	(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार			
		(1)	पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
			— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	—	—
			— अन्य	211.01	312.72
		(2)	ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	3.88	2.07
		(3)	ग्राहकों को बकाये की वापसी	7.61	26.50
		(4)	ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	67.27	65.93
		(5)	कर्मचारी वसूली	0.27	0.63
	(ग)	पट्टा देयता		5.49	5.22
	कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ			**299.40**	**416.02**

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**			
		(i)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	147.48	135.39
		(ii)	सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	16.02	17.27
		(iii)	नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.21	2.41
		(iv)	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	9.51	12.07
		(v)	सेवानिवृत्ति उपहार	6.17	7.08
	(2)	**अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ**			
		(i)	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	375.78	383.08
		(ii)	लम्बी सेवा का पुरस्कार	12.83	11.01
		(iii)	नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	25.54	25.94
(ख)	**अन्य प्रावधान**				
	(1)	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन		37.42	34.17
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व		0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान				**633.34**	**628.80**
ख.	चालू			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**				
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**			
		(i)	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	10.63	55.98
		(ii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	7.85	5.03
		(iii)	सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	3.57	3.32
		(iv)	नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.51	0.58
		(v)	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	2.87	0.45
		(vi)	सेवानिवृत्ति उपहार	0.99	0.18
	(2)	**अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ**			
		(i)	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	54.59	44.49
		(ii)	लम्बी सेवा का पुरस्कार	0.30	0.53
		(iii)	नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	6.34	6.15

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

22. प्रावधान (जारी) राशि करोड़ ₹ में

(ख)	अन्य प्रावधान			
	(1)	परिधीय विकास व्यय की बाबत	30.47	31.03
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत	41.34	30.70
कुल चालू प्रावधान			**159.46**	**178.44**

ग.	प्रावधानों का संचलन				
	(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]			
	(2)	कर्मचारी लाभों का संचलन	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
		31.03.2019 को यथा शेष	**347.26**	**10.36**	**22.58**
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	125.09	1.22	28.77
		भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(75.16)	(2.30)	(19.26)
		पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	30.38	2.26	—
		31.03.2020 को यथा शेष	**427.57**	**11.54**	**32.09**
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	126.18	1.35	20.57
		भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(106.42)	(1.06)	(20.78)
		पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	(16.96)	1.3	—
		31.03.2021 को यथा शेष	**430.37**	**13.13**	**31.88**
	(3)	अन्य प्रावधानों का संचलन	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
		31.03.2019 को यथा शेष	**31.12**	**28.46**	**31.53**
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.50	4.52	—
		भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(1.95)	(0.50)
		छूट का फैलाव	2.55	0.05	—
		31.03.2020 को यथा शेष	**34.17**	**31.08**	**31.03**
		अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.70	14.67	—
		भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(4.08)	(0.56)
		छूट का फैलाव	2.55	0.05	—
		31.03.2021 को यथा शेष	**37.42**	**41.72**	**30.47**

टिप्पणी

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमश: इंड एएस 16: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा इंड एएस 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्ति के अनुरूप प्रबंधन आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,141.28	1,582.79
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	247.56	522.18
	893.72	**1,060.61**

23. आस्थगित कर देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

2019-20	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2020 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,545.06)	(28.76)	—	(1,573.82)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.94	(0.58)	—	2.36
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(18.00)	—	6.67	(11.33)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,560.12)**	**(29.34)**	**6.67**	**(1,582.79)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	121.35	28.05	—	149.40
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.17	2.65	—	90.82
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.24	(1.22)	—	89.02
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	125.27	63.25	—	188.52
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	—	—	—
अन्य	4.42	—	—	4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**429.45**	**92.73**	—	**522.18**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,130.67)**	**63.39**	**6.67**	**(1,060.61)**

2020-21	01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2021 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,573.82)	433.37	—	(1,140.45)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.36	1.96	—	4.32
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(11.33)	—	6.18	(5.15)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,582.79)**	**435.33**	**6.18**	**(1,141.28)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	149.40	(41.08)	—	108.32
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	90.82	(24.70)	—	66.12
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	89.02	(20.01)	—	69.01
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	188.52	(187.59)	—	0.93
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	—	—	—
अन्य	4.42	(1.24)	—	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**522.18**	**(274.62)**	—	**247.56**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,060.61)**	**160.71**	**6.18**	**(893.72)**

टिप्पणी:

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के जरिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अनुसार, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित करने का अपरिवर्तनीय विकल्प था। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का प्रयोग किया तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को तदनुसार मापा गया है। चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 34.944%) है। 31 मार्च, 2020 को आस्थगित कर पर करों की दर में ऐसे परिवर्तन का प्रभाव लगभग ₹345.15 करोड़ है।

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
(i)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	98.27	70.90
(ii)	अन्य [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	230.50	—
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ		**328.77**	**70.90**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

24. अन्य देयताएँ (जारी) राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू			
(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व		97.27	94.25
(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये			
	(क)	विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.2 का संदर्भ लें]	107.47	589.43
	(ख)	स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	29.35	21.61
	(ग)	एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	43.58	38.17
	(घ)	स्टाम्प शुल्क बाबत बकाया	212.78	212.78
	(ङ)	अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	63.71	64.91
(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व [टिप्पणी: 24.3 का संदर्भ लें]		24.99	293.82
(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा		25.20	24.22
(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान		0.51	0.53
(vi)	अन्य ऋण शेष		0.43	0.60
कुल अन्य चालू देयताएँ			**605.29**	**1,340.32**

टिप्पणी:

24.1 माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए कंपनी के पक्ष में ₹230.50 करोड़ का रिफंड ऑर्डर जारी किया है। समान मामले पर विभिन्न पूर्व-निर्णयों के मद्देनजर, जहां लाभार्थी को लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, अनिश्चितता के उच्च स्तर की भागीदारी के कारण, कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम आने तक उक्त राशि को देनदारी के रूप में मान्यता देना पसंद किया है। इसके अलावा, विभाग ने सीईएसटीएटी, कोलकाता द्वारा जारी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा में चुनौती दी है।

24.2 विवादित अंतर विद्युत शुल्क की संचित देयता के विरुद्ध, ओड़िशा सरकार के अनुरोध के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा के अंतिम निर्णय के अधीन, ओड़िशा सरकार को 31 दिसंबर, 2020 तक ₹675.23 करोड़ विद्युत शुल्क के अंतर का भुगतान कर दिया गया है। 1 जनवरी, 2021 से मासिक बिजली शुल्क राशि का भुगतान सीधे ओड़िशा सरकार को किया जा रहा है।

24.3 ओड़िशा विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ओईआरसी/आरए/आरई-5/2013/2012 दिनांक 31.12.2019 के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2016 से पहले कमीशन-प्राप्त सीजीपी के लिए आरपीओ की दर 3% (सौर स्रोतों के लिए 0.5% एवं गैर-सौर स्रोतों के लिए 2.5%) आंकी गई है तथा जिसका स्पष्टीकरण ओड़िशा अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (ओआरईडीए) द्वारा दिनांक 17 जून, 2021 को कर दिया गया है, कंपनी के पास भौतिक रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों एवं अभी तक प्राप्त होने वाले आरईसी के दावों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को अपने दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया, जो कि ₹24.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹293.82 करोड़) था। देयता के इस तरह के संशोधन के प्रभाव को "अन्य व्यय" में कमी लाने पर विचार किया गया है। [टिप्पणी: 33 (जे) का संदर्भ लें]

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया				
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**			
	1.	ओड़िशा विक्रय कर	3.72	4.31
	2.	केन्द्रीय विक्रय कर	281.01	281.01
	3.	वीएटी	12.64	12.64
	4.	उत्पाद शुल्क	410.44	410.44
	5.	सीमा शुल्क	104.47	104.47
	6.	सेवा कर	21.98	18.19
	7.	आयकर	162.66	547.62
	8.	प्रवेश कर	221.37	221.37
	9.	सड़क कर	2.65	2.65
	10.	स्टाम्प ड्यूटी	0.51	0.51
	11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	62.30	15.59
	12.	पीएसयू से दावा	247.59	188.73
	13.	**भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज**	73.73	88.20
	14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
	15.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	—	92.45
	16.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**			—
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	292.85	318.08
		कुल	**2,153.48**	**2561.82**

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) (जारी)

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल हैं :

i. आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीएसयू से दावे में खान एवं परिशोधन संकुल में नालको परिशोधक द्वारा अपर कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी निकालने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की हानि के लिए ओड़िशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मांग की गई ऊर्जा क्षतिपूरक प्रभार एवं वर्ष 2005 से उस पर विलम्बित भुगतान उपकर शामिल है।

iv. कंपनी के विरुद्ध दावे अधिकतर आकलन चरण में आईटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण है। ये दावे धारा 32(i)(iiक) के अधीन अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकार वस्तुतः परिधीय विकास व्यय के अस्वीकार, अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान, अल्पमियादी पूंजी लाभ के उपचार एवं दीर्घमियादी पूंजी लाभ के अधीन हानि की अस्वीकृति एवं व्यवसाय आय के रूप में इनका उपचार, धारा 14क के अधीन अस्वीकार जैसे बहु मसलों के कारण हैं। विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण में ये मामले विचाराधीन एवं लम्बित हैं। कर सलाहकार समेत प्रबंधन को अपेक्षा है कि उच्चतर अपीलीय फोरम द्वारा सीआईटी(ए)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) रहने के कारण कंपनी के पक्ष में पहले से ही आखिरी समाधान रहने से इसकी स्थिति कायम रहेगी। अतएव, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण एवं कंपनी की कर दर को प्रभावित करेगा।

कंपनी ने विवाद के संभावित परिणाम और संसाधनों के बहिर्वाह की संभावनाओं पर विचार करते हुए विवादित आयकर मामलों एवं विभाग/प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों की समीक्षा की तथा तदनुसार 31 मार्च, 2021 को प्रकट किया।

25.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2021 को यथा
क.	सांविधिक प्राधिकारी से मांग					
	1.	ओड़िशा विक्रय कर	4.31	(0.59)	—	3.72
	2.	केन्द्रीय विक्रय कर	281.01	—	—	281.01
	3.	वीएटी	12.64	—	—	12.64
	4.	उत्पाद शुल्क	410.44	—	—	410.44
	5.	सीमा शुल्क	104.47	—	—	104.47
	6.	सेवा कर	18.19	(0.07)	3.86	21.98
	7.	आयकर	547.62	(384.96)	—	162.66
	8.	प्रवेश कर	221.37	—	—	221.37
	9.	सड़क कर	2.65	—	—	2.65
	10.	स्टाम्प ड्यूटी	0.51	—	—	0.51
	11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	15.59	—	46.71	62.30
	12.	पीएसयू से दावा	188.73	—	58.86	247.59
	13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	88.20	(21.69)	7.22	73.73
	14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	—	—	136.32
	15.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	(92.45)	—	—
	16.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—	—	119.24
ख.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे		—			—
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	318.08	(67.20)	41.97	292.85
	कुल		**2,561.82**	**(566.96)**	**158.61**	**2,153.48**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है		1,308.97	993.90
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ			
	(1)	उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
	(2)	निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	शून्य	254.32
	(3)	पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के आबंटन के लिए ओड़िशा सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि	49.89	शून्य
	(4)	5वीं स्ट्रीम रिफाइनरी परियोजना के लिए भारत सरकार (एमओईएफएफसी) के प्रति प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि।	10.81	शून्य
	(5)	पूंजीगत निवेश के लिए कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)	12.00	शून्य
	कुल		**1,399.78**	**1,266.33**

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	**उत्पादों की बिक्री**		
	1) निर्यात :		
	i) एल्यूमिना	2,534.63	2,764.30
	ii) एल्यूमिनियम	2,628.31	746.62
	2) घरेलू :		
	i) एल्यूमिना	141.95	213.98
	ii) एल्यूमिनियम	3,524.48	4,645.92
(ख)	**विद्युत की बिक्री**		
	i) पवन विद्युत [टिप्पणी: 27.1 का संदर्भ लें]	39.92	54.93
(ग)	**अन्य प्रचालन आय**	**86.50**	**46.09**
प्रचालनों से राजस्व		**8,955.79**	**8,471.84**

टिप्पणी:

27.1 कंपनी ने 2018-19 से पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को मान्यता नहीं दी है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय		
	(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :		
	— बैंक जमा	69.99	144.30
	— कर्मचारियों को ऋण	9.42	9.43
	— परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5.48	2.99
	(ii) आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय	—	61.18
(ख)	लाभांश आय		
	— चालू निवेशों से लाभांश	5.48	7.60
(ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)	(1.85)	5.94
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	0.38	0.01
(ङ)	अन्य निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	—	1.35
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी: 28.1 का संदर्भ लें]	8.86	3.73
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	15.71	19.52
(ज)	अन्य	33.13	16.53
कुल अन्य आय		**146.60**	**272.58**

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
क.	कच्चे माल			
	(1)	कॉस्टिक सोडा	687.62	935.17
	(2)	सी.पी. कोक	351.00	460.73
	(3)	सी.टी पिच	130.67	142.25
	(4)	एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	74.80	80.58
	(5)	चूना	44.14	51.47
	(6)	अन्य	27.20	32.28
	कुल खपत किए गए कच्चे माल		**1,315.43**	**1,702.48**
ख.	विद्युत एवं ईंधन			
	(1)	कोयला	1,584.74	1,667.11
	(2)	ईंधन तेल	576.49	663.21
	(3)	निजी उत्पादन पर शुल्क	415.35	400.30
	(4)	विद्युत क्रय	55.25	224.47
	(5)	विद्युत पारेषण प्रभार	6.26	9.51
	कुल खपत किए गए विद्युत और ईंधन		**2,638.09**	**2,964.60**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
तैयार माल				
प्रारंभिक स्टॉक				
	(1)	बॉक्साइट	3.74	18.12
	(2)	रसायन	159.30	91.48
	(3)	एल्यूमिनियम	276.97	12.68
		प्रारंभिक स्टॉक	440.01	122.28
	तैयार उत्पादों का कुल प्रारंभिक स्टॉक		**440.01**	**122.28**
	घटाएँ : अंतिम स्टॉक			
	(1)	बॉक्साइट	4.34	3.74
	(2)	रसायन	232.28	159.30
	(3)	एल्यूमिनियम	227.81	276.97
	अंतिम स्टॉक		**464.43**	**440.01**
	कुल तैयार माल के अंतिम स्टॉक		**464.43**	**440.01**
	तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी		**(24.42)**	**(317.73)**
मध्यवर्ती उत्पाद				
	प्रारंभिक स्टॉक			
	एनोड		136.37	122.16
	अन्य		16.67	18.97
	कुल मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक		**153.04**	**141.13**
	घटाएँ : अंतिम स्टॉक			
	एनोड		100.83	136.37
	अन्य		17.74	16.67
	कुल मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक		**118.57**	**153.04**
	मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी		**34.47**	**(11.91)**
चल रहे कार्य				
	प्रारंभिक स्टॉक		282.54	246.95
	घटाएँ : अंतिम स्टॉक		298.35	282.54
	चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी		**(15.81)**	**(35.59)**
	कुल मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी		**(5.76)**	**(365.23)**

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	**बोनस सहित वेतन और मजदूरी**	1,544.25	1,585.52
(ख)	**भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान**		
	1) भविष्य निधि	120.10	129.45
	2) उपदान	42.85	52.09
	3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	107.03	114.00
(ग)	**कर्मचारी कल्याण व्यय**	116.01	113.01
कुल कर्मचारी लाभ व्यय		1,930.24	1,994.07

टिप्पणी:

31.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) **पेंशन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख.) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.ख.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, योजना के अधीन निर्दिष्टानुसार निर्धारित राशि के जमा पर, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैं:-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता है:

क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

ख. **मृत्यु दर में विविधताः** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं हैं, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

ग. **आहरण दरों में विविधताः** यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिमः** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	मूल्यांकन	
	31.03.2021	**31.03.2020**
छूट दर(रों)	6.60%	6.50%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	8%	8%
मृत्युदर	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष**
सेवा मूल्यः		
-चालू सेवा मूल्य	(52.67)	(54.67)
-विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	16.10	12.19
-शुद्ध ब्याज व्यय	(5.11)	(11.97)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(41.68)**	**(54.45)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापनः		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	(1.78)	5.12
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.10	(45.79)
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	14.31	23.08
अन्य		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**17.63**	**(17.59)**
कुल	**(24.05)**	**(72.04)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है:

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	**बंदोबस्ती लाभ**	**नालको हितकारी निधि योजना**	**नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना**	**सेवा निवर्त्तन उपहार योजना**	**उपदान (निधिबद्ध)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31, मार्च, 2020						
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	(140.42)	(20.59)	(2.99)	(12.52)	(7.26)	(632.24)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					576.26
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(55.98)**
31, मार्च, 2021						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					585.17
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(155.35)**	**(19.58)**	**(2.73)**	**(12.38)**	**(7.16)**	**(10.63)**

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	(123.43)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)
चालू सेवा मूल्य	—	(3.55)	—	—	—	(51.12)
ब्याज मूल्य	(7.82)	(1.38)	(0.18)	(0.72)	(0.42)	(37.05)
पुनःमापन (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.97)	(1.10)	(0.12)	(0.60)	(0.48)	(39.52)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.43)	5.35	(0.11)	(1.06)	(0.32)	30.65
कटौती पर हानि/(लाभ) समेत विगत सेवा लागत	—	—	—	—	—	—
समझौतों के अनुसार समाप्त देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
लाभ भुगतान किया गया	6.23	2.51	0.46	1.76	0.89	69.70
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(632.24)**
चालू सेवा मूल्य	—	(3.14)	—	—	—	(49.53)
ब्याज मूल्य	(9.06)	(1.26)	(0.17)	(0.75)	(0.45)	(38.65)
पुनःमापन (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.98	0.03	0.01	0.06	0.05	3.97
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.11)	2.36	(0.44)	(1.50)	(0.43)	27.43
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	—	—	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
प्रदत्त लाभ	6.26	3.02	0.86	2.33	0.93	93.22
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2021 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं:

	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2019 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	547.80
ब्याज आय	35.60
पुनःमापन (लाभ)/हानि	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	5.12
अन्य	(0.05)
नियोक्ता से अंशदान	57.49
प्रदत्त लाभ	(69.70)
31 मार्च, 2020 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	576.26
ब्याज आय	45.23
पुनःमापन (लाभ)/हानि	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(1.78)
अन्य	—
नियोक्ता से अंशदान	58.68
योजना भागीदार से अंशदान	—
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	—
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—
प्रदत्त लाभ	(93.22)
अन्य	—
31 मार्च, 2021 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	585.17

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है:

	मूल्यांकन	
	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
निधियों में निवेश:		
1. बीमा कंपनियाँ	585.17	576.26
कुल	585.17	576.26

31.ग- परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**4.25**	**5.19**	**0.60**	**0.61**	**0.08**	**0.08**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.03%	3.70%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	**0.07**	**0.07**
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.42%	2.37%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	**0.02**	**0.02**	—	—
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.04**	**0.04**	**0.09**	**0.09**	**0.01**	**0.01**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**0.34**	**0.35**	**0.20**	**0.20**	**21.02**	**19.70**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.12%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.30**	**0.30**	**0.18**	**0.17**	**3.66**	**3.24**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.58%	0.51%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**0.02**	**0.02**	**0.01**	**0.01**	**0.21**	**0.21**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.03**	**0.03**	**0.02**	**0.02**	**0.53**	**0.53**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**4.49**	**4.58**	**0.57**	**0.58**	**0.07**	**0.08**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	**0.07**	**0.06**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	2.42%	2.37%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	**0.02**	**0.02**	—	—
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.71**	**0.71**	**0.09**	**0.09**	**0.01**	**0.01**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**11.11**	**11.18**	**0.19**	**0.20**	**20.38**	**19.05**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.73%	90.28%	2.71%	2.76%	3.42%	3.20%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**11.18**	**11.12**	**0.17**	**0.17**	**3.33**	**2.91**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	90.24%	89.76%	2.42%	2.37%	0.56%	0.49%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	**11.14**	**11.15**	**0.01**	**0.01**	**0.08**	**0.08**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.99%	90.02%	0.15%	0.15%	0.01%	0.01%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**11.14**	**11.15**	**0.02**	**0.02**	**0.51**	**0.51**
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.97%	90.03%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत			
क.	पट्टे देयता पर ब्याज व्यय	4.01	3.98
ख.	अन्य [टिप्पणी: 32.1 का संदर्भ लें]	3.07	1.76
कुल वित्त लागत		7.08	5.74

टिप्पणी

32.1 अन्य वित्त लागत में बैंक से ऋण पर ₹0.21 करोड़ का ब्याज शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

33. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत	333.16	356.12
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
	(1) भवन	65.82	61.65
	(2) मशीनरी	157.94	164.08
	(3) अन्य	24.63	27.12
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
	(1) जल प्रभार	34.13	32.04
	(2) रॉयल्टी	132.57	125.39
	"(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	41.81	40.13
	(4) सतत तकनीकी सहयोग व्यय	-	4.52
	(5) अन्य	92.34	90.59
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
	(1) आवक सामग्री (एल्यूमिना)	109.35	110.28
	(2) जावक सामग्री	163.22	131.58
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
	(i) लेखापरीक्षक के रूप में	0.35	0.35
	(ii) कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.07	0.07
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.29	0.34
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.02	0.15
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.04
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	150.24	180.71
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी: 32.1 का संदर्भ लें]	35.00	39.71
(झ)	प्रशासिनक एवं सामान्य व्यय	103.23	124.14
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व [टिप्पणी: 24.3 का संदर्भ लें]	(261.86)	114.11
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	0.01	0.01
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	34.81	25.17
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	11.18	15.64
(ढ)	डूबंत एवं संदिग्ध प्रावधान (पुनरांकन)	22.86	(1.35)
(ण)	अन्य	43.77	44.10
कुल अन्य व्यय		**1,294.97**	**1,686.69**

टिप्पणी:

33.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹33.42 करोड़ है (31 मार्च, 2020 ₹37.38 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 35.00 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹39.71 करोड़)
	कुल	**₹ 35.00 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹39.71 करोड़)**

34. आयकर

34.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	204.02	152.27
पूर्व वर्षों के संबंध में	(26.32)	(0.87)
	177.70	**151.40**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(160.71)	(63.39)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	—	—
	(160.71)	**(63.39)**
चालू वर्ष में स्वीकृत कुल आयकर व्यय	16.99	88.01

वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है:

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ		**1,316.40**	**224.24**
उस पर आयकर व्यय @25.168% (पिछले वर्ष 34.944%) :		**331.31**	**78.36**
कर का प्रभाव -			
i)	कराधान से मुक्त आय	0.03	(1.96)
ii)	अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	6.78	13.97
iii)	व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(55.24)	(31.96)
iv)	रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	—	(0.47)
v)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ के लिए अतंर	—	(0.04)
vi)	पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	(26.32)	(26.80)
vii)	अन्य	(239.57)	56.91
लाभ या हानि में स्वीकृत आयकर व्यय		**16.99**	**88.01**

34.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आयकर

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	(1.16)	—
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आयकर	**(1.16)**	—

34.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आयकर

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	—	—
— आस्थगित कर	6.18	6.67
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आयकर	**6.18**	**6.67**
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	**6.18**	**6.67**

टिप्पणी:

कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के जरिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अनुसार, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित करने का स्थिर विकल्प था। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का प्रयोग किया और करों को तदनुसार मान्यता दी। चालू वर्ष के लिए लागू दर 25.168% (पिछले वर्ष 34.944%) है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35. खंड की सूचना

35.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है:

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचाल न व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन विद्युत संयंत्र को गैर-आवंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

35.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	3,950.50	4,248.29
एल्यूमिनियम खंड	6,263.47	5,466.37
अनाबंटित	50.38	42.63
प्रचालनों का योग	**10,264.35**	**9,757.29**
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,308.56	1,285.45
प्रचालनों से राजस्व	**8,955.79**	**8,471.84**
	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	635.75	554.26
एल्यूमिनियम खंड	867.67	(281.98)
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	**1,503.42**	**272.28**
ब्याज एवं वित्तपोषण शुल्क	7.08	5.74
ब्याज और लाभांश आय	90.75	134.43
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(270.57)	(174.73)
संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) का अंश	(0.12)	(2.00)
कर-पूर्व लाभ	**1,316.40**	**224.24**

35.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2021 को यथा	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**
रसायन खंड	4,216.76	4,399.65	1191.18	1125.10
एल्यूमिनियम खंड	5,337.53	6,014.16	1560.93	2062.48
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	**9,554.29**	**10,413.81**	**2,752.11**	**3,187.58**
अनावंटित	5,154.60	4,134.24	384.04	313.37
कुल परिसंपत्तियाँ और देयताएँ	**14,708.89**	**14,548.05**	**3,136.15**	**3,500.95**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35.4 अन्य खंड की सूचना

राशि करोड़ ₹ में

	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	268.03	216.70	(110.26)	322.21
एल्यूमिनियम खंड	271.53	250.52	(53.24)	59.61
अनाबंटित	**66.26**	**62.61**	**575.81**	**61.74**
प्रचालनों का योग	**605.82**	**529.83**	**412.31**	**443.56**

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	(9.24)	36.38
एल्यूमिनियम खंड	(12.33)	65.62
अनावंटित	(1.60)	6.69
	(23.17)	**108.69**

35.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है:

राशि करोड़ ₹ में

	गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	2,676.58	2,978.28
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	6,152.79	5,392.54
	8,829.37	**8,370.82**

35.6 भौगोलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है

राशि करोड़ ₹ में

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
भारत	3,666.43	4,859.90	10,402.56	9,990.25
भारत के बाहर	5,162.94	3,510.92	—	—
कुल	**8,829.37**	**8,370.82**	**10,402.56**	**9,990.25**

36. प्रति शेयर आय

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
36.1 मूल आय प्रति शेयर (₹)		
कुल प्रचालनों से	6.97	0.73
कुल मूल आय प्रति शेयर	**6.97**	**0.73**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

36.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है: राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	1,299.41	136.23
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	1,299.41	136.23

	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	186.44	186.56

टिप्पणी:

17 मार्च, 2021 को वापस खरीदे गए 2,89,85,711 शेयरों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना की गई है।

37. वित्तीय प्रपत्र

37.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)			
(क)	अनिवार्य रूप से आकलित :		
	(i) म्यूच्युअल फंड में निवेश	248.38	55.01
	(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित			
(ख)	नकद एवं बैंक शेष	213.52	18.47
(ग)	परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,122.56	2,501.54
		2,584.46	2,575.02
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित मूल्य पर आकलित		**1,409.30**	**1,282.48**

स्तर 1 सूचना पर आधारित उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ उपलब्ध हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार पर चिह्नित है जिसमें कोविड-19 के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चितता के घटक शामिल हैं।

37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

37.3 बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाज़ार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

राशि करोड़ ₹ में

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
यूएसडी	0.48	0.07	277.62	100.42
यूरो	14.82	0.47	—	0.50

37.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2019 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है: **राशि करोड़ ₹ में**

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	27.7	10.0	1.48	0.00

37.5 अन्य मूल्य जोखिम

37.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

37.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

37.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

38. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

38.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

(I) पूर्णकालिक निदेशकगणः

(क)	श्री एस. पात्र	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री आर. एस. महापात्र	निदेशक (मा.सं.)
(ग)	श्री एम. पी. मिश्रा	निदेशक (उत्पादन एवं तक.) [01.11.2020 से प्रभावी]*
(घ)	श्री बी. के. दास	निदेशक (उत्पादन) [01.12.2020 से प्रभावी]#
(ङ)	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार [30.11.2020 तक]
(च)	श्री एस. के. रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.) [31.10.2020 तक]
(छ)	श्री पी. के. मिश्र	निदेशक (वाणिज्यिक)[28.02.2021 तक]

* 01.03.2021 से उन्हें निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

01.03.2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

अन्य

श्री एन. के. महान्ति — महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(II) अंशकालिक सरकारी निदेशकगणः (भारत सरकार द्वारा नामित):

(क) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस [05.08.2020 तक]
(ख) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस [05.08.2020 तक]
(ग) श्री उपेन्द्र जोशी, आईआरटीएस [05.08.2020 से 09.11.2020 तक]
(घ) श्री सतेन्द्र सिंह, आईएएस [05.08.2020 से प्रभावी]
(ङ) श्री संजय लोहिया, आईएएस [09.11.2020 से प्रभावी]

(III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगणः

(क) श्री एन. एन. शर्मा [05.09.2020 तक]
(ख) श्रीमती अचला सिन्हा [07.09.2020 तक]

ख . संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.
(ख) जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
(ग) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खनिज बीदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव हैः

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2.	पूर्व तट रेलवे
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	4.	गुजरात अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लि.
5.	सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स	6.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
7.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8.	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	10.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
11.	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	12.	ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.
14.	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	15.	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.
17.	भारतीय जीवन बीमा निगम	18.	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
19.	सदर्न रेलवे	20.	सेन्ट्रल रेलवे
21.	बीईएमएल लिमिटेड	22.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
23.	मेकॉन लिमिटेड		

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ii) **वस्तुओं का विक्रय**

1. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन
2. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
3. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
4. सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट

38.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	3.95	4.36
— भविष्य निधि में अंशदान	0.24	0.25
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.03)	(0.09)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.01	0.09
कुल	**4.20**	**4.65**

चूँकि रोजगार-उपरातं लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

विवरण	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	**0.01**	**0.02**
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	**0.01**	**0.03**

II. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	485.86	431.10
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	55.98	57.35

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	33.25	27.37
एनईजीजी ट्रस्ट	देय निधि में कमी	10.63	55.98

III. नालको फाउंडेशन

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	14.41	18.58

IV. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	109.25	—
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	236.4	265.38

V. **सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन**

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	2388.83	3212.19
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	1194.72	883.56

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2021 को यथा	31.03.2020 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	75.19	26.51
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	—

39. अतिरिक्त सूचना का प्रकटन:

(क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

राशि करोड़ ₹ में

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.35%	37.01	0.01%	0.13	—	—	0.01%	0.13
खनिज बीदेश इंडिया लिमिटेड	0.01%	1.57	0.00%	(0.00)	—	—	0.00%	(0.00)
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.35%	37.49	0.04%	0.49	—	—	0.04%	0.49
जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	6.42%	685.10	-0.06%	(0.74)	—	—	(0.06%)	(0.74)
कुल	**7.13%**	**761.17**	**-0.01%**	**(0.12)**	—	—	**-0.01%**	**(0.12)**

(ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.37%	36.75	-1.19%	(1.63)	—	—	-1.36%	(1.63)
खनिज बीदेश इंडिया लिमिटेड	0.02%	1.58	-0.27%	(0.37)	—	—	-0.31%	(0.37)
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.37%	36.48	0.36%	0.49	—	—	0.41%	0.49
जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	5.98%	596.96	-0.37%	(0.50)	—	—	-0.42%	(0.50)
कुल	**6.73%**	**671.76**	**-1.47%**	**(2.00)**	—	—	**-1.67%**	**(2.00)**

टिप्पणी:

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के खातों को अभी स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि, समेकित वित्तीय विवरणों में मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उक्त वित्त वर्ष के लिए खातों पर विचार किया गया है।

40. सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "ख": सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

		विवरण	संयुक्त उद्यम			
			उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि [टिप्पणी: 40.3 का संदर्भ लें]		31-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	31-03-2021
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर					
	सं.		2,00,00,000	1,00,000	1,62,23,900	27,60,00,000
	सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)		20,00,00,000	10,00,000	16,22,39,000	2,76,00,00,000
	धारिता का %		50.00%	40.00%	49.00%	40.00%
3.	विवरण का किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है		[टिप्पणी 40.2का संदर्भ लें]	[टिप्पणी 40.2 का संदर्भ लें]	[टिप्पणी 40.2 का संदर्भ लें]	[टिप्पणी 40.2 का संदर्भ लें]
4.	कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है		—	—	—	—
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में आरोप्य निवल संपत्ति (₹)		18,50,37,500	62,96,456	18,36,77,535	2,74,04,15,200
6.	वर्ष के लिए लाभ /(हानि) (₹)					
	i.	समेकन में विवेचित	13,12,500	(18,008)	49,38,026.94	(74,23,200)
	ii.	समेकन में अविवेचित	—	—	—	—

टिप्पणी:

40.1 किसी भी सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने प्रचालन शुरू नहीं किया है।

40.2 धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार वोटिंग अधिकार।

40.3 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के खातों को अभी स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि, समेकित वित्तीय विवरणों में मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उक्त वित्त वर्ष के लिए खातों पर विचार किया गया है।

41. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़े जहाँ कहीं भी अपेक्षित हों, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (सदस्यता सं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए गोकुल चंद्र दास)
साझेदार (सदस्यता सं.: 086157)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 28, 2021

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस सं	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	– कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। – वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है। – इंड एएस की अपेक्षानुसार जानकारी (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। – वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक है।
इंड एएस 2	मालसूचियाँ	– मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है। – मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में, प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियाँ की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	– अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है। – नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	– लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया। – लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते हैं , को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है। – किसी पूर्व अवधि(यों) की त्रुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	– कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में राशियों को समायोजित किया है। – रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	– ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आयकर	– कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच सांख्यिकी मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है। – अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किए गए हैं। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	– प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है। – वर्ष के दौरान संयोजन, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय व्यक्त करने वाले प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के मिलान को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	– दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजना के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप से स्वीकार किया गया है। – परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है। – जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच मिलान टिप्पणी 31.ख. में प्रकट किया गया है। – बीमांकिक धारणाओं का संवेदनशील विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ है, को टिप्पणी 31.ग. में प्रकट किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस सं	नामावली	विवरण
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	– परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	– विदिशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	– कंपनी उधारी लागतों को पूँजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	– संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	– संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	– कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	– यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	– परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	– कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। – ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	– एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार अपने अंतरिम वित्तीय ब्यौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	– विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। – प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	– प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। – विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मक के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिःभाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(ग) में प्रकट किया गया है। – अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्ण रूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। – आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस सं	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्ति	– इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। – कंपनी आर एवं डी गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशित मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। – संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाले अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।
इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	– कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	– कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	– कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	– वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	– यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	– यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	– कंपनी के पास कोई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	– कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रों का प्रकट	– वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	– कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो वे कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाते हैं। – खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	– म्युच्युअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर पाया गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किये गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	– समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	– कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	– कंपनी के पास चार संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसके मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	– कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। – इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखे	– कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	– ग्राहकों के साथ ठेके के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।
इंड एएस 116	पट्टे	– कंपनी उन सभी पट्टों को चिह्नित करती है, जिसमें कोई अनुबंध है, या पट्टा है, यदि यह अनुबंध के प्रारंभ में विचार आदान-प्रदान की समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग के नियंत्रण अधिकार को वहन करता है। – कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापा जाता है।

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में

वास्तविक

क्रम सं .	विवरण	एकक	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
1	उत्पादनः						
	बॉक्साइट	मे.टन	73,65,001	73,02,245	72,30,546	70,25,109	68,25,000
	एल्यूमिना हाइड्रेट	मे.टन	20,85,500	21,60,500	21,52,500	21,05,500	21,00,100
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,18,522	4,18,373	4,40,242	4,25,515	3,87,422
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.	6,440	6,067	6,256	6,547	6,066
	पवन विद्युत	मे.यू.	285	312	330	243	198
2	निर्यात बिक्रीः						
	एल्यूमिना	मे.टन	11,84,680	12,40,704	12,44,256	12,76,775	12,43,103
	एल्यूमिनियम	मे.टन	1,92,174	56,898	38,463	75,847	1,00,591
3	देशीय बिक्रीः						
	एल्यूमिना, हाइड्रेट एवं अन्य रसायन	मे.टन	42,992	63,000	73,377	60,641	51,797
	एल्यूमिनियम	मे.टन	2,30,643	3,38,864	4,02,134	3,50,469	2,84,926
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.			11	24	30
	पवन विद्युत	मे.यू.	148	162	330	243	198

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण		2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
क	आय का विवरणः						
1	निर्यात		5,162.94	3,510.92	4,792.71	4,075.46	3,624.99
2	देशीय बिक्री		3,706.35	4,914.83	6,593.61	5,429.66	4,308.00
3	सकल बिक्री (1+2)		8,869.29	8,425.75	11,386.32	9,505.12	7,932.99
4	घटाएँः उत्पाद शुल्क		-	-	-	128.96	494.51
5	निवल बिक्री (3 - 4)		8,869.29	8,425.75	11,386.32	9,376.16	7,438.48
6	अन्य आयः						
7	प्रचालनगत		86.50	46.09	113 .00	113.19	117.03
8	गैर-प्रचालनगत		146.60	272.58	325.87	299.65	408.27
9	प्रचालन व्यय		7,172.97	7,982.61	8,606.79	8,091.90	6,475.86
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)		1,782.82	489.23	2,892.53	1,397.45	1,079.65
11	अपवादिक मदों		-	-	-	-824.08	40.15
12	ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8-11)		1,929.42	761.81	3,218.40	2,521.18	1,447.77
13	ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार		7.08	5.74	2.38	1.95	2.69
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीडीटी) (12-13)		1,922.34	756.07	3,216.02	2,519.23	1,445.08
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		605.82	529.83	476.10	480.40	480.36
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)		1,316.52	226.24	2,739.92	2,038.83	964.72
17	कर के लिए प्रावधान		16.99	88.01	1,007.52	696.42	296.19
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16-17)		1,299.53	138.23	1,732.40	1,342.41	668.53
ख	तुलन पत्रः						
19	इक्विटी पूँजी		918.32	932.81	932.81	966.46	966.46
20	आरक्षित एवं अधिशेष		9,762.38	9,055.26	9,551.70	9,538.35	9,239.33
21	निवल मूल्य (19+20)		10,680.70	9,988.07	10,484.51	10,504.81	10,205.79
ग	अनुपातः						
22	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)		20.10	5.81	25.40	14.90	14.51
23	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)		14.65	1.64	15.21	14.32	8.99
24	निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)		12.17	1.38	16.52	12.78	6.55
घ	अन्यः						
25	₹ 5 प्रत्येक का प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)		58.15	53.54	56.20	54.35	52.80
26	प्रति शेयर आय (₹ में)		6.97	0.74	9.06	6.94	2.98
27	प्रति शेयर लाभांश (₹ में)		3.50	1.50	5.75	5.70	2.80

वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणामों एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का पुनर्मिलान

(क्रम सं. 11 एवं 12 को छोड़कर ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	1,380.63	2,374.89	2,378.79	2,821.48	8,955.79	8,955.79	—
2	अन्य आय	33.29	24.16	36.16	52.99	146.60	146.60	—
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1,253.35	2,100.86	1,946.66	1,879.18	7,180.05	7,180.05	—
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	135.90	143.19	169.66	157.07	605.82	605.82	—
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	24.67	155.00	298.63	838.22	1,316.52	1,316.52	—
6	अपवादिक मदें	—	—	—	—	—	—	—
7	कर पूर्व लाभ	24.67	155.00	298.63	838.22	1,316.52	1,316.52	—
8	कर के लिए प्रावधान	8.04	47.55	58.82	-97.42	16.99	16.99	—
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	16.63	107.45	239.81	935.64	1,299.53	1,299.53	—
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	932.81	932.81	932.81	918.32	918.32	918.32	—
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.09	0.58	1.29	5.03	6.97	6.97	—
12	गैर-प्रोमोटर शेयरधारिता का कुल योग							
	शेयरों की संख्या	90,48,24,487	90,48,24,487	90,48,24,487	89,48,38,776			
	शेयरधारण का प्रतिशत	48.50	48.50	48.50	48.72			

नालको के विभिन्न उत्पादन एकक, उनकी अवस्थिति और उत्पादन क्षमता

1.	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रति वर्ष (उत्तर एवं मध्य ब्लॉक) 31,50,000 टन प्रति वर्ष (दक्षिण ब्लॉक)
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	21,00,000 टन प्रति वर्ष
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुल	1,200 मेगावाट
5.	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापट्टनम	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात/कास्टिक सोड़ा घोल आयात)
6.	पवन विद्युत	गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
		लोद्रवा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

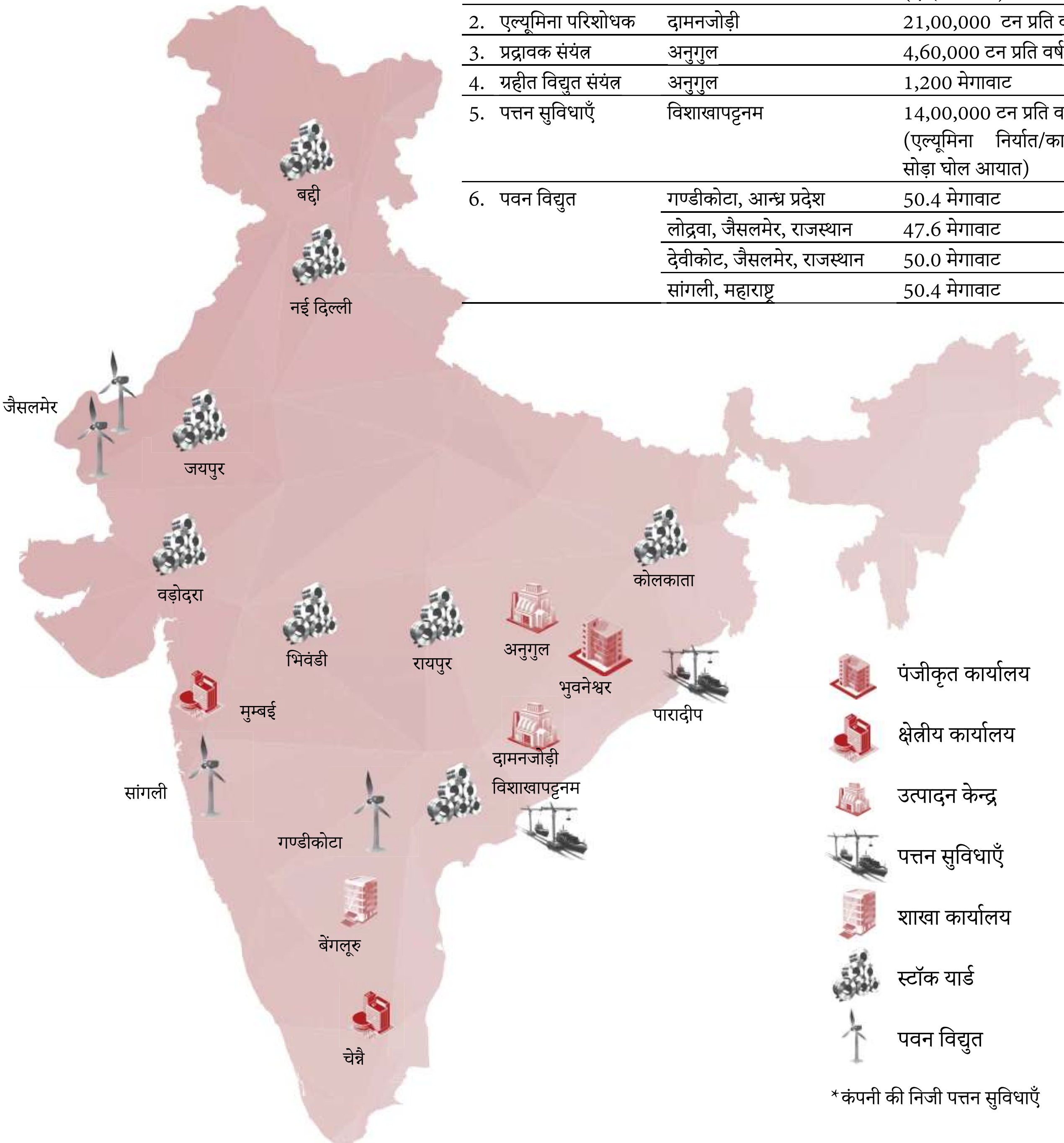

*कंपनी की निजी पत्तन सुविधाएँ

वैश्विक विस्तार

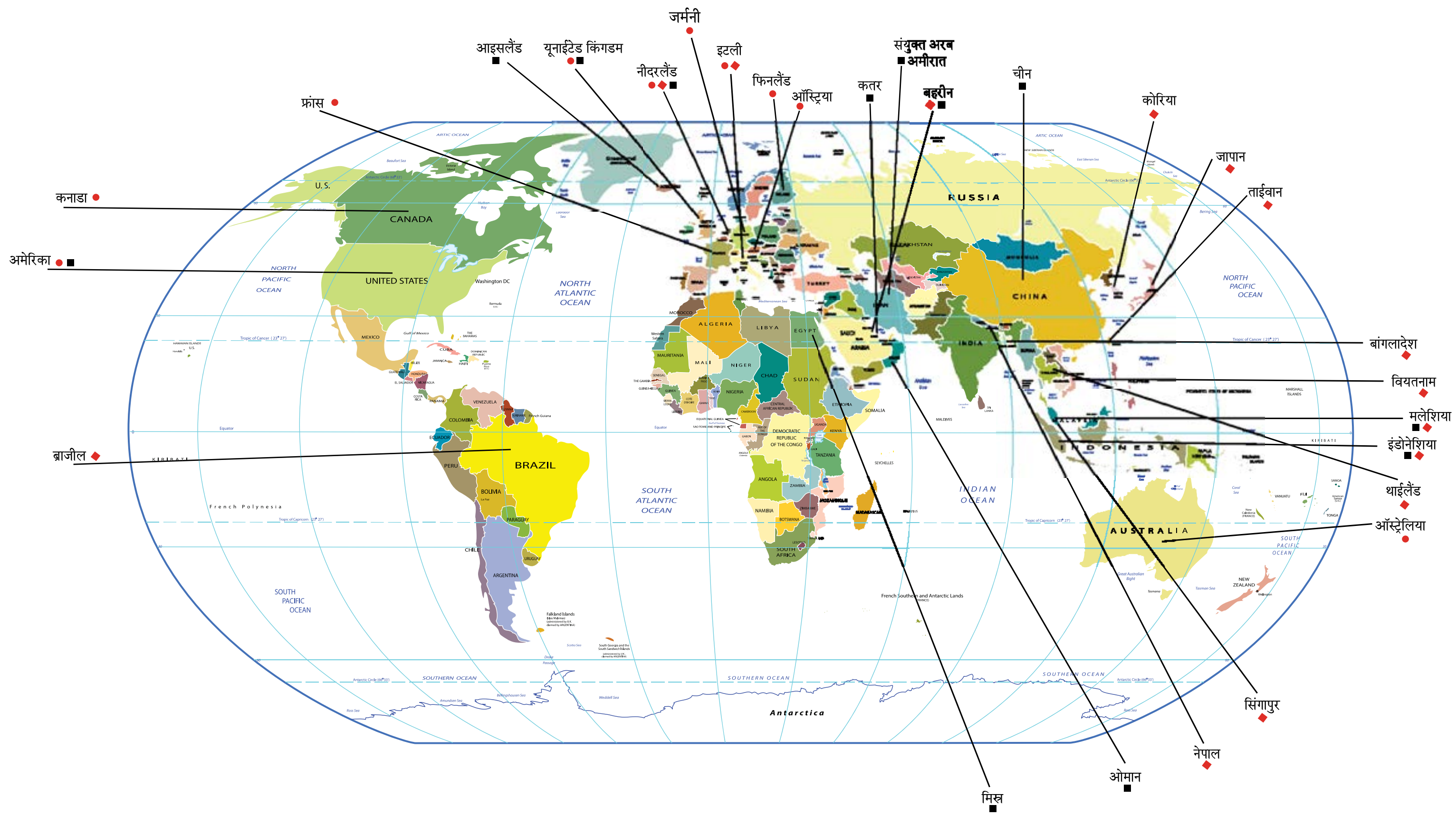

● प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

designed and produced by sanket

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा

सीआईएन: L27203OR1981GOI000920

@NALCO_India @cmdNalco fb.com/nalcoindia @nalco_india www.nalcoindia.com